ISSN 0975-4083

रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 2138 Impact Factor 4.875 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory
ProQuest, U.S.A. Title Id : 715204

अंक - 26, हिन्दी संस्करण, वर्ष-13, अक्टूबर-मार्च 2024

2024
www.researchjournal.in

आई. एस. एस. एन. 0975-4083

रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 2138
Impact Factor 4.875
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest, U.S.A. Title Id : 715204

अंक-26 हिन्दी संस्करण वर्ष-13 अक्टूबर - मार्च 2024

डॉ. अखिलेश शुक्ल
प्रधान सम्पादक (ऑनरेरी)
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका

Experts & Members of Advisory Board

- Prof. Hemanta Saikia, Assistant Professor, Department of Rural Development,Debraj Roy College, Circuit House Road, Golaghat, Assam, India.Pin-785621
  jio84hemant@gmail.com
- Dr. K. S. Tiwari, Professor, Regional Director, Regional Centre Bhopal, IGNOU, Bhopal
  kripashankar19954@gmail.com
- Dr. Puran Mal Yadav, Department of Sociology, Mohan Lal Sukhadia University
  UDAIPUR – 313001 (Rajasthan)
  pnyadav1964@gmail.com
- Dr. Ram Shankar. Professor of Political Science, RDWVV Jabalpur University, (M.P.)
  rs_dubey@yahoo.com
- Prof. Anjali Bahuguna, Department of Economics, School of Humanities and Social Sciences (SHSS),, HNB Garhwal University, (A Central University), Srinagar-246174 (Garhwal)
  anjali shss@gmail.com
- Dr. Sanjay Shankar Mishra, Professor of Commerce, Govt. TRS PG College, Rewa (M.P.)
  ssm6262@yahoo.com
- Dr. Pramila Shrivastava, Associate Professor, Department of Economics, Govt. Arts College Kota (Raj),
  dr21pramila@gmail.com
- Dr Alka Saxena, D. B. S. College, Kanpur (U.P.)
  alknasexna65@yahoo.com
- Dr. Deepak Pachpore, Journalist
  deepakpachpore@gmail.com
- Dr. C. M. Shukla, Professor of History Government Maharaja College, Chhatarpur District Chhatarpur(M.P.),
  rajan.19shukla@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन-

- रिसर्च जरनल ऑफ आर्टस एण्ड मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइंसेज (ISSN-0975-4083) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है।
  शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष मार्च तथा सितंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस. एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक, मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

- **researchjournal97@gmail.com,**
- **researchjournal.journal@gmail.com**
- शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00	-सदस्यता शुल्क -	
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कालोनी
रीवा- 486001 (म.प्र.)
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in
दूरभाष - 7974781746

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

आजादी के पश्चात् देश में आये बदलाव ने व्यक्ति को संवेदनहीनता की ओर अग्रसित कर दिया है। वह हर चमकदार चीज को प्राप्त करने के लिये मचल पड़ता है और ऐन-केन-प्रकारेण उसे प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य हो जाता है। आज चारों ओर साम्प्रदायिकता, हिन्सा, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का जीवन के हर क्षेत्र में इसीलिये बोलबाला है। पर इस पतन की कीमत कौन चुकायेगा? जाहिर है, यहां का जनमानस ही इस स्थितिजन्य पीड़ा को भोगेगा। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था में छोटे-मोटे परिवर्तन से कोई फर्क पड़ेगा, उससे मनुष्य के भीतर पनप रहे लालच और सत्ता प्रेम को समाप्त नहीं किया जा सकता, तो फिर मार्ग क्या है? हां, एक मार्ग है, जो सही लगता है, वह है, गांधी के विचारों का मार्ग, किन्तु यह जोखिम उठाये कौन? भारत के राजनीतिक दल? किन्तु प्रजातंत्र में उसका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसके लिये उन्हें एक ऐसी विचारधारा सामने लानी होगी जो प्रत्येक भारतीय का मार्गदर्शन कर सके। उनकी नीतियां ऐसी होनी चाहिये जिनका अनुकरण जनमानस कर सके और पूरा राष्ट्र उनके शब्दों का सम्मान कर सके। ऐसी विचारधारा एवं नीतियां तो उन्हें गांधीवाद की ओर ही ले जायेंगी क्योंकि गांधी जी का चिन्तन व्यावहारिक राजनीति और सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। ऐसा तभी हो सकता है, जब यह महसूस किया जाय कि एक साफ-सुथरी प्रजातान्त्रिक प्रणाली ही इस देश की समस्याओं का निदान है। ऐसी प्रणाली हमें गांधी जी के चिन्तन में आत्मसात करते हुये खोजनी होगी। गांधी जी एक युग पुरुष थे। वे भारत में एक ऐसी नवीन समाज व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, जिसमें किसी भी रूप में मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, जिसमें विषमता के स्थान में समानता, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग और संघर्ष के स्थान पर सद्भावना और प्रेम का साम्राज्य हो। यही प्राचीन आदर्श प्रतिमान है जो सदैव ही भारत की आत्मा में बसे रहे हैं। तुलसी ने भी ऐसे ही रामराज्य की कल्पना प्रस्तुत की है-

दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहीं काहुहि ब्यापा।।
सब नर करहि परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।।
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना।।
सब निर्दंभ धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी।।
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कृतग्य नहिं कपट सयानीं।

गांधी जी के सपनों के भारत में इन्हीं प्रतिमानों की कल्पना की गई है। गांधी जी यह मानते थे कि भारत की आत्मा ग्रामों में है। वास्तव में इस देश की आत्मा ही नहीं, शरीर भी ग्राम ही है। यह ग्रामवासियों का देश है ओर यहां की सभ्यता व संस्कृति के दर्शन भी हमें उन्हीं में होते हैं। भारत का उत्कर्ष-अपकर्ष, प्रगति-अधोगति, समृद्धि दारिद्रय का सम्यक अवलोकन ग्रामों में ही हो सकता है। देश की शक्ति, गौरव और कीर्ति ग्रामों की दशा पर निर्भर है। इसीलिए गांधी जी के सपनों के भारत में विकास की प्राथमिक इकाई ग्राम था। वे भारत को पांच लाख ग्रामीण गणराज्यों का राष्ट्र बनाना चाहते थे। आइये, देखे गांधी के ग्राम गणराज्य का स्वरूप क्या होगा। गांधी जी चाहते थे कि स्वतंत्रता नीचे से आरंभ होनी चाहिए। उनकी दृष्टि में इस प्रकार, प्रत्येक ग्राम एक गणराज्य अथवा एक पंचायत होगा, जिसे पूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी। वे चाहते थे कि प्रत्येक ग्राम को आत्मनिर्भर होना चाहिये और उसमें अपना प्रबंध स्वयं करने की सार्मथ्य होनी चाहिए। मानव का वह समाज अत्यन्त सुसंस्कृत होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि वह क्या चाहता है और उससे भी बढ़कर, यह जानता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए जिसे कि दूसरे लोग समान श्रम करके प्राप्त न कर सकें। स्वाभाविक रूप से ही यह समाज सत्य और अहिंसा पर

आधारित होना चाहिये। असंख्य ग्रामों से मिलकर बने हुए इस ढाचें में उत्तरोत्तर विस्तृत होते हुए और कभी भी ऊपर न चढ़ते हुए वृत्त होंगे। जीवन एक पिरामिड नहीं होगा जिसमें शिखर आधार से जीवित रहता है किन्तु यह एक महान वृत्त होगा जिसका केन्द्र व्यक्ति होगा जिसमें कि व्यक्ति ग्राम के लिए और ग्राम ग्रामवृत्त के लिए मिटने को तैयार रहेगा और इस प्रकार अन्त में सम्पूर्ण एक जीवन बन जायेगा जिसके घटक व्यक्ति अपने अभिमान के साथ कभी आक्रान्ता नहीं बनेंगे, बल्कि सदैव विनम्र रहेंगे और उस वृत्त के गौरव में भागीदार बनेंगे जिसकी कि वे अभिन्न इकाइयां हैं। इस प्रकार सबसे बाहर की परिधि अपनी शक्ति का प्रयोग आन्तरिक वृत्त को कुचलने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अन्दर सबको शक्ति देगी स्वयं अपनी शक्ति केन्द्र से प्राप्त करेगी। गांधी जी ने अपने पत्र 'हरिजन' के 28 जुलाई 1946 के अंक में इस सम्बन्ध में लिखते हुए कहा था, मैं कामना करता हूँ कि भारत इस चित्र को अपना आदर्श बनायेगा, यद्यपि पूर्ण रूप से इसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आदर्श से मिलती-जुलती एक चीज को प्राप्त करने से पूर्व हमें आदर्श का एक समुचित चित्र अपने सामने रखना चाहिए। यदि भारत में प्रत्येक ग्राम को एक गणराज्य बनना है तो मैं यह दावा करता हूँ कि मेरा चित्र एक दम सही है जिसमें कि अन्तिम प्रथम के समान है, अर्थात जिसमें न कोई प्रथम है और न कोई अन्तिम। इस चित्र में प्रत्येक धर्म का पूर्ण तथा समान स्थान है। हम सब एक भव्य वृक्ष की शाखायें हैं जिसके तने जड़ से हिलाये नहीं जा सकते जो कि वसुन्धरा के गर्भ में बड़ी गहरी उतरी हुई हैं। बड़े से बड़ा बवन्डर भी इसे नहीं हिला सकता।

गांधी जी ने पशु बल के समक्ष आत्मबल का शस्त्र प्रस्तुत किया, तोपों और मशीनगनों का सामना करने के लिए अहिंसा का आश्रय लिया। यहां सोचने की बात यह है कि अहिंसा का आश्रय उन्होंने लिया क्यों? क्या इसलिए कि अंगरेजों के विरु(हिंसा का आश्रय लेकर वे भारत को स्वाधीन नहीं करा सकते थे? अथवा इसलिए कि वे मानव समाज को यह शिक्षा देना चाहते थे कि मनुष्य जब तक पाशविक साधनों का प्रयोग करने को बाध्य है, तब तक वह पूरा मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता? गांधी जी का ध्येय मानव स्वभाव में परिवर्तन लाना था, मनुष्य को यह विश्वास दिलाना था कि जिन ध्येयों की प्राप्ति के लिए वह पाशविक साधनों का सहारा लेता है, वे ध्येय मानवोचित साधनों से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। इसीलिए गांधी जी के सपनों के भारत की बुनियादी नीति अहिंसा को अपनाना है। गांधी जी की इसी अद्वितियता के लिये प्रेमचन्द ने उन्हें 'कर्मयोगी' कहा था। गांधी जी का दर्शन सम्पूर्ण देश को अपना आत्मस्वरूप प्राप्त करने में सहायक है। वही दर्शन भारत को संसार का अग्रणी राष्ट्र बनाने में समर्थ है।

डॉ. अखिलेश शुक्ल
प्रधान सम्पादक

अनुक्रमणिका

01.	अपराध विवेचन में पुलिस की दक्षता के प्रति, जनता का विश्वास (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) **अखिलेश शुक्ल**	9
02.	चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास में अष्टांग मार्ग की प्रासंगिकता : समसामयिक सन्दर्भ **नरेन्द्र कुमार बौद्ध**	18
03.	मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम एक विश्लेषण **प्रवीण कुमार पाठक** **व्ही. एस. सिंह** **अजय आर. चौरे**	27
04.	जनपद हरदोई में जनसंख्या वृद्धि का एक भौगोलिक अध्ययन **निशांत फातिमा** **अनीता निगम**	34
05.	बच्चों पर मीडिया हिंसा के प्रभाव पर एक अध्ययन **विनेता**	43
06.	लिंग सवेंदीकरण सामाजिक प्रावधान व योजनाएं **कंचन मसराम**	59
07.	भारत में लैंगिक उत्पीड़न कानून –एक विश्लेषण **सीमा श्रीवास्तव**	65
08.	महिलाएं समाज की रचनात्मक शक्ति :विविध आयाम एवं कार्यनीतियाँ **रेखा सेन**	70
09.	महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और विकास का अध्ययन (भरतपुर जिले के विशेष संदर्भ में) **लोकेश कुमार शर्मा**	75
10.	बौद्धिक संपदा अधिकार: उपयोग और आवश्यकता **गंगा देवी बैरागी**	79
11.	जीवन का प्रकाश एवं गाँधीवादी विचारधारा **रश्मि सोमवंशी**	83
12.	गॉधी जी और उनकी अहिंसात्मक दृष्टि **शिखा तिवारी**	89
13.	वर्तमान संदर्भ में पं.दीन दयाल उपाध्याय जी के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता **अन्जू श्रीवास्तव**	93
14.	विश्व शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका **रीना मजुमदार** **शैलेन्द्र कुमार ठाकुर**	98

15.	जी–20 में भारत का विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन **मालती तिवारी** **महेन्द्र कुमार साहू**	102
16.	कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों के विकास पर माता–पिता की शिक्षा का प्रभाव **टी.पी. शर्मा**	109
17.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सूचना संचार और तकनीकि का उपयोग **मंजरी अवस्थी**	116
18.	समकालीन हिंदी कविता में छततीसगढ़ के युवा कवियों का योगदान **गिरिजा साहू** **शैलेन्द्र कुमार ठाकुर** **कृष्णा चटर्जी**	121
19.	कोहली जी के व्यंग्य में भाषा का तेवर **नीलिमा सिंह**	129
20.	क़ुँडुख़ पहेलियों का सांस्कृतिक अनुशीलन **बाल किशोर राम भगत** **अर्चना सिंह**	139
21.	सोशल मीडिया के उभरते क्षितिज एवं गहराती चुनौतियाँ **वीरेन्द्र सिंह यादव**	146
22.	शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए संगीत चिकित्सा **ममता**	151
23.	बघेली लोक संगीत का वर्णन **दीपिका तिवारी**	156
24.	गीतादर्शनम् **प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी**	162
25.	शास्त्रीय नृत्य कथक नर्तकों की भूमिका: सिनेमा के संदर्भ में **सौम्या पांडेय** **नेहा जोशी**	168
26	भारतीय कृषि अवसर एवं चुनौतियाँ **कुमुद श्रीवास्तव**	174

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

अपराध विवेचन में पुलिस की दक्षता के प्रति, जनता का विश्वास (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

•अखिलेश शुक्ल

सारांश- पुलिस छवि है क्या? क्या यह वह छवि है, जिसको पुलिसकर्मी अपने दर्पण में देखता है या एक अस्थायी इकट्ठे समाज की जनता के विशेष वर्गो द्वारा मानी हुई छवि है? राजनीतिज्ञ, शिक्षाशास्त्री, व्यापारी, छात्र, उद्योगपति, अल्पसंख्यक, श्रमिक तथा समाज के अन्य अंग अपनी ओर से एक व्यापक छवि बना लेते है।1 असंगत, परस्पर, विरोधी, कर्कश और कभी-कभार श्रोताओं की आकांक्षाओं वाली अनेक छवियों को कैसे लिया जाए? एक तरफ पुलिस के सम्बन्ध में ऐसी छवि प्रस्तुत की जाती है जो मनगढ़न्त, बढ़ी-चढ़ी या कारस्तानियों से युक्त होती है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष का यह कथन पुलिस की छवि को प्रस्तुत करता है, जो उन्होंने आयोग की पहली रिपोर्ट गृहमन्त्री को भेजते हुए लिखा था, जो कुछ हमने देखा तथा सुन रखा है, पुलिस के जालिम व्यवहार और ज्यादतियों के खिलाफ जनता द्वारा शिकायतों की उत्तरोत्तर वृद्धि के विषय में हम अत्यधिक दुखी तथा गम्भीरतापूर्वक चिन्तित हुए है। इससे साफ जाहिर है कि पुलिस द्वारा अधिकारों के अतिदुरूपयोग को रोंकने के वर्तमान प्रबन्धों के प्रति और देश की कानून व्यवस्था तथा आपराधिक स्थिति से कारगर रूप से निपटने में पुलिस की दक्षता के प्रति, जनता का विश्वास शीघ्रतापूर्वक उठता जा रहा है।

मुख्य शब्द- अपराध विवेचन, पुलिस, छवि, कार्यप्रणाली

पुलिस एक सुरक्षा बल होता है जिसका उपयोग किसी भी देश की अन्दरूनी नागरिक सुरक्षा के लिये ठीक उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार किसी देश की बाहरी अनैतिक गतिविधियों से रक्षा के लिये सेना का उपयोग किया जाता है। गृहरक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाला विभाग होने से देश की कानून व्यवस्था को संभालने का काम पुलिस के हाथ ही होता है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने, अपराधियों को पकड़ने, अपराधियों के द्वारा किये जाने वाले अपराधों की खोजबीन करने, देश की आंतरिक सम्पत्ति की रक्षा करने और जो अपराधी हैं और उनका अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटाना ही पुलिस का कार्य है। अपराधी घोषित करने के बाद पुलिस संबन्धित व्यक्ति को अदालत को सौंपती है। यह न्यायव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कडी

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

के रूप में काम करती है, लेकिन किसी अपराधी को सजा देना पुलिस का काम नही होता है,सजा देने के लिये अदालतों को पुलिस द्वारा अपराधी के खिलाफ जुटाये गये पुख्ता सबूत और जानकारी पर निर्भर रहना होता है साथ ही इसी जानकारी और सबूतों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा सकता है।[1]

अलग-अलग देशों की पुलिस के पास अलग प्रकार की कानूनी धारायें है और प्रत्येक धारा अलग अलग दंड घोषित करती है। अपराध निरोध के अंतर्गत न केवल व्यक्ति एवं संपत्ति संबंधी अपराधों का निरोध होता है वरन् मादक द्रव्यों का तथा गाँजा, भाँग, अफीम, कोकीन के तस्कर व्यापार का निरोध और वेश्यावृत्ति संबंधी अधिनियम को लागू कराने की कार्यवाहियाँ भी सन्निहित हैं। यातायात संबंधी व्यवस्था स्थापन में ट्रेफिक पुलिस द्वारा नगरों में यातायात का सुनियंत्रण एवं मोटर संबंधी अधिनियमों का परिपालन कराने की कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में अमरीका आदि में राष्ट्रीय मार्गों पर मोटर साइकिल अथवा मोटर गाड़ियों पर यंत्रों से सुसज्जित पुलिस अधिकारियों द्वारा गश्त कराए जाते हैं। राजनीतिक सूचनाओं के एकत्रीकरण का कार्य देश के भीतर एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुप्तचरों द्वारा होता है। इसके निमित्त देश के भीतर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों की राजनीतिक प्रवृत्तियों, गतिविधि एवं नीतियों से संबंधित सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं। प्रत्येक युग में राजनीतिक षडचंत्र एवं हत्याकांड होते रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में विश्व में इस संबंध में अनेक घटनाएँ होने के कारण अपने देश के एवं बाहर के महत्ववाले व्यक्तियों की सुरक्षा का आयोजन प्रत्येक राष्ट्र की पुलिस द्वारा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मित्र अथवा शत्रु राष्ट्रों की नीतियों के संबंध में सूचनाएँ भी एकत्र की जाती हैं।[2] निरंतर वैज्ञानिक विधियों और साधनों का प्रयोग हो रहा है। हत्या और बलात्कार से संबंधित विवेचनाओं में रक्त, केश ओर वीर्य के वैज्ञानिक विश्लेषण से सहायता मिलती हैं। जिन अपराधों में आग्नेय आयुधों का व्यवहार होता है उनको विवेचनाओं के निमित्त आग्नेय आयुध से संबंधित विश्लेषण किया जाता है। अंगुलिचिह्न से अपराधों के विवेचन में एक अत्यंत विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध होता है। अतरू प्रत्येक देश में अंगुलिचिह्नों के पर्याप्त अभिलेख एकत्र किए जाते हैं ताकि कालांतर में घटनास्थल पर उपलब्ध अंगुलि चिह्नों की उनसे तुलना की जा सके एवं अपराधों की शोध का कार्य हो सके। पदचिह्नों, हस्तलिपियों आदि का विश्लेषण भी अपराध विवेचन में सहायक होता है। वैज्ञानिक रीति से उन्नतिशील देशों में ष्लाइ डिटेक्टरष् के द्वारा अपराधी की मनोदशा का ज्ञान करते हुए झूठ सच का अनुमान किया जाता है। अनेक देशों में कुत्तों का उपयोग अपराधी का पता लगाने के लिए होता है।[3]

विद्रोह एवं उपद्रवी तत्वों के दमन के निमित्त अनेक अवसरों पर पुलिस को अश्रुवाहक गैस, लाठी अथवा आग्नेय आयुधों का प्रयोग करना पड़ता है। हमारे देश में प्रादेशिक पुलिस का एक अंग, जिसे आर्म पुलिस, प्राविंशिल आर्म कांस्टेबुलरी, स्पेशल आर्म फोर्स आदि नाम विभिन्न प्रदेशों में दिए गए हैं, विशेष आशंकाजनक स्थितियों में मुख्यतरू उपद्रवों के दमन के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्य प्रशासन अथवा अपराधों की रोकथाम थानों पर नियुक्त सिविल पुलिस द्वारा की जाती है पुलिस की जितनी बुरी छवि है, वास्तव में पुलिस उतनी बुरी है नहीं, असलियत में तिराहे-चौराहे, मोहल्ले के साथ पुलिस

हर जगह नजर आती है, इसलिए उसका छोटा–मोटा भ्रष्टाचार भी सबकी नजर में रहता है। इस अध्ययन का मुख्य केन्द्र बिन्दु पुलिस छवि है जिसके की मुख्य इकाइयां पुलिस अधिकारी है। पुलिस छवि अध्ययन रीवा जिले के विशेष संदर्भ में किया गया है। पुलिस की छवि का समाजशात्रीय अध्ययन करने हेतु पुलिस अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया है। इस तरह इस अध्ययन की मुख्य इकाईयाँ रीवा जिला में पदस्थ पुलिस अधिकारी तथा जनता के विभिन्न वर्गों के लोग हैं। यह वह पुलिस अधिकारी है, जो रीवा जिला के विभिन्न थानों में पदस्थ हैं। पुलिस थाना प्रभारियों एवं पुलिस थाना में कार्यरत निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में जनता के सबसे अधिक नजदीक रहते हैं। दैनिक कार्यों में उनका सामना जनता से रोजाना होता है।[4]

साहित्य समीक्षा- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस छवि विषय पर अध्ययन Joseph. A. Schater, Southern Illionis University Carbondable, Illinois द्वारा 21वीं शताब्दी के प्रारम्भ में किया गया है। इस शोध में उन्होंने पुलिसजनों के संघर्षों का अध्ययन करते हुए पुलिस छवि पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं। सन् 2006 में William J. Woska. ने इस विषय पर कार्य किया है, उनके निष्कर्षों का प्रकाशन The Police Chief (New York) के अक्टूबर 2006 के अंक में हुआ है डॉ. एस. अखिलेश ने पुलिस एवं समाज, पुलिस संगठन एवं प्रशासन, पुलिस प्रक्रिया आदि विषयों पर भारतीय संदर्भ का अध्ययन किया है। Sanuel Walker के अध्ययन का प्रकाशन Sage Publications द्वारा सन् 2005 में किया है। North Washington esa Police Image and Ethics Commitee, द्वारा इस दिशा में कुछ शोध कार्य किये जा रहे हैं। भारत में भी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा भारतीय पुलिस पर कुछ अध्ययन कराये एवं प्रकाशित किये गये हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सम्बंधित विषयों पर अरुण प्रसाद मुर्कजी, ए.पी. मोहम्मद अली, बी. रामन, बी.पी. शाह, बी.आर. लाल, बी.एल. बोहरा, किरण वेदी आदि ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

अध्ययन का उद्देश्य- पुलिस की विभिन्न भूमिकाएं और सीमाएं हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि पुलिस सामाजिक नियंत्रण में भूमिका का निर्वाह करते समय लोगों पर क्या प्रभाव डालती है। मानव व्यवहार को कुछ नियमों एवं मान्यताओं के अनुरूप नियंत्रण करने की आवश्यकता प्रत्येक समाज में अनुभव की जाती है।

अध्ययन प्रविधि–अध्ययन प्रविधि का आशय उन सुव्यवस्थित तरीकों और विधियों से है जिनके द्वारा शोधार्थी अध्ययन विषय से सम्बन्धित विश्वसनीय एवं यथार्थ तथ्यों का संकलन करता है तथा उन्हें व्यवस्थित करता है। यह अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति, वैयक्तिक पद्धति तथा समाज वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया गया है। समाज वैज्ञानिक पद्धति से इस शोध अध्ययन में अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची तथा निर्दशन प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची, सहभागी–अवलोकन, केन्द्रित साक्षात्कार की अध्ययन प्रविधि का उपयोग किया गया है। इसके अलावा शोध से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित करने के लिये अवलोकन पद्धति को भी अपनाया गया है। इस शोध अध्ययन में समाज के विभिन्न वर्गों के 200 लोगों का साक्षात्कार लिया गया है। जिनका विवरण इस प्रकार है।

अध्ययन की चयनित इकाईयाँ

वर्ग	चयनित इकाईयों की संख्या	प्रतिशत
अध्यापक	20	10
अधिवक्ता	20	10
चिकित्सक	20	10
पत्रकार	20	10
छात्र	20	10
जनप्रतिनिधि	20	10
व्यवसायी	20	10
कृषक	20	10
पंचायतकर्मी	20	10
श्रमिक	20	10
योग	200	100

इस स्थिति को नीचे डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

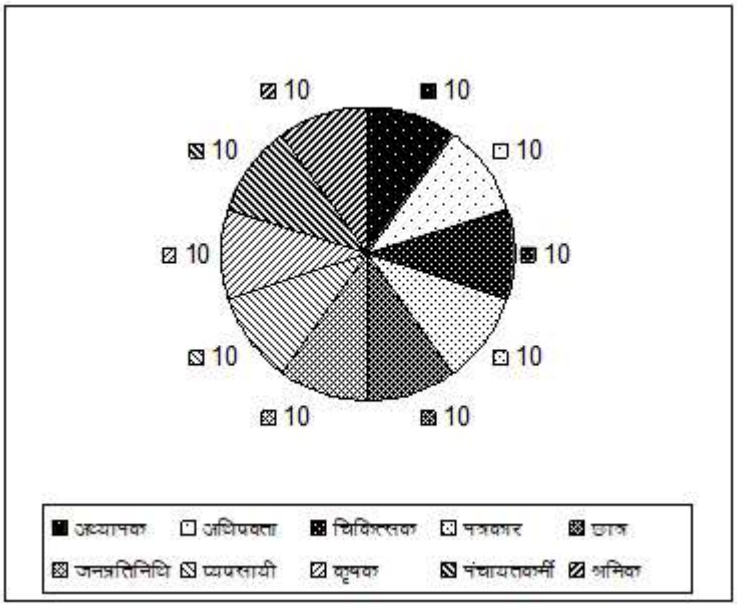

इन प्राथमिक स्रोतों के साथ ही साथ अध्ययन में द्वैतीयक स्रोतों- पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, रिपोर्ट्स एवं प्रकाशित आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है। तत्पश्चात् तथ्यों का सारणीयन, विश्लेषण करते हुये प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय - भारत के मध्य में स्थिति रीवा जिला स्वतंत्रता पूर्व रीवा रियासत का मुख्य भाग था, जहाँ राज्य की राजधानी थी। स्वतंत्रता के बाद नवगठित विंध्य प्रदेश में भी इस जिले की यही स्थिति रही। 1 नवम्बर 1956 से मध्यप्रदेश का संभागीय मुख्यालय है। मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित रीवा जिला 23.11से 24.18 उत्तरी अक्षांस एवं 81.03 से 82.10 डिग्री पूर्व देशान्तर में स्थित है। रीवा जिला मध्यप्रदेश के उत्तर-पूर्वी कोने में स्थित है। इसके उत्तर में बाँदा और इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में मध्यप्रदेश का सीधी जिला और दक्षिण-पश्चिम में सतना जिला है।

अध्ययन की सीमाएं- इस अध्ययन का क्षेत्र म.प्र. का पुलिस जिला रीवा है। इस शोध कार्य में पुलिस छवि का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने का यथासंभव पूर्ण निष्पक्ष ढंग से प्रयास किया गया है। इस अध्ययन में शोधकर्त्ता के समक्ष अनेक समस्यायें एवं कठिनाईयाँ सामने आयी हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं –

- अध्ययन विषय अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक है,
- बदलते हुये सामाजिक परिवेश में पुलिस के दायित्व बहुत बढ़ गये हैं। अतः उनके पास समय की अत्यन्त कमी है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस छवि के सम्बन्ध में उनसे साक्षात्कार लेना अत्यन्त टेढ़ी खीर प्रतीत हुआ है।
- सामान्यजनों समाज में इतने वर्ग हैं कि उन सभी वर्गों से साक्षात्कार आयोजित करना भी कठिन कार्य सिद्ध हुआ है।

इन कठिनाईयों के होते हुये भी इस अध्ययन में पुलिस और समाज के लोगों का उचित निदर्शन करते हुये उनसे साक्षात्कार लिया गया है। प्राप्त तथ्यों को तटस्थ ढंग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुये इस शोधपत्र में उन्हें प्रस्तुत किया गया है।

तथ्य विश्लेषण- उक्त पृष्ठभूमि के आधार पर इस शोध अध्ययन में जनता के विभिन्न वर्गों- अध्यापक, अधिवक्ता, चिकित्सक, पत्रकार, छात्र, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, कृषक, पंचायतकर्मी तथा श्रमिकों से चयनित उत्तरदाताओं से पुलिस की छवि के सम्बंध में निम्न वर्गों के अन्तर्गत तथ्यों का संग्रहण साक्षात्कार के माध्यम से किया गया है–

1. क्या प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस थाने में विलम्ब किया जाता है?- सामान्य अर्थ में किसी अपराध के घटित होने की पुलिस को दी गई सूचना को 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' कहा जाता है। ऐसी सूचना मौखिक या लिखित हो सकती है। यद्यपि दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी अन्वेषण तथा आपराधिक न्याय विधि एवं प्रक्रिया में इसका विशेष महत्व है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन दी गई सूचना को अंगरेजी में एफ.आई.आर. हिन्दी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट और उर्दू में ''रपट इब्तेदाई'' कहा जाता है। अपराध की प्रथम सूचना दो प्रकार से दी जा सकती है।4 किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की मौखिक या लिखित सूचना दी जा सकती है। यदि सूचना मौखिक है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे स्वयं लिखेगा या अपने निर्देश से अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से लिखायेगा। सूचना लिख लिये जाने के पश्चात उसे सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जायगा और उस पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाया जायगा। धारा 144 के अनुसार ऐसी सूचना के लिखे जाने का एक फार्म होता है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में एफ.आई.आर. फार्म कहा जाता है।

संज्ञेय अपराध की लिखित सूचना में भी सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिया जाता है। इसे भी एफ.आई.आर. (फार्म–1, धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत) के रूप में इन्द्राज किया जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (2) के अनुसार उसकी एक प्रति सूचना देने वाले व्यक्ति को उसी समय निःशुल्क दी जाती है। उक्त विधिक व्यवस्था के होते हुए भी जनता के विचार इस सम्बंध में भिन्न–भिन्न पाये गये हैं, जिन्हें निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका क्र.01
प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस थाने में विलम्ब

चयनित इकाइयाँ	प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस थाने में विलम्ब					
	हाँ		नहीं		पता नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अध्यापक	10	8.0	8	4.0	2	1.0
अधिवक्ता	12	6.0	8	4.0	-	-
चिकित्सक	08	4.0	7	3.5	5	2.5
पत्रकार	12	6.0	8	4.0	-	-
छात्र	10	5.0	8	4.0	2	1.0
जनप्रतिनिधि	08	4.0	8	4.0	4	2.0
व्यवसायी	09	4.5	7	3.5	4	2.0
कृषक	08	4.0	9	4.5	3	1.5
पंचायतकर्मी	10	5.0	6	3.0	4	2.0
श्रमिक	12	6.0	6	3.0	2	1.0
योग/प्रतिशत	99	49.5	75	37.5	26	13.0

उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 49.5 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार करते हैं कि पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब किया जाता है जबकि 37.5 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। 13 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में अनभिज्ञता प्रकट करते हैं। इस स्थिति को नीचे डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

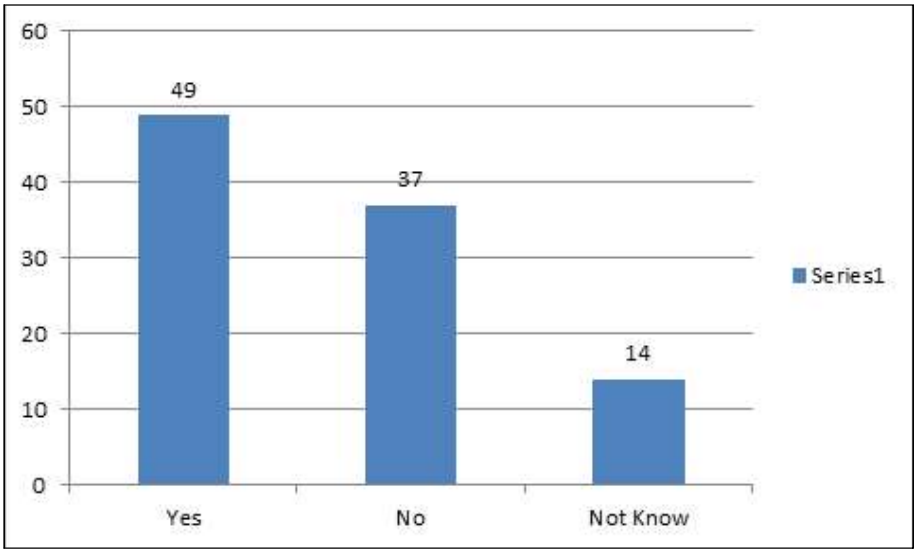

इस तरह पुलिस की छवि को निखारने हेतु पुलिस थानों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों को अपने कार्य एवं व्यवहार से उन सभी व्यक्तियों को जो अपनी किसी भी बात को पुलिस के समक्ष रखने हेतु थाना पहुँचते हैं। थाने में उनकी बात सुनी चाहिए। प्राथमिकी दर्ज करने वाले प्रकरणों में कतई विलम्ब नहीं करना चाहिए। अन्य प्रकरणों में भी सम्बंधित व्यक्ति को सरल भाषा में उन कारणों को समझाना चाहिए ताकि सम्बंधित व्यक्ति तथ्य को समझ सके। पुलिस अधिकारियों को समय-समय पर उचित प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए। उक्त तालिका में दिये तथ्यों से यह पता चलता है कि 37.5 प्रतिशत उत्तरदाता यह

स्वीकार करते हैं कि पुलिस थानों में उनकी बात सुनी जाती है तथा प्राथमिकी दर्ज की जाती है। अभी इस दिशा में पुलिस अधिकारियों को और परिश्रम की आवश्यकता है। संवाद शैली में कुशलता का निर्वाह करना भी आवश्यक है।

2. गिरफ्तारी, तलाशी, पूछतांछ, नजरबन्दी अभी के दौरान पुलिस का व्यवहार- पुलिसकर्मियों को दो प्रकार के व्यक्तियों से पूँछताछ करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम, साक्षियों (गवाहों) से जो परिचित अथवा अपरिचित कोई भी हो सकते हैं तथा द्वितीय, उन व्यक्तियों से जिनके बारे में यह शंका होती है कि वे किसी न किसी तरह से अपराध से जुड़े हैं या उनका क्रियाकलाप संदिग्ध प्रतीत होता है। एक साधारण व्यक्ति के मन में पुलिस के प्रति ऐसी पूँछताछ के समय यह धारणा रहती है कि पुलिस कहीं उसे फँसा न दे और इसलिये वह प्रश्नों का उत्तर देने से कतराता है। इसलिये पुलिसकर्मी को ऐसे व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि पुलिस उनकी मित्र है और यह पूँछताछ उनके कर्तव्य का एक अंग है। सामान्य व्यक्तियों को यह भी समझना चाहिये कि ऐसी पूँछताछ समाज में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक है। पूँछताछ करते समय पुलिसजनों को थर्ड डिग्री मैथडस् का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिये। इस पृष्ठभूमि में जब साक्षात्कार के दौरान, उत्तरदाताओं से इस सम्बंध में पूछा गया तो 112 उत्तरदाताओं ने पुलिस के व्यवहार को खराब, 56 में अच्छा तथा 32 ने संतोषजनक बताया। तथ्यों को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका क्र.02

गिरफ्तारी, तलाशी, पूछतांछ, नजरबन्दी अभी के दौरान पुलिस का व्यवहार

चयनित इकाइयाँ	गिरफ्तारी, तलाशी, पूछतांछ, नजरबन्दी अभी के दौरान पुलिस का व्यवह्रार					
	खराब		अच्छा		संतोषजनक	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अध्यापक	12	6.0	04	2.0	04	2.0
अधिवक्ता	14	7.0	04	2.0	02	0.5
चिकित्सक	12	6.0	03	1.5	05	2.5
पत्रकार	13	7.5	06	3.0	01	0.5
छात्र	11	5.5	05	2.5	04	2.0
जनप्रतिनिधि	10	5.0	08	4.0	02	1.0
व्यवसायी	08	4.0	05	2.5	07	3.5
कृषक	09	4.5	07	3.5	04	2.0
पंचायतकर्मी	11	5.5	08	4.0	01	0.5
श्रमिक	12	6.0	06	3.0	02	1.0
योग/प्रतिशत	112	56	56	28	32	16

200 उत्तरदाताओं में से 112 उत्तरदाताओं ने यह कहा कि गिरफ्तारी, तलाशी, नजरबन्दी आदि के दौरान पुलिसजनों का व्यवहार खराब रहता है। 56 उत्तरदाताओं ने यह कहा कि इन प्रक्रियाओं के दौरान पुलिस का व्यवहार अच्छा रहता है। जबकि 32 उत्तरदाता पुलिस के व्यवहार को संतोषजनक मानते हैं। प्रतिशतीय तथ्यों को निम्न डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

200 उत्तरदाताओं में से 112 उत्तरदाताओं ने यह कहा कि गिरफ्तारी, तलाशी, नजरबन्दी आदि के दौरान पुलिसजनों का व्यवहार खराब रहता है। 56 उत्तरदाताओं ने यह कहा कि इन प्रक्रियाओं के दौरान पुलिस का व्यवहार अच्छा रहता है। जबकि 32 उत्तरदाता पुलिस के व्यवहार को संतोषजनक मानते हैं। प्रतिशतीय तथ्यों को निम्न डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

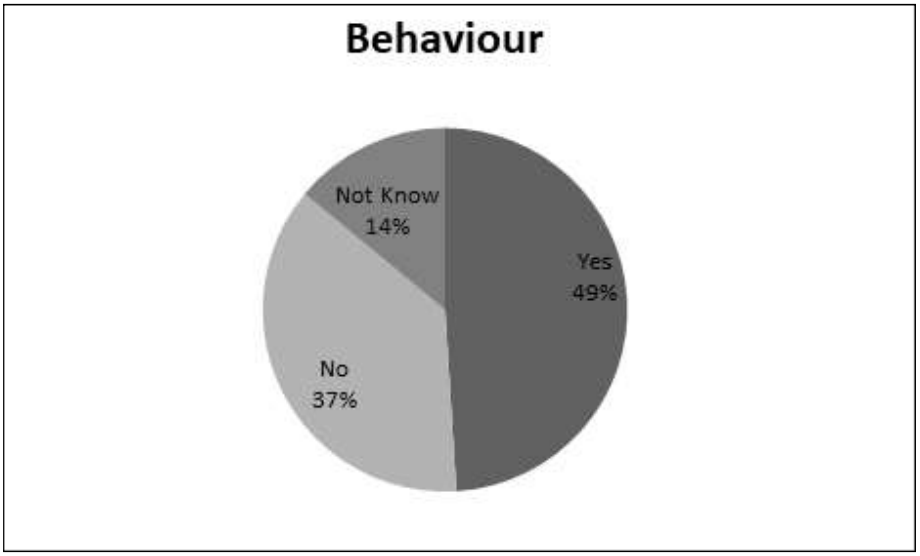

पुलिस की उपस्थिति एक सामाजिक आवश्यकता है। एक तरह से कहा जाय कि बिना पुलिस के समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब पुलिस और समाज का इतना निकटता का सम्बन्ध है या पुलिस की छवि तो फिर उसे जनसहयोग प्राप्त करने में कठिनाईयां क्यों आती है? दोनों एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से क्यों देखते हैं? अक्सर समाचार पत्रों, सेमिनारों व अन्य आयोजनों तथा गोष्ठियों के माध्यम से पुलिस को जनसहयोग या पुलिस जनता सम्बन्ध विषय पर चर्चा की जाती है। इनमें एक ही बात सामने आती है कि पुलिस जन सहयोग नहीं ले पाती या पुलिस को जनता का सहयोग नहीं मिलता। इस कारण अमुक वारदात हो गई या पर्याप्त सहयोग के अभाव में अपराधी पकड़ा नहीं जा सका या माल बरामद नहीं हो सका।

ऐसे कौन-कौन से कारण हैं, जिनसे हमें जनता का पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने में कठिनाईयां होती हैं। प्रश्न के उत्तर में जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वह जनता के प्रति पुलिस का व्यवहार है। अक्सर पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अपनी भाषा से तथा व्यवहार से जनता के मन में घृणा उत्पन्न कर देते हैं। पुलिस अधिकारियों को चाहिये कि ये सर्वप्रथम सौहार्दपूर्ण व्यवहार जनता के साथ करें, सदैव मदद की भावना रखें। दूसरा कारण है, विलम्ब व पक्षपात। अक्सर ये शिकायत रहती है कि पुलिस कार्यवाही विलम्ब से की जाती है तथा उसमें भी पक्षपात किया जाता है। पुलिस प्रभावशाली व पैसे वाले लोगों के प्रति नरम तथा आम जनता के प्रति सख्त रवैया अपनाती है, जिससे जनता का सहयोग प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। इसी तरह साक्षी व मुखबिर जो पुलिस के मददगार

हैं, उनके प्रति भी पुलिस का व्यवहार खराब रहता है। अनावश्यक रूप से साक्षियों को थाने में बैठा कर रखा जाना, व बार-बार गवाही हेतु बुलाना, उनकी सुख-सुविधाओं का ख्याल न करना भी जन-सहयोग प्राप्त करने में बाधा पहुंचाता है।

राजनैतिक हस्तक्षेप व व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण भी अक्सर पुलिस को जनता के असन्तोष का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो अनापेक्षित हस्तक्षेप के कारण पुलिस को पूर्णतय: गलत कार्य भी करने पड़ते हैं। जिससे जनता के मन में इस संगठन के प्रति नफरत होने लगती है। इसके अलावा कुछ पुलिस अधिकारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में आकर भी जनता के साथ अन्याय कर बैठते हैं जिनसे सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई होती है। पुलिस विभाग के पास शासन द्वारा बहुत सीमित मात्रा में धन का आवंटन किया जाता है तथा ऐसा कोई भी आयोजन नहीं है जो बिना धन के पूर्ण हो सके। शासन व पुलिस विभाग के स्वयं के कोई ऐसे विशेष आयोजन भी नहीं हैं जो दो-चार माह के अंतराल में करके जनता को आमंत्रित किया जा सके या जनता के साथ सहयोग बढ़ाया जा सके। इसके अलावा पुलिस अधिकारी का व्यक्तिगत चरित्र व योग्यता भी जनसहयोग प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो योग्य व अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें आज भी पर्याप्त जनसहयोग मिलता है। अक्सर पुलिस अधिकारियों के खराब आचरण भी जनसहयोग प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न कर देते हैं। इसलिये पुलिस को सत्यनिष्ठा के बारे में जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करना होगा। अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में जनता का सहयोग प्राप्त करना होगा तथा कार्य-संचालन के बारे में लोगों के मन में उत्पन्न गलतफहमियों को दूर करना होगा। पुलिस जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त लोगों के जीवन को व्यवस्थित एवं नियमित कराने में सहयोगी है। जीवन का कोई ऐसा सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक पहलू नहीं है जो कि पुलिस की देखभाल में न आता हो पुलिस केवल जीवन की रक्षा कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के कर्तव्य पालन को नहीं कर रही है अपितु भूखों मरने वालों की, बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की, अनाथ बालकों की, भटके हुये राहगीरों की सेवा भी कर रही है। इसलिए जनता के बीच पुलिस का शिष्ट होकर सद्व्यवहार जनता व पुलिस के बीच सहयोग के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां अवश्य दूर करने में सहायक होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. एस., डॉ. अखिलेश, (1995), आधुनिक भारत और पुलिस की भूमिका, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
2. दीक्षित, रमेश चन्द्र, (1997), पुलिस अभिरक्षा एवं मानवाधिकार, उ.प्र. पुलिस, लखनऊ
3. एस., डॉ. अखिलेश, (1995), "पुलिस एवं समाज", राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक 02)

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास में अष्टांग मार्ग की प्रासंगिकता : समसामयिक सन्दर्भ

• नरेन्द्र कुमार बौद्ध

सारांश- सभी पापों का न करना, पुण्य का संचय और अपने चित्त की परिशुद्धि से ही चरित्र निर्माण सम्भव है। यह अष्टांग मार्ग रूपी नैतिकता का पथ मानव के पुरुषार्थ पर आधारित है। नैतिक उत्थान के लिए किसी अलौकिक सत्ता की आवश्यकता नहीं, वरन् मानवीय पथ के अनुकरण मात्र की आवश्यकता है। जिसमें मानव के परम कल्याण, आध्यात्मिक नैतिकता, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं वैश्विक शान्ति, पर्यावरणीय व सांस्कृतिक सुरक्षा एवं शान्ति की स्थापना की भावना निहित है। अतः कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का यह मार्ग सिर्फ प्राचीनकाल में ही प्रासंगिक नहीं था वरन् समसामयिक परिस्थितियों में भी सदैव प्रासंगिक बना रहेगा।

मुख्य शब्द- चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, अष्टांग मार्ग, पाप, पुण्य, चित्त

क्या आधुनिक काल में बौद्ध धर्म का अष्टांग मार्ग उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीनकाल में था? चूँकि समाज में नैतिकता सम्बन्धी समस्या देश और काल से जुड़ी होती है, इसलिए समाज में विशेष समय में समाज की अपेक्षाएँ भी विशेष हुआ करती हैं। अतः स्वाभाविक रूप में यह यक्ष प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्राचीनकाल की मानवीय समाज व्यवस्था के विकास के लिए दी गई नैतिकता समसामयिक वातावरण में प्रासंगिक हो सकती है? आधुनिक समाज विज्ञान और तकनीक पर आधारित समाज है, जिसके परिणामस्वरूप विशेष प्रकार की अतिभौतिकवादी संस्कृति का निर्माण हो चुका है। इन परिस्थितियों ने व्यक्ति एवं समाज को स्वच्छन्द और जटिलतम बना दिया है। अब यक्ष प्रश्न यह है कि परावैज्ञानिक युग की सरल समाज की नैतिकता आधुनिक समाज के जटिल, तकनीकी और वैज्ञानिक समाज के लिए बौद्ध धर्म का अष्टांग मार्ग अनुकरणीय एवं प्रासंगिक हो सकता है?

Upon ages of struggle a character is built 'अर्थात् युगों-युगों तक संघर्ष करने के पश्चात् ही एक चरित्र का निर्माण होता है'। स्वामी विवेकानन्द चरित्र निर्माण हेतु पशुमानव से देवत्वमानव में रूपान्तरित करने की बात करते हैं। योग दर्शन में भी चित्त वृत्तियों के निरोध को चरित्र निर्माण की एक प्रक्रिया मानी गई है। वेदान्त दर्शन में भी सर्वप्रथम मोक्ष के अधिकारी के लिए भी विशुद्ध चरित्र की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भगवद्गीता का पूरा उपदेश चरित्र निर्माण पर आधारित है। जिसमें भगवान् श्रीकृष्ण

• दर्शनशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

कहते हैं, 'न त्वेवाहं जातु नासं' अर्थात् पहले देह व देही विनाशी और अविनाशी का विवेचन करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विनाशी वस्तु की ओर ध्यान न देकर पहले अविनाशी की ओर ध्यान दिया जाए, ताकि ऐसा करने से चरित्र निर्माण हो सके। जैन दर्शन में भी सम्यक् चारित्र पर प्रभावी बल दिया गया है। बौद्ध धर्म–दर्शन में चरित्र निर्माण हेतु चर्या महत्वपूर्ण है।

चरित्र एवं व्यक्तित्व विकास व्यापक परिप्रेक्ष्य में जीवन से सम्बद्ध हमारे प्रत्येक आचार, विचार तथा व्यवहार से सम्बन्ध रखता है। यह न केवल हमारे बाह्य आचरण में प्रतिबिम्बित होता है बल्कि हमारे आन्तरिक सुख–दुःख का भी हेतु है। 'चरित्र' शब्द का व्युत्पादन पाणिनीय व्याकरणानुसार 'चर गतिभक्षणयोः' से करण अर्थ में किया जाता है। गति में तीन अर्थ समाहित रहते हैं– ज्ञान, गमन तथा प्राप्ति। इस प्रकार चरित्र शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ होता है, जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता है, गति की जाती है, प्राप्ति की जाती है वह व्यापार चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व होता है। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया के द्वारा ज्ञान, गति तथा प्राप्ति की जाती है वह सम्पूर्ण क्रियाकलाप चरित्र कहलाता है। विचार करने पर ज्ञान तथा प्राप्ति को भी गत्यात्मक होने से गति के अन्दर ही समाहित किया जा सकता है। इस तरह जीवन के भी गतिस्वरूप होने से जिसके द्वारा जीवन जिया जाता है अथवा धारण किया जाता है वह 'चरित्र' कहलाता है। इस प्रकार चरित्र जीवन जीने के करण अथवा सर्वोत्कृष्ट साधन है। इससे चरित्र की जीवन में व्यापकता सिद्ध होती है। अब प्रश्न उठता है जीवन निर्माण के इस सर्वोत्कृष्ट साधन का सर्वोत्तम प्रकार से निर्माण किस प्रकार सम्भव होता है, इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके साधन तथा प्रक्रिया क्या है? आदि विषयों पर बुद्ध के दर्शन में गहनता के साथ विचार किया गया है।

संसार का विकास बैर, बर्बरता और रक्तपात द्वारा नहीं होता अर्थात् युद्ध सुखी भविष्य के निर्मित विकास संघर्ष में कोई अनिवार्य सोपान रहा है। सामाजिक विफलता में मनुष्य की विफलता ही प्रतिबिम्बित होती है, इसलिए मनुष्य के चरित्र की पुनः रचना आवश्यक हो जाती है। सामान्य रूप से आत्मअसंयम और विशेष रूप से इन्द्रिय असंयम का प्रभाव आज आधुनिक जनजीवन में हर जगह स्पष्ट हो रहा है, इसी कारण समाज में कितनी ही कुत्सित अनियन्त्रित मद्यपान एवं नशाखोरी, अनियन्त्रित उत्तेजना, वासनायुक्त कामोत्तेजना जैसी समस्याएँ जन–जीवन में दृष्टिगोचर हो रही हैं। आज हम ऐसे संसार में जी रहे हैं, जिसमें विषाद सर्वव्यापी है। परम्पराएँ, संयम, कानून एवं व्यवस्था सब शिथिल हो रहे हैं। जो विचार कल तक सामाजिक भद्रता और न्याय से अविच्छेद्य समझे जाते थे जो शताब्दियों से लोगों के आचरण का निर्देशन और अनुशासन करने में समर्थ रहे थे, आज लगभग खत्म हो गए हैं। यह समाज कटुताओं और संघर्षों से विदीर्ण हो गया है। सारा वातावरण सन्देह, अनिश्चितता और भविष्य के अत्यधिक भय से भर गया है।

अतः आज इन परिस्थितियों में यह ज्वलन्त प्रश्न हमारे समक्ष उभरकर आते हैं कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के पश्चात् भी मानव जीवन पतन की ओर क्यो है? क्या आज ऐसी कोई प्रक्रिया, युक्ति या ज्ञान का विज्ञान है जो वर्तमान मानव जीवन के उत्थान में एक सम्बल बन सके? अतः इसके उद्धार के लिए इसके दुःखों का यथार्थवादी

निदान और इसके लिए संकल्प आवश्यक है। समसामयिक मानव की मान्यताएँ, मूल्यों, विचारों, एवं कार्यौलियों को नया मोड़ देने की आवश्यकता है तथा व्यक्तित्व विकास को दिशा व गति प्रदान करने के लिए चारित्रिक क्रान्ति भी आवश्यक है। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अति गहन विचार करने के पश्चात् यह परिणाम प्रत्यक्ष होता है कि मानव का चरित्र निर्माण एवं उसके विकास में बुद्ध का अष्टांग मार्ग ही अत्यन्त उपादेय सिद्ध होगा।

बुद्ध के व्यावहारिक दर्शन का केन्द्रबिन्दु भी अष्टांगिक मार्ग ही है। अष्टांग मार्ग वह अनुशासन है जो अन्तरात्मा को स्पर्श करता है और अनेक बाह्य एवं आन्तरिक बुराईयों से संघर्ष एवं स्वयं को संयमित करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें हमारे विचार और आचरण को वश में करने की शक्ति निहित है। वास्तव में सम्पूर्ण सृष्टि का उद्देश्य मानव जीवन का विकास एवं मनुष्य का पुनर्निर्माण करना है। मानव प्रकृति को बदले बिना हम मानव जीवन और मानव समाज को बदलने की आशा नहीं कर सकते। सामाजिक संगठन का चरम उद्देश्य व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता एवं मानवीय सृजनशीलता को बढ़ाना है तो वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों ही पहलू का समावेशन अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा का प्रयोजन केवल यह नहीं कि वह हमें सामाजिक परिवेश के उपयुक्त बना दे, अपितु यह है कि वह बुराईयों से लड़ने में और एक पूर्ण समाज के सृजन में हमारी सहायता करे।

चरित्र निर्माण की आवश्यकता क्यों?- बुद्ध के अनुसार व्यक्ति पाँच स्कन्धों- रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से बनता है। जहाँ तक वैयक्तिकता का प्रश्न है इसके निर्मायक तत्त्वों को दो वर्गों में रखा गया है एक - नाम और दूसरा रूप। रूप (अर्थात् शरीर) स्थूल है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि एवं वायु नाम चार मूल एवं इनसे व्युत्पन्न तत्त्वों से बना है।[1] यह इन्द्रियगम्य, बाह्य एवं वैषयिक है। यह अवैयक्तिक है। नाम चित्त या मन या मस्तिष्क है। यद्यपि मस्तिष्क की रचना भी सावयवी है तथापि यह मानसिक या मनोवैज्ञानिक तत्त्वों से बना है, यह सूक्ष्म है, आन्तरिक है, वैयक्तिक है। चित्त वस्तुतः विज्ञान (Commonsense) है यह चैतसिक अर्थात् संस्कार से बनता है। संस्कार मुख्य है। अतः व्यक्ति, नाम और रूप का संयोग है। व्यक्ति के दोनों अवयव अन्तःसम्बन्धित, अन्तःनिर्भर एवं अविभाज्य हैं। दोनों में से किसी एक का पृथक अस्तित्त्व नहीं है। दोनों में कोई भी स्थायी या शाश्वत नहीं है, दोनों ही परिवर्तनशील हैं।

हर व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं- शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। शरीर तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। मस्तिष्क मनोशारीरिक अवयवों से बना होता है। इसलिए यह अस्थायी होता है। मस्तिष्क इन्द्रियों के माध्यम से वस्तु एवं बाह्य जगत का अभिज्ञान (Impression) प्राप्त करता है। जब इन्द्रियांग और वस्तु सम्पर्क में आते हैं तो अनुभूति (Sensation) होती है, जिससे विज्ञान या चेतना (ConsiousneSS) बनती है फिर चेतना से संज्ञा, वेदना आदि संस्कार बनते हैं। चेतना (Consiousness) वस्तुतः इन्द्रियाँ और वस्तु के बीच कारणात्मक प्रभाव है। इन्द्रियाँ द्वारा प्राप्त अनुभूतियों (Sensation) को मस्तिष्क विविध अभिज्ञान[2] (Impressions) के माध्यम से चेतना में बदलता है जिससे बौद्धिक विचार (Notions) की रचना होती है। चेतना, दरअसल, चेतना करने

वाले और जिसके प्रति चेतना होती है, के बीच सम्बन्ध है। चेतना के तीन स्तर होते हैं – उत्पत्ति, विकास और विनाश। चेतना से आगे चलकर संज्ञा, वेदना, संस्कार (Will) आदि बनते हैं जो व्यक्ति में इच्छाओं को पैदा करते हैं, इन्हें बढ़ाते हैं जो अन्ततः दुःख को जन्म देते हैं। यहीं दुःख मानव के जीवन को सामाजिक एवं वैश्विक स्तर पर दुष्प्रभावित करता है, इसलिए चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास अति आवश्यक है।

आष्टांगिक मार्ग वस्तुतः सदाचार का मार्ग है। यह निजी जीवन में व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक आचरण को परिमार्जित करता है। आत्म–अनुशासन का विकास करता है और सामाजिक जीवन में यह व्यक्तियों व समूहों के बीच आदान–प्रदान व सम्बन्धों के निर्धारण में नैतिकता के अनुपालन पर जोर देता है। नैतिकता अनुशासन का पालन करके कोई व्यक्ति या समाज अपनी बुराई को दूर कर सकता है। नैतिकता के अनुपालन से आशय सदाचार के अनुपालन से है। सदाचार वस्तुतः अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन है और अष्टांगिक मार्ग का आधार मानसिक अनुशासन है। सदाचार की साधना के अनुशासित आठ चरण हैं। इनसे गुजरने के लिए व्यक्ति को कोई व्रत, उपवास या अनुष्ठान करना नहीं होता है और न ही तपस्या कर शरीर व इन्द्रियों का नाश करना होता है। हाँ, उसे भोग विलास की स्वच्छन्दता से बचना होता है। इच्छा, तृष्णा, काम, राग–द्वेष व घृणा आदि का निरोध करना होता है। जिसके लिये अज्ञान व अविद्या को दूर कर प्रज्ञा का विकास करना होता है।

सम्यक् दृष्टि (Right Views)– सम्यक् अर्थात् भली प्रकार से, यथार्थ रीति या कुशलतापूर्वक सोचने और विचार करने से है। दृष्टि का अर्थ है ज्ञान। विचार करना है कि इस सम्यक्ता की कसौटी क्या है? किस दशा में वचन सम्यक् कहा जा सकता है? अथवा किस अवस्था में दृष्टि सम्यक मानी जाये? तथागत् का कहना है कि अन्तों के मध्य में रहना ही सम्यक्ता है। किसी भी वस्तु के दोनों अन्त उन्मार्ग की ओर ले जाने वाले होते हैं अर्थात् किसी भी वस्तु में अत्यधिक तल्लीनता अथवा उससे अत्यधिक वैराग्य दोनों अनुचित हैं।

सत्चरित्र निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि दोनों का सेवन न करें। कौन से दोनों अन्त? एक – काम्य वस्तुओं में भोग की इच्छा से सदा लगा रहना। क्योंकि यह आध्यात्मिकता से पृथक ले जाने वाला तथा अनर्थ उत्पन्न करने वाला है। दूसरा– शरीर को कष्ट देना। यह भी अनर्थ तथा हानि उत्पन्न करने वाला है। चरित्र निर्माण का रास्ता केवल इन दोनों अन्तों को छोड़कर बीच का मार्ग है। सही विचार तभी हो सकता है जब हम जो चीज जैसी है उसे वैसे ही देखें। संशय, विवाद या अंधविश्वास से वशीभूत दृष्टि सही या सम्यक् दृष्टि नहीं है दोष में अदोष और अदोष में दोष देखने की दृष्टि मिथ्या दृष्टि है।[3]

वज्जज्व वज्जतो जत्वा अवज्जज्व अवज्जतो।
सम्मानदिट्ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गति।।[4]

अर्थात् जो व्यक्ति दोष को दोष और अदोष को अदोष के रूप में देखता है उसकी दृष्टि सम्यक् दृष्टि होती है और वह सद्गति को प्राप्त होता है। अतः काय, वाक और मन से कुशल और अकुशल कर्मों को भली प्रकार से जानना ही सम्यक् दृष्टि है। 'मज्झिम

निकाय'[5] में इन कर्मों का विवरण इस प्रकार है–

अकुशलकुशलकायिककर्म

(1) प्रणातिपात (हिंसा)

(2) अदत्तादान (चोरी)

(3) मिथ्याचार (व्यभिचार)

(1) अ–हिंसा

(2) अ–चौर्य

(3) ट–व्यभिचारवाचिक कर्म (4) मृषावचन (झूठ)

(5) पिशुनवचन (चुगली)

(6) परुषवचन (कटुंवचन)

(7) संप्रलाप (बकवाद)

(8) अभिध्या (लोभ) (4) अ–मृषावचन

(5) अ–पिशुनवचन

(6) अ–कटुवचन

(7) अ–सँप्रलापमानसिक कर्म(8) अभिध्या (लोभ)

(9) व्यापाद (प्रतिहिंसा)

(10) मिथ्यादृष्टि (झूठी धारणा)(8) अ–लोभ

(9) अ–प्रतिहिंसा

(10) अ–मिथ्यादृष्टि

सम्यक् संकल्प (Right Resolve or Aspiration)– सम्यक् दृष्टि से ही सम्यक् संकल्प उत्पन्न होता है। संकल्प बाह्य रूप से किये जाने वाले कार्य हेतु मन में लिया गया एक प्रकार का दृढ़ व्रत है। यहाँ व्रत का आशय बिना सोचे–समझे किसी काम को करने के लिए हठ या जिद से नहीं है। वरन् किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जीवन को दाँव पर लगा देने की ठान लेने से है। सम्यक् ज्ञान होने पर ही सम्यक् निश्चय होता है। निश्चय किन बातों का? निष्कामना का, अद्रोह का तथा अहिंसा का। कामना ही समग्र दु:खों की उत्पादिका है।[6] अत: प्रत्येक पुरुष को इन बातों का दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि वह विषय की कामना न करेगा, प्राणियों से द्रोह न करेगा और किसी की जीव हिंसा न करेगा। स्वार्थ प्रेरित इच्छाओं, आकाक्षाओं एवं आशाओं से उत्पन्न सम्यक् संकल्प नहीं होता है। निजी स्वार्थ से रहित सभी प्राणिमात्र के प्रति प्रेम और कल्याण की भावना सम्बन्धी सहज उच्च विचारों एवं आदर्शों से प्रेरित संकल्प ही सम्यक् संकल्प कहलाता है।

सम्यक् वाक् (Right Speech)– सत्य से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। जिन वचनों से दूसरों के हृदय को चोट पहुँचे, जो वचन कटु हो, दूसरों की निन्दा हो, व्यर्थ का बकवाद हो, उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए। वैर की शान्ति कटुवचनों से नहीं होती, प्रत्युत अवैर से ही होती है –

न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं।
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो।[7]

व्यर्थ के पदों से युक्त सहस्त्रों काम भी निष्फल होते हैं। एक सार्थक पद ही श्रेष्ठ होता है जिसे सुनकर शान्ति उत्पन्न होती है। शान्ति का उत्पन्न करना ही वाक्यप्रयोग का प्रधान लक्ष्य है।[8] वाक् (वाणी) की सम्यक्ता के अन्तर्गत मुख्यत: तीन बातों पर विशेष

बल दिया गया है। प्रथम- 'क्या बोलना चाहिए' एवं 'क्या नहीं बोलना चाहिए' द्वितीय कैसे बोलना चाहिए एवं तृतीय कितना बोलना चाहिए। प्रथम के अन्तर्गत व्यक्ति को सत्य और सही बोलना चाहिए अर्थात् जो है, जैसा है, वही और वैसा ही कहना चाहिए अर्थात् व्यक्ति जो जानता है, उसे वही बोलना चाहिए और जैसा जानता है वैसा ही बोलना चाहिए। जो नहीं बोलना चाहिए उसके अन्तर्गत मुख्यतः हम तीन बातों को शामिल कर सकते हैं। (अ) झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा पाखण्ड नहीं करना चाहिए (ब) किसी की निन्दा नहीं करना चाहिए और (स) अतिश्योक्ति अर्थात् किसी घटना या व्यक्ति के सम्बन्ध में बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसनीय-अप्रशंसनीय बातें नहीं करना चाहिए।

मुख्य दूसरी बात के अन्तर्गत अर्थात् 'कैसे बोलना चाहिए', के प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि व्यक्ति को मधुर बोलना चाहिए उसे अपनी बात विनयपूर्वक कहनी चाहिए। यदि वह किसी बात से असहमत है तो उसे अपनी असहमति विनम्रतापूर्वक व्यक्त करनी चाहिए अर्थात् उसे कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। तीसरी मुख्य बात के अन्तर्गत कहा जा सकता है कि व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना कि बहुत ही आवश्यक हो उसे अनर्गल या निरर्थक प्रलाप नहीं करना चाहिए।

सम्यक् कर्मान्त (Right Action)- मनुष्य की सद्गति या दुर्गति का कारण उसका कर्म ही होता है। कर्म के ही कारण जीव इस लोक में सुख या दुःख भोगता है तथा परलोक में भी स्वर्ग या नरक का गामी बनता है। 'हिंसा, चोरी, व्यभिचार' आदि निन्दनीय कर्मों का सर्वथा तथा सर्वदा परित्याग अपेक्षित है। पाँच कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सुरा-मैरेय' आदि मादक पदार्थों का असेवन। इन कर्मों का अनुष्ठान सबके लिए विहित है। सम्पादन तो करना चाहिए, परन्तु इनका परित्याग करने वाला व्यक्ति अपनी ही जड़ खोदता है।[9] सम्यक् कर्म से आशय ऐसे कर्म से है, जिसे करने के लिए व्यक्ति का मन और बुद्धि योग्य समझती है। यह ऐसा कर्म है, जिसे करने से अपना तथा दूसरों का कल्याण सम्भव हो ताकि अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरों की स्वतंत्रता भी बनी रहे। सम्यक् कर्म के अन्तर्गत सामान्यतः दो प्रकार के कर्मों को सम्मलित किया जा सकता है- प्रथमतः ऐसे कर्म जैसे कर्मकाण्ड, संस्कार, व्रत, उपवास, प्रार्थना, बलि, पवित्र-स्नान, मूर्ति-पूजा, चोरी, व्यभिचार एवं नशीले पदार्थों के सेवन आदि से विरत् रहना आदि और द्वितीयतः ऐसे कर्म जैसे सभी जीवों के प्रति करुणा एवं प्रेम युक्त व्यवहार करना व अहिंसा का पालन करना सम्माननीय व्यक्तियों का सम्मान करना जैसे आदि कर्म आते हैं।[10]

सम्यक् कर्म के पीछे यदि असम्यक् उद्देश्य है तो उसे सम्यक् कर्म नहीं कहा जा सकता है। जैसे दान का अर्थ जरूरतमन्द लोगों की सहायता के उद्देश्य से अपने हित का परित्याग करना होता है किन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने यश या लाभ की कामना से दान करता है तो उसका यह कार्य सम्यक् कर्म नहीं कहलायेगा क्योंकि उस कार्य के पीछे उसका उद्देश्य सम्यक् नहीं है।

सम्यक् आजीविका (Right Livelihood)- अष्टांग मार्ग का एक महत्त्वपूर्ण अंग यह है कि जीवन में व्यक्ति को अपनी आजीविका ईमानदारी और परिश्रम से स्वयं कमानी चाहिए। आजीविका का साधन सृजनात्मक होना चाहिए जिससे उसका स्वयं का एवं

साथ-साथ दूसरों का भी कल्याण हो सके अपने जीवन की रक्षा के साथ-साथ दूसरों के जीवन की भी रक्षा हो सके। अर्थात् सम्यक् आजीविका का अर्थ नैतिक व योग्य साधनों से ईमानदारी व मेहनत के साथ अपनी जीविका की व्यवस्था करना है। बिना जीविका के जीवन धारण करना असम्भव है। मानवमात्र को शरीर रक्षण के लिए कोई न कोई जीविका ग्रहण करनी पड़ती है, परन्तु यह जीविका सच्ची होनी चाहिए जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसी प्रकार का क्लेश पहुँचे और न उनकी हिंसा का अवसर आवे। यदि व्यक्ति पारस्परिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपनी जीविका अर्जन करने में लगे तो समाज का वास्तविक मंगल होता है। चरित्र निर्माण की दृष्टि से पाँच जीविकाओं को हिंसाप्रवण होने से अयोग्य ठहराया है।[11]- (1) सत्य वणिज्जा (शस्त्र = हथियार का व्यापार), (2) सत्तवणिज्जा (प्राणी का व्यापार), (3) मंसवणिज्जा (मांस का व्यापार), (4) मज्जवणिज्जा (मद्य-शराब का रोजगार), (5) विसवणिज्जा (विष का व्यापार)। लक्खणसुत्त में बुद्ध ने इनन जीविकाओं को गर्हणीय बतलाया है- तराजू की ठगी, कंस = (बटखरे) की ठगी, मान की (नाप की) ठगी, रिश्वत, वंचना, कृतध्नता, साचियोग (कुटिलता), छेदन, वध, बन्धन, डाका, लूटपाट की जीवका।

सम्यक् व्यायाम (Right Efforts)- यहाँ व्यायाम का तात्पर्य शरीर के भौतिक परिष्कार से नहीं है वरन् मानसिक व्यापकता में वृद्धि करने से है। सम्यक् व्यायाम मौटे तौर पर व्यक्ति को ऐसे अभ्यास या उद्यम करने पर जोर देता है जिससे उसमें अच्छे गुणों का विकास हो और दुर्गुणों का निरोध हो। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की बुरी भावनाओं और विचारों का निरोध करता है और अपने में सद्विचारों का विकास करता है। सम्यक् व्यायाम में चार प्रकार के मानसिक प्रयत्न करने होते हैं।[12]-

1. अपने भीतर जो बुरे विचार हों उन्हें बाहर करना अर्थात् उनका नाश करना इसे प्राण प्रधान सम्यक् व्यायाम कहा जाता है।
2. बाहर के बुरे विचार एवं बुराईयों को अपने में नहीं आने देने का प्रयत्न करना। इस प्रकार के व्यायाम को संवर प्रधान सम्यक व्यायाम कहा जाता है।
3. बाहर के अच्छे विचारों को जो स्वयं के मन में उत्पन्न न हुए हों उन्हें अपने भीतर उत्पन्न करने का प्रयत्न करना। इसे भावना प्रधान सम्यक् व्यायाम कहा जाता है।
4. जो अच्छाईयाँ अपने भीतर हों जो अच्छे विचार अपने मन में उत्पन्न हों उन्हें अपने में बनाये रखना साथ ही उनमें वृद्धि की चेष्टा करना ताकि पूर्णता की प्राप्ति की जा सके ऐसे प्रयत्न को अनुरक्षण प्रधान सम्यक् व्यायाम कहा जाता है।

सम्यक् स्मृति (Right Mindfullness)- सम्यक् स्मृति से आशय सतत् जागरूक बने रहना है। छोटे से छोटा कार्य करते समय भी स्मृति विभ्रम नहीं होने देना अपितु सचेत रहना है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जीवन की हर घटना को स्मृति में रखना ही चाहिये। ऐसा सम्भव भी नहीं है। ऐसे में व्यक्ति का प्रयास यह होना चाहिये कि सार्थक बातों को तो स्मृति में रखा जाये और व्यर्थ की बातों को भुला दिया जाये। अधिक निश्चित अर्थ में सम्यक् स्मृति से आशय है : बाह्य व आन्तरिक जगत् की घटनाओं के प्रति सतत्

विवेकशील व जागरूक रहना, उनका अवलोकन करना तथा यह विचार करना कि उनसे कौन-से इन्द्रियजन्य बन्धक उत्पन्न होते हैं और उनका निरोध किस प्रकार किया जा सकता है।

दीघनिकाय के 'महासतिपट्ठसुत्त'[13] के अनुसार स्मृतिप्रस्थान चार हैं-कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना तथा धर्मानुपश्यना। काय, वेदना चित्त तथा धर्म के वास्तव स्वरूप को जानना तथा उसकी स्मृति सदा बनाये रखना नितान्त आवश्यक होता है। काय मलमूत्र, केश तथा नख आदि पदार्थों का समुच्चय मात्र है। यह सदैव स्मरण रखना है वेदना तीन तरह की होती है- सुख, दुःख, न सुख न दुःख। वेदना के इस स्वरूप को भी स्मरण रखना चाहिए। चित्त की नाना अवस्थाएँ होती हैं-कभी वह सराग होता है, कभी विराग, कभी सद्वेष और कभी वीतद्वेष; कभी समोह तथा कभी वीतमोह, चित्त की इन विभिन्न अवस्थाओं को जानना ही चित्तानुरूपता कहलाता है। धर्म भी विभिन्न प्रकार के हैं: नीवरण-कामछन्द (कामुकता), व्यापाद (द्रोह), स्त्यान-मृद्ध (शरीर-मन की अलसत्ता), औद्धत्य- कौकृत्य (उद्वेग-खेद) तथा विचिकित्सा (संशय) स्कन्ध, आयतन, बोध्यंग आर्य चतुः सत्य इनके स्वरूप को भली-भाँति जानना धर्मानुपश्य कहा जाता है।[14] उपरोक्त स्मृतिप्रस्थान ही चरित्र निर्माण में बाधक तत्त्व हैं।

सम्यक् समाधि (Right Concentration)- बुद्ध शासन में मानव जीवन का इष्ट निर्वाण है जो अष्टांगिक मार्ग की साधना के द्वारा दुःखों का निरोध करने से प्राप्त होता है। अष्टांगिक मार्ग का माध्यम चरण सम्यक् समाधि की अवस्था में पहुँचने के साथ पूरा होता है। सम्यक् समाधि अष्टांगिक मार्ग का एक महत्त्वपूर्ण चरण है। दरअसल समाधि की दशा में निर्वाण पथ का साधक ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ चित्त से एकाग्र करता है। सम्यक् समाधि के निमित्त इस सम्यक् स्मृति की विशेष आवश्यकता है। काय तथा वेदना का जैसा स्वरूप से उसका स्मरण सदा बनाये रखने से उनमें आसक्ति उत्पन्न नहीं होती। चित्त अनासक्त होकर वैराग्य की ओर बढ़ता है तथा एकाग्र होने की योग्यता सम्पादन करता है। उपरोक्त ही चरित्र निर्माण में बाधक तत्त्व हैं।

समाधि का अर्थ है- 'चित्त का एकाग्र हो जाना'।[15] तृष्णा, काम-वासना, अकुशल धर्मों व कर्मों का पृथक् होकर काया व चित्त का विशुद्ध हो जाना सम्यक् समाधि है। अतः कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। इसके निम्न चरण हैं-

प्रथम चरण- वितर्क, विचार, पीति, सुख एवं एकाग्रता से युक्त चित्त समाधि की प्रथम स्थिति है यहाँ वितर्क व विचार के शांत होने पर द्वितीय ध्यान का उदय होता है।

द्वितीय चरण- प्रीति, सुख एवं एकाग्रता से युक्त चित्त ध्यान की द्वितीय स्थिति है। यहाँ प्रीति से मुक्त होकर उपेक्षा, स्मृति व संप्रज्ञान से युक्त होने पर तृतीय ध्यान का उदय होता है।

तृतीय चरण- सुख, उपेंक्षा, स्मृति एवं एकाग्रता से युक्त चित्त ध्यान की तृतीय स्थिति है। यहाँ सुख का परिहार होकर स्मृति की शुद्धि हो जाती है और चतुर्थ ध्यान का उदय होता है।

चतुर्थ चरण- उपेक्षा, स्मृति एवं एकाग्रता पूर्वक विशुद्ध चित्त की इस चतुर्थ ध्यान की अवस्था को ही समाधि कहा गया है। काया व चित्त का विशुद्ध और समाहित हो जाने पर प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है। यही अन्तिम अवस्था सम्यक् समाधि है।

सब्बपापस्य अकर्णम कुसलस्स उपसम्पदा।
स-चित्त परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं।।[16]

अर्थात् सभी पापों का न करना, पुण्य का संचय और अपने चित्त की परिशुद्धि से ही चरित्र निर्माण सम्भव है। यह अष्टांग मार्ग रूपी नैतिकता का पथ मानव के पुरुषार्थ पर आधारित है। नैतिक उत्थान के लिए किसी अलौकिक सत्ता की आवश्यकता नहीं, वरन् मानवीय पथ के अनुकरण मात्र की आवश्यकता है। जिसमें मानव के परम कल्याण, आध्यात्मिक नैतिकता, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं वैश्विक शान्ति, पर्यावरणीय व सांस्कृतिक सुरक्षा एवं शान्ति की स्थापना की भावना निहित है। अतः कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का यह मार्ग सिर्फ प्राचीनकाल में ही प्रासंगिक नहीं था वरन् समसामयिक परिस्थितियों में भी सदैव प्रासंगिक बना रहेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. बलदेव उपाध्याय, बौद्ध दर्शन मीमांसा, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 1991, पृ. 48
2. रामगोपाल सिंह, विकल्प की तलाश, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 2008, पृ. 19
3. धम्मपद, पृ. 318
4. वही, पृ. 319
5. बलदेव उपाध्याय, बौद्ध दर्शन मीमांसा, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 1991, पृ. 55
6. रामगोपाल सिंह, विकल्प की तलाश, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 2008, पृ. 26
7. धम्मपद, 1:5
8. धम्मपद, 8:1
9. वही, 12:13
10. वही, 12:14
11. अंगुत्तर निकाय, 5
12. एच.एस.गौर, द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, लालचन्द एण्ड सन्स, कलकत्ता 1923, पृ. 347
13. धम्मपद, 2:9
14. बलदेव उपाध्याय, बौद्ध दर्शन मीमांसा, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 1991, पृ. 58
15. वही।
16. धम्मपद, 14:5

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम एक विश्लेषण

• प्रवीण कुमार पाठक
•• व्ही. एस. सिंह
••• अजय आर. चौरे

सारांश- मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी. एल.डी.पी.) मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी और अभिनव पहल है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट व मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से प्रदेश के समस्त 313 विकासखंडों में विकास की आवश्यकताओं हेतु वांछित मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से समाज कार्य के स्नातक और परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। म.प्र.शासन द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ शैक्षणिक सत्र 2015-16 से किया गया था। स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में अब तक एक लाख से अधिक छात्र पंजीकृत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम दूरवर्ती शिक्षा पद्धति से संचालित है, जिसके तहत् बीएसडब्लू एवं एमएसडब्लू पाठयक्रम की नियमित संपर्क कक्षाओं का आयोजन, उच्च गुणवत्ता की स्व-अध्ययन सामग्री एवं नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विद्यार्थी को लर्निग मैनेजमेंट सिस्टेम (एल.एम.एस.) और स्मार्टफोन पर एक्सेस करने वाले एप के माध्यम से बेहतरीन शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम का लक्ष्य गॉव-गॉव में विकास की क्षमता एवं समझ रखने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। साथ ही वंचित व उपेक्षित समुदाय की शासकीय योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर मे सुधार लाकर समाज को सक्षम नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित समूह तैयार करना है। कुशल सामाजिक नेतृत्वकर्ता सरकार और वंचित लोगो के बीच सेतु का काम करते है। यह कार्यक्रम उन लोगो के लिए अनुकूल है जो समाज के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनो मे रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें।

मुख्य शब्द- सामुदायिक नेतृत्व, लर्निग मैनेजमेंट सिस्टेम, विकास, समूह

• पी एच- डी. शोध छात्र, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)
•• एसोसिएट प्रोफेसर, समाजकार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)
••• एसोसिएट प्रोफेसर, समाजकार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट (म.प्र.)

प्रस्तावना- सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का संकल्प सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य देशो द्वारा अपनाया गया। जिसमें 17 एसडीजी लक्ष्य और 169 टार्गेट निर्धारित किये गये। दुनिया को बदलने के लिए इस संकल्प को 01 जनवरी 2016 से प्रभाव में लाया गया। वर्ष 2030 तक प्रत्येक देश एवं प्रदेश को भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में 200 से अधिक योजनाएँ तथा केन्द्र सरकार एवं अन्य अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी 100 से अधिक योजनायें चलायी जा रही है। इनमें से अधिकॉश योजनाएँ समाज के कमजोर वर्गो विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान, वंचित वर्गो में के सशक्तिकरण एंव उनके प्रति समाज में सकारात्मक भावना विकसित करने हेतु संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक तभी पहुचाया जा सकता है, जब इनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट द्वारा स्थानीय स्तर पर युवको विशेषकर महिलाओं को दीर्घकालीन सघन अकादमिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समाजकार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास मे विशेषज्ञता सहित) का संचालन किया जा रहा है। जिससे गॉव के क्षमतावान नवयुवक एवं नवयुवतियॉ, समुदाय की भागीदारी प्राप्त कर विकासात्मक गतिविधियों हेतु नेतृत्व प्रदान करेगें। वे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुचानें में सक्रिय प्रेरक की भूमिका निभायेगें। विकास अभिकर्ता का कार्य करेगें, साथ ही समाज कार्य के क्षेत्र में अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल का उपयोग कर अच्छे भावी जीवन का निर्माण भी कर सकेगें। समाज कार्य स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा म.प्र.जन अभियान परिषद के माध्यम से प्रदेश के समस्त 313 विकासखंडों में अध्ययन-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों में संचालित किया जा रहा है। अपने ग्राम को ही समाज कार्य की व्यवहारिक प्रयोगशाला मानकर शिक्षार्थी उसमें विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय की भागीदारी से प्रयास करेगें एवं इस कार्य में शासकीय योजनाओं का लाभ लोगो तक पहुचाकर शासकीय विभागों के साथ व्यवहारिक कार्यानुभव प्राप्त कर स्वयं को दक्ष एवं निपुण बनायेगें।

अध्ययन का उद्देश्य -

1. मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यकम के विषय में जानकारी प्राप्त करना।
2. इस कार्यक्रम के उद्देश्य, समतुल्यता, मान्यता, एवं संचालन विधि की प्रक्रिया को जानना।
3. अध्ययन धारा की अवधारणाओं को समझना।
4. कार्यक्रम अर्न्तगत पंजीकृत छात्रों के सकल नामांकन स्थिति का आंकलन करना।

शोध विधि- यह लेख पत्र द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से लिखा गया है। विभिन्न रिपोर्ट, बेबसाइट, समाचार पत्रों और पुस्तकों के तथ्यों का संकलन किया गया है।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के उदेश्य- मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत् संचालित महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद एवं उच्च शिक्षा विभाग से समन्वय करके 313 विकासखंडों के मुख्यालयों पर स्थित शासकीय महाविद्यालयों/उ. मा.वि. में अध्ययन केन्द्र स्थापित कर प्रत्येक रविवार कों संपर्क कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ताओं को चयनित कर गॉवों में प्रयोगिक कार्य हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध किया जाता है। 2015 से अभी तक इस कार्यक्रम में 107277 छात्रों ने प्रवेश लेकर सफलता प्राप्त कर लिया है, एवं उनमें से 66 प्रतिशत छात्रों ने स्नातक उपाधि अर्जित किया है। विगत वर्षो में इस कार्यक्रम के कियान्यवन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुक्रम में आवश्यक सुधारों को समाहित करते हुए इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यकम के क्रियान्वयन के प्रमुख उददेश्य निम्नॉकित है–

1. शासकीय विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों के लिए सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने हेतु सक्षम एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराना।
2. ऐसे प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना, जो विकास गतिविधियों से जुड़े सामाजिक उद्यमियों, सामुदायिक संगठनों के मध्य शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सामाजिक उद्यमी एवं प्रशिक्षित कार्यकर्ता के रूप में सार्थक भूमिका का निर्वहन करेगें।
3. सकल नामॉकन दर की बृद्वि के लिए उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को इस कार्यक्रम से जोड़कर उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
4. वंचित समूहों यथा–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओ तथा गरीबी रेखा से नीचे ड्राप–आउट विद्यार्थियों के लिए भी समय व संसाधन की सीमाओं में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
5. सतत् विकास लक्ष्यों एवं आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश (एएनएमपी–2023) के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास मॉडल तैयार करने के लिए विद्यार्थियों में बौद्विक क्षमता विकसित करना।
6. आत्म निर्भर आदर्श ग्राम के निर्माण हेतु सामुदायिक क्षमता का विकास करना।

समतुल्यता एवं मान्यता- यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय विश्वविद्याल अनुदान आयोग नईदिल्ली के दूरवती माध्यम से संचालित पाठ्यक्रमों के लिए गठित मान्यतादायी निकाय दूरवर्ती शिक्षा ब्यूरों से मान्यता प्राप्त है। पाठ्यक्रम के अध्ययन विषय/प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मॉडल कैरिकुलम एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप तैयार किये गये है। पाठ्यक्रम अन्य विश्वविद्यालयों में संचालित समाज कार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के समतुल्य है। पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय के दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत् शिक्षा केन्द्र के अर्न्तगत ओपेन एण्ड डिस्टेंस लर्निग पद्वति से किया जा रहा है। पाठ्यक्रम का संचालन माड्यूलर

शैली में होगा। इस पाठयक्रम की विषय बस्तु का लाभ व्यापक अर्थो में शिक्षार्थियों को मिल सके, इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय ने शिक्षार्थियों की आवश्यकता, योग्यता, और रूचि के अनुरूप अनेक प्रमाण पत्र और पत्रोपाधि स्तर के पाठ्यक्रम भी प्रस्तावित किये है। ऐसे पाठ्य विषयों को स्वतंत्र पाठ्यक्रमों के रूप में (जंदक ंसवदम बवनतेमे) मान्य किया है। जिन्हे किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में पंजीकृत शिक्षार्थी समुदाय (बवउउनदपजल मदहंहमउमदज) के अर्न्तगत इन पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्र पढना चाहते है, तो उन्हे इस विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराकर निर्धारित शुल्क जमा कर यह सुविधा प्राप्त हो सकती है।

समाजकार्य(सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास)			
निर्धारित आर्हता प्राप्त ि शक्षार्थी कार्यक्रम में पंजीकृत होकर निर्धारित शुल्क जमा कर - • 1 वर्ष का सर्टीफिकेट, • 2वर्ष का डिप्लोमा • 3 वर्ष की उपाधि या 4 वर्षो की स्नातक • स्तरीय शोध उपाधि • प्राप्त कर सकता है।	निर्धारित अर्हता प्राप्त ि शक्षार्थी पंजीकृत होकर निर्धारित शुल्क जमा कर - • एक वर्ष का पीजी डिप्लोमा • 2 वर्ष की परास्नातक उपाधि प्राप्त कर सकता है। • 4 वर्षो की स्नातक स्तरीय शोध उपाधि प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी एक वर्ष में परास्नातक उपाधि प्राप्त कर सकते है।	किसी भी विश वविद्यालय के छात्र अपने मूल पाठ्यक्रम के साथ-साथ इस पाठ्यक्रम के प्रश न-पत्र अपनी रूचि क्षमता और योग्यता के आधार पर ले सकते है। इनसे अर्जित क्रेडिटउनके विश्वविद्यालयों में ट्रान्सफर होकर अंकसूची में प्रदर्शित होगें।	शासकीय या गैर शासकीय संवर्ग में कार्यरत अथवा अपनी रूचि से इस तरह के पाठ्यक्रमों को करने के इच्छुक शिक्षार्थी प्रश्न-पत्रों का चयन कर क्रेडिट अर्जित कर सकते है तथा सर्टीफिकेट और डिप्लोमा प्राप्त कर सकते है।

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (Learner Support Centers)- पाठ्यक्रम ओपेन एण्ड डिस्टेंस लर्निग पद्वति से संचालित होना है। अत: अकादमिक गतिविधियों के समुचित और सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को एक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र /अध्ययन केन्द्र आंवटित किया जायेगा। जिस जिला व विकासखंड के शिक्षार्थी होगे, उस जिला एवं विकासखंड स्तर पर शासकीय महाविद्यालय अथवा उत्कृष्ट विद्यालय उनके शिक्षार्थी सहायता केन्द्र/अध्ययन केन्द्र होगें। विशेष परिस्थितियों मे विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर अध्ययन केन्द्र अन्यत्र भी संचालित किये जा सकेगें। पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वैधानिक परिसीमा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से संचालित किये जायेगें।

स्व-अध्ययन सामग्री (Self learning Material)- पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का नामॉकन/पंजीयन, अध्ययन केन्द्र निर्धारित हो जाने पर संबंधित पाठ्य विषयों की मुद्रित अध्ययन सामग्री, प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान की जावेगी। पंजीयन उपरॉत विद्यार्थियों को लर्निग मैनेजमेंट सिस्टेम के माध्यम से सीएमसीएलडीपी पोर्टल के द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से पाठ्यक्रम की गतिविधियों से जोड़ा जायेगा। जिसमें अध्ययन सामग्री 4 चतुर्थासों में उपलब्ध रहेगी। जिसके माध्यम से शिक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई, शिक्षण सामग्री के साथ-साथ अन्य लर्निग रिसोर्सेस पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री को भी एक्सेस कर सकेगा।

पाठ्यक्रम की संरचना एवं प्रश्न-पत्र चयन- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन के अध्यादेश -14 (ठ) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्याल द्वारा प्रथक से एक अध्यादेश बनाया गया है। जो राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग सहित

विश्वविद्यालय के समस्त संवैधानिक निकायों से स्वीकृत है। अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार स्नातक और परास्नातक स्तर पर शिक्षार्थी को प्रश्न पत्रों के अलग-अलग संकुल (बास्केट) मे से निम्नानुसार विषय/प्रश्न पत्रों का चयन करना होगा -

क.	प्रश्न-पत्र/विषय की प्रकृति	प्रश्नपत्र /विषय की संख्या	क्रेडिट
1	मुख्य विषय (Major)	02	56
2	गौण विषय (Minor)	01	26
3	वैकल्पिक विषय (Generic Elective)	01	18
4	कौशल/व्यावसायिक विषय (Skill Enhancement Courese/Vocational course)	01	12
5	क्षमता संवर्धन/आधार पाठ्यक्रम (Ability Enhancement course/ foundation course)	01	24
6	व्यावहारिक/प्रायोगिक कार्य (field project /internship /Apprenticeship/ community engagement and services)	01	24
			160

विषय	विषय/प्रश्न-पत्र/आयाम
अनिवार्य विषय -समाज कार्य	1.समाज कार्य का परिचय, 2.समाज कार्य के अन्य अवधारणाएँ, 3.समाज कार्य की पद्धतियाँ, 4.भारतीय परिपेक्ष्य में व्यावसायिक समाज कार्य, 5.सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य एवं परामर्श, 6.सामाजिक मनोविज्ञान, 7.सामाजिक सामूहिक कार्य (समूह एवं संस्थाएँ), 8.समाजकार्य अभ्यास के क्षेत्र, 9.सामुदायिक संगठन (सामुदायिक कार्य एवं सामाजिक क्रिया), 10. सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी
गौण विषय -विकास, सामुदायिक नेतृत्व, संचार	1.विकास की अवधारणा एवं क्रियान्वयन, 2 .सामुदायिक नेतृत्व , 3 .विकास के लिए संचार, सतत विकास, 4.जीवन कौशल शिक्षा
वैकल्पिक आयम/विषय	1.पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज 2 . महिला एवं बाल विकास 3. प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि 4 . पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन 5 . पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन 6 . स्वैच्छिकता एवं विकास 7 . आजीविका एवं कौशल 8. विधिक विशेषज्ञता 9.संस्कृति कला एवं देशज ज्ञान 10. सामाजिक समरसता
व्यावसायिक पाठ्यक्रम	1. परिधान विन्यास प्रौद्योगिकी 2 . नवकरणीय उर्जा, 3. सौन्दर्य और स्वास्थ्य कल्याण 4. व्यक्तित्व विकास 5 . पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवायें 6 . कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी 7 . सुरक्षा सेवायें 8 . औषधीय पौधे 9 . जैविक खेती 10 . बागवानी 11. बर्मी कम्पोस्टिंग 12. डेयरी प्रबंधन 13. पोषण एवं आहार विज्ञान 14. विद्युत प्रौद्योगिकी 15 . इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी 16 . हस्तशिल्प 17. खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण 18 . चिकित्सा निदान 19 . निर्यात आयात प्रबंधन 20 . जीएसटी के साथ ई-एकाउटिंग और कराधान 21 . वित्त सेवायें एव बीमा 22 . खुदरा प्रबंधन 23 . डिजिटल मार्केटिंग 24 . बिक्री कौ''ाल 25 . एकाउटिंग एवं टैली कोर्स 26 . कार्यालय प्रक्रिया एवं व्यवहार 27. डेस्कटॉप प्रका''ान (डीटीपी) 28. बेब-डिजाइनिंग

स्वतंत्र प्रमाण पत्र एवं पत्रोपाधि -

क्र	प्रमाण पत्र / डिप्लोमा	विषय
1	प्रमाण पत्र	1.सतत् विकास 2. महिला सशक्तीकरण 3. ग्रामीण विकास 4. स्वैच्छिकता एवं विकास 5. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 6. प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि 7. पर्यावरण संरक्षण 8. विधिक साक्षरता 9. कला एवं संस्कृति 10. सामाजिक समरसता 11. आजीविका एवं कौ''ाल 12. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग 13. पत्रकारिता एवं जनसंचार 14. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य 15. कम्प्यूटर एप्लीकशन
2	डिप्लोमा	1.सतत् विकास 2. महिला सशक्तीकरण 3. ग्रामीण विकास 4. स्वैच्छिकता एवं विकास 5. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 6 . प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि 7 . पर्यावरण संरक्षण 8 . विधिक साक्षरता 9 . कला एवं संस्कृति 10. सामाजिक समरसता 11. आजीविका एवं कौशल 12. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग 13. पत्रकारिता एवं जनसंचार 14. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य 15. कम्प्यूटर एप्लीकशन

अध्ययन धारा : परिचय एवं पृष्ठभूमि -

अध्ययन धारा का उद्देश्य और औचित्य	1. पाठ्यक्रम का मूल उद्दे श्य जमीनी स्तर पर विकास की समझ रखने वाले कार्यकर्ता तैयार करना है। 2. विकास विषयक कार्यो को कराने के लिए विशेष दक्षता की जरूरत होती है। 3. व्यावसायिक समाज कार्य व्यक्ति में वह क्षम तायें उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति समाज मे परिवर्तन के लितए हस्तक्षेप करने की योग्यता, निपुणता और विधियों की जानकारी हासिल करता है, और इनका प्रयोग करता है। 4. पाठ्यक्रम के मूल स्वरूप की दृष्टि से इसे आधार माना गया है और मेजर कोर्स के रूप में पाँचों वर्ष इ सके सैद्वान्तिक और व्यावहारिक ज्ञान के विषय/प्र श्नपत्र अध्ययन हेतु निर्धारित किये गये है।
सतत् विकास लक्ष्यों से संबंद्वता	1-17 तक सभी लक्ष्यों की संबंद्वता इस अध्ययन धारा से है।
शासकीय विभागों से संबंद्वता	लगभग सभी शासकीय विभागों से समाज कार्य विषयक जानकार जुड़ते है और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से मन: स्थिति और परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते है।
शासकीय योजनाओं से संबंद्वता	इस अध्ययन धारा के विषय हितग्राही मूलक योजनाओं से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े रहते है। शासकीय योजनाओं के माध्यम से ही समाजकार्य कार्यकर्ता हस्तक्षेप का कार्य करते है तथा आव श्यकतानुसार शासकीय प्रावधानों और योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति और समाज को सशक्त बनाते है।
अध्ययन धारा से कौशल सृजन	समाजकार्य एक व्यावसायिक विषय है। केवल शौक के रूप मे नही प्रोफे शन के रूप मे ं इस अध्ययन धारा से ग्राम को समझने, मनोविज्ञान को समझने, योजनाओं की रूपरेखा बनाने, उन्हे लागू करने और निगरानी करने की विविध प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक सूझबूझ का कौ शल इस अध्ययन धारा से विकसित होगा और एक कुशल समाजकार्य कार्यकर्ता में जो खूबिया होनी चा हिए, जो कौशल होना चाहिए उनका विकास होगा।

तालिका क्र.01
मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत् पंजीकृत छात्रों की जानकारी (शैक्षणिक सत्र 2015-16 से 2023-24 तक)

क्र.	वर्ष	पाठ्यक्रम	पंजीकृत छात्र				
			सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल पंजीकृत छात्र
1.	2015-16	बीएसडब्लू -I	3455	5853	1340	3854	14494
2.	2016-17	बीएसडब्लू -I	3020	4888	1315	3518	12742
3.	2017-18	बीएसडब्लू -I	3275	6150	1604	3558	14587
4.	2018-19	बीएसडब्लू -I	2863	5784	2112	3675	14434
5.	2019-20	बीएसडब्लू -I	673	780	275	179	1907
6.	2022-23	बीएसडब्लू -I	3015	5065	1535	2560	12175
7.	2022-23	बीएसडब्लू -I	3397	4131	1223	1755	10506
8.	2023-24	बीएसडब्लू -I	2621	4779	1393	2440	11233
9.	2023-24	बीएसडब्लू -I	7955	10279	3215	4256	15199
	योग		30274	47709	14012	25795	107277

निष्कर्ष - उक्त अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि म.प्र.शासन की मंशानुरूप मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत् संचालित पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2015-16 से 2023-24 तक, बी.एस.डब्लू व एम.एस.डब्लू पाठ्यक्रम में कुल 107277 छात्र, छात्राएँ पंजीकृत हुए। जिनमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग से 25795, अनुसूचित जाति वर्ग से 14012, अन्य पिछड़ा वर्ग से 47709 एवं सामान्य वर्ग से 30274 छात्र, छात्राएँ पंजीकृत होकर अध्ययन का कार्य किया गया। यह सभी छात्र छात्राएँ मध्यप्रदेश राज्य के सभी 55 जिलों के 313 विकासखंडों के निवासी है। जिनमें से 89 विकासखंड जो कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। उनके छात्र छात्राएँ भी शामिल है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी.एल.डी.पी.)

मध्यप्रदेश शासन का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट व मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से प्रदेश के समस्त 313 विकासखंडों में विकास की आवश्यकताओं हेतु वांछित मानव संसाधन तैयार करने के अभिनव पहल प्रारंभ हुई है। म.प्र.शासन द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में सत्र 2015-16 से लेकर शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक कुल 107277 छात्र, छात्राएँ लाभान्वित हो चुके है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम दूरवर्ती शिक्षा पद्वति से संचालित है, जिसके तहत् प्रदेश के सभी विकासखंडों में बीएसडब्लू एवं एमएसडब्लू पाठयक्रम की नियमित संपर्क कक्षाओं का आयोजन, उच्च गुणवत्ता की स्व-अध्ययन सामग्री एवं नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किया जा रहा है। विद्यार्थी को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टेम (एल.एम.एस.) और स्मार्टफोन पर एक्सेस करने वाले एप के माध्यम से बेहतरीन शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गॉव-गॉव में विकास की क्षमता एवं समझ रखने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार करने की महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ हुई है, साथ ही वंचित व उपेक्षित समुदाय की शासकीय योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर मे सुधार लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से तैयार हो रहे कुशल सामाजिक नेतृत्वकर्ता सरकार और वंचित लोगो के बीच सेतु के रूप में कार्य कर रहे है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. प्रो.प्रयागदीन मिश्र -सामाजिक सामूहिक कार्य, 2011, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनउ,
2. रवीन्द्रनाथ मुकर्जी - भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, 2004 विवेक प्रका'न जवाहर नगर नई दिल्ली
3. डॉ. डी.एन.श्रीवास्तव - प्रयोगात्मक विधियॉ एवं सांख्यिकी, श्री विनोद पुस्तक मंदिर प्रकाशन आगरा-2
4. डॉ. रवीन्द्रनाथ मुकर्जी - सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, 2012 विवेक प्रकाशन जवाहर नगर नईदिल्ली-7,
5. डॉ. जी.आर.मदन - समाजकार्य 2011, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर नईदिल्ली-7,
6. डॉ. अमरजीत सिंह , डॉ. वीरेन्द्र व्यास, डॉ. ब्ही.एस.सिंह व ड़ा अजय आर. चौरे -प्रवेश विवरणिका, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
7. www.mpjapmis-org

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

जनपद हरदोई में जनसंख्या वृद्धि का एक भौगोलिक अध्ययन

• निशात फातिमा
•• अनीता निगम

सारांश- जनसंख्या किसी भी क्षेत्र विशेष की प्रगति का आधार होती है। जनपद हरदोई में जनसंख्या वृद्धि का भौगोलिक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में जनपद की दशकीय वृद्धि को विश्लेषित किया गया है, जिसमें पूर्व स्वतन्त्रताकाल तथा स्वतन्त्रताकाल के आकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में द्वितीयक आकड़ों का संग्रह है। इसमें गामीण व नगरीय जनसंख्या सम्मिलित है। जनसंख्या प्रक्षेपण का ऑकलन गणितीय समीकरण विधि के द्वारा प्राप्त किया गया है। जनसंख्या प्रक्षेपण ज्ञात करने के लिये गणितीय समीकरणों प्रतिरूपों एवं वक्रों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में जनपद हरदोई की जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर (2001-2011) के आधार पर वर्ष 2021 के लिये जनसंख्या प्रक्षेपण की गयी है। जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र के जनसंख्यिकी गतिशीलता का केन्द्र बिन्दु है। जनपद हरदोई की जनसंख्या में पिछले दशकों से तीव्रता से परिवर्तन आया है, जिसमें भयंकर महामारियों का प्रकोप भी सम्मिलित है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या धीरे-धीरे महानगरीय परिवेशानुसार विस्फोटक रूप अधिग्रहित करता जा रहा है। यदि बढ़ती हुई जनसंख्या पर विराम न लगाया गया तो यह अत्यधिक गम्भीर रूप धारण कर लेगी, जिससे निपटना जनसामान्य के लिये असम्भव हो जायेगा।

मुख्य शब्द- दशकीय वृद्धि, ऑकलन, प्रक्षेपण, प्रतिरूप, द्वितीयक, भयंकर, केन्द्रबिन्दु, विराम

प्रस्तावना- जनसंख्या में अभिवृद्धि के फलस्वरूप उसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति को जनसंख्या वृद्धि कहते है। जनसंख्या वृद्धि से किसी स्थान की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं राजनैतिक आदर्श के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे जनसंख्या के आकार व संरचना दोनो ही प्रभावित होता है। सामान्यत: जनसंख्या में वृद्धि होना एवं जैविक प्रक्रिया है। जनसंख्या वृद्धि कही मन्द गति व कही तीव्रगति से होती है। जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकी गतिशीलता का

• भूगोल विभाग, राजा हरपाल सिंह पी.जी. कालेज, सिंगरामऊ, जौनपुर
•• असिसटेन्ट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, डी.बी.एस. कालेज कानपुर

केन्द्रबिन्दु है। यह जनसंख्या का वह तत्व है, जिससे जनसंख्या के अन्य सभी तत्व गहन रूप से सम्बन्धित है और इसी तत्व से ही अन्य लक्षणों का अर्थ और महत्व है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि वहाँ के जन्मदर की अधिकता व मृत्युदर में कमी के कारण होता है, इसके अतिरिक्त स्थानान्तरण के प्रभाव के कारण भी यह वृद्धि अत्यधिक प्रभावित होती है।

अध्ययन क्षेत्र- भौगोलिक मानचित्र के पटल पर जनपद हरदोई का भौगोलिक विस्तार 26°53' उत्तरी अक्षांश से 27°43' उत्तरी अक्षांश के मध्य एवं 79°41' पूर्वी देशान्तर से 80°43' पूर्वी देशान्तर तक है। यह जनपद उत्तर में शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, दक्षिण में उन्नाव, लखनऊ और पश्चिम में कानपुर, फर्रूखाबाद, पूरब में सीतापुर जनपद की सीमाओं से परिसीमित है।

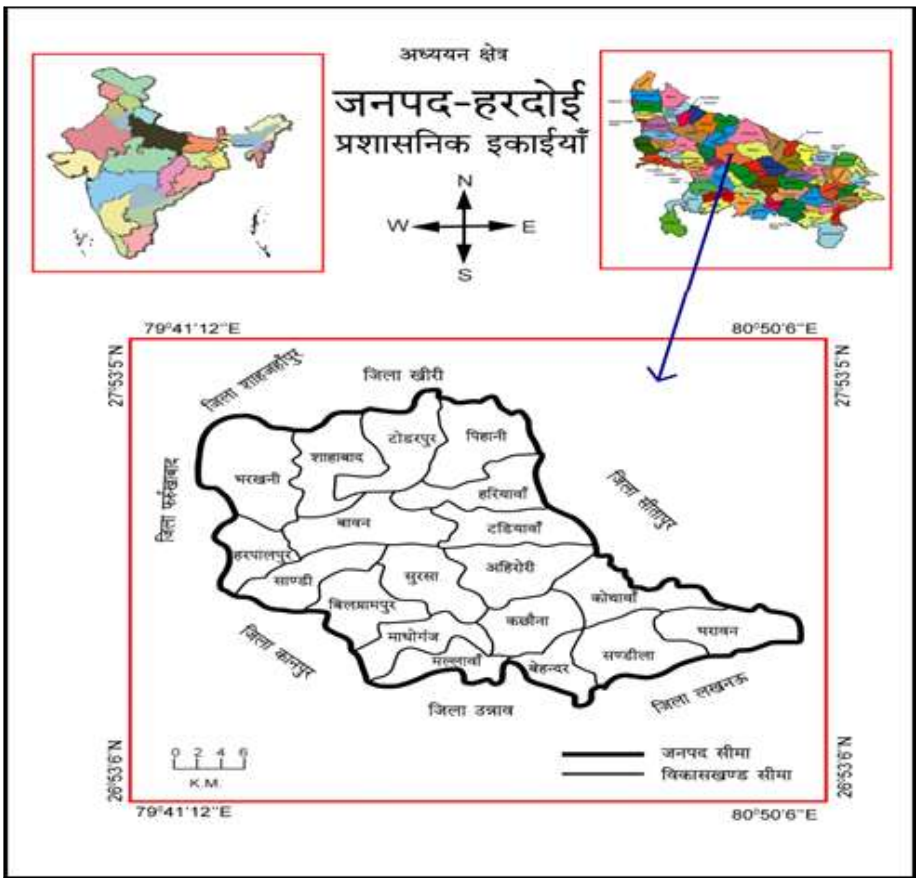

शोध का उद्देश्य- प्रस्तुत शोध प्रपत्र का निम्नलिखित उद्देश्य है।

1. अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।
2. जनसंख्या वृद्धि के भावी आंकलन हेतु जनसंख्या प्रक्षेपण ज्ञात करना।
3. जनसंख्या वृद्धि के दशकवार वृद्धि को स्पष्ट करना।
4. जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध विधि तन्त्र- प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्ष 2001 से 2011 तक की जनसंख्या को लेकर दशकीय वृद्धि का विश्लेषण किया गया है। जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन में

द्वितीयक ऑकड़ों का प्रयोग किया गया है। ये आँकड़े जिला सांख्यिकीय पत्रिका, जिला जनगणना हस्त पुस्तिका और सी.डी. से प्राप्त किया गया है। जनसंख्या प्रक्षेपण का ऑकलन गणितीय समीकरण विधि के द्वारा प्राप्त किया गया है।

जनसंख्या का विकास- जनसंख्या के आकार में उत्तरोत्तर समयबद्ध क्रमिक परिवर्तन विकास कहलाता है। परन्तु यह परिवर्तन सकारात्मक (+) तथा नकारात्मक (-) दोनों प्रकार की जनसंख्या के विकास में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारकों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। असमान धरातल, प्रतिकूल जलवायु दशायें (सूखा एवं बाढ़) उपजाऊ भूमि तथा उसका अपरदन, महामारियों, राजनैतिक अशान्ति तथा हरदोई जनपद की केन्द्रीय स्थिति होने से विकासखण्डों पर जनसंख्या की वृद्धि का व्यापक एवं प्रभावशाली रूप देखने को मिलता है।

क्षेत्रीय जनसंख्या की वृद्धि ऐतिहासिक, दृष्टि से ज्ञात होता है कि, अध्ययन क्षेत्र में संलग्न जनपद हरदोई ऊपरी गंगा मैदान में अवस्थित है। जहाँ हरदोई के साथ-साथ अन्य जनपदों में सर्वप्रथम आर्यावर्त से लोगों का आगमन हुआ। यद्यपि वह दक्षिण एवं पूर्व की ओर फैलने लगे। किन्तु उन दिनों केवल अध्ययन क्षेत्र में ही नहीं वरन अन्य जनपदों एवं पड़ोसी क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु दशाओं, असमान धरातल जैसी प्रतिकूल दशाओं में भी आदिम जातियों का बसाव था, जो अविकसित एवं पिछड़े होने के कारण आदिम जीवन-यापन करते थे।[1]

उस समय क्षेत्र की जनसंख्या अनुमानित थी। तत्कालीन शासन करने वाले राजाओं (अवध के नवाबों) के पहले भी यहाँ पर जीविका के साधन आदिम ही थे परन्तु लखनवी (अवध) नवाबों, राजाओं के शासनकाल में इस क्षेत्र की सम्पन्नता बढ़ी जो जनसंख्या विकास के पर्याप्त उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट है।

स्वतन्त्रता संग्राम के समय ब्रिटिश शासनकाल तक यह क्षेत्र काफी सम्पन्न रहा है। उस समय ग्रामीण निवासी साधारणतया सादगी तथा कम खर्चीली जिन्दगी में अपना निर्वाह कर रहे थे। अतः इस समय जनसंख्या विकास की सामान्य स्थिति प्रस्तुत होती है अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पहले जनसंख्या में ह्रास दृष्टव्य है, क्योंकि राज्यों में हुए संघर्ष तथा युद्ध और स्थानान्तरण से प्रभावित रहा है।

देश में स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रदेश की भूमि का नया इतिहास प्रारम्भ होता है सदियों की पुरानी जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया 1950 ई. के उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार एक्ट के साथ किसान का भूमि से नया सम्बन्ध स्थापित हुआ भूमि व्यवस्था का सम्पूर्ण अधिकार राज्य सरकार की छाया में ग्राम समाज को दिया गया। जमींदार को उसकी जमींदारी का मुआवजा दिया गया। खेत में काम करने वाले किसान को लगान का दस गुना लेकर भूमिधर बना दिया गया। युग बदला, शताब्दियाँ बीतीं और प्रकृति के झंझावतों को सहन करते हुए कृषकों की व्यवस्था भी बदल गयी। इस प्रकार अब भूमि किसान की निजी सम्पत्ति हो गयी। विवेच्य क्षेत्र में निजी सम्पत्ति की यह व्यवस्था अद्यतन दृष्टिगोचर होती है।

इस वृद्धि में अनुकूल जलवायु दशाओं तथा अल्प सामाजिक कारकों के कारण 1881 से 1891 तक लगातार वृद्धि होती रही। 1881-1901 क्षेत्रीय जनसंख्या पर

प्राकृतिक प्रकोप का अधिक प्रभाव पड़ा। बाढ़ और अकाल के कारण उत्पन्न महामारियों (काला ज्वर, हैजा, उदररोग, चेचक, प्लेग) से जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। जनपद में 1891 से 1901 के मध्य ग्यारह वर्षो में प्राकृतिक महामारियों से मृत व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई।

1891 से 1901 तक अध्ययन क्षेत्र में मृतकों की संख्या 33.16 प्रतिशत थी, जिसमें 77.2 प्रतिशत काला ज्वर, 7.8 प्रतिशत हैजा तथा 5.8 प्रतिशत चेचक से मरे थे, परन्तु यह भी पूर्णतया स्पष्ट है कि, जनपद में इस दशकों में सबसे ज्यादा महामारी प्रकोप 1894 से 1895 तक रहा जिस दौरान विभिन्न महामारियों में क्रमशः 46.73 प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

वर्ष 1894-95 में क्रमशः काला ज्वर (29247) और हैजा (9261), चेचक (13256) और प्लेग (265) तथा अन्य महामारियों में व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इन प्राकृतिक महामारियों के प्रकोप से निराश होकर स्वास्थ्य सुविधायुक्त, नगरीय केन्द्रों तथा जंगली क्षेत्रों तथा पड़ोसी जनपदों की ओर सीमान्तरित हो गये थे। जब किसी भी क्षेत्र में अकाल या प्रकोप महामारियों का प्रकोप बढ़ता है तो वहाँ का जन-जीवन अस्त व्यस्त होने के साथ-साथ संसाधनों का विकास अवरूद्ध हो जाता है और जनसंख्या अपने उदरपूर्ति हेतु स्थानिक एवं कालिक रूप से सीमान्तरित हो जाती है।

अतः जनसंख्या वृद्धि के कारण मानवीय क्रियाकलापों के प्रभावित एवं परिवर्तित होते रहने के कारण विकास की गति अवरूद्ध होकर मूल समस्याओं का कारण बन जाती है।

सारिणी संख्या 01

जनपद हरदोई : जनपद में जनगणना के अनुसार प्रतिदशक जनसंख्या तथा प्रतिदशक प्रतिशत अन्तर, 1901-2011

	जनसंख्या		प्रति दशक में प्रतिशत अन्तर		
वर्ष	कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण	नगरीय
1901	1092236	990121	0.0	0.0	0.0
1911	1120542	1027321	3.0	4.0	-9.0
1921	1083727	986548	-3.0	-4.0	4.0
1931	1126750	1028737	4.0	4.0	1.0
1941	1239083	1121990	10.0	9.0	20.0
1951	1361562	1238910	10.0	10.0	5.0
1961	1577171	1458885	16.0	18.0	- 7.0
1971	1849519	1703350	18.0	17.0	28.0
1981	2274929	2023357	23.0	19.0	72.0
1991	2747082	2424471	36.0	20.0	28.0
2001	3398306	2990993	23.7	23.3	26.2
2011	4092845	3551039	20.1	18.4	33.0
(1901-2011)	-	-	274.7	258.6	430.6

स्रोत- जिला सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद हरदोई, वर्ष 2019.

दशकवार जनसंख्या वृद्धि- 19वीं सदी के प्रारम्भ में वायरस जनित रोगों से निपटने के लिए कदम तेज हो गये। इसके अन्तर्गत वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया गया, जिसका

प्रतिकूल प्रभाव जनसंख्या पर भी दिखा। पूर्व स्वतन्त्रता काल में अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या 1092236 (1901) में बढ़कर 1120542 (1911) व्यक्ति हो गयी, जिसमें व्यक्तियों (28306) की वृद्धि हुई।

दशक 1911-1921 में पुनः भीषण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप प्रारम्भ हुआ। 1913 में आये भीषण अकाल और सूखे के कारण सम्पूर्ण फसले खेतों में सूख गयी और जनपद के उबड़-खाबड़ एवं साधन विहीन क्षेत्रों के लोग भूखे मरने लगे। डॉ. जे.वी. सक्सेना का विचार है कि भारत के प्राचीन काल सम्बन्धी जितने भी आँकड़े उपलब्ध होते है वे तत्कालीन सैन्यशक्ति अथवा कृषिजोत एवं उपज के उद्देश्य से एकत्रित किये गये है अतः उन्हें ठोस तथ्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। 1918-1920 में इन्फ्लूएन्जा, कालाज्वर बीमारी के द्वारा कुछ क्षेत्रों के सारे गाँव पूर्णतयः नष्ट हो गये। कहीं-कहीं मृतकों के शव को शमशान तक ले जाने के लिये लोग ही नहीं बचे थे। पकी फसल कटने के अभाव में तैयार फसल भी नष्ट हो गयी। अधिकांश व्यक्तियों का महामारी के कारण मृत्यु हो जाने से स्थानीय पंजीकरण व्यवस्था चौपट हो गयी। इस महामारी के कारण पूरी खड़ी फसले नष्ट हो गयी तथा प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्षेत्रीय जनसंख्या का जनजीवन पूर्णतयः प्रभावित हुआ। इस दशक में जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक हुई और जनसंख्या 1120542 से घटकर 1083727 रह गयी इस दशक में 36815 जनसंख्या का ह्रास हुआ यह ह्रास नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हुआ। अतः इन विषम परिस्थितियों, में बची हुई जनसंख्या का अधिकांश भाग आस-पास, के नगरों की ओर स्थानान्तरित होने लगा और इन आपदाओं के गुजरने के बाद पुनः अपने स्थानों पर लौट आए। वर्ष 1921-31 में जनपद की जनसंख्या 1083727 से बढ़कर 1126750 व्यक्ति हो गयी, जिसमें 43023 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। 1931 में जनसंख्या मात्र +3.81 प्रतिशत हुई। इसमें ग्रामीण तथा नगरीय वृद्धि सामान्य थी। इस दशक में जनसंख्या के विकास, रेलवे लाइन, सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, जनसंख्या के तीव्र विकास के उत्तरदायी कारकों, व्यापारिक एवं कृषि की ओर खिंचाव अधिक प्रभावी रहा है।

1931-41 दशक में जनपद हरदोई की जनसंख्या 1126750 से बढ़कर 1239083 हो गयी। सम्पूर्ण जनपद की 112333 अतिरिक्त वृद्धि हुई। इस अभूतपूर्व वृद्धि के कारण मैदानी भागों में कृषि के विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के साथ ही ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गयी अन्य विकास योजनाएँ थी।

सारिणी संख्या 02
जनपद हरदोई : जनसंख्या वृद्धि (1901-2011)

काल/समय	दशक वर्ष	सम्पूर्ण जनसंख्या	वृद्धि
पूर्व स्वतन्त्रता काल	1901	1092236	-
	1911	1120542	+ 2.52:
	1921	1083727	- 3.39:
	1931	1126750	+ 3.81:
	1941	1239083	+ 9.06:
स्वतन्त्रता काल	1951	1361562	+ 8.99:
	1961	1577171	+ 13.67:
	1971	1849519	+ 14.72:
	1981	2274929	+ 18.69:
	1991	2747082	+ 17.18:
	2001	3398306	+ 19.16:
	2011	4092845	+ 16.96:

स्रोत- जिला सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद हरदोई, वर्ष 2019

सारिणी संख्या 02 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि, दशक 1941-51 के मध्य सम्पूर्ण जनपद हरदोई में सामान्य वृद्धि हुई, क्योंकि 1941 में 1239083 से जनसंख्या बढ़कर 1951 में 1361562 हो गयी। इस दशक में सम्पूर्ण वृद्धि मात्र (122479) 8.99 प्रतिशत हुई। इस मन्द वृद्धि का कारण राजनैतिक हस्तक्षेप विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रतिकूल प्रभाव रहा। वर्ष 1941 में जनपद हरदोई में प्लैग का प्रकोप तथा नदियों में भीषण बाढ़ के तत्पश्चात भंयकर हैजे का प्रकोप हुआ। अतः यह स्पष्ट होता है कि, स्वतन्त्रता काल में जनसंख्या के विकास में प्राकृतिक महामारियों के साथ-साथ राजनैतिक अस्थिरता का भी प्रभाव रहा, जिससे क्षेत्रीय जनांकिकी गतिशीलता पूर्णतया प्रभावित रही।

स्वतन्त्रता काल- दशक 1951-61 में जनपद की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि के परिणाम स्वरूप जनसंख्या 1361562 से बढ़कर 1577171 हो गयी। यह वृद्धि 1941-51 की तुलना में 13.67 प्रतिशत (215609 व्यक्ति) थी, जिसमें (नगरीय-ग्रामीण) जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सामान्य था। जनसंख्या की इस अभूतपूर्व वृद्धि से परती भूमि का कृषि के रूप में परिवर्तन, सिंचाई के साधनों में आंशिक विकास यातायात, तथा संचार साधनों से युक्त, शैक्षणिक एवं चिकित्सा सम्बन्धी अन्य सुविधाओं, जमींदारी उन्मूलन तथा परिणामस्वरूप बंधुआ मजदूरों के अधिकारों की व्यवस्था तथा उनकी सुरक्षा और विस्थापित पाकिस्तानी शरणार्थी आदि भौगोलिक कारक जिम्मेदार रहे।

1961-71 दशक में 1577171 (1961) से जनसंख्या बढ़कर 1971 में 1849519 व्यक्ति हो गयी। इस दशक में 272348 व्यक्तियों की अतिरिक्त वृद्धि हुई, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय दोनों में ही बढ़ोत्तरी हुई। 1961-71 में सम्पूर्ण विकासखण्ड़ों में सामान्य रूप से 14.72 प्रतिशत जनसंख्या का विकास हुआ, परन्तु पूर्णरूपेण समतल धरातलीय विषमताओं से युक्त अहिरोरी बावन, पिहानी, बिलग्राम तथा सुरसा आदि विकासखण्ड़ों में कृषि की केन्द्रीयता के कारण जनसंख्या की बढ़ोत्तरी हुई, जबकि अपरदन से प्रभावित एवं ऊसर प्रधान मिट्टी वाली न्यायपंचायतों में जनसंख्या वृद्धि,

विभिन्न ग्रामीण उद्योगों का विकास आदि प्रमुख कारणों से प्रत्येक दशक में जनसंख्या घनत्व भी प्रभावित होता रहा, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक न्याय पंचायतों की जनसंख्या में वृद्धि होती रही।

1971-81 दशक में जनपद की जनसंख्या 2274929 हो गयी। जनसंख्या की इस अभूतपूर्व वृद्धि से जनपद में 1971-81 में 425410 की अतिरिक्त वृद्धि हुई। 1981-91 दशक में जनसंख्या बढ़कर 2747082 हो गयी, जिसमें 472153 व्यक्ति अतिरिक्त बढ़ गये। 1991-2001 तक जनसंख्या में 651224 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। 2001-11 में जनसंख्या बढ़कर 4092845 हो गयी, जिसमें 694539 अतिरिक्त व्यक्तियों की वृद्धि हुई। अध्ययन क्षेत्र के साथ-साथ जनपद में कृषि योग्य धरातल पर कृषि का सुचारु रूप से विकास सिंचाई की सुविधाओं, शिक्षण संस्थाओं की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक कुटीर उद्योग-धन्धों का स्थानीकरण-धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारधाराओं के स्वरूप उच्च जन्मदर स्वास्थ्य सुविधाओं, में वृद्धि का कारण निम्न मृत्युदर नगरीय कारण की बढ़ती प्रवृत्ति मानव के खाद्य पदार्थों में परिवर्तन (ज्यादा तीक्ष्ण एवं गर्म खाद्य पदार्थों का प्रयोग, मदिरा का प्रयोग) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक लघु उद्योगों के कारण उनकी शान्ति भंग होकर पूर्ण व्यस्कता में अधिक प्रजनन प्रवृत्ति परिवार नियोजन के प्रति उपेक्षा, अशिक्षा, धार्मिक एवं विभिन्न पयर्टन स्थलों के विकास के कारण आवासों की संख्या बढ़ने की प्रवृत्ति आदि कारणों से जनसंख्या का अनवरत विकास हुआ। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनपद के विकासखण्ड़ों 2001-11 में अहिरोरी (5.8 प्रतिशत), बावन (5.3 प्रतिशत), पिहानी, सुरसा, बिलग्राम आदि विकासखण्ड़ो में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप (5.1 प्रतिशत) था। इस दशक में जनपद की जनसंख्या वृद्धि का महत्त्वपूर्ण कारण प्राकृतिक शक्ति ही रही है। अतः महामारियों एवं अकाल के साथ ही साथ जनसंख्या की वृद्धि होती रही। व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक जीवन पर जनसंख्या अभिवृद्धि का प्रभाव पड़ता है। अतः इसमें जनसंख्या वृद्धि सन्तुलन आवश्यक है।

जनसंख्या प्रक्षेपण- जनसंख्या प्रक्षेपण के समानार्थी, जो शब्द व्यवहृत है वे अन्तर्वेशन या बहिर्वेशन है। जनांकिकी के विद्वानों ने जनसंख्या प्रक्षेपण में तीन तथ्यों को शामिल किया गया है-

1. अनुमान 2. पूर्वानुमान या भविष्यवाणी 3. प्रक्षेपण।

स्किप्स फाउण्डेशन ने 1947 में 'Population India' का संपादन करते हुए लिखा कि "जनसंख्या के संशोधित अनुमान भविष्यवाणियाँ नहीं है बल्कि प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण कुछ दी हुई परिस्थितियों पर आधारित परिकलन है, जिसमें कोई यह आश्वासन भी नही देता है कि, जो परिस्थितियाँ मान ली गयी हैं। वे भविष्य में सही ही साबित होगी।"

जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन में प्रक्षेपण का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसी के आधार पर भविष्य की योजनाएँ बनाई जाती है। किसी भी क्षेत्र के भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाना कठिन कार्य है, क्योंकि इस निर्धारित करने वाले तत्व भविष्य में भी स्थित रहे, इसकी अनिवार्यता नहीं होती। अतः जनसंख्या प्रक्षेपण यथार्थ रूप से हो सके, इसकी निश्चितता नहीं होती है। फिर भी जनसंख्यावृद्धि की मूलभूत

प्रवृत्तियों के आधार पर जनसंख्या प्रक्षेपण किया जाता है। जनसंख्या प्रक्षेपण का प्रयास विभिन्न विद्वानों यथा–किंग्सले डेविस (1951), अग्रवाल (1967) आदि ने किया है। जनसंख्या प्रक्षेपण ज्ञात करने के लिये गणितीय समीकरणों, प्रतिरूपों एवं वक्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में जनपद हरदोई की जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर (2001–2011) के आधार पर वर्ष 2021 के लिये जनसंख्या प्रक्षेपण की गयी है। अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या को प्रक्षेपित करने के लिये निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है।

2021 के लिये प्रक्षेपित जनसंख्या = P2–P1 – दशक की Y जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि/वर्ष की जनसंख्या

2001/2011 3398306–4092845

कुलवृद्धि = 3398306–4092845 = 694539

2021 में वृद्धि प्रतिशत 3398306/694539 = 4.89

100/1 = 104.89/100 X 4092845 = 4292985 (2021)

उपरोक्त सूत्र के अनुसार, वर्तमान वृद्धि–दर (4.89) के आधार पर अध्ययन क्षेत्र की वर्ष 2021 की जनसंख्या 4292985 होगी।

शोध निष्कर्ष- जनपद हरदोई एक ग्रामीण जनसंख्या वाला क्षेत्र है जिसकी अधिकांश जनसंख्या निरक्षण है, जिसकी शिक्षा की अत्यधिक कमी पायी जाती है। अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करना अतिआवश्यक है। इसके लिये परिवार नियोजन को एक आन्दोलन का रूप देना अतिआवश्यक है। परिवार नियोजन एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रो की स्थापना सभी न्याय पंचायतों के द्वारा की जानी चाहिये। ग्रामीण स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी पायी जाती है। ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कर, जन्मदर को निम्न कर, महिलाओं को स्वरोजगार के कार्यो में संलग्न कर, पारिवारिक आय को बढ़ाकर, जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विवाह की आयु में वृद्धि करना भी अतिआवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. सेन्सेज ऑफ इण्डिया 1981, पार्ट– 1 सेन्ट्रल इण्डिया वॉल्यूम 19 खण्ड 1951, वॉल्यूम 15 विन्ध प्रदेश एण्ड द अरनिवर पार्ट–फर्स्ट रिपोर्ट पी. 30
2. कनिघम एनसियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पेज–408–09
3. मेहता, के पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार, ज्योग्राफी स्टडीज रिसर्च बुंलेटिन नं.–2 मार्च, 1972, ज्योग्राफी रिसर्च सेन्टर, पटना पेज न0 – 2–8।
4. जोन्स एन. आर. ए पॉपुलेशन ज्योग्राफी हायर खण्डारी पब्लिकेशन लंदन, 1981 वर्ल्ड पॉपुलेशन, डेटाशीट, पेज. 280
5. Zimmerman, E.W. 1972, World Resources and Industries (3rd ed), Harpurand Row, Pub. New York, P.87.
6. Diettrick, S. Der (1948), Florida's Human Resources the Geographical Review, Vol. 30, No.2, April P.278.
7. Rao, V.K.R.N. (1978), 'Planning in Perspective allied Publishers, Pvt.Ltd., New Delhi, P.3,
8. Margon, W.B. and Mutan, R.J.C. (1971), Agricultural Geographical, Methun,

London, P.39.
9. Penelasis, et al. (1967), Economic Development Analysis and Case Studies, U.S.B., P.46.
10. Stell, R.W. (1955) Land and People in British Tropical Africa, Geography, Vol. 40, P.46.
11. Chandra Shekhar, S. "India's Population Fact Problem and Policy Asia's Poputlation Problem Allied Publisher's, Bombay, P.79."
12. Dubey. R.S., Mishra, R.P. (1981), 'Level of Education: A Versatile Indicator of Regional Development Geographical Review of India, Vol. 43, No.3, Sept. P.278.

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

बच्चों पर मीडिया हिंसा के प्रभाव पर एक अध्ययन

• विनेता

सारांश- मीडिया बच्चों के व्यवहार को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से प्रभावित करता है। बच्चों पर मीडिया के प्रभाव के संबंध में मीडिया हिंसा पहली चिंता है। मीडिया पर अधिकांश मनोवैज्ञानिक शोध इस बात पर केंद्रित है कि वीडियो गेम और टेलीविजन पर हिंसा बच्चों को कैसे प्रभावित करती है, और यह पाया गया है कि मीडिया के इन रूपों के संपर्क में आने से लोगों की आक्रामकता बढ़ जाती है। यह प्रभाव बार-बार संपर्क में आने के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रभावों में देखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो बताता है कि हिंसा के संपर्क में आने से नकारात्मक अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव क्यों पड़ते हैं, वर्तमान समीक्षा में विकसित किया गया है, जो अनुभवजन्य निष्कर्षों का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। यह निर्धारित करने के लिए कि मीडिया हिंसा का प्रभाव किस हद तक समाज को नुकसान पहुँचाता है, अंततः इसकी भयावहता की तुलना कुछ अन्य प्रसिद्ध खतरों से की जाती है। यह अध्ययन मीडिया हिंसा और बच्चों के आक्रामक व्यवहार के बीच संबंध की जांच करता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें हिंसक सामग्री के संपर्क में लाने का परिणाम है। समान या निकटवर्ती डोमेन में पिछले कई अध्ययनों ने इसके लिए आधार के रूप में कार्य किया।

मुख्य शब्द- बच्चों पर मीडिया का प्रभाव, बच्चों का समाजीकरण और माता-पिता की मध्यस्थता

मीडिया चित्रण अत्यंत चयनित और सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं; वे सिर्फ समाज का प्रतिबिंब नहीं हैं। यहां जिस बात पर विचार किया जा रहा है वह यह है कि ये चित्रण वास्तविकता की हमारी समझ को कैसे तैयार और ढाल सकते हैं। बच्चों पर मीडिया का प्रभाव पहले दो समीक्षा किए गए विषयों का विषय है। मीडिया हिंसा इनमें से पहली है। मीडिया पर अधिकांश मनोवैज्ञानिक अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि वीडियो गेम और टेलीविजन पर हिंसा से बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं। हजारों अध्ययन किए जा चुके हैं, इसलिए हम साहित्य के पिछले विश्वसनीय आकलन से निष्कर्षों को संकलित करके इस विशाल कार्य को समझने का प्रयास करते हैं। हालाँकि इस क्षेत्र में

• विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग
•• इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ

जटिल विषयों से निश्चित निष्कर्ष निकालना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कुछ प्रमुख बिंदुओं पर काफी हद तक सहमति है। उदाहरण के लिए, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि हिंसक मीडिया का लंबे समय तक संपर्क कई परस्पर संबंधित तत्वों में से एक है जो बच्चों में आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने की दीर्घकालिक संभावना को बढ़ाता है। यह भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि हिंसक मीडिया के संपर्क में आने के प्रभावों को प्रभावित करने में सामाजिक वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है; उदाहरण के लिए, हानिकारक प्रभाव तब कम हो जाते हैं जब कोई वयस्क किसी युवा को उनके द्वारा देखी गई सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण करने में सहायता करता है। जब आप 'मीडिया हिंसा' का उल्लेख करते हैं, तो विभिन्न लोग बहुत अलग-अलग छवियाँ बना सकते हैं। यह भी संभव है कि आम जनता इस बात पर असहमत हो कि हिंसक और आक्रामक व्यवहार क्या है। बहरहाल, अधिकांश शिक्षाविद् इस बारे में स्पष्ट हैं कि जब वे हिंसक मीडिया या शत्रुतापूर्ण व्यवहार पर चर्चा करते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। इसलिए युवाओं को पारंपरिक प्राथमिक देखभाल कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता थी, जो बच्चों के दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने में महत्वपूर्ण है। अपने अध्ययन में, आराग, न नीली एट अल। इस विचार के लिए समर्थन प्रदान किया गया कि एक संक्षिप्त पारंपरिक प्राथमिक देखभाल कार्यक्रम, जो वीडियो या हैं, आउट के माध्यम से दिया जाता है, बच्चों के मीडिया उपभोग और हिंसा के संपर्क को प्रभावित कर सकता है। यह कार्यक्रम 2 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता के बीच चलाया गया था। निष्कर्षों से पता चला कि प्राथमिक नियंत्रण वाले माता-पिता की तुलना में वीडियो हस्तक्षेप समूह में माता-पिता अपने बच्चों की मीडिया देखने की आदतों और हिंसा के संपर्क में बदलाव की रिपोर्ट करने की अधिक संभावना रखते थे।

इसके अलावा, मीडिया हिंसा पर शोध 'दुनिया में असमान रूप से वितरित' है (वॉन फीलित्ज़ेन,1998, पृष्ठ 47), अधिकांश अध्ययन उत्तरी अमेरिका में किए गए हैं और पश्चिमी यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम हैं। यह निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण है कि मीडिया हिंसा अनुसंधान के सार्वजनिक नीति निहितार्थों को मीडिया हिंसा को चित्रित करने, आक्रामकता व्यक्त करने के तरीकों और विभिन्न प्रणालियों के तहत मौजूद सार्वजनिक नीति विकल्पों की विविधता में सांस्कृतिक अंतर के कारण राष्ट्रीय सीमाओं के पार कितना सामान्यीकृत किया जा सकता है। सरकार और संविधान (वॉन फ़िलिटज़ेन,1998)। अधिकांश शोध उत्तरी अमेरिका से है, हालाँकि जब संभव हो, इसमें अन्य क्षेत्रों के अध्ययन भी शामिल होते हैं। हम निम्नलिखित को महत्व के क्रम में सूचीबद्ध करते हैं-

1. मीडिया हिंसा के परिणामों पर अध्ययन;
2. सिद्धांत बताते हैं कि प्रभाव क्यों होते हैं;
3. आम जनता की वैज्ञानिक मुद्दों की समझ में संभावित बाधाएं; और
4. सार्वजनिक नीति की वर्तमान स्थिति।

इंटरनेट, संगीत, फ़िल्में, टेलीविज़न, पत्रिकाएँ और विज्ञापन सहित सभी प्रकार के मीडिया लगातार युवाओं को यौन विषयों और कल्पनाओं से अवगत कराते हैं।

माता-पिता के लिए इन संदेशों की स्वास्थ्यप्रदता के बारे में चिंता करना दुर्लभ है। भले ही यौन सामग्री वाले कार्यक्रम युवाओं को यौन आचरण के दायित्वों और खतरों के बारे में सिखाने का एक प्रभावी साधन हो सकते हैं, लेकिन इन विषयों को शायद ही कभी सार्थक तरीके से उठाया या संबोधित किया जाता है। आजकल भारत में टेलीविजन देखने वालों में आधे से ज्यादा बच्चे पंद्रह साल से कम उम्र के हैं। फिर भी, विभिन्न टेलीविजन नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री के महत्व और प्रभाव पर शायद ही कोई विचार किया जाता है। ये सभी टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस प्रकार, बच्चों के 'हित में' क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, चैनल 'क्या रुचिकर या आकर्षित करते हैं' में अधिक रुचि रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार, माता-पिता या प्रशिक्षकों द्वारा इस परिदृश्य के बारे में बहुत कम चिंता व्यक्त की गई है। भावी पीढ़ी और देश का नागरिक समाज दैनिक आधार पर 'इडियट-बॉक्स' में जो अनुभव करता है, वह उन्हें आकार और आकार देता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के डॉ. एन. भास्कर राव ने कहा, यह अफसोसजनक है कि सरकार ने इस संबंध में कोई सक्रिय या प्रतिक्रियाशील पहल नहीं की है। भले ही बच्चे वयस्कों की तुलना में कई गुना अधिक दर से टेलीविजन देखते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन में कुछ घंटों से भी अधिक, हमारे पास बच्चों की फिल्मों का समर्थन करने के लिए कोई चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट या चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी नहीं है। हालाँकि, इस शोध के मेटा-विश्लेषण षनिर्विवाद दस्तावेज प्रदान करते हैं कि हिंसक टेलीविजन के संपर्क और असामाजिक व्यवहार के बीच एक अनुभवजन्य रूप से समर्थित सकारात्मक सहसंबंध है, कॉमस्टॉक और शारेर (2002) के अनुसार। यह मामला हो सकता है, हालाँकि कई अन्य कारक जिन्हें हमेशा शोध में नियंत्रित नहीं किया जाता है, वे भी उस लिंक को नियंत्रित करते हैं। पाइक और कॉमस्टॉक (2004), इस अपवाद के साथ कि अधिकांश शोध में बहुत अधिक हिंसक टेलीविजन देखने और किसी भी टेलीविजन को देखने के बीच एक संबंध पाया गया है। हालाँकि, इस शोध के मेटा-विश्लेषण षनिर्विवाद दस्तावेज प्रदान करते हैं कि हिंसक टेलीविजन के संपर्क और असामाजिक व्यवहार के बीच एक अनुभवजन्य रूप से समर्थित सकारात्मक सहसंबंध है, कॉमस्टॉक और शारेर (2002) के अनुसार। यह मामला हो सकता है, हालाँकि कई अन्य कारक जिन्हें हमेशा शोध में नियंत्रित नहीं किया जाता है, वे भी उस लिंक को नियंत्रित करते हैं। पाइक और कॉम्स्टॉक (1994), इस अपवाद के साथ कि अधिकांश शोध में बहुत अधिक हिंसक टेलीविजन देखने और किसी भी टेलीविजन को देखने के बीच एक संबंध पाया गया है।

उद्देश्य-

1. मीडिया हिंसा बच्चों को कैसे प्रभावित करती है, इस पर शोध करना।
2. यह शोध करना कि मीडिया बच्चों के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है
3. मीडिया हिंसा और सार्वजनिक नीति के प्रति बच्चों के जोखिम पर शोध करना।

आक्रामक व्यवहार- यदि माता-पिता अपने बच्चे को बार-बार किसी और को मारते हुए देखते हैं, तो वे उसके आक्रामक व्यवहार के बारे में चिंता करना शुरू कर सकते हैं।

फिर भी, ऐसे उदाहरण हैं जहां आक्रामक व्यवहार उचित है। स्थिति को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। हालाँकि मारना हमेशा प्रतिबंधित है, छोटे बच्चे अक्सर आवेगपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसका हमेशा यह अर्थ नहीं होता कि बच्चा आक्रामक व्यवहार कर रहा है। खेलने के दौरान, एक छोटा बच्चा जो इकलौता बच्चा है, दूसरे बच्चे से खिलौना ले सकता है या अपना खिलौना साझा करने से इंकार कर सकता है। यदि कोई बच्चा उससे अपना खिलौना छीन लेता है, तो वह उस बच्चे पर वार कर सकता है। वह अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए हिंसक व्यवहार कर सकता है। किशोर और किशोर अपने जीवन में असहज समय का अनुभव करते हैं, और इससे निपटने की रणनीति के रूप में, वे गुस्से में कार्य कर सकते हैं या बोल सकते हैं। आक्रामक व्यवहार हमेशा व्यवहार संबंधी समस्या का संकेत नहीं होता है।

विघटनकारी व्यवहार- प्रत्येक बच्चा कभी-कभी दुर्व्यवहार करता है, और बच्चों का कभी-कभार गुस्सा होना काफी सामान्य है। दूसरी ओर, लगातार विघटनकारी कार्रवाइयां व्यवहार संबंधी समस्या का संकेत दे सकती हैं। बार-बार नखरे, झगड़े, माता-पिता या अन्य प्राधिकारियों के प्रति विरोध और छोटे या छोटे बच्चों को परेशान करने जैसी धमकाने वाली हरकतें विघटनकारी व्यवहार के उदाहरण हैं। इसमें स्वयं को, अन्य लोगों या पालतू जानवरों को धमकी देना या वास्तव में नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। प्रारंभिक यौन गतिविधि, धूम्रपान, शराब पीना और नशीली दवाओं का उपयोग करना सभी बड़े बच्चों और किशोरों में किसी समस्या के संकेतक हो सकते हैं। झूठ बोलना और कक्षा से गायब रहना व्यवहार संबंधी समस्या का संकेत भी हो सकता है। मेडलाइन प्लस के अनुसार, यदि कोई बच्चा या किशोर छह महीने या उससे अधिक समय तक नियमित आधार पर शत्रुतापूर्ण, आक्रामक या विघटनकारी व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो उसे व्यवहार संबंधी समस्या हो सकती है। इस संबंध में, जनसंचार माध्यमों का उद्भव और व्यापक उपयोग 20वीं सदी के हमारे सामाजिक परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। इस नई दुनिया में रेडियो, टेलीविजन, फिल्में, वीडियो, वीडियो गेम और कंप्यूटर नेटवर्क हमारे रोजमर्रा के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। मुख्यधारा मीडिया का हमारे मूल्यों, दृष्टिकोण और व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अफसोस की बात है कि मास मीडिया के संपर्क में आने से दर्शकों और अन्य लोगों दोनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई वर्षों के अध्ययनों से पता चला है कि जो दर्शक टेलीविजन, वीडियो गेम, इंटरनेट आदि पर हिंसक सामग्री के संपर्क में आते हैं, उनके हिंसक व्यवहार करने की संभावना अधिक होती है, ठीक उसी तरह जो दर्शक हिंसक वातावरण में पले-बढ़े होते हैं, उनके हिंसक व्यवहार करने की संभावना अधिक होती है।

हालाँकि हिंसा इंसानों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन समकालीन संस्कृति में यह एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हमें बस नवीनतम स्कूल गोलीबारी और महानगरीय क्षेत्रों में किशोरावस्था के दौरान मारे गए युवाओं की बढ़ती संख्या को देखना है। युवा हिंसा विभिन्न कारकों से उत्पन्न होती है, जिनमें घरेलू और सांप्रदायिक हिंसा, पारिवारिक मनोरोग, गरीबी, बाल दुर्व्यवहार, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और अन्य

मानसिक समस्याएं शामिल हैं। अध्ययनों का समूह दृढ़ता से सुझाव देता है कि बचपन में मीडिया हिंसा का प्रदर्शन बच्चों में हिंसक आचरण की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मीडिया हिंसा और हिंसक व्यवहार का अतिसंवेदनशील ष्जोखिम मेंष् युवा वर्ग के भीतर गहरा संबंध प्रतीत होता है, जबकि यह पहचानना चुनौतीपूर्ण है कि टेलीविजन हिंसा देखने वाले कौन से बच्चे सबसे अधिक खतरे में हैं। इस समीक्षा का उद्देश्य अनुसंधान साक्ष्य के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करके बच्चों के हिंसक व्यवहार पर मीडिया हिंसा के प्रभाव की जांच करना है।

बच्चों के आक्रामक व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता के कारण मीडिया हिंसा लंबे समय से एक विवादास्पद मुद्दा रही है। नकल व्यवहार पर फिल्मों के हिंसक मॉडलों के प्रभाव की जांच के लिए 1961 में बंडुरा, रॉस और रॉस द्वारा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को नियुक्त किया गया था। इसमें तीन प्रायोगिक समूह और एक नियंत्रण समूह था, जिसमें 36 लड़के और 36 लड़कियाँ शामिल थीं। समूह 1 और 2 एक जीवित मॉडल को देखने के बाद बोबो गुड़िया के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गए, समूह 3 ने एक बिल्ली का कार्टून संस्करण देखा और समूह 2 ने मानव मॉडल का एक फिल्मी संस्करण देखा। प्रत्येक बच्चे ने शत्रुतापूर्ण व्यवहार को स्वयं देखा। मॉडलों को देखने के बाद, चार बाल समूहों में से प्रत्येक को एक अन्वेषक के साथ अपना कमरा दिया गया और शत्रुता को भड़काने के लिए एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जो मामूली परेशान करने वाली थी। उसके बाद, बच्चे बगल के कमरे में इधर-उधर भागने के लिए स्वतंत्र थे, जो बोबो गुड़िया जैसे खिलौनों और मॉडलों द्वारा उपयोग किए जा रहे 'हथियारों' से भरा हुआ था। बच्चों का अवलोकन करने के बाद, शोधकर्ताओं ने पाया कि जो बच्चे हिंसक व्यवहार के संपर्क में आए थे- चाहे वह कार्टून, फिल्मों या वास्तविक जीवन से आया हो- उन्होंने नियंत्रण समूह के बच्चों की तुलना में लगभग दोगुना आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि लड़के अक्सर महिलाओं की तुलना में अधिक आक्रामक होते थे। प्रयोग के निष्कर्षों ने इस बात पर चल रही चर्चा को और बढ़ा दिया है कि मीडिया में हिंसा युवाओं को कितना प्रभावित करती है।

अध्ययन में बंडुरा के सामाजिक शिक्षा के सिद्धांत की जांच के लिए अनुभवजन्य तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, जो बताता है कि व्यक्ति अवलोकन, नकल और मॉडलिंग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह दर्शाता है कि सीखना न केवल व्यवहारवाद के माध्यम से हो सकता है- जब किसी को पुरस्कृत या दंडित किया जाता है- बल्कि अवलोकन संबंधी सीखने के माध्यम से भी हो सकता है, जो तब होता है जब कोई किसी अन्य को पुरस्कार या दंड प्राप्त करते हुए देखता है। क्योंकि उन्होंने अवलोकन संबंधी शिक्षा के प्रभावों पर कई अन्य जांचों को प्रेरित किया, ये प्रयोग महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल हमें ताजा जानकारी प्रदान करता है, बल्कि इसका वास्तविक जीवन में भी अनुप्रयोग होता है, जैसे कि मीडिया हिंसा बच्चों को कैसे प्रभावित कर सकती है। मनोरंजन के लगभग हर नए माध्यम के साथ-साथ संगीत, फिल्में, वीडियो गेम और टेलीविजन सहित मुख्यधारा के मीडिया में हिंसा के प्रति जनता अधिक जागरूक हो गई है। शोधकर्ताओं ने ढेर सारे सबूत विकसित किए हैं जो बताते हैं कि इसका

बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे युवाओं पर इसके संभावित हानिकारक प्रभावों के बारे में चिंता बढ़ गई है (बुशमैन और कैंटर, 2003)।

मीडिया के माध्यम से बच्चों का समाजीकरण- टेलीविजन बच्चों को अधिक स्पष्ट रूप से सिखा सकता है कि सामाजिक परिस्थितियों में कैसे कार्य करना और प्रतिक्रिया करना है, भले ही यह उन्हें अमूर्त संज्ञानात्मक ढाँचे, या कथा स्क्रिप्ट बनाने में भी मदद कर सकता है। बच्चों के मीडिया समाजीकरण के संबंध में, हम हमेशा निश्चिंत नहीं रह सकते। हालाँकि, कोई यह तर्क दे सकता है कि समाजीकरण में मीडिया के व्यवहार की नकल करने से कहीं अधिक शामिल है, खासकर जब ऐसा व्यवहार स्पष्ट रूप से गलत हो (जैसे कार्टून या सुपरमैन जैसे स्पष्ट रूप से काल्पनिक शो)। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे मीडिया में काल्पनिक पात्रों की तुलना वास्तविक जीवन के लोगों से करना शुरू करते हैं, बच्चों और मीडिया से जुड़े सबसे दिलचस्प, हालांकि समझ में नहीं आने वाले मुद्दों में से एक है। यह मानना संभव है कि यह जागरूकता वास्तविक लोगों की उनकी समझ के साथ-साथ बढ़ती है। ब्रदरटन और बीघली (1982) के शोध के अनुसार, 28 महीने तक के छोटे बच्चे अपने व्यक्तित्व गुणों के आधार पर अच्छा, बुरा,शरारती आदि जैसे विशेषणों का उपयोग करके वास्तविक व्यक्तियों का वर्णन कर सकते हैं।

बच्चों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास पर शोध के एक बड़े समूह ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि चरित्र निर्णय कैसे अधिक परिष्कृत हो जाते हैं(युइल,1992)। इस बात पर थोड़ी मात्रा में शोध हुआ है कि युवा विशेषता शब्दावली का उपयोग करके मीडिया हस्तियों को कैसे चित्रित करते हैं। यह अज्ञात है कि कब और कैसे बच्चे टेलीविजन पर मानवरूपी और मानव आकृतियों की विशाल श्रृंखला को वास्तविक जीवन में अपने आस-पास के लोगों के साथ तुलना करना शुरू कर देते हैं और उन्हें लगातार व्यवहार पैटर्न और व्यक्तित्व लक्षण बताते हैं। रीव्स और ग्रीनबर्ग (1977) और रीव्स और लोमेटी (1979) ने यह दिखाने के लिए बहुआयामी स्केलिंग तकनीकों का उपयोग किया कि 7 से 11 साल के बच्चे विशिष्ट मानव व्यक्तित्व आयामों के आधार पर चरित्रों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। बेरिसन, बेन और डेनियल (1982) ने टेलीविजन पर व्यक्तियों के विकास के साथ-साथ बच्चों की समझ में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पियागेट के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का उपयोग किया। पियाजे के लिए परिप्रेक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण विचार था। यह प्रसिद्ध रूप से स्थापित किया गया है कि युवा शिशु अनिवार्य रूप से अहंकारी होते हैं क्योंकि वे यह नहीं सोचते हैं कि अन्य लोग दुनिया को अलग तरह से देख सकते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए गुड़िया को बच्चे के सामने तीन पहाड़ों के एक म,डल के किनारे रखा गया था। जब पांच साल से कम उम्र के बच्चों से पूछा गया कि गुड़िया क्या देख रही है, तो उन्होंने ज्यादातर अपने स्वयं के दृश्य परिप्रेक्ष्य का चयन किया; उन्हें बहुत बाद तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि गुड़िया कुछ और देख रही होगी (पियागेट और इनहेल्डर, 1969)। इस परिकल्पना को बेरिसन एट अल द्वारा टेलीविजन पात्रों के बारे में बच्चों की धारणाओं पर लागू किया गया था। तीन आयु समूहों को दिन के टेलीविजन नाटक की एक संक्षिप्त क्लिप दिखाई गई: पाँच और छह साल के बच्चे, सात से दस साल के बच्चे, और ग्यारह

से चौदह साल के बच्चे। ये आयु समूह मोटे तौर पर पियागेट के तीन मूलभूत चरणों के अनुरूप हैं। प्रीऑपरेशनल (अहंकेंद्रित, ठोस ऑपरेशनल (पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित तर्क) और औपचारिक ऑपरेशनल (अमूर्त परिसर का उपयोग करके तर्क करने की क्षमता)। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, प्रीऑपरेशनल बच्चे केवल भौतिक सेटिंग्स और पारस्परिक व्यवहार के सतही पहलुओं का वर्णन करने में सक्षम थे, जबकि ठोस परिचालन चरण में बच्चे सामाजिक संपर्क की उपस्थिति से परे जाने में सक्षम थे और वास्तव में पात्रों के विचारों और भावनाओं के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते थे। और इनसे बातचीत को आकार देने में कैसे मदद मिली। इसी तरह के निष्कर्ष हॉफनर और कैंटर (1985) के एक शोध में भी प्राप्त हुए थे। बेरिसन एट अल. अध्ययन को कई आधारों पर चुनौती दी जा सकती है, मुख्यतः क्योंकि वीडियो में उपयोग की गई सामग्री बाल प्रतिभागियों के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त प्रतीत होती है, जो बड़े पैमाने पर वयस्कों की बातचीत से संबंधित है। यह आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है कि छोटे बच्चे कथानक की जटिल मनोवैज्ञानिक बारीकियों का पालन करने में असमर्थ थे। इसके अलावा, जब फिल्म का वर्णन करने के लिए कहा गया तो विभिन्न आयु समूहों द्वारा उत्पन्न टिप्पणियों की मात्रा के बीच बड़ी असमानताएं थीं, जिससे पता चलता है कि भाषाई विकास निष्कर्षों की व्याख्या कर सकता है। ठोस और औपचारिक परिचालन बच्चों के बीच कुछ अंतर पाए गए, जिनसे लेखकों का मानना था कि यह संकेत मिलता है कि दर्शक अपने आप में टेलीविजन पात्रों के लिए परिष्कृत मनोवैज्ञानिक गुण नहीं जोड़ते हैं (बेरिसन एट अल।, 1982)। यह विचार कि दर्शक, विशेष रूप से बहुत युवा दर्शक, तुरंत टेलीविजन पात्रों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को नहीं बताते हैं, टेलीविजन पर वास्तविक और काल्पनिक व्यक्तियों के बारे में बच्चों द्वारा स्कूल में की जाने वाली बातचीत की जटिलता को देखते हुए अत्यधिक संदिग्ध लगता है। ऐसा हो सकता है कि टेलीविजन पर पात्र तभी जीवंत होते हैं जब दर्शक नोट्स का आदान-प्रदान करते हैं - अन्यथा, वे स्क्रीन पर दो-आयामी छवियां बनकर रह जाते हैं। अकेले दर्शक को इस विश्वास की आवश्यकता होती है कि वह सरल टेलीविजन छवियों के लिए इन विशेषताओं को बनाने में अनावश्यक रूप से काल्पनिक नहीं हो रहा है, इसलिए जब दो लोग मिलते हैं और एक साबुन चरित्र के उद्देश्यों पर बहस करते हैं तो वे प्रभावी रूप से उस चरित्र को एक वास्तविक की स्थिति तक बढ़ा रहे हैं व्यक्ति। फिर भी, बब्रो एट अल के एक शोध में। (1988), बच्चों ने वास्तव में अपने साथियों की तुलना में टेलीविजन पर बच्चों के पात्रों का अधिक अमूर्त मनोवैज्ञानिक विवरण दिया, जबकि वास्तविक बच्चों के लिए ठोस व्यवहार गुणों की कुल मात्रा अधिक थी। पुस्तक में बाद में ओपेरा और रियलिटी टीवी पर इस परिणाम के लिए एक स्पष्टीकरण यह है कि टेलीविजन दर्शकों को मानव स्वभाव के उन पहलुओं में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो वास्तविक जीवन में अप्राप्य हैं। थिएटर में एक पात्र (हैमलेट के बारे में भी सोचें) को एकांत में प्रस्तुत किया जाता है, अपने गुप्त विचारों को व्यक्त करते हुए, अपने कार्यों के लिए ष्सहीष कारणों का खुलासा करता है। वास्तव में इन उद्देश्यों को कथानक में बड़े करीने से जोड़ा गया है - उदाहरण के लिए, एक व्होडुनिट रहस्य में, हम प्रत्येक कथन को महत्वपूर्ण

मानते हैं, और उत्कृष्ट लेखन इन उद्देश्यों को व्यवहार के स्पष्टीकरण में पिरोता है।

अल्पकालिक प्रभाव– वर्तमान में अधिकांश सिद्धांत इस बात पर सहमत हैं कि

- भड़काने वाले तंत्र,
- उत्तेजना प्रक्रियाएँ, और
- कुछ व्यवहारों की तात्कालिक नकल मीडिया हिंसा प्रदर्शन के अधिकांश अल्पकालिक प्रभावों के लिए जिम्मेदार है।

भड़काना- प्राइमिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अन्य मस्तिष्क नोड जो किसी विचार, भावना या व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है, बाहरी प्रेक्षित उत्तेजनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थान से मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क में सक्रियता फैलाकर उत्तेजित हो जाता है। बाहरी उत्तेजना कुछ ऐसी हो सकती है जो आंतरिक रूप से तटस्थ हो, जैसे कि एक विशिष्ट जातीय समूह (जैसे अफ्रीकी अमेरिकी) जो ऐतिहासिक रूप से विशेष व्यवहार या विश्वास (जैसे कल्याण) से जुड़ा हुआ है। वैकल्पिक रूप से, बाहरी उत्तेजना कुछ ऐसी हो सकती है जो आंतरिक रूप से अनुभूति से जुड़ी हो, जैसे बंदूक की दृष्टि और आक्रामकता की अवधारणा। प्रबल विचार संबंधित व्यवहारों की संभावना को बढ़ाते हैं। जब मीडिया द्वारा हिंसक विचारों को प्रमुखता दी जाती है तो आक्रामकता की संभावना अधिक होती है।

कामोत्तेजना- उत्तेजना स्थानांतरण और सामान्य उत्तेजना मीडिया प्रदर्शनों की प्रतिक्रिया में आक्रामक व्यवहार के बढ़ने के दो संभावित अल्पकालिक कारण हैं जो दर्शकों को उत्तेजित करते हैं। सबसे पहले, जब कोई भावना बाद की उत्तेजना (जैसे क्रोध–उत्प्रेरण उत्तेजना) द्वारा उत्पन्न होती है, तो मीडिया प्रस्तुति द्वारा उत्पन्न भावनात्मक प्रतिक्रिया का हिस्सा गलती से उत्तेजना हस्तांतरण को सौंपा जा सकता है, जिससे उत्तेजना वास्तव में उससे अधिक गंभीर दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, एक दिलचस्प मीडिया प्रस्तुति के बाद, इस तरह के उत्तेजना हस्तांतरण के परिणामस्वरूप उत्तेजना के प्रति अधिक हिंसक प्रतिक्रिया हो सकती है। एक विकल्प के रूप में, मीडिया प्रस्तुति की बढ़ी हुई सामान्य उत्तेजना की उत्तेजना बस एक चरम तक पहुंच सकती है, जो अनुचित व्यवहारों के निषेध को कम करती है और सामाजिक समस्या को सुलझाने में सीखी गई प्रतिक्रियाओं पर हावी होती है, जैसे कि प्रत्यक्ष वाद्य हिंसा।

अनुकरण- विशेष व्यवहारों का अनुकरण, तीसरा अल्पकालिक कदम, अवलोकन संबंधी सीखने की दीर्घकालिक, अधिक सार्वभौमिक प्रक्रिया के एक विशेष उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। हाल के शोध ने सबूत जुटाए हैं कि युवा मनुष्य और प्राइमेट स्वाभाविक रूप से उन लोगों की नकल करते हैं जिन्हें वे देखते हैं । इसकी अधिक संभावना है कि जब युवा अपने आस–पास कुछ सामाजिक व्यवहार होते देखेंगे तो वे एक विशेष तरीके से व्यवहार करेंगे। विशेष रूप से, बच्चों द्वारा देखे गए हिंसक व्यवहार की नकल करने की संभावना होती है। यद्यपि सटीक न्यूरोल, जिकल तंत्र जिसके द्वारा ऐसा होता है अज्ञात है, ऐसा प्रतीत होता है कि मिरर न्यूर, न्स, जो किसी व्यवहार को देखने या निष्पादित करने पर सक्रिय होते हैं, एक प्रमुख कारक हैं।

दीर्घकालिक प्रभाव- दूसरी ओर, विचारों और व्यवहारों की लंबे समय तक चलने वाली

अवलोकन संबंधी सीख (यानी, व्यवहार की नकल) और भावनात्मक प्रक्रियाओं की सक्रियता और असंवेदनशीलता दीर्घकालिक सामग्री प्रभावों का कारण प्रतीत होती है।

अवलोकन सीखना- व्यापक रूप से स्वीकृत सामाजिक संज्ञानात्मक मॉडल के अनुसार, किसी व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार काफी हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि उनकी भावनात्मक स्थिति, सीखी गई सामाजिक व्यवहार स्क्रिप्ट, विश्व स्कीमा, और जो उचित है उसके बारे में मानक मान्यताएं वर्तमान स्थिति के साथ कैसे बातचीत करती हैं। परिवार, सहपाठियों, समुदाय और जनसंचार माध्यमों के अवलोकन के माध्यम से, बच्चे अपने प्रारंभिक, मध्य और अंतिम बचपन के वर्षों में अपनी स्मृति में व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए सामाजिक स्क्रिप्ट को एन्कोड करते हैं। परिणामस्वरूप, ध्यान में आने के काफी समय बाद, देखे गए व्यवहार दोहराए जाते हैं । इस समय के दौरान बच्चों में उनकी सामाजिक-संज्ञानात्मक योजनाएं-दुनिया के बारे में उनकी विकसित समझ-भी विकसित होती है। उदाहरण के लिए, यह प्रदर्शित किया गया है कि लंबे समय तक हिंसा के संपर्क में रहने से बच्चों की दुनिया की योजनाएं दूसरों के व्यवहार के प्रति शत्रुता पैदा करती हैं। परिणामस्वरूप, ये गुण बच्चों में आक्रामक व्यवहार का खतरा बढ़ाते हैं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, स्वीकार्य सामाजिक व्यवहार के बारे में मानक विचार स्पष्ट होते जाते हैं और ग़लत सामाजिक व्यवहार को नियंत्रण में रखने के लिए फ़िल्टर के रूप में काम करने लगते हैं। बच्चों द्वारा अपने आस-पास के लोगों के कार्यों का अवलोकन, विशेष रूप से मीडिया में देखे जाने वाले कार्यों का, इन मानक विचारों पर प्रभाव पड़ता है।

असंवेदीकरण- विस्तारित समाजीकरण जिस तरह से वीडियो गेम और मीडिया भावनाओं को प्रभावित करते हैं, वह संभवत: मीडिया के प्रभावों को बढ़ाता है। भावनात्मक रूप से आवेशित मीडिया या वीडियो गेम के बार-बार संपर्क में आने के बाद लोगों में कुछ स्वाभाविक भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ अंतर्निहित हो सकती हैं। हम इस प्रक्रिया को ष्डिसेंसिटाइजेशनष् कहते हैं। कई प्रदर्शनों के बाद, किसी विशिष्ट हिंसक या ग्राफिक दृश्य की प्रतिक्रिया में दर्शकों की सहज नकारात्मक भावनाएँ कम प्रबल हो जाती हैं । उदाहरण के लिए, रक्त और खून के संपर्क में आने से अक्सर हृदय गति बढ़ जाती है, पसीना आता है और दर्द स्वयं महसूस होता है। लेकिन बार-बार संपर्क में आने के परिणामस्वरूप, युवा को इस अप्रिय भावनात्मक प्रतिक्रिया का अनुभव करने की आदत विकसित हो जाती है और वह ष्असंवेदनशीलष् हो जाता है। उस समय, युवा प्रतिकूल परिणामों से पीड़ित हुए बिना मुखर, सक्रिय व्यवहार पर विचार और व्यवस्थित कर सकते हैं।

सक्रिय शिक्षण- एक और महत्वपूर्ण सैद्धांतिक बिंदु है. असंवेदनशीलता और अवलोकनात्मक शिक्षा अन्य सीखने की प्रक्रियाओं से अलग नहीं होती है। युवा मीडिया मुठभेड़ों के माध्यम से सीख सकते हैं कि कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए लगातार प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए, हिंसक टीवी शो, फिल्मों या इंटरनेट प्रदर्शनों की तुलना में हिंसक वीडियो गेम के लिए हिंसक व्यवहार में दीर्घकालिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने का प्रभाव और भी अधिक होना चाहिए,

क्योंकि हिंसक वीडियो गेम के खिलाड़ी न केवल पर्यवेक्षक होते हैं बल्कि ष्सक्रियष् भागीदार भी होते हैं। हिंसक कार्रवाइयों में , और उन्हें आम तौर पर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रबलित किया जाता है। इसके साथ ही, अधिक जटिल सामाजिक कंडीशनिंग तंत्र जिनका अभी तक प्रायोगिक अध्ययन नहीं किया गया है, वे चलन में हो सकते हैं क्योंकि कुछ वीडियो गेम सामाजिक समूहों (जैसे बहु-व्यक्ति गेम) द्वारा खेले जाते हैं और क्योंकि व्यक्तिगत गेम अक्सर साथियों द्वारा खेले जाते हैं। चयन और भागीदारी प्रभावों सहित इन प्रभावों की जांच करना आवश्यक है।

वीडियो गेम- हिंसक वीडियो गेम के बारे में चिंताओं ने हाल ही में माता-पिता और विधायकों के बीच हिंसक संगीत वीडियो और यहां तक कि हिंसक टेलीविजन के बारे में चिंताएं कम कर दी हैं। यह कई कारकों के कारण है। सबसे पहले, बच्चे अधिक समय तक वीडियो गेम खेल रहे हैं। दूसरे, इन खेलों में बहुत हिंसा होती है. तीसरा, बच्चों में स्वयं आक्रामक प्रवृत्ति विकसित होने की अधिक संभावना हो सकती है क्योंकि वे इन गतिविधियों को केवल देखने के बजाय सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। हिंसक वीडियो गेम खेलने के प्रभावों की उतनी गहराई से जांच नहीं की गई है जितनी हिंसक टीवी या फिल्में देखने के प्रभावों की। फिर भी, कुल मिलाकर, वीडियो गेम के संबंध में निष्कर्ष हिंसक टीवी और फिल्मों (एंडरसन और बुशमैन, 2001एंडरसन एट अल।, प्रेस में) पर किए गए अध्ययनों से काफी तुलनीय हैं। कई परीक्षणों में बच्चों को बेतरतीब ढंग से हिंसक या शांतिपूर्ण वीडियो गेम खेलने के लिए सौंपा गया, जिसके बाद उन पर नज़र रखी गई। इनमें से अधिकांश जांचों से पता चला कि हिंसक गेम के कारण युवाओं का आक्रामक व्यवहार काफी बढ़ गया था। उदाहरण के लिए, इरविन और ग्रॉस (1995) ने उन लड़कों के बीच शारीरिक आक्रामकता (जैसे कि लात मारना, कपड़ों या बालों को खींचना, मारना, धक्का देना और चुटकी काटना) का मूल्यांकन किया, जिन्होंने अभी-अभी हिंसक या अहिंसक वीडियो गेम खेलना समाप्त किया था। हिंसक वीडियो गेम खेलने से लोगों में अपने दोस्तों के प्रति शारीरिक रूप से आक्रामक व्यवहार करने की संभावना बढ़ गई। बार्थोलो और एंडरसन (2002) के शोध के अनुसार, जिन कॉलेज छात्रों ने हिंसक वीडियो गेम खेला था, उन्हें अहिंसक गेम खेलने वाले छात्रों की तुलना में 2-5 गुना अधिक उच्च तीव्रता वाले दंड दिए गए। हिंसक खेल का पुरुषों और महिलाओं दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

उहलमैन और स्वानसन के प्रेस शोध के अनुसार,10 मिनट तक भी हिंसक वीडियो गेम खेलने से किसी के ष्स्वयंष् के साथ आक्रामक व्यवहार और विशेषताओं का तत्काल संबंध हो सकता है। इसी अध्ययन में हिंसक वीडियो गेम के पूर्व प्रदर्शन और आक्रामक आत्म-धारणाओं के बीच एक अनुकूल संबंध भी पाया गया। इहोरी एट अल. (2003) ने एक अनुदैर्ध्य शोध में पांचवीं और छठी कक्षा के छात्रों की जांच की, जिसमें हिंसक वीडियो गेम के विपरीत कुल वीडियो गेम एक्सपोजर का आकलन किया गया। उन्होंने वीडियो गेम के प्रदर्शन की मात्रा और उसके बाद के आक्रामक शारीरिक व्यवहार के स्तरों के बीच एक सकारात्मक और पर्याप्त संबंध पाया।

बच्चों और किशोरों को नई और विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करना

पड़ता है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, 15 प्रतिशत संगीत वीडियो में पारस्परिक हिंसा दिखाई जाती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी हिंसा के जोखिम का एक और अतिरिक्त स्रोत है। इंटरनेट पर हिंसा की व्यापकता के बारे में बहुत कम सबूत उपलब्ध हैं, लेकिन उन वेबसाइटों के बारे में चिंताएं हैं जो हिंसा को बढ़ावा दे सकती हैं, विस्फोटक बनाने के निर्देश दे सकती हैं, या यह बता सकती हैं कि बंदूकें कहां से मिलेंगी। हम रोल मॉडल के रूप में सेवा करने के उनके दायरे और क्षमता से अवगत हैं। इंटरैक्टिव गेम और टेलीविजन शो से लेकर फिल्में और वीडियो गेम तक, कई अलग-अलग प्रकार के हिंसक मीडिया हैं। पिछले शोध में विभिन्न प्रकार के मीडिया प्रारूपों को देखा गया और आक्रामकता के भौतिक रूपों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो महिलाओं की तुलना में लड़कों में अधिक प्रचलित हैं। लड़कियों में आक्रामकता पर मीडिया हिंसा के प्रभाव के बारे में बहुत कम जानकारी है।

अधिकांश युवाओं के लिए, मीडिया हिंसा उत्साहजनक (उत्तेजक) है। यानी, यह हृदय गति और त्वचा की विद्युत चालन जैसे उत्तेजना के शारीरिक संकेतकों को बढ़ाता है। इस बात का प्रमाण है कि यह उत्तेजना दो अलग-अलग तरीकों से शत्रुता को बढ़ा सकती है। सबसे पहले, उत्तेजना में किसी व्यक्ति की वर्तमान प्रमुख कार्य प्रवृत्ति को बढ़ाने या बढ़ाने की शक्ति होती है। तदनुसार, यदि किसी को उसी क्षण क्रोधित किया जाता है जिससे उसकी उत्तेजना का स्तर बढ़ जाता है (जीन और ओश्नील,1969)। दूसरा, अगर कोई उत्तेजित व्यक्ति अपनी उत्तेजना को किसी अन्य व्यक्ति के उकसावे के कारण गलत ठहराता है तो जलन की प्रतिक्रिया में हिंसक व्यवहार की संभावना अधिक होती है (ज़िलमैन, 1971, 1982)। परिणामस्वरूप, रोमांचकारी फ़िल्में देखने के बाद, लोग आम तौर पर उकसावों का जवाब अन्य की तुलना में अधिक क्रूरता से देते हैं। आमतौर पर, इस प्रकार की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, शायद कुछ मिनटों की।

बुशमैन और ह्यूज़मैन (2001) ने बच्चों और वयस्कों में आक्रामकता पर हिंसक मीडिया के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बच्चों पर दीर्घकालिक प्रभाव बड़े थे जबकि वयस्कों पर अल्पकालिक प्रभाव अधिक थे। हिंसक टेलीविजन, फिल्में, वीडियो गेम, संगीत और इंटरनेट पर शोध के अनुसार, इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि मीडिया हिंसा अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्थितियों में आक्रामक और हिंसक व्यवहार का खतरा बढ़ाती है। (एंडरसन एट अल।,2003) हिंसक विचारों, क्रोधित भावनाओं और आक्रामक व्यवहार की संभावना- मौखिक और शारीरिक दोनों - संक्षिप्त प्रदर्शन के साथ बढ़ जाती है। हाल ही में बड़े पैमाने पर हुए अनुदैर्ध्य शोध के अनुसार, बचपन के दौरान कई हिंसक मीडिया प्रदर्शन सकारात्मक रूप से आक्रामक व्यवहार, कार्यों, उत्तेजना और बाद के जीवन में क्रोध से जुड़े हुए हैं, जिनमें शारीरिक हमले और घरेलू हिंसा भी शामिल है। इसके अलावा, दयालुता के बाद के कार्यों पर हिंसक प्रदर्शन का एक मजबूत हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

कई अध्ययनों से पता चला है कि बच्चों की अंततः आक्रामकता मीडिया में देखी जाने वाली हिंसा से प्रभावित होती है (बेन्सले और ईनविक, 2001और विल्सन एट

अल., 2002)। हिंसक मीडिया चित्रणों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है (लिंग और थॉमस,1986, मरे 1995, फ़ेशबैक और सिंगर,1971)। यदि बच्चे मीडिया में या अपने आस-पास के वातावरण में दूसरों को आक्रामक व्यवहार करते हुए देखते हैं तो वे तुरंत आक्रामक तरीके से कार्य करने के इच्छुक होते हैं। लिंग और थॉमस (1986) के एक शोध में, बच्चों ने हिंसक और गैर-आक्रामक खेल व्यवहार को दर्शाने वाले दो वीडियोटेप देखे। एकमात्र बच्चे जो अधिक आक्रामकता के साथ खेलते थे वे वे थे जिन्होंने हिंसक फिल्म देखी थी। हॉफ एट अल के शोध के अनुसार। (2008), जो बच्चे बड़े होने पर डरावनी और हिंसक फिल्में अधिक देखते हैं और जो पहली बार युवावस्था में प्रवेश करते समय अपने फोन पर हिंसक वीडियो गेम खेलते हैं, वे 14द साल की उम्र में अधिक आक्रामक और अपराधी होंगे।

डिसेन्सिटाइजेशन उस घटना के लिए शब्द है जिसमें हिंसक मीडिया के बार-बार संपर्क में आने से हिंसक कृत्यों के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक उत्तेजना कम हो जाती है। एक अध्ययन में, जिन कॉलेज छात्रों ने ग्राफिक यौन दृश्यों वाली फ़िल्में देखीं, उन्होंने तटस्थ फ़िल्में देखने वालों की तुलना में बलात्कार को कम अपराध माना। असंवेदनशीलता की यह धारणा एक अन्य अध्ययन द्वारा समर्थित है जो ष्पब्लिक इंटरेस्ट में मनोवैज्ञानिक विज्ञानष्में प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया है कि जो युवा थोड़े समय के लिए भी हिंसक कार्यक्रम देखते हैं, वे हिंसक कार्यों के पीड़ितों के प्रति कम सहानुभूति महसूस करते हैं और वास्तविक दुनिया की हिंसा के संपर्क में आने पर कम डर महसूस करते हैं। हालाँकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नियमित आधार पर हिंसक मीडिया देखने से दर्शक लोगों के साथ अधिक आक्रामक तरीके से बातचीत कर सकते हैं, जिसका असर इस बात पर पड़ सकता है कि वे खुद को और अपने सामाजिक परिवेश को कितना आक्रामक मानते हैं। हालांकि कम जोखिम के दीर्घकालिक प्रभाव होने की संभावना नहीं है, विशेष रूप से माता-पिता को अपने बच्चों को हिंसक वीडियो गेम या हिंसक टेलीविजन शो के बार-बार संपर्क से बचाने के लिए याद दिलाना चाहिए।

मीडिया हिंसा की मात्रा और बच्चों तक इसकी पहुंच (उदाहरण के लिए, मीडिया स्व-नियमन और हिंसा रेटिंग के लिए कॉल), बच्चों की मीडिया पहुंच की माता-पिता की निगरानी को प्रोत्साहन और सुविधा (उदाहरण के लिए, वी-चिप कानून), माता-पिता और बच्चों की शिक्षा मीडिया हिंसा के संभावित खतरों के बारे में (उदाहरण के लिए, मीडिया और सहानुभूति शैक्षिक कार्यक्रम) और बच्चों की विचार प्रक्रियाओं में संशोधन इस संभावना को कम करने के लिए कि वे जिस हिंसा को देखते हैं उसकी नकल करेंगे, युवाओं पर मीडिया हिंसा के हानिकारक प्रभावों को कम करने के हालिया प्रयास हैं। इनमें से कुछ विधियाँ वैज्ञानिक जाँच का विषय रही हैं। यह थोड़ा आश्चर्य की बात है कि मीडिया हिंसा से संबंधित उपचारों पर अधिक आधिकारिक अध्ययन नहीं है, यह देखते हुए कि अतीत में, मीडिया हिंसा और व्यवहार के बीच संबंध निर्धारित करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

माता-पिता का इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है कि उनके बच्चे कितना टेलीविजन देखते हैं। एब्रोल एट अल द्वारा एक भारतीय अध्ययन। (1993) में

दिखाया गया कि कैसे माता-पिता, जो अपने बच्चों के साथ टेलीविजन देखते हैं, अनुभव को और अधिक आकर्षक बना सकते हैं और उन्हें इससे सीखने में मदद कर सकते हैं। अनुराधा और भारती (2001) के अनुसार, बच्चों की टीवी देखने की आदतों में उनके माता-पिता द्वारा उपयोग की जाने वाली सज़ा और नकारात्मक प्रोत्साहन के आधार पर काफी भिन्नता होती है। अध्ययन ने बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर माता-पिता के अनुशासन के तरीकों के पर्याप्त प्रभाव को भी प्रदर्शित किया। इसलिए, माता-पिता को मीडिया के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे संदेश कैसे तैयार किए जाएं जिससे वे अपने घरों में बदलाव करने के लिए सशक्त महसूस करें।

मीडिया हिंसा प्रभाव- संकल्पना सार्वजनिक नीति और विज्ञान दोनों में सिद्धांत के कार्य को समझना महत्वपूर्ण है। सिद्धांतों का एक क्रमबद्ध संग्रह जो एक वैज्ञानिक को जांच द्वारा प्रदान किए जाने वाले परिणामों की सीमा को समझने, व्याख्या करने और पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाता है, वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है (शॉ और कॉस्टेंज़ो, 1982)। अनुसंधान में भविष्य के रास्तों की भविष्यवाणी करने के साथ-साथ मौजूदा खोजों को समझने और बढ़ाने के लिए सिद्धांत आवश्यक हैं। प्रभावी सार्वजनिक नीति निर्माण भी सु-मान्य विचारों पर निर्भर करता है। हम अगले अनुभाग में इस सैद्धांतिक घटक के बारे में और विस्तार से जानेंगे। एक अच्छे सिद्धांत से अधिक व्यावहारिक कुछ भी नहीं है। मीडिया में आक्रामकता पर हिंसा के प्रभावों को समझने के लिए कई विषयों से लिए गए कई सुविकसित विचारों का उपयोग किया जा सकता है। चूँकि मीडिया हिंसा के परिणामों के पीछे कई प्रक्रियाएँ हैं, इसलिए व्यापक समझ के लिए विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इन वर्षों में, मौजूदा म,डलों में कई परीक्षण, परिशोधन और पुनरू परीक्षण हुए हैं। सामाजिक-संज्ञानात्मक सूचना प्रसंस्करण म,डल के संस्करण जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि व्यक्ति कैसे अनुभव करते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं और विशिष्ट व्यवहार विकसित करते हैं, सबसे व्यापक हैं। छोटे बच्चे बहुत कम उम्र में ही दूसरों से सीखना और उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे आसानी से हिंसक गतिविधियों की नकल कर लेते हैं जिन्हें वे दूसरों को करते हुए देखते हैं, चाहे वह वास्तविक जीवन में हो या टेलीविजन पर देखी गई तस्वीरों में। वास्तव में, इस प्रकार की नकल सीखने के लिए शारीरिक तंत्र विशेष रूप से मिरर न्यूरॉन सिस्टम की खोज द्वारा प्रदान किया गया है (उदाहरण के लिए, रिज़ोलैटी और क्रेघेरो,2004)। एक छोटे बच्चे के मोटर और सामाजिक कौशल विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक दूसरों के कार्यों को देखना और उनकी नकल करना है। इसी तरह, बच्चे विभिन्न स्रोतों से सामाजिक संपर्क और उनके परिणामों को सीखते हैं, जिनमें माता-पिता, बड़े भाई-बहन, सहकर्मो और यहां तक कि मीडिया के बने-बनाए पात्र भी शामिल हैं। जब किसी व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता है, तो बच्चों द्वारा दंडित किए जाने की तुलना में उसकी नकल करने की अधिक संभावना होती है (बंडुरा,1965, बंडुरा एट अल., 1963। बच्चे धीरे-धीरे सामाजिक कौशल सीखते हैं और विशेष संदर्भों में उचित व्यवहार के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट स्थापित करते हैं।

विचारों और कार्यों की हिंसा- अध्ययनों से संकेत मिलता है कि लोगों, विशेषकर बच्चों को हिंसक मीडिया के संपर्क में लाने से यह संभावना बढ़ जाती है कि वे निकट भविष्य में हिंसक कार्य कर सकते हैं। एक सामान्य प्रायोगिक डिज़ाइन का उपयोग करते हुए, प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से एक हिंसक वीडियो गेम खेलने या एक संक्षिप्त हिंसक फिल्म या टीवी शो देखने के लिए नियुक्त किया जाता है। जब उन्हें आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर मिलता है, तो उनका अवलोकन किया जाता है। यह संभवत: बच्चों और दोस्तों के बीच विवादास्पद खेल का सुझाव देता है, लेकिन वयस्कों के लिए, यह आम तौर पर प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को संदर्भित करता है जब 'जीतने' में प्रतिद्वंद्वी को दर्द होता प्रतीत होता है। जो युवा हिंसक वीडियो देखते हैं या हिंसक गेम खेलते हैं उनमें उन लोगों की तुलना में अधिक हिंसक व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जो ऐसा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, में जोसेफसन के एक शोध के अनुसार, 7 से 9 वर्ष की आयु के 396 लड़कों को दो समूहों में विभाजित किया गया और स्कूल में फ्लोर हॉकी खेलने से पहले हिंसक या शांतिपूर्ण वीडियो देखने का निर्देश दिया गया। इस अध्ययन में, मूल्यांकनकर्ता जो फिल्मों से अनजान थे किसी भी लड़के ने गिनती करके देखा था कि पूरे खेल के दौरान प्रत्येक लड़के ने कितनी बार दूसरे बच्चे पर शारीरिक हमला किया। हॉकी में, ऐसी गतिविधियाँ जिन्हें शारीरिक हमला माना जाता है, जैसे मारना, कोहनी मारना, या किसी अन्य खिलाड़ी को ज़मीन पर गिराना, साथ ही गिरना, घुटने टेकना, और अन्य आक्रामक व्यवहार, सभी दंडनीय हैं। यह सोचा गया था कि रेफरी को वॉकी-टॉकी के साथ हिंसक तस्वीर में दिखाने से, लड़कों को याद दिलाया जाएगा कि उन्होंने क्या देखा था। एक हिंसक फिल्म देखने और उसके बाद फिल्म से जुड़े संकेतों ने उन लड़कों में आक्रामक आचरण को काफी हद तक बढ़ा दिया, जिनका मूल्यांकन पहले उनके प्रशिक्षक द्वारा अक्सर शत्रुतापूर्ण के रूप में किया गया था। यह प्रभाव फिल्म और क्यू के किसी अन्य संयोजन की तुलना में दिखाया गया था। प्रीस्कूलर और पुराने अपराधी युवाओं ने यादृच्छिक परीक्षण में भाग लिया, जिसमें तुलनीय रुझान दिखाया गया, दोनों समूह हिंसक मीडिया को देखने के बाद एक-दूसरे पर शारीरिक हमला करने के लिए अधिक इच्छुक थे। इरविन और ग्रॉस ने तुलना करने के लिए एक यादृच्छिक शोध किया कि हिंसक वीडियो गेम बनाम शांतिपूर्ण वीडियो गेम खेलने से कैसे प्रभावित होता है लड़कों की शारीरिक आक्रामकता का स्तर। अपने दोस्तों के साथ व्यवहार करते समय, हिंसक कंप्यूटर गेम के खिलाड़ी शारीरिक बल का उपयोग करने के लिए अधिक इच्छुक थे। अन्य यादृच्छिक अध्ययनों में हिंसक वीडियो गेम खेलने (या न खेलने) के बाद क,लेज के छात्रों के आक्रामक तरीके से कार्य करने की संभावनाओं को देखा गया है। पाया गया कि विश्वविद्यालय के छात्र, पुरुष और महिला दोनों, जो हिंसक खेलों में शामिल थे, उन्होंने अपने सहपाठी को शांतिपूर्ण खेलों में शामिल होने वालों की तुलना में 2-5 गुना अधिक गंभीर रूप से दंडित किया। अन्य शोधों से पता चला है कि आनंद के बजाय स्वयं हिंसक वीडियो गेम खेलने से आक्रामक आचरण में वृद्धि होती है। प्रयोग स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि कार्टून, टीवी एपिसोड, वीडियो गेम और फिल्मों सहित हिंसक मीडिया के संपर्क में आने से आक्रामक आचरण में वृद्धि होती है। अन्य लोगों के

प्रति महत्वपूर्ण आक्रामक आचरण में संलग्न होने की संभावना। सभी आयु वर्ग–शिशु, हाई स्कूल स्नातक, कॉलेज के नए छात्र और कामकाजी पेशेवर–इससे संबंधित हो सकते हैं। अहिंसक फुटेज देखने वालों की तुलना में, हिंसक फिल्म देखने वाले लोगों में आक्रामक तरीके से कार्य करने और हिंसा के प्रति स्वीकार्य रवैया रखने की अधिक संभावना होती है। एक और अर्ध–प्रयोग की ओर ध्यान आकर्षित करना महत्वपूर्ण है जिसे वीडियो गेम उद्योग अक्सर लाता रहता है ऊपर। सहकारी ऑनलाइन गेमिंग पर अपने अध्ययन में, विलियम्स और स्कोरिक को वयस्कों के आचरण पर हिंसक वीडियो गेम खेलने के किसी भी हानिकारक दीर्घकालिक प्रभाव का कोई संकेत नहीं मिला। हालाँकि, अध्ययन की कम सांख्यिकीय शक्ति और अन्य पद्धति संबंधी खामियों (एक पक्षपातपूर्ण नमूने का स्व–चयन, एक उपयुक्त नियंत्रण समूह की कमी और अनुचित व्यवहार मूल्यांकन) के कारण, इसकी वैधता पर अत्यधिक सवाल उठाए गए हैं। इस तथ्य से अनपेक्षित प्रभाव और भी कम हो गए कि सभी प्रतिभागी वयस्क थे।

निष्कर्ष- अधिकांश बच्चे लगभग प्रतिदिन हिंसक मीडिया देखते हैं, चाहे वह टीवी शो, फिल्में, कार्टून, समाचार या इंटरनेट हो। चाहे संक्षिप्त हो या लंबे समय तक, इन जोखिमों के हानिकारक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे बढ़ती आक्रामकता और हिंसक व्यवहार की इच्छा में कमी। हिंसक मीडिया के नियमित शुरुआती संपर्क से गंभीर हिंसा का खतरा किस हद तक बढ़ जाता है, इसकी सटीक मात्रा निर्धारित करने के लिए बड़े नमूना आकार के साथ अधिक अनुदैर्ध्य शोध की आवश्यकता है। मीडिया बच्चे की समाजीकरण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक मूल्यों और विचारों को प्रदान करने का कार्य करता है। मीडिया का बच्चों की शिक्षा और वैश्विक समस्या जागरूकता पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर टेलीविजन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और इसके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने में माता–पिता की मध्यस्थता महत्वपूर्ण है। जो बच्चे और किशोर नियमित रूप से हिंसक मीडिया के संपर्क में आते हैं, वे आवृत्ति और तीव्रता दोनों के संदर्भ में अधिक आक्रामक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं। यह कई अन्य जोखिम कारकों के बराबर है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते पाए गए हैं। हालाँकि कुछ बच्चे जो इस खतरे के संपर्क में नहीं हैं वे बड़े होकर आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन जो लोग इस खतरे के संपर्क में नहीं हैं उनके लिए इसके विपरीत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इससे खतरे से निपटना कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मोफिट टीई, कैस्पी ए, हैरिंगटन एच, मिल्ने बीजे (2002) जीवन–क्रम–लगातार और किशोरावस्था–सीमित असामाजिक मार्गों पर पुरुष 26 वर्ष की आयु में अनुवर्ती कार्रवाई। देव साइकोपैथोल
2. हूसमैन एलआर, एर, न एलडी, लेफकोविट्ज़ एमएम, वाल्डर एलओ (1984) समय और पीढ़ियों के साथ आक्रामकता की स्थिरता। देव साइक
3. बुशमैन बी.जे., हूज़मैन एलआर (2006) बच्चों और वयस्कों में आक्रामकता पर हिंसक मीडिया के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव। आर्क बाल रोग विशेषज्ञ एडोलेस्क मेड।

4. हूसमैन एलआर, किरविल एल. हिंसा का अवलोकन करने से पर्यवेक्षक में हिंसक व्यवहार का खतरा क्यों बढ़ जाता है। इनरू फ़्लानेरी डी, संपादक। हिंसक व्यवहार और आक्रामकता की कैम्ब्रिज हैंडबुक। कैम्ब्रिज, यूकेरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस; मुद्रणालय में।
5. एंडरसन, सीए, बर्कोविट्ज़, एल., डोनरस्टीन, ई., हूसमैन, एलआर, ज, नसन, जे., और लिंज़, डी., एट अल (2003) युवाओं पर मीडिया हिंसा का प्रभाव। जनहित में मनोवैज्ञानिक विज्ञान
6. एंडरसन, सीए, कार्नेगी, एनएल, फ्लानागन, एम., बेंजामिन, एजे, यूबैंक्स, जे., और वेलेंटाइन, जेसी (प्रेस में)। हिंसक वीडियो गेमरू आक्रामक विचारों और व्यवहार पर हिंसक सामग्री का विशिष्ट प्रभाव। एम. ज़न्ना (एड.) में, प्रायोगिक सामाजिक मनोविज्ञान में प्रगति, वॉल्यूम। 36
7. अनुराधा के, भारती वी.वी. (2001) माता-पिता द्वारा दी जाने वाली सजा के पैटर्न के संदर्भ में टीवी देखना और बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि। मनोभाषा
8. आर्य के. (2004), टेलीविजन देखने में बिताया गया समय और स्कूल जाने वाले बच्चों के बदलते मूल्यों पर इसका प्रभाव। मानवविज्ञानी
9. बंडुरा, ए., र, स, डी., और र, स, एसए (1961), आक्रामक मॉडलों की नकल के माध्यम से आक्रामकता का संचरण। जर्नल ऑफ एब्न, र्मल एंड सोशल साइकोल, जी
10. लैकी, एल., और डी मैन, एएफ (1997), विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रों के बीच यौन आक्रामकता का सहसंबंध। सेक्स भूमिकाएँ,
11. लिंग, पीए और थ, मस, डीआर (1986), माओरी और यूरोपीय लड़कों और लड़कियों के बीच टेलीविजन आक्रामकता का अनुकरण। न्यूज़ीलैंड जर्नल अ, फ़ साइकोल, जी, वॉल्यूम
12. मरे, जे. (1995), बच्चे और टेलीविजन हिंसा. कैनसस जर्नल ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी
13. निस्बेट, आरई, और कोहेन, डी. (1996), सम्मान की संस्कृतिः दक्षिण में हिंसा का मनोविज्ञान। बोल्डर, सीओ वेस्टव्यू प्रेस।
14. रे एम. और माल्ही पी.(2005)के आतंकवादी हमलों पर भारतीय किशोरों की प्रतिक्रियाएँ। भारतीय जे बाल रोग विशेषज्ञ
15. रे एम. और माल्ही पी.(2006), किशोर हिंसा प्रदर्शन, लैंगिक मुद्दे और प्रभाव। भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ
16. रे, एम. और जाट, के आर (2010), बच्चों पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव। इंडियन पीडियाट्रिक्स, वॉल्यूम
17. रोसेनफेल्ड, ई., हूसमैन, एलआर, एर, न, एलडी, और ट, र्नो-पुर्टा, जेवी (1982) बच्चों में काल्पनिक व्यवहार के पैटर्न को मापना, जर्नल अ, फ़ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी
18. बीजी, और फर्ग्यूसन, टीजे (1986) दृष्टिकोण, भावनाओं और अनुभूति पर मीडिया हिंसा का प्रभाव। जर्नल ऑफ़ सोशल इश्यूज़
19. सैंडर्स, बी.(1984)न्यूयॉर्क, पैंथियन बुक्स।
20. ठाकुर वाई और खोखर सीपी (2001) मास मीडिया और बच्चे मनोभाषा

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

लिंग सवेंदीकरण सामाजिक प्रावधान व योजनाएं

• कंचन मसराम

सारांश- महिलाओं की स्थिति किसी भी समाज के विकास के लिए प्रगति के निर्धारण का महत्वपूर्ण मापदंड होती है उनकी शैक्षिक दशा, राजनीति एवं सामाजिक निर्णय, निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका एवं उनके सामाजिक अधिकार उनके स्थिति को जानने का संकेत है। महिला अधिकारिता को लेकर संपूर्ण विश्व की जागरूकता एवं प्रयासों के बावजूद महिलाओं के लिए समानता गरिमा और दर्जा प्रश्न है। दुनिया भर में आज भी महिलाऐं अपनी पंहचान से इंकार करने वाली और उन पर जुल्म करने वाली संस्कृति के खिलाफ संघर्ष कर रही है। 1990 के दशक के प्रारंभ में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों और उसके तारतम्य में अपनाई गई आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप देश में स्त्री पुरूष के बीच असमानता की खाई बढ़ने लगी। भारत में पिछले दो दशकों में हुए शानदार आर्थिक विकास के बावजूद महिलाओं में तुलनात्मक रूप से वंचित रहते जाने की समस्या को समाप्त करने में सफलता नहीं मिली है शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंगानुपात, आर्थिक भागीदारी आदि प्रमुख संकेत देश में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति में विद्यमान असंतुलन की और इशारा करते है।

मुख्य शब्द- लिंग संवेदीकरण, सामाजिक कानुन, योजनायें

महिलाएं देश के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण निधरिक तत्व है लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंगानुपात, आर्थिक भागीदारी आदि अनेक क्षेत्रों में देश में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं के स्थिति कमजोर है, चुनौतीपूर्ण है जिसका मूल कारण सामाजिक सोच जो महिला अन्याय उत्पीड़न भेदभाव व हिंसा के आंकड़े बढ़ाते है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरूषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात 943 है। जबकि बाल लिंग अनुपात 918 है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में यह अनुपात 900 से भी कम है। वैश्विक लैगिंक अंतराल रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 153 देशों में 112 वें स्थान पर रहा इस से साबित होता है कि हमारे देश में लैगिंक भेदभाव की जड़े बहुत मजबूत और गहरी है। जिससे वे पारिवारिक फैसले में अपनी भूमिका से दूर व जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रही है व शोषण से मुक्त नहीं हो पा रही है। स्वंत्रत भारत के सविधान ने महिलाओं को कई अधिकार दिये लेकिन दोहरे मापदंडो के बीच अपनी बदलती सामाजिक भूमिका के बाबजूद स्त्री प्रश्न नहीं

• सह.प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट

बदले है। इस विरोधाभासी स्थिति से गुजरती हुई महिलाओं को लैगिंक आधार पर निम्न दृष्टि से देखते है। 2011 की जनगणना के आधार पर देश में स्त्री पुरूष अनुपात असंतुलित है। जनगणना 2001 में शिशु लिंगानुपात 927 था जो 2011 में घटकर 914 हो गया यह निराश करने वाला तथ्य है जहॉ तक आर्थिक ढॉचे का प्रश्न है, महिलाएँ अभी भी आर्थिक सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन की परिधि से बाहर है। जबकि महिला सशक्तीकरण का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं सम समाज की स्थापना कराना है क्योकि लैंगिक समानता को सुशासन की कुंजी कहा जाता है। स्पष्ट है कि सभी समस्याओं की जड़ असमानता में अन्तर्निहित है एवं समाज अपने स्वभाव और प्रकृति में पितृसतात्मक है जैसा कि "सीमीन दी बुआ" ने अपनी पुस्तक द सेकेण्ड सेक्स में लिखा है कि "अब तक औरत के बारे में पुरूषों ने जी कुछ लिखा है उस पर शक किया जाना चाहिए, क्योंकि लिखने वाला न्यायधीश और अपराधी दोनो है। इसलिए महिलाओं के साथ व्यवहार में समानता और देश के विकास में उनकी पूरी सहभागिता के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।"

महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं भेदभाव

- बलात्कार
- अपहरण
- पत्नी के साथ मारपीट
- दहेज हत्या
- वेश्यावृत्ति
- आगजनी
- लैंगिक दुर्व्यवहार
- तलाक
- अश्लील फिल्म या चित्र दिखाना
- छेड़छाड़
- आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाना
- परम्परागत शिक्षा पति परमेश्वर
- निर्णय क्षमता का अधिकार नहीं
- मॉ पत्नी बहन और बेटी के रूप में पुरूषों के अधीन जिदंगी
- घरेलू हिंसा
- घर पर रहना और बच्चे पालना
- मॉ बनना खुद का निर्णय नहीं
- गोद लेने का अधिकार पत्नी को नहीं पति को
- तलाक अधिकार पति को
- महिलायें शोपित पीड़ित दुखित प्रताडित जैसे शब्दों से

महिलाओं के प्रति अपराध व भेदभाव घरों और समुदायों में बल्कि पूरे विश्व में बनी हुई है, लिंग असमानता एवं लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव कि लड़कियों की स्वतंत्रता में अनेकों पाबंदियों का असर उनकी शिक्षा विवाह और सामाजिक रिश्तों व

खुद के लिए निर्णय के अधिकार आदि को प्रभावित करती है लड़कियों के लिए सामाजिक रूप से प्रचालित मान्यतायें है कि–

- लड़कियॉ पराई होती है।
- शारीरिक रूप से कमजोर होती है।
- ससुराल जाना है।
- खाना बनाना आना चाहिये क्योंकि दूसरे घर जाना है।
- असुरक्षित है।
- विवाह आवश्यक है।
- कम व धीरे बोलना व चलना चाहिये।
- जिस घर डोली जानी है। वहॉ से अर्थी निकलती है।
- संस्कारी होनी चाहिये।
- पति का कहना मानना चाहिये।

जैसी अनेको सामाजिक पितृ सत्रात्मक समाज के विचारों मापदंडो, पंरपराओं और संरचनाओं के कारण लड़कियों को अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से अनुभव करने की स्वतंत्रता नहीं मिली है।

भारत का संविधान और लैंगिक समानता–

- अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता
- अनुच्छेद 15 धर्म, वशंजाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर भेदभाव में निषेध
- अनुच्छेद 19 (i)(जी) कोई भी व्यवसाय करना
- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
- अनुच्छेद 42 काम की उचित और मानवीय स्थितियॉ और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान
- अनुच्छेद 51 (क)(च) महिलाओं के सम्मान के प्रति अपमानजनक (अशोभनीय) कार्य व्यवहारों को त्यागने का मौलिक कर्तव्य।

भारत में कानून जो लिंग संवंदीकारण में सहायक- भारत सरकार ने लैगिंक समानता बनाने और लैगिंक संवेदनशीलता सिखाने के लिए विभिन्न अधिनियम पारित करके कई कदम उठाए है। संसद द्वारा पारित महत्वपूर्ण अधिनियम निम्न है –

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोक थाम निषेध और निवारण)अधिनियम
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017(मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया)
- दहेज निषेध अधिनियम 1961
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013
- घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षण अधिनियम 2005

आर्थिक अधिनियम- कारखाना अधिनियम 1958 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 बागान श्रम अधिनियम 1951

संरक्षण अधिनियम - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के संगत उपबंध भारतीय दण्ड सहिता के विशेष उपबंध विधि व्यवसायी (महिला) अधिनियम 1923 प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994

सामाजिक अधिनियम- कुटुवं न्यायालय अधिनियम 1984, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बालविवाह अवरोध अधिनियम 1929, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (वर्ष 2005 में सं'ोधित) भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1969।

सरकारी नीतियॉ और योजनाएं- भारत सरकार ने महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियाँ शुरू की है। जो लैगिंक समानता के बारे मे जागरूकता पैदा करने मे मदद करेंगी।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं- यह बालिकाओं की सुरक्षा अस्तित्व और शिक्षा पर केंद्रित है।

महिला शक्ति केन्द्र- इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौ'ाल विकास और रोजगार के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है।

कामकाजी महिला छात्रावास - इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है।

किशोरियों के लिए योजना- 11 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और पोषण जीवन कौशल घरेलू कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी सामाजिक स्थिति मे सुधार किया गया है।

राष्ट्रीय क्रेच योजना- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं बच्चों को सुरक्षित संरक्षित और प्रेरक वातावरण प्रदान करके लाभकारी रोजगार अपनाए।

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना- यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने पर क्रेन्द्रित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-इसका उद्देश्य महिला के नाम पर भी आवास उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-इसका उद्देश्य महिलाओं सहित बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को बेहतर आजीविका हासिल करने के लिए उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है।

दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-इसका उद्देश्य कौशल विकास में महिलाओं के लिए अवसर पैदा करना है। जिससे बाजार आधारित रोजगार प्राप्त हो सकें।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना-इसका उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त में एल.पी.जी. सिलेंडर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

सुकन्या समृद्धि योजना- इस योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हे आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

कौशल उन्नयन और महिला वायर योजना-यह एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वायर उद्योग में लगी महिला कारीगरों का कौशल विकास करना है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम–यह एक प्रमुख क्रेडिट लिंवड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन––इसका उद्देश्य महिलाओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने वाली समग्र प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय क्रेच योजना यह 12000 रूपये से कम मासिक आय वाले परिवारों के 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के 25 बच्चों के लिए क्रेच चलाने के लिए डे केयर सुविधाएँ प्रदान करती है।

महिला उद्यमिता – महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने स्टैड अप इण्डिया और महिला ई–हाट (महिला उद्यमियों/एसएचजी/एनजीओं का समर्थन करने के लिए आनलाईन मार्केटिंग प्लेटफार्म) उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम आदि जैसे कार्यक्रम शुरू किए है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को संस्थागत वित्त तक पहुँच प्रदान करती है।

स्कूली शिक्षा प्रणाली–इसमें कई पहल की गई है जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, और समग्र शिक्षा का अधिकार अधिनियम कस्तुरबा गॉधी बालिका विद्यालय, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में खोले गये है।

जमीनी स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित की है। महिलाओं को शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए स'ाक्त बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों संहित पंचायत हितधारकों की क्षमता निर्माण किया जाता है।

2005 से जेंडर बजट को भारत के केंद्रीय बजट का हिस्सा बना दिया गया है जिससे महिलाओं को समर्पित कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए धन आवंटन शामिल है।

इन कार्यक्रमों और प्रयासों की मदद से भारत सरकार सभी क्षेत्रों और शासन के सभी स्तरों पर लिंग अंतर कम करने पर ध्यान देने के साथ लैंगिक समानता को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। क्योंकि समाज का समद्ध करने एवं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें महिलाओं की स्थिति को सुधारना होगा जबकि वास्तविकता यह है कि समस्त सरकारी प्रयास व कानून तभी सफल हो सकते है जब परिवार व समाज का हर व्यक्ति पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और महिलाओं के प्रति स्वस्थ व व्यापक हष्टिकोण अपनाए। हमें अपनी मानसिकाता को बदलना होगा और जो हमारे संस्कार परम्पराऐं और सोच के दायरे है उनसे निकलना होगा। स्वामी विवेकानंद के विचार ''जब तक महिलओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, वि'व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. आहुजा राम, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन जयपुर 2002
2. अमित 21 वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा, ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली
3. https://www.drishtiias.com>Print Pdf
4. https://www.iimb.ac.in>gender-sc
5. भदोरिया एस.एस. भारतीय समाज में महिलाऐं म.प्र. हिन्दी गंथ अकादमी भोपाल
6. सीमा कुमार, महिला अधिकार और भारतीय प्रावधान उपकार प्रकाशन आगरा

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

भारत में लैंगिक उत्पीड़न कानून -एक विश्लेषण

•सीमा श्रीवास्तव

सारांश- परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्राकृतिक सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। भारत अपनी समृद्धशाली सांस्कृतिक विशेषताओं के लिये विश्वभर में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ के पारिवारिक, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के चलते महिलाओं को देवी तुल्य माना जाता रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में धीरे-धीरे महिलाओं ने विश्वभर में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अपनी उपस्थित विगत वर्षो में दर्ज करवाई है। एक ओर वे हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी कर रही है तो दूसरी ओर उन्हे कार्यक्षेत्र में अनेको तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षो में इस उत्पीड़न के आंकड़े निरंतर बढ़ रहे हैं। कामकाजी महिलाओं को कार्य स्थल पर होने वाले उत्पीड़न से बचाने के लिये ''कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013'' लागू किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र में इस अधिनियम का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द- कामकाजी महिलायें, कार्यस्थल, यौन उत्पीड़न, सामाजिक मूल्य

21 वीं सदी के वर्तमान दौर में विश्व भर में महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। धरती से आकाश तक अपनी योग्यता को उन्होंने साबित किया है। पुरूषों के साथ अपनी पूरी कार्यक्षमता के साथ वे बेहतरीन परिणाम दे रही हैं किंतु दूसरी ओर उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। जिसके ऑकड़ों में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिये ही कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013 पारित किया गया जो कि विशाखा दिशा निर्देश पर आधारित है।

विशाखा दिशा निर्देश- वर्ष 1994 में राजस्थान की एक महिला भंवरी देवी ने एक बाल विवाह का विरोध किया था जिसका बदला लेने के लिये कई लोगो ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमें के बाद कामकाजी महिलाओं के लिये कुछ दिशा निर्देश जारी किये जो संक्षेप में इस प्रकार हैं-

1. कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान उनका संवैधानिक अधिकार है।
2. कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिये नियोक्ता को एक समिति का गठन करना होगा।
3. समिति की मुखिया महिला हो।

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर, महाविद्यालय बालाघाट

4. समिति में आधी संख्या महिलाओं की हो।
5. प्रत्येक महिला को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न(रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013- यह अधिनियम 9 दिसम्बर 2013 से प्रभावशील है। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग कार्यरत है, वहॉ यह लागू होता है। यह अधिनियम लोकसभा में 3 सितम्बर 2013 को तथा राज्य सभा में 26 फरवरी 2013 को पारित हुआ। संविधान के अनुच्छेद 14,15,21 के तहत महिलाओं को प्राप्त समानता के मौलिक अधिकार के हनन को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम बनाया गया हैं। उल्लेखनीय है कि " विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997" के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई यौन उत्पीड़न की परिभाषा को इसमे स्वीकार किया है।यह एक ऐतिहासिक निर्णय साबित हुआ जिसने कार्यस्थलों पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिये विस्तृत मानक स्थापित किये जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल पर महिलायें सुरक्षित माहौल में काम कर सकें। यौन उत्पीड़न कानून 2013 के अनुसार इसमें निम्नालिखित आचरण आते हैं –

1. अश्लील चित्र दिखाना
2. अश्लील इशारे करना
3. गलत इरादे से स्पर्श करना
4. कामुक भाव से किया गया शारीरिक या मौखिक आचरण
5. लैंगिक अपमान
6. द्विअर्थी बातें
7. दूसरे पक्ष के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अश्लील अफवाह फैलाना
8. शारीरिक छेड़रवानी
9. अपमान जनक इशारे करना
10. दूसरे पक्ष को ऑख मारना, गलत ढंग से छूना, सीटी बजाना
11. काम में रूकावट पैदा करना अथवा डराने धमकाने वाला व्यवहार करना

शिकायत कर्त्ता- किसी भी आयु की कोई भी महिला जो किसी भी कार्यस्थल में/निवास स्थान/गृह इत्यादि में जिसका लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, वह शिकायत कर सकती है।

अधिनियम की धारा 9 के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न के दिन से तीन माह के भीतर आंतरिक शिकायत समिति को शिकायत की जा सकती है।

अधिनियम की विशेषतायें- कोई भी दफ्तर, स्कूल, अस्पताल, संगठन, कंस्ट्रकशन साइट, घर इत्यादि सभी कार्यस्थल की श्रेणी में आते हैं।

- जहॉ 10 या दूससे ज्यादा लोग काम करते हैं वहॉ यह कानून लागू होता है।
- हर कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत समिति का होना अनिवार्य है जिसमें 50 प्रतिशत महिलायें हो व उसकी अध्यक्ष भी महिला हो एक बाहरी सदस्य को महिला एनजीओ या महिला सशक्तीकरण से जुड़ा होना चाहिए।
- इस अधिनियम में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में हर प्रकार का कार्य करने वाली

महिला को शामिल किया गया है चाहे वह किसी भी उम्र की हो।

- महिला की सहमति के बिना उससे अश्लील बाते, इशारे, व्यवहार सभी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते है।
- महिलाओं को घूरना, अश्लील व्यवहार करना, पीछा करना, गलत टिप्पणी करना इत्यादि के लिये 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
- प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है।
- इस अधिनियम में वैवाहिक बलात्कार के लिये कम से कम 2 वर्ष व अधिकतम 7 वर्ष सजा का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में किसी भी महिला को कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह की कार्यवाही करने का अधिकार है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न-

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु की 14.58 करोड़ महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का व्यवहार हुआ है। (Vikaspedia)
- वर्ष 2006 से 2012 के बीच राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरों के अनुसार IPC की धारा 358 के अंतर्गत 283407, धारा 509 के तहत 71843 और बलात्कार के 154251 प्रकरण दर्ज हुए।
- 14 अक्टूबर 2020 को हयूमन राइटस वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार यौन उत्पीड़न कानून लागू करने में विफल रही है। यहॉ लाखों महिलाओं को बिना राहत उपायों के उत्पीड़न का शिकार होने के लिये छोड़ दिया गया है।
- (''हम जैसी महिलाओं के लिये मीटू नही: भारत में यौन उत्पीड़न पर कमजोर अमल'' – 56 पन्ने की रिपोर्ट)
- अक्टूबर 2017 में वैश्विक मीटू (# Me Too) आंदोलन सोशल मीडिया पर प्रारंभ हुआ जिसमें विश्वभर की लाखों महिलाओं ने अपने साथ हुए उत्पीड़न को साझा किया।
- विडंबना यह है कि घरेलू कामगार, निर्माण, फैक्री मजदूरों में सर्वाधिक महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है, लेकिन गरीबी के कारण उनके पास कोई विकल्प नहीं होता।
- इंडियन नेशनल बार एसोसियेशन द्वारा वर्ष 2017 में लगभग 6000 से अधिक कर्मचारियों के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में महिलायें यौन उत्पीड़न का शिकार हैं। जिसमें अश्लील टिप्पणी से लेकर यौन अनुग्रह तक शामिल है। चिंतनीय तथ्य जो सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश महिलायें डर व लोक लाज के चलते इसकी रिपोर्ट नहीं करती। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में किसी न किसी रूप में होता है।
- आस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2012 में राष्ट्रीय स्तर के टेलीफोनिक सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले व्यापक रूप से पाये जाते हैं। (आस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग,

वर्किंग विदाउट फीयर: रिजल ऑफ द सैक्सुअल हैरसमेंट नेशनल टेलीफोन सर्वे 2012, सिडनी, पेज–1) द्वारा सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के हर 5 में से । व्यक्ति ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न झेला है। इसके अतिरिक्त 4 में से। महिला और 6 में से। पुरूष का पिछले 5 सालों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है।

- यूरोपीय देशों में 40–50 प्रतिशत महिलयें कार्यस्थल पर अनचाहे यौन बरताव, शारीरिक स्पर्श और अन्य तरह के यौन उत्पीड़न का अनुभव करती हैं। (Un Women, Facts, and Figures on violence against women, http://www.unifem.org/gender-issues)
- भयावह तथ्य यह है कि अमेरिका में 12–16 वर्ष की आयु की 83 प्रतिशत छात्राओं ने सर्वाजनिक स्कूलों में किसी न किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न को झेला है। (www.unifem.org)
- वर्ष 2022 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को महिला उत्पीड़न की लगभग 3100 शिकायते मिली (The Hindu Biseness line – " Slow progress to creating a safe workplace for women" Date 21-02-2023)
- आकसफेम इंडिया और सामाजिक व ग्रामीण अनुसंधान (2011–12) के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत के विभिन्न कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न बड़े पैमाने पर है लेकिन फिर भी कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता । इस सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के लिये तीन सबसे असुरक्षित क्षेत्र हैं– मजदूरी, घरेलू नौकर व निर्माण कार्य।
- इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें यौन उत्पीड़न का अपराध न मानकर केवल नागरिक दोष माना गया है। (Vikaspedia)। इसके अलावा महिलाओं पर शिकायत वापस लेने के लिये दबाव डाला जाता है जिसके लिये कोई कानून नहीं है।
- न्यायमूर्ति वर्ग समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस कानून में आंतरिक समिति के प्रशिक्षण के दिशा निर्देशों का अभाव है।
- आतंरिक समिति में एक सदस्य कानूनी पृष्ठभूमि का अनिवार्यत: होना चाहिए।
- आतंरकि समितिया निष्पक्ष कार्य करेगी– संदेहास्पद है।
- पीड़ित महिलाओं को शिकायत करने पर प्रतिष्ठान द्वारा परेशान किया जा सकता है अथवा ऊँची पहुँच वाले लोग रिपोर्ट वापस लेने के लिये महिलाओं पर दबाव डाल सकते है।
- इस अधिनियम में सुलह समझौते का भी प्रावधान है जो कि न्याय पाने की अवधारणा का स्पष्टत: उल्लंघन है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. https://shebox.nic.in
2. https://wcd.nic.in
3. https://hi vikaspedia.in
4. www.drishtiias.com
5. https://hau.ac.in
6. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न : रोकथाम व निपरारा अधिनियिम 2013— International Lab our organization
7. व्मेन्स लिंक, वाल्यूम 20(2) अप्रैल–जून 2014
8. शर्मा, जी.एल.- सामाजिक मुद्दे रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, 2015
9. दीक्षित, माला, ''कानून असरदार व्यवस्था बेकार'', दैनिक जागरण, पानीपत 30 दिसंबर 2012
10. पांडेय, रेखा '' व्मेन फ्राम सब्जेशन टू लिवरेशन, मिततल पब्लिकेशन दिल्ली, 1988
11. www.hrw.org Human Rights Watch -'' हम जैसी महिलाओं के लिये मीटू नहीं - भारत में यौन उत्पीड़न कानून पर कमजोर अमल
12. न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट
13. सिंह शीलू व्यवहार न्यायधीश वर्ग एक छत्तीसगढ़ - महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

महिलाएं समाज की रचनात्मक शक्ति : विविध आयाम एवं कार्यनीतियाँ

• रेखा सेन

सारांश- किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है। महिलाएं समाज की रचनात्मक शक्ति होती है। इसके बावजूद अब तक समाज में महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व किसी भी अन्य क्षेत्र में महिलाओं का ऊंचे पद पर पहुंचना महज संयोग ही था। ऊंची मृत्यु दर, छोटा जीवनकाल, भूख, खराब स्वास्थ्य, निरक्षरता, पारिवारिक दायित्व, सीमा से ज्यादा काम और शोषण आम तौर पर यही सब महिलाओं के हिस्से में आया था। परंतु अब यह महसूस किया जाने लगा है आने वाले कल को सुधारने के लिए हमें आज की महिला की स्थिति में सुधार लाना होगा। इसके लिए हमें रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों को हमें पूरी ईमानदारी और सक्रियता के साथ लागू करना होगा। इसके साथ-साथ हमें घरेलू तथा सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाने का प्रयास करना होगा।

मुख्य शब्द- परम्परा, संस्कृति, महिलाअ, दायित्व

महिला सशक्तिकरण दुनिया का बेहद जरूरी विमर्श है। चूंकि यह महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता, स्वावलम्बन और सहअस्तित्व की पैरवी करता है इसलिये इसे सम्पूर्ण मानव जाति के आधे हिस्से की बेहतरी से जुड़ा विमर्श कहा जा सकता है। जहां तक ''सशक्तिकरण'' का प्रश्न है इसका अभिप्राय कमजोर व्यक्तियों की क्षमताएं और सम्पत्तियों के विस्तार से हैं ताकि व अपने जीवन को प्रभावित करने वाले संस्थाओं में भागीदार बने, उनसे वार्ता करें, उन्हें प्रभावित व नियंत्रित करें और उन्हें उत्तरदायी बनाऐं। सेन और ग्राउन (1988) के शब्दों में, ''अधीनस्थ के ढांचे में रूपांतर करने के साथ ही यह सशक्तिकरण सम्बद्ध है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें समाजों और परिवारों के अंदर और मध्य शक्ति का पुनर्वितरण किया जाता हैं साथ ही यह एक सामाजिक समानता लाने वाली प्रक्रिया हैं। इसको कुछ ढाँचों, व्यवस्था व संस्थाओं से शक्ति लेकर ही प्राप्त किया जाता है।''

समाज में नारी की स्थिति जितनी मजबूत होगी समाज उतना ही विकसित और

• अतिथि विद्वान, समाजशास्त्र विभाग शासकीय महाविद्यालय बरका, जिला सीधी मध्य प्रदेश

प्रभावपूर्ण होगा। किसी भी देश की वास्तविक प्रगति को जानने के लिए वहां की महिलाओं की स्थिति का आंकलन अति आवश्यक है क्योंकि महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा कर कोई भी समाज स्वयं का विकास नहीं कर सकता हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण से आशय महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा सुधारने मात्र से समझा गया है, जबकि इसका अर्थ काफी व्यापक है। वर्ष 1985 में नैरोबी में सम्पन्न 'अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन' मे महिला सशक्तिकरण का इस प्रकार परिभाषित किया था, महिला सशक्तिकरण महिलाओं की पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले विविध आयाम निम्नलिखित है –

भेदभाव, गरीबी और महिलाओं की उपेक्षा- समाज में सदियों से चली आ रही परम्पराएं, विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज, शिक्षा की प्रक्रियाएं, समाजीकरण और वर्तमान संस्थानात्मक प्रबंध विशेष तौर पर महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक ढांचे का निर्माण करते हैं। वास्तव में, महिलाओं की उपेक्षा व शक्तिहीनता का सामाजिक – आर्थिक आधार इस तरह की परिस्थिति में वैध रूप से संस्थानीकृत हो जाता है।

सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से महिलाओं को उनकी कार्य भागीदारी, उत्पादकीय, संसाधनों तक पहुंच, सूचना व मानवीय विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण में बाधा पड़ती है। गरीबी के कारण महिलाओं को न केवल कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं बल्कि गरीबी उनसे जीवन के विकल्पों व अवसरों को भी छीन लेती हैं। इससे लिंग भेदभाव की खाई चौड़ी होती है और पुरूषों की तुलना में महिलाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

राजनीतिक सहभागिता में पिछड़ा स्थान- राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की भूमिका बहुत सार्थक नहीं मानी जा सकती है। निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी के अभाव में प्राय: उन्हें संसाधनों के असमान वितरण, अपने हितों की उपेक्षा तथा अनेक वंचनाओं का सामना करना पड़ता हैं।

महिलाओं की गैर परम्परागत राजनीतिक गतिविधियों जैसे – पर्यावरण संबंधी आंदोलन, मद्य निषेध आंदोलन आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें उत्तराखाण्ड का 'चिपको आन्दोलन' आन्ध्रप्रदेश का 'अरक विरोधी आंदोलन' व आदिवासी पुनर्वास हेतु मध्य प्रदेश का 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' उल्लेखनीय है। परंतु सक्रिय, प्रत्यक्ष व चुनावी राजनीति मुख्यत: पुरूष प्रभुत्व का क्षेत्र रही है जिसमें महिलाओं की सहभागिता, आनुपातिक रूप से सदैव ही अत्यधिक अल्प रही हैं।

यह अनुभव किया गया है कि यदि स्त्रियों को निर्णयकारिता के स्तर पर पहुंचना सुलभ कर दिया जाए तो स्त्रियों की समस्याओं को सुलझाने में सरलता होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को निर्णय करने की प्रक्रिया से जोड़ना होगा। चाहे घर की चहारदीवारी में लिये जाने वाले निर्णय हो या सरकारी स्तर पर। अत: राजनैतिक सहभागिता को बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को सार्थक बनाया जा सकता हैं। महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन की दृष्टि से प्रतिनिधित्व की गारंटी देना आवश्यक माना गया हैं।

प्रतिनिधित्व की गारंटी मिलने से महिलाओं के राजनैतिक समाजीकरण एवं समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाने में सशक्त आधार मिला हैं। पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण ने स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति निश्चित करके ग्रामीण और शहरी स्तरों पर पुरूषों को यह स्थिति स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है। आज अनेक महिला प्रधान महिला पंचायत सदस्यों की सहायता से शराबखोरी, दहेज के मुद्दे पर आम राय तथा रूढ़िवादी विचारों का दृढ़ता के साथ विरोध कर रही हैं।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य- शिक्षा मानवीय विकास का केन्द्रबिन्दु है। साक्षरता से अन्य कई सामाजिक समस्याआं जैसे – ऊंची जन्मदर, स्वास्थ्य की देखभाल का अभाव, अज्ञानता व निर्धनता के समाधान में सहायता मिलती हैं। महिलाओं में शिक्षा के अभाव का तात्पर्य उनमें आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास की कमी है जिसके कारण वह अपनी समस्याओं का स्वत: ही समाधान करने में असमर्थ है। स्वतंत्रता के साठ वर्षों बाद भी इस दिशा में महिलाओं की स्थिति चिंतनीय है।

हमारे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति हमेशा से ही एक गंभीर विषय रहा है। यद्यपि भारत में नियोजित विकास की शुरूआत से ही महिलाओं की समस्याओं को जानने तथा मातृत्व व बाल सेवाओं से संबंधित प्रयत्नों को प्राथमिकता प्रदान की गई तथापि महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी गुणात्मक व मात्रात्मक दशाओं में सुधार के प्रयास अभी तक अधूरे ही हैं। भारत में किए गए अध्ययनों के अनुसार भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याऐं इस प्रकार है – प्रसूतिकाओं व नवजात शिशुओं की बड़ी संख्या में मृत्यु, उनकी रोगग्रस्तता, जन्म के समय जीवन की संभावनाओं में कमी, कुपोषण, मानसिक विकृति, आत्महत्याआं की अधिक दर तथा कुछ स्त्रियोचित रोग। बच्चों को जन्म देना व उनका पालन–पोषण करना आज भी महिलाओं का परम कर्तव्य समझा जाता है। यह समस्याएं अनेकों सांस्कृतिक मापदण्ड, परिवार व समाज में महिलाओं के स्थान, चिकित्सा संबंधी देखभाल, पोषण व स्वास्थ्य संबंधी अन्य अभिगमों को निर्धारित करते है।

जागरूकता व चेतना- महिलाओं में चेतना या जागरूकता लाना वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को संगठित करके उन्हें प्रेरित करना है कि संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उनके प्रति जो भेदभाव बरता जा रहा है या जो भी बाधाएं है, वह उन्हें दूर कर सके। इसके लिए 'महिला सामाख्या' कार्यक्रम एक सशक्त माध्यम है।

आर्थिक सशक्तिकरण- विश्व की कुल जनसंख्या में आधी जनसंख्या महिलाओं की है वे कार्यकारी घंटों में दो तिहाई का योगदान करती हैं, लेकिन विश्व आय का केवल दसवां हिस्सा प्राप्त कर पाती हैं और उन्हें विश्व सम्पत्ति में सौंवे से भी कम हिस्सा प्राप्त है। पूर्व की तुलना में इस क्षेत्र में महिलाओं ने कारगर भूमिका निभायी है अथवा वे अब आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हुई है। अब महिलाएं कृषि, पशुपालन व हथकरघा से आगे निकलकर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, उपभोक्ता उत्पादन, विधि, चिकित्सा, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में आगे जा रही है। महिलाओं के लिये ''कार्य'' शब्द का अर्थ, परिभाषा व सीमा अब निर्धारित नहीं रही है तथापि उनकी बहुत सारी क्रियाओं को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया गया है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की

आर्थिक क्रियाओं में संलग्नता विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

महिला सशक्तिकरण हेतु कार्यनीतियां- महिलाएं जाति, वर्ग, नस्ल और राष्ट्र के भेदभाव के परे उपेक्षित समूहों का एक केन्द्र बिन्दु रही है फिर भी सामाजिक विकास कार्यनीति में परिवर्तन के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति बहुत शोचनीय हैं। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया मात्र एक सांविधानिक नहीं रहे जो कि ऊपर से दी जानी हैं बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया में परिवर्तित हो जिसे नीचे से पहल के द्वारा सक्रिय किया जा सके। वास्तविकता में महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य अधीनस्थता के ढांचे के तोड़ना होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण हतु यह आवश्यक हैं कि महिलायें अपनी मानसिक प्रवृत्ति में सकारात्क परिवर्तन लायें कि समाज में उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार से अपेक्षा की जाती हैं कि वह इस दिशा मं चलाए जाने वाले कार्यक्रमों एवं आंदोलनों को इस प्रकार से प्रचारित करं कि वह ''स्त्री बनाम पुरूष लड़ाई'' का रूप नहीं ले सके। बालिकाओं एवं महिलाओं की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति को ठीक तरह समझने के लिए आवश्यक हैं कि उनकी बात सुनी जाए, समझी जाए और तर्क के साथ समझाई जाए। इस हेतु उनके पालकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए वर्तमान में आवश्यकता इस बात की हैं कि उन्हें प्रदत्त संवैधानिक समानता को एक सशक्त साधन के रूप में उपयोग किया जाए। महिलाओं से भी इस बात की अपेक्षा की जाती हैं कि वह स्वयं उन नीतियों व योजनाओं के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें जो उनके लिये बनायी जा रही हो अथवा उन्हें व्याप रूप से प्रभावित करती हो। समाज में व्याप्त संरचनात्मक, अभिवृत्यात्मक व सांस्कृतिक बाधाओं के अतिरिक्त महिलाओं हेतु पूर्व निर्धारित लैंगिक भूमिकाओं पर भी पुनर्विचार किया यह समय की मांग है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को प्राप्त भागीदारी को प्रतीकात्मक से वास्तविक सहभागिता के रूप में परिवर्तित करने हेतु उन्हें अपने कार्यों से संबंधित सूचनाएं, प्रशिक्षण के अतिरिक्त पारिवारिक एवं स्थानीय शासकों का सहयोग सुनिश्चित किया जाए।

शहरों के साथ ही गांवों में महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न रोकने के लिए महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के अतिरिक्त जूड़ो-कराते का प्रशिक्षण जैसे रक्षात्मक उपायों तथा कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। यौन उत्पीड़न रोकने के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। महिलाओं के मामलों में पुलिस की अक्रियाशीलता एक बड़ी समस्या रही है। समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर पुलिसकर्मियों में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के प्रति सक्रिय तथा संवेदनशील बनाया जा सकता है। महिला संबंधी कानूनों में व्याप्त विसंगतियों को भी शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाना चाहिए ताकि उन्हें पुरूषों के समान कानूनी और वास्तविक रूप में सभी मानवाधिकार प्राप्त हो सके। महिलाओं को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना आवयक है जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक निर्भरता को कम किया जा सके।

अंततः हमें ध्यान रखना होगा कि महिलाओं में अपार क्षमता निहित हैं। इन्हें सबल और सशक्त कर हम देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से सुदृढ़ बना सकेंगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह कथन आज भी प्रासंगिक है कि " जब महिलाएं आगे बढ़ती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और राष्ट्र भी अग्रसर होता है।"

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. डॉ.आर.पी. जोशी एवं डॉ.रूपा मंगलानी, भारत में पंचायती राज
2. श्यामाचरण दुबे, भारतीय समाज
3. डॉ. डी.आर. सचदेव, भारत में समाज कल्याण प्रशासन
4. राम आहुजा, सामाजिक समस्याऐं
5. शोध पत्रिका, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, जनवरी–जून 2011
6. कुरूक्षेत्र – मार्च 2023
7. योजना – अक्टूबर 2022
8. प्रतियोगिता दर्पण – सितम्बर 2021

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और विकास का अध्ययन (भरतपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

• लोकेश कुमार शर्मा

सारांश- प्रस्तुत लेख के तहत भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है। इस शोध पत्र में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, वर्तमान स्थिति, समस्याओं और महिलाओं के राजनीतिक भविष्य का अध्ययन किया गया है। वर्तमान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति वैसी नहीं है जैसी 20 साल पहले थी। किसी भी राष्ट्र के उत्थान एवं समाज के विकास में नारी का विशेष योगदान होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए भी स्त्रियों में राजनीतिक जागरूकता एवं विकास का होना अति आवश्यक है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक अपवाद रही है। स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के प्रतिशत में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। संविधान में न केवल महिलाओं को समानता का दर्जा दिया है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया है, जिसकी आज जरूरत भी है। आज हम विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखने तथा विकास की दौड़ में आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं, तब महिलाओं के अंदर राजनीतिक जागरूकता और विकास की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जाती है। क्योंकि जागरूक और सक्षम नारी के अभाव में विकसित श्रेष्ठ राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है। महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और विकास के अभाव में विकसित लोकतांत्रिक राष्ट्र की संकल्पना स्वप्न मात्र होगी।

मुख्य शब्द - राजनीतिक, सामाजिक, महिला, प्रतिनिधित्व, जागरूकता, विकास, सहभागिता, लोकतंत्र

परिचय- प्राचीन काल से महिलाएं पीढ़ियों को आगे बढ़ाने, सभ्यता के निर्माण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। महिलाएं न केवल आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि शेष आधी आबादी की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के प्रतिशत में आजादी के बाद उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। सबसे पहले लैंगिक समानता के सिद्धांत को

• शोधार्थी, लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी रोड, अलवर, राजस्थान

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और निर्देशक सिद्धांतों में प्रस्तावित किया गया है। संविधान में न केवल महिलाओं को समानता का दर्जा दिया बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया है। अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हुए एक ऊर्जावान और ठोस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक विचारकों ने राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। पुरुषों के समान राजनीतिक सहभागिता के रूप में उन्हें वोट डालने एवं चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सरकार ने ऐसी कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया है जिसमें महिलाओं के कल्याण और उनके विकास को भी प्रमुख मुद्दों में शामिल किया गया है। 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को पंचायत में सीटों और नगर निकायों के स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया है ताकि राजनीति में उनकी भागीदारी को एक मजबूत आधार प्रदान किया जा सके।

उद्देश्य -

1. भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति व राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन करना।
2. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करना।
3. महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और विकास में आने वाली समस्याओं का अध्ययन।
4. लोकतांत्रिक शिक्षा के परिणाम स्वरुप महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और अभिमत में आए परिवर्तन का अध्ययन करना।
5. महिलाओं को उनकी राजनीतिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना।

अध्ययन पद्धति एवं आंकड़ों का संग्रह- प्रस्तुत अध्ययन के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए और महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता व विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। उच्च शिक्षा अध्यनरत छात्राएं, प्रतिनिधि महिलाएं द्वितीयक आंकड़ों के संकलन, डायरी, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्र एवं विभिन्न वेबसाइट व पुस्तकों के माध्यम से किया गया है। कार्यशील महिलाएं और ग्रहणियों से अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार किया गया है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी व भूमिका- "यत्र नार्यस्तु पूजन ते रमंते तत्र देवता" भारतीय समाज का मूल दर्शन रहा है। भारत के इतिहास में आधुनिक काल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से अधिक महत्वपूर्ण है। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सामाजिक और राजनीतिक भूमिका को रेखांकित किया। श्रीमती एनी बीसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की। इसके साथ ही श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचेता

कृपलानी, श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, आदि ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव का पत्थर साबित हुई। स्वाधीनता की राजनीति में नंदिनी सतपति, मोहसिना किदवई, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज, मायावती, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी आदि ने सक्रियता दिखाई। इंदिरा गांधी ने कई वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। भारतीय महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक अधिनियम पारित हुए जिसमें सती प्रथा की विरुद्ध अधिनियम, विधवा विवाह अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम और दहेज विरोधी अधिनियम आदि प्रमुख हैं। लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री शिक्षा एवं परिवार कल्याण योजना को सम्मिलित स्तर पर का कार्यान्वयन का प्रयास किया गया। महिला एवं विकास विषयक नया अध्याय छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया। महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधित्व कानून द्वारा एक तिहाई सदस्यता के प्रतिनिधित्व के कारण समाज में पुरुषों और महिलाओं के समानता का विचार तेजी से बदल रहा है और महिलाओं में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति- अब दुनिया भर में महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने हेतु उनकी स्थिति को प्रभावित करने वाले विभिन्न संगठनों और सत्ता संचालन का संभालने वाली जनतांत्रिक इकाइयों पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने पर जोर दिया जाने लगा है। भारत में इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए 1952 में ही 73वें संविधान संशोधन द्वारा देश भर की पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिया। महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में यही क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज में स्थानीय नगरीय स्वशासन में पहले 33 प्रतिशत और अब बढ़ाकर 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक विकास के लिए मार्ग शास्त्र बना दिया गया है। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहले केंद्र सरकार के पास 20 कैबिनेट मंत्रालयों में केवल एक महिला मंत्री को स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभाव दिया गया था। आज वर्तमान सरकार में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। 2014 में मोदी सरकार में कुल 9 महिला सांसदों को कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाया गया। 16वीं लोकसभा में 61 महिला उम्मीदवार जीती। भारत की राजनीतिक पटल में श्रीमती इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, और वर्तमान राष्ट्रपति पद पर श्रीमती द्रोपति मुर्मू का आसीन होना राजनीतिक लोकतंत्र में महिलाओं की स्वीकार्यता को दर्शाता है। शोधकर्ता के गृह जिले भरतपुर में वर्तमान सांसद पद पर श्रीमती रंजीता कोली आसीन है। किंतु अनेक प्रयासों के बावजूद भी हम भारत की आधी आबादी के प्रतिनिधित्व हेतु 100 कार्यशील महिला प्रतिनिधियों को लोकसभा तक नहीं पहुंच पाए।

महिलाओं की भागीदारी से राजनीति का भविष्य - राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के कारण राजनीति की प्रक्रिया में कई बदलाव होने की उम्मीद है। राजनीति हमारे जीवन में सभी पहलुओं पर फैसला लेती है। राजनीति अर्थव्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा आदि। इसलिए यदि हमारे समाज की आधी आबादी महिलाएं

उन फसलों में शामिल नहीं है तो यह हित में नहीं है। आज महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से राजनीति मनमानी और अतिवाद में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। नागरिकता और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सामाजिक बुराइयों और दुष्कर्मों में कमी आएगी। इसके अलावा समाज में शिशुओं लड़कियों और युवा महिलाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार होगा। महिलाओं की शक्ति, संपत्ति अधिकारों को व्यावहारिक और मजबूत बनाया जाएगा। सुनिश्चित करें कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि ने पुरुषों और महिला दोनों के लिए विकास का एक नया चरण शुरू किया है और इसके परिणाम आगे बेहतर होंगे। लेकिन यह तभी संभव होगा जब पुरुष वर्ग व्यापक सामाजिक राजनीतिक खेत में महिला भागीदारी पर गंभीर होंगे।

सुझाव -

1. शिक्षा प्रथम और अनिवार्य आवश्यकता।
2. महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक।
3. व्यवस्थापिका में महिला आरक्षण की व्यवस्था।
4. महिला अधिकारों की वास्तविक रूप में क्रियान्वित्ती।
5. मीडिया की सकारात्मक भूमिका की आवश्यकता।
6. आत्मविश्वास और जागरूकता में वृद्धि।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. गुप्ता, कमलेश कुमार, "महिला सशक्तिकरण" (2005), बुक एनक्लेव जयपुर, पृष्ठ संख्या 42
2. जैमन, सुषमा, "भारतीय समाज और महिलाएं" (2009), साहित्यकार जयपुर, पृष्ठ संख्या 9
3. शर्मा, प्रज्ञा, "वूमेन इन इंडियन सोसाइटी" (2011), पेंटर पब्लिशर्स जयपुर, पेज संख्या 162 से 165
4. ड, राजकुमार, "नारी के बदलते आयाम" (2009), अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 95
5. अंसारी एम. ए., "महिला और मानव अधिकार" (2010), ज्योति प्रकाशन जयपुर, पृष्ठ संख्या 15
6. जैन, राजेश, "भारतीय राजनीति के नए आयाम" (2000), कॉलेज बुक डिपो जयपुर, पृष्ठ संख्या 95
7. अग्निहोत्री, रविंद्र, "आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्याएं और समाधान" (2010), राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ 235

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

बौद्धिक संपदा अधिकार: उपयोग और आवश्यकता

• गंगा देवी बैरागी

सारांश- आज के आधुनिक युग में, अपने सृजनात्मक विचारों, रचनाओं, उत्पादों, अपने श्रम को, महत्वपूर्ण बनाए रखना, एवं सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकार नियम की जरूरत महसूस हुई। बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम, कानूनी संरक्षण का एक रूप है जो व्यक्तियों, या कंपनियों को उनके अभिनव कार्यो के लिए,, जैसे अविष्कार साहित्य और कलात्मक कार्य, एवं उत्पादों के संदर्भ में प्रदान किए जाते हैं। जिससे कोई अन्य व्यक्ति, उद्यम, अन्य किसी के परिश्रम एवं विचारों का अनुचित उपयोग करके लाभ न कमा सके। बौद्धिक संपदा अधिकारों की आवश्यकता, आज के आधुनिक युग में और भी महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि लोग, नवीन सृजनात्मक भौतिक गतिविधियों, एवं भौतिक उत्पादों पर, दूसरे के श्रम पर, अपना टैग लगाकर उसको भेजते हैं या मुनाफा कमाते हैं। अत: अपने शाम और सृजनात्मक विचारों और नवीन उत्पादों को, सुरक्षित रखने हेत, इस अधिनियम का निर्माण किया गया।

मुख्य शब्द- बौद्धिक, क्षमता, विचार, बौद्धिक संपदा अधिकार

बौद्धिक संपदा अधिकार- मनुष्य अपनी योग्यता और मानसिक दक्षता के द्वारा कई तरह के अविष्कार करता है, और विभिन्न रचनाओं का सृजन करता है। उन किए गए अविष्कारों पर उसका पूर्ण अधिकार भी है, लेकिन उसके इस अधिकारों की संरक्षण की चिंता उसे हमेशा से रही है यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा के अधिकारों की चर्चा प्रारंभ हुई। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि, मेहनत की है उसे उसका स्वयं उसे मिले, अन्य को नहीं। यदि हम कोई कविता या कहानी लिखते हैं और उसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी ढंग से अपने निजी फायदे के लिए, उपयोग किया जाता है, तो यह हमारे अर्थात रचनाकार के अधिकारों का हनन है। अब आज के दौर में दुनिया भर में यह बहस तेज हुई है, की कैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जाए। तब संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अभिकरण 'विश्व बौद्धिक संपदा संगठन' की स्थापना की गई। इस संगठन के प्रयासों से ही, बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व को प्रमुखता प्राप्त हुई। और इसका गठन वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 193 देश इस संगठन के सदस्य हैं।

• सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय कला एवं वाणिज्य, महाविद्यालय,मझौली सीधी

बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार-

1.कॉपीराइट- कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को शामिल किया जाता है।

कॉपीराइट के तहत दो प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं–

- **आर्थिक अधिकार-** इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय लाभ दिया जाता है।
- **नैतिक अधिकार-** इसके अंतर्गत लेखक/ रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है।

2.कॉपीलेफ्ट- इसके अंतर्गत कृतित्व की पुन: रचना करने, उसे अपनाने,या करने यह वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिए लेखक/ रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है।

3.पेटेंट- जब कोई अविष्कार होता है, तब अविष्कार करता को उसके लिए दिया जाने वाला, अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर, इसकी अवधि, पेटेंट दर्ज की तारीख से 20 वर्षों के लिए होती है। अविष्कार पूरे संसार में कहीं भी सार्वजनिक ना हुआ हो, यह आवश्यक शर्त या पाबंदी होती है। अविष्कार ऐसा हो जो, पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति को इंगित ना कर रहा हो तथा वह आविष्कार व्यावहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिए। यह सभी मानदंड या पैमाने पेटेंट करवाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ऐसे आविष्कार, जो आक्रमक या आसामाजिक छवि को उकसाते हो, ऐसे आविष्कार जो मानव या जीव जंतुओं में, रोगों के लक्षण जानने के लिए, प्रयुक्त होते हो, इस प्रकार के आविष्कारों को पेटेंट का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

4.ट्रेडमार्क- यह एक ऐसा विशेष चिन्ह है, जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से, पृथक किया जा सके, यही ट्रेडमार्क कहलाता है, अर्थात ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है, जो एक उद्यम की वस्तुओं यह सेवाओं को अन्य उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं से, अलग करने में सक्षम है। ट्रेडमार्क प्राचीन काल के हैं, जब कारीगर अपने उत्पादों पर, अपने हस्ताक्षर या चिन्ह लगाते थे।

5.औद्योगिक संपत्ति- एक औद्योगिक डिजाइन, किसी वस्तु के सजावटी या सौंदर्य संबंधित पहलू का गठन करता है। डिजाइन में त्रियामी विशेषताएं शामिल हो सकती हैं। जैसे किसी लेख का आकार,सतह या दो आयामी विशेषताएं जैसे पैटर्न, रेखाएं या रंग। औद्योगिक संपत्ति को उपयोगी रूप से दो मुख्य क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। एक क्षेत्र को विशिष्ट संकेत की सुरक्षा के रूप में चित्रित किया जा सकता है। विशेष रूप से ट्रेडमार्क (जो एक उपक्रम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उपक्रमों से अलग करते हैं) और भौगोलिक संकेत(जो किसी वस्तु की उत्पत्ति, उसे स्थान पर होने की पहचान करते हैं जहां उसकी दी गई विशेषता होती है) ऐसे विशिष्ट संकेतों की सुरक्षा का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है, और सुनिश्चित करना उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच सूचित विकल्प चुनने में सक्षम

बनाकर उनकी रक्षा करना है। सुरक्षा अनिश्चितकाल तक चल सकती है बशर्ते कि, उनके हस्ताक्षर विशिष्ट बना रहे।

6.पेटेंट का सामाजिक उद्देश्य- पेटेंट का सामाजिक उद्देश्य, नई तकनीकी के विकास में, निवेशों के परिणामों की रक्षा करना है।

7.भौगोलिक ट्रेडमार्क- यह वे भौगोलिक संकेत और उत्पत्ति के पद वा उन वस्तुओं पर उपयोग किए जाने वाले संकेत हैं, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है उनमें ऐसे गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं, जो मूल रूप से उसे स्थान के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे कश्मीर के सेव, नागपुर के संतरे, मधुबनी चित्रकला, बनारसी साड़ी, आदि आदि। आमतौर पर पेटेंट अधिकतम 20 वर्षों के लिए दिया जाता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार की उपयोगिता- भारत सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को स्वीकृति प्रदान की थी। इस नीति के जरिए ही भारत में इसके संरक्षण और प्रोत्साहन में मदद मिल रही है। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की उपयोगिता इस प्रकार है–

1. व्यवसाय के विचारों या अवधारणाओं की रक्षा - बौद्धिक संपदा अधिकार न केवल व्यवसाय के विचारों या अवधारणाओं की रक्षा करते हैं, जो उत्पादों और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह बाजार मूल्य बढ़ाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के तहत संरक्षित उत्पादों और सेवाओं की लाइसेंसिंग, बिक्री और यहां तक की व्यवसायीकरण के माध्यम से व्यवसाय उत्पन्न करने में मदद करता है। इससे अंततः बाजार हिस्सेदारी में सुधार होगा, और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी। पंजीकृत और संरक्षित बौद्धिक संपदा अधिकार होने से बिक्री विलय या अधिग्रहण के मामले में व्यवसाय का मूल्य भी बढ़ सकता है।

2. विचारों और सोच को लाभ कमाने वाली संपत्तियों में बदले - विचारों का अपने आप में बहुत कम मूल्य है, लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत विचारों को पंजीकृत करने से, आपको इस व्यावसायिक रूप से सफल उत्पादों और सेवाओं में बदलने में मदद मिल सकती है। पेटेंट को कॉपीराइट करने या रॉयल्टी और अतिरिक्त आय का एक स्थिर प्रवाह हो सकता है।

3.अपने उत्पादों और सेवाओं का विपणन करें - बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने से आपके व्यवसाय की छवि को मदद मिलती है। ट्रेडमार्क पंजीकरण जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार, आपको अपने उत्पादों और सेवाओं को, दूसरों से अलग करने में मदद कर सकते हैं।

4.पूंजी तक पहुंच या सेवा जुटाना- बिक्री लाइसेंस के माध्यम से यार रिन्वित पोषण के लिए संपस्विक के रूप में आईपीआर का उपयोग करने के लिए कोई भी व्यक्ति वित्तीय पोषण के लिए मुद्रीकरण कर सकता है। अनुदान, सब्सिडी और ऋण जैसी सरकारी फंडिंग के लिए आवेदन करते समय, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग एक लाभ के रूप में किया जा सकता है।

5.यह निर्यात के अवसरों को बढ़ाता है- एक व्यवसाय जिसने आईपीआर पंजीकृत किया है वह अपने उत्पादों और सेवाओं को, अन्य बाजारों में भी बेचने के लिए ब्रांडों और

डिजाइनों का उपयोग करने में सक्षम होगा । कोई व्यवसाय विदेशी कंपनियों के साथ, फ्रेंचाइजिंग समझौता का भी लाभ उठा सकता है, पेटेंट किए गए उत्पादों का निर्यात कर सकता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार का महत्व- बौद्धिक संपदा अधिकार का महत्व इस प्रकार है–

1. समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
2. बौद्धिक क्षमता अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना।
3. मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना, ताकि अधिकृत व्यक्तियों तथा वृहद लोक हित के बीच संतुलन बना रहे।
4. सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना।
5. व्यवसाय कारण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण, एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का, मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन एवं न्यायिक प्रणालियों को मजबूत बनाना।
6. मानव संसाधनों तथा संस्थाओं की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना, और बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के आधुनिक युग में अपने विचारों के सृजनात्मक उत्कृष्टता तथा आर्थिक परिदृश्य पर अपने उद्यमों को वैश्विक परिदृश्य पर स्थापित करने तथा उन पर अपना पूर्ण स्वामित्व बनाए रखने हेतु, बौद्धिक संपदा अधिकारों का होना और उनके प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हमारी सृजनात्मक इकाइयां सुरक्षित व संरक्षित रह सकेंगी, तथा हमारे अथक मेहनत और आविष्कारों का कोई दूसरा व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

जीवन का प्रकाश एवं गाँधीवादी विचारधारा

• रश्मि सोमवंशी

सारांश- गाँधी आधी धोती में लिपटा हुआ, लाठी के सहारे से चलता हुआ हाड़ मांस का एक दुबला-पतला सा व्यक्तित्व, किंतु एक दिव्य पुंज जिसकी किरणें जिधर भी गयी, सब कुछ सुधरता चला गया, बनता चला गया। वो चन्द्रमा के समान शान्त, शालीन और मन की धधकती ज्वाला को अपनी मधुर वाणी एवं चाँदनी सी मुस्कुराहट से शान्त करने वाला व्यक्तित्व किन्तु उसकी शक्ति और तेज तो देखिए, आँखे चुंधिया जाती है, लगता है, एक और सूर्य सामने है किन्तु इस सूर्य की किरणें जलाती नहीं अपितु प्रेरित करती हैं, सम्पूर्ण विश्व को उस राह पर चलने के लिए जो उन्नति का आकर्षण मात्र नहीं। अपितु हमें यथार्थ उन्नति की ओर ले जाती हैं, सत्य की ओर ले जाती हैं, मानवता की ओर ले जाती है।

मुख्य शब्द- सत्य, अहिंसा, प्रेम, खादी, स्वदेशी, नारी, शताब्दी पुरूष, विश्व बन्धुत्व

विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के साथ तेजी से बदलते वर्तमान विश्व के संदर्भ में कुछ लोग गाँधीवादी विचारों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। किन्तु वे सवाल वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी रखने के बावजूद ऐसे व्यक्तियों की अज्ञानता के स्तर को इंगित करते हैं। यहाँ यह भी सवाल उठता है, जिस व्यक्ति ने गाँधीजी को देखा ही नहीं वह गाँधीजी द्वारा सुझायी गयी भारत की पथप्रदर्शक शक्ति से अपने आपको कैसे जोड़ सकता है किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। आज गाँधीजी हमारे बीच नहीं है। किन्तु एक प्रेरणा और प्रकाश के रूप में लगभग उन सभी मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन निरन्तर हमारे साथ है। जिसका सामना किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र को करना पड़ता है।

महात्मा गाँधी एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक आन्दोलन, एक विचारधारा, एक प्रकाश के रूप में हमारे बीच में है। जो जीवन के हरेक अंग से अंधकार दूर करते हैं। उनकी सबसे महान विरासत उनकी आध्यात्मिक शक्ति है जो तोपों की गूँज और हमलावरों की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है। उनकी आध्यात्मिकता ऐसी अहिंसा पर आधारित थी जो प्रेम और निर्भीकता को प्रोत्साहित करती है। वे जाति, लिंग और सम्प्रदाय का भेदभाव किये बिना प्रत्येक व्यक्ति को दिव्य समझते हैं।

किसी भी व्यक्ति की सही पहचान इसी बात से होती है, कि उसे जीवन की उत्कृष्टता की कितनी तलाश है। महात्मा गाँधी इस तलाश में अपने लक्ष्य से भी एक कदम आगे हैं। मानव के साथ जुड़ी यह दिव्यता उन्हें जीवन के दबाव बुराइयों के खिलाफ संघर्ष

• राजनीति विज्ञान विभाग, लार्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी, अलवर (राजस्थान)

करने को प्रेरित करती है। मानव में सामंजस्य उत्कृष्टता के संदर्भ में गाँधीजी अहिंसा के विभिन्न घटकों का पालन करने को सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं। जीवन को सादगी के लक्ष्य के रूप में अपनाने को वरीयता देते हैं। संयम को नया आया देते हैं।

गाँधीजी ने कहा था, "मैं ऐसे भारत के लिये काम करूँगा जिसमें निर्धन लोग यह महसूस कर सकें कि यह उनका देश है। वह भारत जिसमें लोगों की कोई उच्च और निम्न श्रेणी नहीं है। वह भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग मित्रभाव से रहते हैं। ऐसा भारत जहाँ अपराध, अभिशाप अथवा अस्पृश्यता नशा और नशीले पदार्थों का सेवन न हो जहाँ महिलाएँ और पुरूष समान अधिकार या आनन्द उठा सके।" गाँधीजी ने युद्ध रहित विश्व, अंधविश्वास रहित समाज, बंधुआ मजदूर रहित गैर-हिंसात्मक और गैर शोषित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था विकासोन्मुखी शिक्षा की कल्पना की थी, जो बौद्धिक ही नहीं अपितु शारीरिक और आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों का विकास कर सकें। गाँधीजी की आर्थिक दृष्टि में कताई, हाथ से बुनाई, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग-धन्धों का लक्ष्य करोड़ों भारतीयों को जीविका प्रदान करना था।

गाँधीजी ने युद्ध रहित विश्व का भी सपना संजोया था। वास्तव में हिंसा, शोषण से मुक्त विश्व की स्थापना उनकी सही कल्पना थी, गाँधी जी के शब्दों में "नयी सहस्त्राब्दि में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिये पर्याप्त सामग्री होगी किन्तु प्रत्येक व्यक्ति का लोभ पूरा नहीं किया जा सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यकताएँ सीमित करनी चाहिए।" जीवन का उपहार सभी उपहारों में सबसे महान है, जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों को देता है वह समस्त शत्रुता को त्याग देता है। ऐसा करके वह एक सम्मानजनक रास्ता प्रशस्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है। वह उसी समय कायर बन जाता है।[1] मनुष्य मरने के लिए पैदा होता है, और अन्य लोगों की भाँति महापुरूष भी अपना शरीर छोड़ देते हैं, पर वास्तव में अपने पीछे छोड़े कार्यों के द्वारा वे सदा के लिए अमर हो जाते हैं।[2]

यूँ तो भारतवर्ष में जितने भी संत महात्मा हुये उन्होंने जीवन को संयमी और त्यागी बनाने का उपदेश दिया, मगर गाँधी जी की विशेषता यह थी कि राजनैतिक क्षेत्र में रहकर भी उन्होंने लोगों को संयमी और त्यागी बनाने का प्रयत्न किया। गाँधी सहज रूप से हर व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर लेते थे, क्या जादू था इस इंसान का, जिधर चला गया, जहाँ चला गया, हजारों और लाखों लोग उसके दर्शन को टूट पड़ते थे।[3]

गाँधी संत, राजनीतिज्ञ, आर्थिक चिंतक तो थे ही लेकिन असल में वे सभ्यता के व्याख्याता ही नहीं उसके निर्माता भी थे। उन्होंने केवल इतिहास की व्याख्या ही नहीं कि बल्कि उसका निर्माण भी किया।[4] संसार ने पिछली पच्चीस शताब्दियों से भी अधिक में जितने भी महापुरूषों को जन्म दिया है, उनमें अगर गाँधी जी को आज नहीं माना जाता है, तो आने वाले समय में भी सबसे बड़ा माना जायेगा। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों और अंगों को विभिन्न वर्गों में बांटा नहीं बल्कि जीवन धारा को सदा एक ओर अविभाज्य माना।[5] राधाकृष्णन जी ने लिखा है, "गाँधी जी के लिये सत्य ही शाश्वत है वह ही मानवता में निहित परमात्मा का स्वरूप है।[6]

ऐसा नहीं है कि भारत के चिन्तन जगत में गाँधी के अलावा अन्य महान पुरूष और मार्गदर्शक नहीं हुये हैं। भारतीय इतिहास ऐसे महापुरूषों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने

देशवाशियों को विभिन्न रूपों में प्रोत्साहित किया है, अधिकांशत: वे सभी गाँधी दर्शन में समाये हुए नजर आते हैं।[7]

गाँधी जी ने इस विशाल शून्य संसार के सामने एक मनुष्य में जो कुछ भी अच्छा होता है और महान होता है उसे प्रदर्शित किया। मनुष्य के प्रयास की अनन्त प्रतिष्ठा में विश्वास स्थापित करके उन्होंने मानवीय गौरव को जाज्वल्यमान किया। वे ऐसे व्यक्तियों में से है जो मानव जाति की सदा रक्षा करते हैं।[8] हो सकता है कि बहुत से लोग सहमत न हो कि क्या आज के युग में गाँधी के शब्दों का कोई सार हो सकता है, लेकिन गाँधी में ऐसा आकर्षण तो है ही कि जब कभी दुनिया के किसी कोने से हिंसा की गतिविधियाँ अत्याचार और जुल्म बढ़ते हैं, या राजनीति अपनी राह से भटक जाती है तब जनसभाओं में, संसद और विधानसभाओं में राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में चाहे वह पूरब में हो या पश्चिम में, गाँधी के शब्दों और उनके कहे हुये वाक्यों का उदाहरण समस्त संसार में दिया जाता है। आज भारत की पहचान तो दुनिया में गाँधी के नाम से ही होती है।[9]

गाँधी केवल शताब्दी पुरूष ही नहीं सहस्त्राब्द पुरूष हैं, गाँधी की राष्ट्रीयता में न संकीर्णता थी न उद्धत राष्ट्रोभिमान था। उसमें तो राष्ट्र के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की सेवा थी और विश्व प्रेम की बुनियाद थी। ऐसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक भावना से भरे होने पर भी अपने ऊपर दु:ख मानवता का भार ओढ़ लेते हैं, दुनिया में बहुत दिनों के बाद पैदा होते हैं। गाँधी को इस शताब्दी में बहुत कम समय मिला लेकिन उनके विचार अक्षय है। हमने शरीर का अन्त तो कर दिया है किन्तु उनकी आत्मा जो स्वयं एक दैवी–प्रकाश है बहुत दिनों और बहुत दूर तक प्रवेश कर असंख्य पीढ़ियों को श्रेष्ठता से जीवन यापन के लिये प्रोत्साहित करती रहेगी।

गाँधीवाद एक जीवन प्रणाली है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है, इसका स्थान घने जंगलों में नहीं है, और ना ही बहते पानी के किनारे है, इसका स्थान हृदय है। गाँधीवाद जीवन प्रणाली है, इसकी भाषाएँ बीसियों हो सकती है पर एक आदर्श की निष्ठा में यह हजारों प्रकार की सेवाएँ करता है। गाँधी चाहे मर जाये पर गाँधीवाद अमर है।[11]

शिक्षा के द्वारा वे बालकों में सत्यं, शिवं, सुन्दरं और विश्व बन्धुत्व आदि की भावनाओं का विकास करना चाहते थे तथा ऐसे नागरिक उत्पन्न करना चाहते थे, जो स्वावलम्बी हो, आत्मभिमानी और संयमी हो। उन्होंने लिखा है "उस आदमी को सच्ची शिक्षा मिली है, जिसका शरीर इतना सधा हुआ है कि वह उसके काबू में रह सकें और आराम व आसानी के साथ उसका बताया हुआ काम करे। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है। जिसका मन प्रकृति के नियमों से भरा है, जिसकी इन्द्रियाँ अपने वश में है, जिसकी अन्तर्वृति विशुद्ध है। जो आदमी नीच आचरण को धिक्कारता है तथा दूसरों को अपने जैसा समझता है। ऐसा आदमी सचमुच में शिक्षा पाया हुआ माना जाता है।[11] महात्मा गाँधी का सम्पूर्ण जीवन, चाहे उसका स्वरूप आर्थिक, समाजिक अथवा राजनीतिक हो, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था। आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक सभी प्रकार के अभियानों द्वारा वे एक आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृत संकल्प थे। उनका सन्देश विशेषत: भारत के आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्थान के लिए था।[12] गाँधीजी ने अपने विचारों द्वारा सम्पूर्ण भारतीय दर्शन को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं समृद्ध होने से लोकतंत्र को नई शक्ति एवं स्फूर्ति मिलेगी। गाँधी जी ने 19वीं शताब्दी के अहस्तक्षेपवादी सिद्धान्त की आलोचना की। उन्होंने किसानों

को भूमि का वास्तविक स्वामी बताया एवं कहा कि "भूमि उसकी है जो उस पर हल चलाता है"। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रिटिश पूँजीवाद ने ग्रामीण अर्थतंत्र के लिए संकट पैदा कर दिया है। भारतीय गाँव के विघटन एवं सर्वनाश को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। इसलिए उन्होंने "गाँवों की ओर लौटो" का नारा दिया।[13] गाँधी जी ने स्वशासन का प्रत्येक परिस्थिति में पालन करने पर बल दिया। वे किसी भी प्रकार के अनावश्यक नियंत्रण का विरोध करते थे। उनके अनुसार "स्वशासन से तात्पर्य है कि सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, चाहे वह विदेशी सरकार हो या फिर राष्ट्रीय।" महात्मा गाँधी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया, परन्तु इस पर उन्होंने सार्वजनिक हित को लक्ष्य मानते हुए सामाजिक नियंत्रण का भी समर्थन किया। गाँधी जी का मानना था कि "मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परन्तु आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य मूल रूप से एक सामाजिक प्राणी है। वह सामाजिक प्रगति की आवश्यकताओं से अपनी व्यक्तिकता का समायोजन सीख कर ही अपनी वर्तमान स्थिति तक ऊँचा उठा है। अनियंत्रित व्यक्तिकता जंगल के पशु का नियम है, समस्त समाज के कल्याण हेतु सामाजिक नियंत्रण के प्रति जानबूझकर समर्पण करने से व्यक्ति और उस समाज दोनों की समृद्धि होगी जिसका वह सदस्य है।"[15]

गाँधीजी की एक प्रतिभा थी कि वे दूर की भी सोचते थे।[16] वे जानते थे कि अंग्रेजों को देश से तभी निकाला जा सकता है, जब हम उनका माल खरीदना बन्द कर दें। लेकिन लोगों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह उत्पन्न हुई कि यदि हमने विदेशी वस्तुओं का परित्याग कर दिया तो हम कपड़ा कैसे पहनेंगे? इस अवसर पर गाँधी जी ने कहा, "श्रम ही सबसे बड़ी कुँजी है, अगर श्रम नहीं तो कुछ नहीं।" इससे व्यक्तियों में जागरूकता पैदा हुई और चरखे को प्रोत्साहन दिया गया। जिससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। वर्तमान दृष्टिकोण से प्रतीत होता है कि गाँधीजी की भारत में रखे सूत कातने की प्रथा को संजोए रखने के लिए हमें कुछ कार्यक्रम चलाने चाहिए। भारत में बने खादी वस्त्रों की माँग आज विदेशों में विशेषत: दक्षिण अफ्रीका में भी की जा रही है। वर्तमान में खादी विलुप्त होती जा रही है। गाँधी जी का खादी ही नहीं वरन् सम्पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में अहम् योगदान रहा है।

महापुरूषों में अतुलनीय मोहनदास करमचन्द गाँधी जो पेशे से वकील थे, यदि वह चाहते तो वे भी अन्य व्यक्तियों की तरह सुखी-सम्पन्न जीवन व्यतीत कर सकते थे। परन्तु उन्होंने सुख-सुविधाओं को त्यागकर स्वयं एक साधारण व्यक्ति का जीवन व्यतीत किया। उनकी इस अभूतपूर्व दूरदर्शिता ने गाँधी जी को सम्पूर्ण विश्व में अहिंसा एवं सत्य का परिचालक बना दिया।[17]

भारतीय नारी जागरण के इतिहास में गाँधी युग स्वर्ण युग है। उन्होंने नारी के मूल में छिपी महती महाशक्ति के दर्शन किये, उन्होंने देखा कि नारी त्याग की प्रतिमा है, इसके स्वभाव में ही दान है, प्रेम है, अहिंसा है। गाँधी जी ने भारतीय नारी के अन्दर छिपी त्याग वृति और उस महती दान परम्परा की देवी को गृह की चारदीवारी से बाहर निकाला और समाज तथा देश के व्यापक हितों में उसका सहयोग लिया।

महात्मा गाँधी जी ने नारी को जगाया और सब प्रकार के बलात आरोपित बन्धनों से उसे बाहर निकाला कि वह वासनाओं की झंझा में अपनी आत्मा का दीपक बुझने न देगी, सार्वजनिक जीवन में, गृह जीवन में, सामाजिक जीवन में, उन्होंने नारी को मुक्ति की दीक्षा

दी। इस प्रकार गाँधी जी ने नारी को उसके पूर्ण गौरव तक उठाया। आधुनिक भारतीय इतिहास में गाँधी जी पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने बड़ी निर्भीकता तथा साहस से समाज के सामने यह बात रखी कि शताब्दियों से शोषित और उत्पीड़ित नारी अब पुरूष के अनैतिक प्रभुत्व को किसी प्रकार स्वीकार नहीं करेगी।[18]

सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्त्रियों की स्थिति में उस समय हुआ जब गाँधी जी ने आजादी के संघर्ष में महिलाओं का आह्वान किया। पुरानी रूढ़ियों और परम्पराओं की उपेक्षा कर स्त्रियों ने गाँधी जी के अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन में सहर्ष और सक्रिय भाग लिया। बुरकों और परदों में रहने वाली अभिजात वर्ग की स्त्रियाँ भी उनके आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेने लगी। समाज का आधा भाग जाग उठा।[19] गाँधी जी ने स्वयं कहा था, ''लोग स्त्रियों को घर का खिलौना बनाकर रखते हैं, यदि भारत में 50 प्रतिशत मानव प्राणी अज्ञान की दशा में और खिलौना बन कर रहे तो इससे भारत की पूँजी में कितना घात होगा यह सहज ही समझा जा सकता है।[20]

मानव इतिहास साक्षी है कि क्रान्ति जब हिंसा के वाहन पर चढ़कर आयी, वह जन क्रान्ति नहीं बन सकी क्रान्ति के साथ हिंसा का मेल ही नहीं बैठता। क्रान्ति यदि हमारी मान्यताओं आदर्शों एवं आकांक्षाओं में आधारभूत परिवर्तन करने को माना जाए तो फिर वह प्रयोग या हिंसा से असंभव है। इसलिए जहाँ अधिक दबाव और हिंसा होगी वहाँ क्रान्ति उतनी ही कम होगी। सर्वोदय विचार में त्याग के द्वारा हृदय परिवर्तन, तर्क के द्वारा विचार परिवर्तन शिक्षा के द्वारा संस्कार परिवर्तन एवं पुरूषार्थ के द्वारा स्थिति परिवर्तन के माध्यम से क्रान्ति करने पर जोर दिया जाता है। ऐसी क्रान्ति पूर्ण और स्थायी क्रान्ति होगी, जिसमें प्रति क्रान्ति के लिए स्थापना नहीं रह जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहती है। समाज में प्रेम एवं सहयोग का स्वस्थ वातावरण रहता है। साथ ही ऐसी अहिंसक क्रान्ति में बच्चे, स्त्री, पुरूष सभी का सहज सहयोग मिलता है। सर्वोदय कोई सम्प्रदाय नहीं है यह तो एक विश्व वृत्ति है। यह विश्व धर्म का अरूणोदय है। यह ठीक है कि सर्वोदय अंतिम विचार नहीं है, लेकिन यह बहुत अद्यतन विचार है। नैतिकता मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता है यदि प्रत्येक आदर्श को यह कहकर ठुकरा दिया जाए कि यह बहुत कठिन है तो स्वयं को भी समस्त भौतिक एवं गतिशील तत्वों की अवहेलना करते हुए पाऐंगें।[21]

आज विश्व दो विश्व युद्धों को झेलते हुए पुनः उठ खड़ा हुआ है परंतु साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएँ भी बढ़ती जा रही है। विश्व भर में परमाणु हथियारों और आयुधों की होड़ सी मची हुई है। ऐसे में विश्व को एक और युद्ध की विभीषका से बचाने तथा मानवता का संदेश देने के लिए गाँधी जी के विचार ही उपयुक्त प्रतीत होते हैं, जिसकी नींव ही सत्य और अहिंसा पर टिकी हुई है। गाँधी जी का विचार था कि युद्ध की संभावनाओं को दूर करने के लिए हमें साम्राज्यवादी भावनाओं का त्याग करना होगा। अन्यथा विश्व में स्थायी शान्ति संभव नहीं है। निःशस्त्रीकरण के बारे में गाँधी जी का विचार था कि इसके लिए कुछ राष्ट्र स्वयं को निशस्त्र करने की जिम्मेदारी लें। उनका विश्वास था कि उसका अनुकरण अन्य देश भी करेंगे।[22] श्रीमत्रारायण के शब्दों में ''आज के मानव के सभी दुखों को दूर करने की एकमात्र रामबाण औषधि गाँधीवाद ही है। संसार का ध्यान गाँधी जी की ओर इसलिए आकृष्ट हुआ है कि उन्होंने पशुबल के समक्ष आत्मबल का शस्त्र निकाला। तोपों और मशीन गनों का सामना करने के लिए अहिंसा का आश्रय लिया।[23] हालांकि गाँधीवाद ही

समस्त समस्याओं के समाधान करने में समर्थ है, इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। कोई भी विचार हमेशा के लिए शाश्वत नहीं होता। उन विचारों के कुछ अंश सामयिक भी होते हैं। स्वयं गाँधी जी ने कहा कि गाँधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने केवल अपने ढंग से मानव जीवन की दैनिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। मेरी सम्मितियाँ अंतिम नही है और आगे मैं इसे बदल भी सकता हूँ। आज के बुद्धिजीवियों का यह कर्तव्य और धर्म है कि वह गाँधी जी के विचारों की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समयानुकुल एक नया आयाम प्रदान करें। जहाँ भी मानवीयता का प्रलन होगा, सत्य की प्रासंगिकता भी अवश्य होगी और जहाँ सत्य की प्रासंगिकता होगी, वहाँ गाँधी जी की भी प्रासंगिकता होगी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ महात्मा गाँधी के जन्म दिवस दो अक्टूबर को वर्ष 2009 में ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर चुका है। परंतु अहिंसा को अपने जीवन में उतारने और उस पर अमल करने की आवश्यकता है, तभी गाँधी जी का सपना साकार हो सकेगा और एक सच्चे व आदर्श विश्व ग्राम की स्थापना हो सकेगी।[24]

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. स्पीचिज एण्ड राईटिंग्स ऑफ महात्मा गाँधी, जी.ए. नोटेसन एण्ड कम्पनी, मद्रास, पृ. 346, 1947.
2. गाँधी जी की दिल्ली डायरी तथा दिल्ली का स्वतंत्रता संग्राम चांदीवाल (तृतीय खण्ड), पृष्ठ 635, 1990.
3. गाँधी और मानवता का भविष्य, रामजी सिंह कॉमनवेल्थ, 2000, पृष्ठ 7.
4. कालजायी गाँधी, गाँधीवाद अमर है, पत्ताभिसीतारमैया, सस्ता साहित्य प्रकाशन, 1996, पृष्ठ 501
5. दिल्ली डायरी, वही, पृष्ठ 636.
6. दिल्ली डायरी, वही, पृष्ठ 637.
7. दिल्ली डायरी, वही, पृष्ठ 637.
8. इतिहास बोलता है, अब गाँधी चुप नही रहेगा, धर्म दिवाकर, 21वीं सदी और गाँधीवाद, प्रभा दिवाकर प्रकाशन, पृष्ठ 256.
9. गाँधीवादी दर्शन एवं 21वीं सदी में उसकी सार्थकता, गीता श्रीवास्तव, 21वीं शताब्दी में गाँधी विचारों की प्रासंगिकता, यू.पी. अरोड़ा, Centre for Gandhian Studies, Department of History, C.C.G. University, 2003, पृष्ठ 2.
10. कालजयी गाँधी, वही, पृष्ठ 51.
11. हरिजन, 8 मई, 1936.
12. रोतेला, रस्तौगी, एवं यादव "उदयीमान भारतीय समाज में शिक्षक, साधना प्रकाशन, 2015, मेरठ, पृष्ठ 207.
13. गाँधी मोहनदास, कर्मचन्द, यंग इण्डिया, मार्च 19, 1931.
14. शर्मा, उर्मिला, भारतीय राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 399, प्रकाशन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2015.
15. शर्मा, उर्मिला, वही, पृष्ठ 400.
16. शर्मा, डॉ. देवदत्त, जवाहर लाल नेहरू, एक सामाजिक दार्शनिक, मुरादाबाद, 1991, पृष्ठ 38.
17. समाचार पत्र, अमर उजाला, 20 जनवरी 2010.
18. हिन्दी नवजीवन, 23.09.1921.
19. हिन्दी नवजीवन, 5.02.1925, 7.01.1929.
20. हिन्दी नवजीवन, 5.02.1925, 7.01.1929.
21. डॉ. राम मनोहर : मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म, नव सिन्ध, हैदराबाद 1953, प्रस्तावना, पृष्ठ 12.
22. Dhawan, G.N., Political Philosophy of Mahatma Gandhi, Page- 863-2000.
23. दिनकर, रामधारी सिंह, संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 529, 1995.
24. प्रो. आराधना 'महात्मा गाँधी के विचार और वर्तमान विश्व', राहुल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, पृष्ठ 204.

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

गॉधी जी और उनकी अहिंसात्मक दृष्टि

• शिखा तिवारी

सारांश- गांधी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे और उनका मानना था कि न्याय तथा स्वतंत्रता के संघर्ष में यह सबसे शक्तिशाली हथियार है। उनका यह भी मानना था कि अहिंसा जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिये, न कि केवल एक राजनीतिक रणनीति, यह स्थायी शांति एवं सामाजिक सद्भाव की ओर ले जाएगी। गॉधी जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन स्वतन्त्रता संग्राम के लिए अर्पित कर दिया। रामधारी सिहं दिनकर ने ठीक ही लिखा है 'गॉधी जी अंहिसा' के प्रयोग पर एक समय सारा संसार हॅसता था और बड़े-बड़े लोग शंका से यह कहकर सिर हिलाया करते थे कि इतिहास में कभी भी अहिंसक क्रातिं नहीं हुई, किन्तु अंहिसा मे जो शक्ति छिपी थी उसे केवल गॉधी जी की दृष्टि देख सकती थी, जिसका व्यावहारिक प्रयोग गॉधी ने कर दिखाया। राष्ट्रीय आन्दोलन में गॉधी के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि राष्ट्र ने गॉधी जी को 'राष्ट्रपिता' की संज्ञा से विभूषित किया।

मुख्य शब्द- अहिंसा, स्वतन्त्रता, प्रयोग, दृष्टि

गांधी जी का जन्म पोरबंदर की रियासत में 2 अक्तूबर, 1869 में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी, पोरबंदर रियासत के दीवान थे और उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी अपने माता–पिता की चौथी संतान थे। मात्र 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा कपाड़िया से कर दिया गया। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की और बाद में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिये लंदन चले गए। उल्लेखनीय है कि लंदन में ही उनके एक दोस्त ने उन्हें भगवद् गीता से परिचित कराया और इसका प्रभाव गांधी जी की अन्य गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वकालत की पढ़ाई के बाद जब गांधी भारत वापस लौटे तो उन्हें वकील के रूप में नौकरी प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला (एक व्यापारी जिनका दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का व्यापार था) ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिये आमंत्रित किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिये रवाना हो गए। विदित है कि गांधी जी के इस निर्णय ने उनके राजनीतिक जीवन को काफी प्रभावित किया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि "भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल

• शोध छात्रा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

होगी कि हाड़-मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था।" गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के –ष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर ज़ोर दिया और साथ ही दुनिया भर में हाशिये के समूहों और उत्पीड़ित समुदायों की आवाज़ उठाने में भी अतुलनीय योगदान दिया। साथ ही महात्मा गांधी ने विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं जैसे- मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा आदि को प्रेरित किया तथा लैटिन अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व तथा यूरोप में सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों को प्रभावित किया।गॉधी जी महान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मनीषी थे, किन्तु गॉधी के सत्याग्रह को एक सिद्धान्त के रूप में उसकी व्यावहारिक को लेकर समय-समय पर विभिन्न विद्वानों की विभिन्न प्रतिक्रियाएँ रही है। यदि कुछ लोगों ने उन्हें 'महात्मा' की उपाधि से विभूषित किया है तो कुछ ने उन्हें एक जिद्दी राजनीतिक कह कर भी पुकारा है।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में गॉधी का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। गॉधी के नेतृत्व में पराधीन भारत अपनी चिर राजनीतिक निद्रा त्यागकर जाग उठा। उनके जैसी वेशभूषा, उन जैसा आचरण, उन जैसी बोली व शब्दावली उनके सुपरिचित सांकेतिक चिन्ह एवम् रीति-रिवाज को अपनाने व अंगीकृत करने वाले अपने समय की उच्चतम कोटि की विदेशी शिक्षा प्राप्त इस राजनीतिक आन्दोलनकर्ता तथा समाज-सुधारक ने जिस सरलता से अपने आपको जनमानस की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप ढाल लिया, वह अपने आप में एक ऐसा अनूठा प्रयत्न था जिसे सबने सराहा तथा सहर्ष अपनाया।

गॉधी जी के राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रवेश से पूर्व से भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीय थी। मुख्यत: गॉधी जी के आह्वान पर प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने तन-मन-धन से अंग्रेजों की सहायता की। क्रांतिकारियों को छोड़कर, अन्य सभी राजनितिज्ञों तथा दलों ने दिल खोलकर ब्रिटेन की विजय के लिए युद्ध में भाग लिया। गॉधी की सत्याग्रह की अवधारणा को विभिन्न दार्शनिकों, धर्मो एवं कृतियों ने प्रभावित किया। 'सत्याग्रह' शब्द की उत्पत्ति रंगभेद की नीति तथा दिखावे के सन्दर्भ में हुई और उसका विकास भारत के स्वराज सघर्ष के संदर्भ में हुआ।

'सत्याग्रह' शब्द 'सत्य' तथा आग्रह शब्दों की संधि से बना है, जिसका अर्थ है सत्य के लिए दृढ़तापूर्वक आग्रह करना। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थरहित होकर विचार करने के पश्चात किसी विचार या सिद्धान्त का सत्य मानता है तो कष्टों तथा कठिनाइयों की चिन्ता किए बिना उसे इसी सिद्धान्त अथवा विचार के अनुरूप दृढ़तापूर्वक आचरण करना चाहिए और इसमें बाधा डालने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों का अहिसांत्मक उपायों द्वारा सक्रिय रूप से प्रतिरोध करना चाहिए। इस प्रकार भय तथा प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना स्वयं कष्ट सहन करते हुए केवल अहिसांत्मक उपायों की सहायता से सदैव सत्य पर दृढ़ रहना और मन, वचन तथा कर्म से उसी के अनुसार आचरण करना सत्याग्रह है। गॉधी जी ने सत्याग्रह को इसी व्यापक रूप से स्वीकार किया और व्यापक अर्थ में वे पर्याप्त समय

तक दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में सत्याग्रह का प्रयोग करते रहे।

गॉधी जी सत्य को सर्वाधिक महत्व देते थे और इसी कारण वे सत्य को ईश्वर की संज्ञा देते थे। उनका सत्याग्रह का समूचा दर्शन इसी दृढ़ सत्य निष्ठा का परिणाम था।[1] सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अन्याय तथा अत्याचार के विरूद्ध सत्याग्रह करने की प्रेरणा गॉधी जी को सम्भवत: हेनरी थेारो के 'सिविल डिसओबिडिएंस' नामक निबन्ध से प्राप्त हुई थी।[2] बाद में उन्होनें अपने व्यापक अनुभव तथा अपनी दार्शनिक मान्यताओं के आधार पर सत्याग्रह के सिद्धान्त को अधिक विकसित एवं परिष्कृत किया।

नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के लिए संघर्ष करने का अजेय संकल्प तथा साहस होना चाहिए तभी वह अपनी सच्ची नैतिक भावना का प्रमाण दे सकता है।[3] गॉधी जी के अनुसार सत्याग्रह मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है।[4] यह पवित्र अधिकार ही नहीं अपितु पुनीत कर्तव्य भी है। यदि सरकार जनता का प्रतिनिधित्व नही करती और बेईमानी तथा आंतकवाद का समर्थन करती है तो उसकी अवज्ञा करना आवश्यक हो जाता है।[4]

सब प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के विरूद्ध शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग ही सत्याग्रह है।[5] कष्ट सहन तथा विश्वास आत्मबल के गुण है। 'तेजस्वी दीन' के सक्रिय अहिसांत्मक प्रतिरोध का हृदय पर तत्काल प्रभाव होता है।[5]

गॉधी जी जिस सत्याग्रह की कल्पना की वह सामाजिक तथा राजनीतिक विघटन का सूत्र नही था। सत्याग्रही वही हो सकता है जिसने पहले स्वेच्छा से बुद्धिमानी के साथ और स्वत: राज्य के कानूनों का पालन किया हो।

इण्डियन ओपियन में गॉधी जी ने लिखा था कि सत्याग्रह की विधि से लड़ने वालों के मार्ग को बाहरी कारणों से विल्कुल अड़चन नही आ सकती । उनके लिए तो केवल उनकी अपनी कमजोरी ही बाधक होती है।[6]

गॉधी जी का कहना था कि सत्याग्रह में सत्य का आग्रह, सत्य का बल होना चाहिए, अर्थात उसके केवल सत्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। सत्याग्रह कोई गाजर की पीपनी नही है कि वह बजेगी तो बजाएँगे और नही तो खॉ जायेगें।[7] ऐसा मानने वाला व्यक्ति भटक-भटक कर परेशान ही होता रहेगा। यह बिल्कुल बेकार है कि सत्याग्रह की बड़ाई वही व्यक्ति करता है जिसमें शरीर बल की कमी हो अथवा जो यह मानता हो कि शरीर-बल काम नही देता, इसलिए मजबूरन सत्याग्रही बनना पड़ता है। सत्याग्रह शारीरिक बल में मुख्य बात यह है कि शक्तिशाली पुरूष अपने शरीर की परवाह न करके संग्राम में जूझता है, अर्थात वह डरपोक नही होता। सत्याग्रही तो अपने शरीर को कुछ भी नही गिनता। वह डर तो सकता ही नही। इसीलिए वह न तो बाहरी हथियार का सहारा लेता है और न ही मौत से डरता है।

गॉधी जी ने सर्वप्रथम जब 1906 में दक्षिण अफ्रिका में गोरे शासकों के अन्याय, अत्याचार तथा सर्वाजनिक दिखावे के विरूद्ध अपना अहिसांत्मक आन्दोलन आरम्भ किया था तो उस समय उन्होनें उस आन्दोलन का 'पैसिवरेजिस्टेंस' का नाम दिया, किन्तु बाद में उन्होनें सोचा कि उनके आन्दोलन की यह नाम उचित नही है। इसका कारण था कि पाश्चात्य देशों से निष्क्रिय प्रतिरोध (पैसिवरेजिस्टेंस) को केवल असहाय और दुर्बल व्यक्तियों का हथियार माना जाता जिसका वे अपने कष्ट-निवारण के लिए शक्तिशाली

व्यक्तियों का विरोध न कर सकने की अवस्था में करते थे।

गॉधी जी सत्याग्रह को जीवन का मार्ग मानते थे। उनका कहना था कि मेरे लिए सत्याग्रह का नियम अर्थात प्रेम का नियम शाश्वत सिद्धान्त है। मै अच्छाई के साथ सहयोग करता हूँ तथा बुराई के साथ असहयोग। इस सन्दर्भ में गॉधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग करने वाले अर्थात सत्याग्रही के लिए कुछ नियम निर्धारित किए है जिसका पालन उसे दैनिक जीवन में अनिवार्य रूप से करना चाहिए।

सत्याग्रह की उपर्युक्त आधारभूत मान्यताओं के अतिरिक्त गॉधी सत्याग्रही की आत्मशुद्धि को भी बहुत आवश्यक मानते थे, अत: अन्याय, अत्याचार, शोषण तथा ढोंग जैसी बुराइयों के विरूद्ध सत्याग्रह करने से पूर्व स्वयं सत्याग्रही को इन बुराइयों से मुक्त हो जाना चाहिए। यदि सत्याग्रही स्वयं इन बुराइयों से मुक्त नही है तो वह सत्याग्रह द्वारा अपने विरोधी को कभी प्रभावित नही कर सकता। इसके अतिरिक्त, सत्याग्रह की सफलता के लिए यह भी आव'यक है कि सत्याग्रही अपने देश अथवा समाज की नि:स्वार्थ भाव से सेवा करे और उसके कल्याण के लिए अपने देश अपने जीवन तक का बलिदान करने को तैयार रहे। परन्तु यह सब वह तभी कर सकता है जब उसमें सत्य व अंहिसा के प्रति निष्ठा, आत्मानुसरण की भावना, समग्र नैतिक आचरण की अनिर्वायता में आस्था, आत्मत्याग, आत्म–संयम आचरण की पवित्रता, निर्भयता एवं प्राणी मात्र के प्रति स्नेह एवं करूणा जैसे सदुगुण हों।[7]

गॉधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से विश्व को संदेश दिया है कि अन्याय व अत्याचार को चुपचाप सहन करना ईश्वर एवं मानवता के प्रति अपराध है। अत: जहॉ अन्याय होता है उसका विरोध अवश्य सत्य एवं अंहिसा के आधार पर करना चाहिए, इनके लिए चाहे मृत्यु का भी अलिगंन क्यों न करना पड़े। गॉधी जी मृत्यु से नही डरते थे, उनका कहना था कि सत्याग्रह के सम्बन्ध में अपने सत्य का आग्रह रखते हुए अनायास सत्याग्रही मृत्यु का आलिंगन करे, इसमें अधिक मंगलमय परिणाम की कल्पना वह कर ही नहीं सकता।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. वेद प्रकाश वर्मा, महात्मा गॉधी का नैतिक दर्शन, दिल्ली, बी. एल. प्रिटर्स 1979,142
2. वही, पृ. 142
3. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, आगरा: लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, 1988–59
4. यंग इण्डिया, जनवरी 5,1922
5. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, उपरोक्त सं. 5, 359
6. सम्पूर्ण गॉधी वाड्मय, दिल्ली, निदेशक प्रकाशन विभाग, विभाग द्वारा प्रकाशित, 1962, IX 25
7. सम्पूर्ण गॉधी वाड्मय, दिल्ली, निदेशक प्रकाशन विभाग, विभाग द्वारा प्रकाशित, 1962,IX 227

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

वर्तमान संदर्भ में पं.दीन दयाल उपाध्याय जी के आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता

• अन्जू श्रीवास्तव

सारांश- भारत की आजादी से पहले और आजादी के बाद कई ऐसे महापुरूष हुये जिन्होंने समाज को बदलने की पूरी कोशिश की साथ ही समाज और देश की सेवा करते करते खुशी से मौत को भी गले लगा लिया। उनमें से महापुरूष एक है पं. दीन दयाल उपाध्याय सादगी और ईमानदारी की मिशाल पंडित दीन दयाल उपाध्याय जीवन भर राष्ट्र और जनता की सेवा करते रहे बहुआयामी प्रतिभा के धनी पंडित जी के व्यक्तित्व में कुशल अर्थ चिन्तन, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद्, राजनीतिक, वक्ता, लेखक ओर पत्रकार जैसी अनेक प्रतिमायें छिपी थी। उन्होंने निजी हित व सुख सुविधाओं का त्याग कर अपना जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। दीनदयाल जी का अंत्योदय विचार आज भी प्रासंगिक है। भारत में अनेक वाद अपनाये गये। पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रेरणा देते है कि समाज के सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसके उत्थान का प्रयास प्राथमिकता से होना चाहिए। उन्होंने एक अद्वितीय आर्थिक व्यवस्था की कल्पना की। वह सम-सामयिक आर्थिक विचारों के आलोचक थे क्योंकि उनके लिए उन विचारों में मानवतावादी मूल्य शामिल नही थे।

मुख्य शब्द- पोषण, गरीबी, भुखमरी, आर्थिक विषमता

प्रस्तावना- देश में जब भी सामाजिक–आर्थिक चिंतन की बात की जाती है तो गांधी जी, जे.पी. लोहिया और दीनदयाल जी का नाम लिया जाता है। पंडित दीन दयाल जी का अध्ययन स्वदेश में हुआ, इसलिए उनके मूल में स्वदेशी चिंतन प्राकृतिक रूप में अंतनिर्हित है। भारत के श्रेष्ठ विचारकों में दीन दयाल जी के एकात्म मानवतावाद यह बताता है कि पंडित दीन दयाल जी भारत की ''चिंति'', भारत के जनमानस और भारत की संस्कृति को समझा और समस्याओं के समाधान के लिए सदैव अग्रसर हुये यही कारण है कि दीन दयाल जी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और विश्व–राजनैतिक फलक पर उनका एकात्म–दर्शन भी प्रासंगिक रहेगा।

डॉ. एच.एस. सिन्हा

• असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, महिला महाविद्यालय, कानपुर

"राष्ट्र का नव निर्माण राष्ट्र की चिंति के अनुसार होनी चाहिए। पाश्चात्य विचारों का खण्डन किया जाना चाहिए। पंडित दीन दयाल जी का मानना था कि भारतीय संस्कृति में अधिकारों की बात ही नही आती, मानव तो एक सामाजिक प्राणी है यदि वह अधिकारों की बात करने लगे तो समाज टूट जायेगा। भारतीय संस्कृति में संघर्षो की बात ही नही होती है वह तो नारी पुरूषों को एक दूसरे का पूरक मानते थे जैसे ही उनका मानना था कि पूंजीवाद में पूजीपतियों और मजदूरों के बीच संघर्ष नही है वे एक दूसरे के पूरक है।"

पंडित जी डार्बिन के सिद्वान्त की प्रकृति और मानव के बीच संघर्ष का विरोध करते हुए कहते थे "स्वदेशी कोई वस्तु नही एक चिंतन है आज स्वदेशी एक शस्त्र है युग परिवर्तन का, भारत के विकास का, भारत ने हर आदमी को हाथ दिये है लेकिन हाथों की खुद से उत्पाद करने की एक सीमित क्षमता है, उनकी सहायता के लिए मशीनों के रूप में पूंजी की जरूरत है, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है केवल भारत ही नहीं, माता शब्द हटा दीजिये तो भारत केवल जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जायेगा। आजादी केवल तभी सार्थक हो सकती है जब यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का जटिया बनती है।"

जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तब हमने उनके विरोध में गर्व का अनुभव किया लेकिन हैरत की बात है कि अब जब कि अंग्रेज चले गये है। पश्चिमीकरण प्रगति का पर्याय बन गया है। एकात्म मानव दर्शन एवं आर्थिक चिंतन पंडित जी पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही विचार धारा को भारत के लिए अनुपयुक्त मानते थे उनका स्पष्ट मानना था कि भारत को चलाने के लिए नीति निर्देशक सिद्वान्त भारतीय दर्शन के आधार पर ही हो सकते है। वे पश्चिमी देशों में जन्में सिद्वान्तों के विरूद्व मानव का समाज को विभाजित कर देखने के पक्ष में नही थे। उनके अनुसार मानव अस्तित्व के चार अवयव होते है। शरीर, मन, बुद्वि और आत्मा जिनके माध्यम से चार भौतिक उददेश्यों काम, अर्थ, धर्म और मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इनमें किसी की भी अवहेलना नहीं की जा सकती है।

उददेश्य-

1. वर्तमान परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में पंडित जी के स्वदेशी आर्थिक चिन्तन की उपादेयता
2. पंडित जी के भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ करने के लिए दिये गये विचारों का अध्ययन
3. पंडित जी के ग्रामीण अंत्योदय योजना का अध्ययन

शोध विधि-

- यह एक उददेश्यपूर्ण बौद्विक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सैद्वान्तिक अथवा व्यवहारिक समस्या का समाधान किया जाता है । इस प्रक्रिया में आंकड़ों से जानकारी एकत्रित की जाती है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक समको द्वारा होता है।
- द्वितीय समकों का प्रयोग किया गया है।

पंडित जी के स्वदेशी आर्थिक चिन्तन- पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25

सितम्बर 1916 में नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। देश में जब भी सामाजिक, आर्थिक चिन्तन की बात की जाती है तो पंडित जी का नाम आज प्रमुखता से लिया जाता है। पंडित जी स्वदेशी आधारित सामाजिक, आर्थिक चिन्तन के सर्वश्रेष्ठ चिंतक है। पंडित जी का प्रमुख अंत्योदय रहा है। अंत्योदय मिशन के आधार पर मानकर देश प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का कार्य कर रहे है। केन्द्र व प्रदेश सरकार की गरीबोन्मुखी योजनायें दीनदयाल के विचारों से ओतप्रोत है। दीनदयाल जी कहा करते थे कि जब तक अंतिम पंक्ति में खडे व्यक्ति का उदय नही होगा, भारत का उदय संभव नही है। उनका विचार था "आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढी पर पहुंचे हुये व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति में होगा"। इसी के अनुसार उनकी काम की संकल्पना के साथ। आज के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए दीनदयाल जी कहते है कि "अर्थ", जिसको हम आज धन के रूप में देखते है वह धन हमें क्यों चाहिए? वह धन हमको व हमारे योगक्षेम की संपूर्ति होने के लिए चाहिए। पडित जी कहते थे धन का अभाव और धन का प्रभाव दोनों ही क्षति करते हैं, जब समाज के अर्थ का अभाव हो जायेगा तो जिनके पास अभाव होगा वह प्रभाव वालों की चोरी करेगें। पंडित जी का कहना था कि जब समाज सम्पत्ति के प्रभाव और अभाव से मुक्त होता है तो वह अपने अर्थायाय को सिद्व करता है। दीन दयाल जी का आर्थिक चिन्तन भारत के तत्कालीन वास्तविकता पर आधारित था। वे मनुष्य से मनुष्य बीच बनावटी संबंधों से संतुष्ट नही थे। उनका मानना था कि एक तरफ शोषण, गरीबी, भुखमरी है और दूसरी तरफ अर्थशास्त्र का एकाधिकार हो यहां मनुष्य का सम्पूर्ण विकास केवल छल है उनका मानना था कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति में मानव महत्व की भावना होनी चाहिए। जीवन प्रणाली में भारतीय कला साहित्य का समावेश होना चाहिए। भारतीय संस्कृति ही राष्ट्रवाद का आधार ही उनके प्रति निष्ठा हो तभी भारत एकात्म रहेगा।

पंडित जी के भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढता पर विचार– पंडित जी देश की एकता एवं अखण्डता के लिए सदैव समर्पित रहे उनका मानना था कि राष्ट्र की निर्धनता और अशिक्षा को दूर किये बिना वास्तविक उन्नति संभव नही, निर्धन और अशिक्षित लोगों की उन्नति के लिए 'अंत्योदय" की संकल्पना का सुझाव दिया उनका कहना था, "अनपढ़ और मैले कुचैले लोग हमारे नारायण है। हमें इनकी पूजा करनी है यह हमारा सामाजिक दायित्व और धर्म भी है।"

पंडित जी का उपर्युक्त मंत्र मात्र भाषण, लेखन और चिन्तन तक ही सीमित नही था बल्कि वह देश भर में भ्रमण के लिए जाते तो वरीयता के आधार पर समाज के दबे कुचले लोगों के ही घर ठहरते थे। पंडित जी के ये ही भाव आज भी समाज को एक नयी दिशा और प्रेरणा देते है। पंडित जी को जनसंघ के आर्थिक नीति का रचनाकार बताया जाता है। आर्थिक विकास का मुख्य उददेश्य सामान्य मानव का सुख है। पंडित जी के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन 'एकात्म मानव" दर्शन है वे अनियंत्रित उपभोग को उपभोक्तावाद, स्पर्धावाद व वर्ग संघर्ष का आधार मानते थे वे कृषि के विकास एवं लघु उधोगों के विकास पर जोर देते थे। उनका मानना था कि भारी उधोगों बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल है। उनका मानना था कि शासन का उददेश्य "अंत्योदय" की

परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। वे विक्रेन्दित व्यवस्था के पक्षधर थे। वे सामूहिक क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे वे जानते थे कि ये देश में मेहनतकश लोगों का है, जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए राज्य पर आश्रित कभी नही रहे। वे शिक्षा के सरकारीकरण के विफल में थे उनका मानना था कि शिक्षा को समाज के लिए छोड़ देना चाहिए। उनका मानना था कि सरकार को उन्हीं क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहिए जहां निजी क्षेत्र प्रवेश करने का जोखित नही लेते है। आज इतनें वर्षो के बाद भी हमारी व्यवस्था समाजवादियों, नीतियों के चक्र व्यूह में ऐसी उलझ चुकी है कि इनमें से निकलना बेहद कठिन है।

पंडित जी की ग्रामीण अंत्योदय योजना- भारत सरकार में शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरम्भ 25 सितम्बर 2014 को किया। योजना का उददेश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्वि का शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। ग्रामीण कौशल योजना में आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष होना चाहिए। इस योजना का खास उददेश्य कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर इस लायक बनाना कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपनी बेरोजगारी दूर करने के अलावा देश की तरक्की में योगदान दे सके। इस योजना का मुख्य उददेश्य खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में वह युवा बेरोजागार जो अपने जीवन से निराश हो चुके है उन्हें प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजागार योजना का पुर्नगठित संस्करण है। 29 मार्च 2016 से एन आर एल एम का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन पर किया गया।

निष्कर्ष- आज प्रेरणा स्रोत के रूप में पंडित जी के विचार केन्द्र सरकार की विकास मात्रा में सबका साथ सबका विकास में मूल भावना नजर आती है। आज सरकार आम व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने की दिशा में सतत काम कर रही है। पंडित जी ने अपने चिन्तन में आम व्यक्ति से जुडी जिन चिन्ताओं और समाधानों को समझाने का प्रयास दशकों पहले किया था। आज भारत सरकार द्वारा उन्हीं विचारों को केन्द्र में रखकर नीतियों का निर्माण किया जा रहा है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय का आर्थिक चिन्तन उस समय जितना समीचीन था उतना ही आज भी है। कोई भी नीति निर्धारक संगठन जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनायें लाना चाहती है। उसे दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय के आर्थिक चिन्तन को आधार बनाना होगा। वर्तमान केन्द्र सरकार की आर्थिक एवं कल्याणकारी नीतियां अत्यंत प्रभावकारी है। जिसमें भविष्य की झलक दिखाई देती है। पंडित जी भारतीय संस्कृति और मूल्यों की रक्षा व संरक्षण के लिए जीवन पर्यन्त संघर्ष किया। एकात्म मानववाद व अंत्योदय के विचारों से उन्होनें देश को एक प्रगतिशील विचारधारा देने का काम किया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. पं. दीन दयाल उपाध्याय, एकात्म मानववाद, प्रभात पब्लिकेशन
2. www.google.com
3. डॉ. कुलदीप चन्द्र अग्निहोत्री, दीन दयाल उपाध्याय चिन्तन की प्रासंगिकता।
4. महेश चन्द शर्मा, दीन दयाल उपाध्याय, कर्तव्य एवं विचार प्रभात पब्लिकेशन
5. दिलीप अग्निहोत्री, दीन दयाल उपाध्याय के विचार और दर्शन आज भी प्रांसंगिक
6. शरत अनन्त कुलकर्णी, एकात्म अर्थनीति, सुरूचि प्रकाशन, केशव कुंज, झण्डेवाला नई दिल्ली – 2014

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

विश्व शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका

• रीना मजुमदार
•• शैलेन्द्र कुमार ठाकुर

सारांश- भारत सदैव ही विश्वशंति का प्रबल समर्थक रहा है। राष्ट्र संघ की स्थापना एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मूल उद्देश्यों को भारत सदैव पालन करता रहा है। भारतीय जीवनदर्शन में महात्मा बुद्ध महावीर के साथ ही संतों मुनियों एवं चिंतकों ने भी ओम शांति शांति का महामंत्र दिया है। यहाँ तक की वेद उपनिषद एवं पुराणों में भी शांति स्थापना की बात की गयी है। श्रीकृष्ण का गीतोपदेश भी जन कल्याण एवं मानवीय मूल्यों की रक्षार्थ है। भारत का जीवन दर्शन शांति पाठ एवं शान्ति चिंतन से होता है। इस दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को भारतीय राजनीति दर्शन पूर्णत: परिपूर्ण करता है।

मुख्य शब्द- शांति, राष्ट्र संघ, जीवनदर्शन, चिंतन

युद्ध की भूमिका भयावह होती है। लोभ लालच एवं अहंकार मद में अधिकाधिक देश या समुदाय मानवीय मूल्यों को भूल जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का भयावह परिणाम मानव समुदाय के समक्ष दक्ष प्रश्न के साथ खड़ा था। इटली, जर्मनी, एवं जापान ने कुछ ऐसी करतूते की थी परिणाम स्वरूप मानवता के लिए वे खतरा बन चुके थे।

भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा एव विश्व जनमानस के साथ अपनी सहभागिता चाहता था। वैसे उस काल में भारत एक गुलाम देश था। भारत की जनता आजादी चाहती थी। विश्व जनमानस युद्ध की भयावह त्रासदी से जूझ रहा था। इस त्रासदी से बचने के लिए मित्र देशों ने राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की। विश्व जनमानस के साथ शक्तिशाली राष्ट्र धोखा देने लगे थे। वह अपने निजी स्वार्थ लोलुपता में लग गए। इस कारण 'राष्ट्र संघ' अपने वास्तविक उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पा रहा था। राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व जनमानस या मानवीय मूल्यों, मानवीयता की रक्षा करना था। 1939 में पुन: द्वितीय विश्व युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हो गयी जो पुन: 1945 तक चला। देखा जाय तो राष्ट्र संघ अपनी स्थापना काल से ही मूल उद्देश्यों से भटक चुका था। अमेरिका ने युद्ध के दौरान जापान के नागाशाकी एवं हिरोशिमा पर दो परमाणु बम से हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए। कई लाख लोग अपंगता के शिकार हुए। अत: इस भयावह त्रासदी एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए पुन: विश्व जनमानस एवं विश्व के कई देशों द्वारा

• प्राचार्य, डॉ. खू.च.ब.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,भिलाई-3 जिला-दुर्ग
•• सहायक प्राध्यापक,हिन्दी, डॉ. खू.च.ब.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3,जिला-दुर्ग

बहुंजन सुखाय एवं बहुजन हिताय के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 4 अक्टूबर 1945 को की गयी। उस समय से आज तक सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सहभागिता देते हुए पुनः जन धन की हानि न होने देने का सत संकल्प लेते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य था, सभी देशों के साथ समानता, उन राष्ट्रों की सम्प्रभुता का सम्मान, विश्व शांति की सुरक्षा व शान्ति बनाए रखने की आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निराकरण इनका महत्वपूर्ण आधार है। प्रारंभ में इसके 51 देश ही सदस्य थे । परन्तु सितम्बर 1999 तक इसकी संख्या बढ़कर 188 हो गयी।[1]

आजादी मिलने के बाद भारत के तरफ से प्रथम प्रतिनिधिमंडल की नेता विजयलक्ष्मी पंडित ने किया था। उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि मैं भारतीय सरकार के तरफ से यह आश्वासन देती हूँ कि हम अपनी पूर्ण शक्ति से वह सब कुछ करेंगे जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भविष्य में मानव इतिहास में एक नवीन और कम दुखमयी अध्याय का श्रीगणेश कर सकें।[3]

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद ही अनेकानेक देशों ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई। इस दिशा में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। विश्व में शांति स्थापना व अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान कराना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य था। भारत ने उसके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनक मामलों में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया है। भारत द्वारा किये गये कार्य निम्नलिखित हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस ने वियतनाम नामक इण्डोचीन के एक राज्य पर आक्रमण करके उसके कुछ भाग को अपने अधिकार में कर लिया और अपने अनुसार चलने वाले बाओ दाई को गद्दी पर बैठाया। विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रोत्साहन से अफ्रिका के देश कांगों में भी युद्ध और देश विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसमें भीषण नरसंहार हुआ।3 इस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए उन देशों में एकता बनाये रखने का निश्चय किया। उस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर भारत के सुप्रयासों से वहाँ पर शांति की स्थापना में मदद मिल सकी। भारत के इन प्रयासों की सभी उन देशों ने प्रशंसा की साथ ही संयुक्त राष्ट्र एवं कांगों के देशों ने भी प्रशंसा की।

1956 में स्वेज नहर का विवाद इतना बढ़ गया कि वह भयावह युद्ध का रूप धारण कर लिया था। फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल ने मिलकर मिश्र पर आक्रमण कर दिया था। इस विषम परिस्थिति में भारत ने इस आक्रमण का तीव्र विरोध किया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में युद्ध को बंद कराने एवं शांति को स्थापित कराने हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। परिणाम स्वरूप युद्ध बंद हुआ और शांति की स्थापना हुई।[4]

विश्व में शांति की स्थापना हो इस हेतु भारत का राजनीतिक प्रयास सराहनीय रहा। भारत ने समय-'समय पर विश्व जनमानस के अनुकूल मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए जो भी कार्य किये वह सराहनीय रहा। रूस एवं अमेरिका में 1960 में यू-2 विमान की घटना को लेकर भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया था। इस कारण निःशस्त्रीकरण के मनभावन कार्य में बाधा उत्पन्न हो गयी थी। भारत तो सदा ही निःशस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है। 1963 में आण्विक शस्त्रों के परीक्षण हेतु जो हस्ताक्षर हो रहे थे। उसमें भारत अग्रणी रहा। वह आण्विक शक्ति के विकास का पक्षधर केवल मानवता के लिए चाहता था।

जिससे बिजली उत्पादन के साथ ही चिकित्सकीय क्षेत्र में मानवीयता के रक्षा के लिए उपयोगी हो। भारत उसका पक्षधर था। भारत विनाशकारी हथियारों के विकास का कभी भी पक्षधर नहीं था। 1964 से ही विश्व जनमानस एवं जनहितार्थ कार्य हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति स्थापना के उद्देश्य से कई कार्य किये जाते रहे हैं। भारत सदैव उनके प्रयासों का समर्थक रहा है।

वास्तव में देखा जाय तो 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना जिस उद्देश्य से हुआ था वह इसलिए असफल रहा क्योंकि विश्व के बहुतायत देश जो शांति स्थापना के पक्षधर थे। वे उसके सदस्य नहीं थे। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद भी शक्तिशाली देशों ने अपनी मनमानी करनी चाही। जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस यह चाहते थे कि उनके साथ जापान एवं जर्मनी भी शामिल हो। इस स्वार्थमयी कार्य को भारत नकारते हुए मिश्र, ब्राजील जैसे देशों की तरफदारी की और उसकी चाहत रही कि इन देशों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ में समान रूप से भागीदारी मिले। भारत के इस प्रयास को रूस एवं चीन ने नैतिक समर्थन दिया था। 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भारत को स्थायी सदस्यता से वंचित रखने की चाल चली गयी थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना का उद्देश्य मानव कल्याण एवं जनमानस को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से जागरूक कराना था। अन्तराष्ट्रीय विवादों का समाधान और युद्ध को रोकना संयुक्त राष्ट्र का कार्य नहीं है। चार्टर के अनुसार उसका यह भी दायित्व है कि वह मानव मात्र की सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए ही विभिन्न साधन उपलब्ध कराये। पिछड़े देश सरलता एवं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का शिकार बनकर कालान्तर में विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की दु:व्यवस्था से निकालने हेतु विश्व जनमानस के नेतृत्व कर्ता संयुक्त राष्ट्र को अन्य देशों के साथ राजनीतिक प्रयास करने पड़ते हैं। साधनों के अभाव में कुछ देश आर्थिक मदद नहीं कर पाते हैं ठीक उसके विपरीत विकसित राष्ट्र द्वारा उन देशों का शोषण किया जाता है।[5]

भारतीय राजनीतिज्ञों ने समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सदैव संघर्षों और विवादों को हल करने में अविस्मरणीय योगदान दिया है। भारत ने सदा ही अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने पर बल दिया है। भारत ने कोरिया संकट कांगों समस्या स्वेज नहर संकट और क्यूबा नहर संकट हल करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। भारत के राजनीतिज्ञों को अपने वैदिक कालीन मूल मंत्रों को ध्यान में रखते हुए विश्व मानवता एवं मानवीय मूल्यों को विशेष पक्षधर रहा है। भारत की नीति 'सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामया' की है। भारत धरती पर रहने वाले सभी जीवों में नारायण का स्वरूप देखता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की उस घोषणा का जो 1948 में मानवाधिकार के लिए किया गया था उसको अपने देश में लागू करते हुए उस नीति का पूर्ण समर्थन दिया था।

विश्व जनमानस की चिंता आण्विक शस्त्रों से थी। इस दिशा में भारत सदा नि:शस्त्रीकरण नीतियों का समर्थक रहा है। इस नीति के तहत भारत ने 1963 की मास्को टेस्ट वेन ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन भारत 1968 की परमाणु अप्रसार संधि व

वाद में न्यायक परमाणु संधि के प्रावधानों को अन्यायपूर्ण मानता रहा है। इसी कारण भारत ने उन शक्तिशाली देशों की दोहरी नीतियों का विरोध करते हुए अमेरिकी दबाव का भी परवाह न करते हुए उस नीतिगत अमर्यादित परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

भारत सदा अपनी नीतियों के कारण विश्व जनमानस को प्रभावित करने में सफल रहा है। भारत कभी भी किसी देश पर हमला करने या भूमि हड़पने का पक्षधर नहीं रहा है। भगवान राम ने भी किषकिन्धा एवं श्रीलंका को जीत लिया था लेकिन वे वहां के शासकों को प्रतिनियुक्ति कर दिया था। भारत ने भी उसी नीति एवं विचार को अपना सामाजिक, राजनीतिक हथियार बनाया। विश्व जनमानस में मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़े, प्रेम एवं सौहार्द का वातावरण बने। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापक उद्देश्य भी यही है। विश्व जनमानस में मानव मानव के प्रति आदर्श विश्वास एवं नैतिक मूल्यों के प्रति समान जवाबदारी बनी रहे । इस नीति का परिपालन भारत करते आया है। भारत सदैव ही विश्व बंधुत्व की भावना को आदर देते हुए मानते आया है। वह बसुधैव कुटुम्बकम की नीतियों पर चलते आया है। इस कारण भारत की नीति, रीति, संस्कृति का ''संयुक्त राष्ट्र संघ'' में आज सम्मान मिलता है।

भारत सदैव ही विश्वशंति का प्रबल समर्थक रहा है। राष्ट्र संघ की स्थापना एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मूल उद्देश्यों को भारत सदैव पालन करता रहा है। भारतीय जीवनदर्शन में महात्मा बुद्ध महावीर के साथ ही संतों मुनियों एवं चिंतकों ने भी ओम शांति शांति का महामंत्र दिया है। यहाँ तक की वेद उपनिषद एवं पुराणों में भी शांति स्थापना की बात की गयी है। श्रीकृष्ण का गीतोपदेश भी जन कल्याण एवं मानवीय मूल्यों की रक्षार्थ है। भारत का जीवन दर्शन शांति पाठ एवं शान्ति चिंतन से होता है। इस दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को भारतीय राजनीति दर्शन पूर्णतः परिपूर्ण करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. फडिया वी.एल. 2005 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
2. शर्मा अरूण दत्त राजनीति विज्ञान शिवपाल एण्ड कंपनी इंदौर
3. नारायण इकबाल राजनीति विज्ञान शिवपाल अग्रवाल एण्ड कंपनी इंदौर
4. खत्री हरीश कुमार 2013, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एण्ड समकालीन मुद्दे, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल
5. डॉ. अंजना ठाकुर, डॉ. निखत खान रिसर्च लिंक कला समाज पृ. 99 154 अंक
6. वही पृ. 154

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

जी-20 में भारत का विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन

• मालती तिवारी

•• महेन्द्र कुमार साहू

सारांश-प्रस्तुत शोध पत्र जी -20 एवं भारत की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की अग्रसर पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनरूद्धार, पुनः गठन एवं विस्तार के वाहक के रूप में उभर रही है। गुणात्मकता से परिपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति एवं भावी पीढ़ी की संविकास को ध्याान में रखते हुए केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ बनाने की पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इस सम्मेलन की तहत् देश की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विकसित भारत के रूप में विश्व पटल पर एक अपनी वर्चश्वता को बनाये रखने की रणनीति बनायी जायेगी, जिससे देश की आर्थिक सिथति में मजबूती आयेगी। शुरूआत की जी -20 भारतीय अध्यक्षता के तहत् शुरू किया गया तथा नवीनतम सहभागिता समूह व उद्देश्यों की परिस्थितिकीय तंत्र में सामंजस्य स्थापित करना तथा कार्यो के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इस सम्मेलन में सफलतापूर्वक जलवायु और विकास की द्विपक्षीय विषयों पर विचार कर रही है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की दरिद्रता उन्मूलन तथा पर्यावरण संरक्षण के मध्य एक धनात्मक चयन को विकसित किया जा रहा है। राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का नेतृत्व करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। जी-20 देश की विकासात्मक पहलूओं पर मुख्य रूप से अपनी पूरी लगन और एकाग्रता को विकसित किया जायेगा।

मुख्य शब्द- अर्थव्यवस्था, गुणात्मकता, संविकास, परिस्थितिकीय तंत्र, जलवायु

प्रस्तावना- देश की आर्थिक विकास किसी भी क्षेंत्र की समृद्धि और विकासात्मक क्षमता को चिन्हाकित करती है। जी–20 की घोषणा में निजी उद्यमों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका की स्पष्ट मान्यता के साथ सुदृढ़ता, टिकाऊ, संतुलिज व संविकास की आवश्यकता है जिससे देश की आर्थिक पहलुओं पर मजबूती आयेगी तथा नवाचार व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके। विशेष आर्थिक क्षेत्र व विश्व व्यापार संगठन के सुधार के साथ–साथ देश की अर्थव्यवस्था की ठोस प्रतिबद्धता को रेखाकिंत करते हुए व्यापार एवं निवेश नीतियों को बढ़ावा देने में

• शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासंमुद (छ.ग)

•• शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासंमुद (छ.ग.)

सहायक सिद्ध होगी। राष्ट्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध युद्ध में काबू करते हुए सार्वजानिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिये दृढ़ प्रतिबद्धता को पुर्ननिवीत करती है, इस वैश्विक चुनौती को रोकने के लिए सहयोगिता प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देना है। विश्व की महत्वपूर्ण मोड़ का सामना कर रही हैं जिसमें आस्तित्व से जुड़ी चुनौतियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि एसजीडीपी लक्ष्यों का केवल 12 प्रतिशत ही सही स्थिति पर विद्यमान है, जबकि 2015 के पश्चात् 30 प्रतिशत स्थिर हो गये है या पूर्व की ओर खिसक गई है। वर्ष 2015 से 2020 तक की स्थिति में अभी तक 50 मिलियन हेक्टेयर वनों की हानि और बढ़ती मौसम संबंधी आपदाओं जैसी भयावह स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण $^{1.5^{\circ}C}$ डिग्री की तापमान में वृद्धि हुई है, जिससे विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

राष्ट्र की प्रमुख समस्या जो कि भारत अपनी आर्थिक परिस्थिति संभालने में मजबूर सा हो गया है, अर्थात उच्च मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीतियाँ, राजकोषीय नीतियाँ, प्रतिबंधात्मक ऋण और बढ़ती हुई देश की ऋण नीति वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के साथ और अधिक चुनौतियाँ कोविड-19 से उबरने के बाद सामने आयी है। देश की अर्थव्यवस्था अपनी पुरानी सीढ़ी पर आने में असमर्थ सा होने लग गया है, तथा अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, परन्तु सफलता पाने में असमर्थ सा प्रतीक हो रहा है। दैनिक जीवन यापन करने वाली जनता अपनी भरण-पोषण को पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दिया है, लेकिन उनके जीवन-यापन को सुधार करने के लिए अथक प्रयास असफल होती जा रही है, इसके लिए सरकार को एक उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

भारत देश वैश्विक चुनौतियों के इस युग में जलवायु एवं विकास दोनों पक्षों की सफलतापूर्वक चिन्हाकिंत किया है, परन्तु देश में व्याप्त गरीबी एवं पर्यावरण संरक्षण पर कोई विशेष जोर नही दिया जा रहा है, इस प्रभाव ऋणात्मक पड़ेगा एवं देश की आर्थिक गति में कमी आयेगीं एवं अर्थव्यवस्था नीचे की ओर बढ़ने लगेगी। भारत का दृष्टिकोण पृथ्वी के साथ सद्भाव, सतत् विकास एवं समावेशिता पर बल देने वाले दर्शन के साथ प्रतिनिधित्व होता है। संविकास एक ऐसी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की कुशल कार्यप्रणी निर्भर करती है। अपनी सकारात्मक बाध्यताओं के चलते सामाजिक अवसंरचना की देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अनुभव से सिद्ध एवं व्यापक रूप से अभिज्ञात है कि शिक्षा व स्वास्थ्य जी 20 की आर्थिक परिस्थितियों पर धनात्मक प्रभाव डालते है। शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था करके मानव पूंजी में निवेश करना, जनता की उत्पादकता और जनसंख्या के कल्याण में वृद्धि करता है। अत: यह कहा जा सकता है कि देश को सुदृढ़ एवं सशक्त जी-20 की पहलुओं तथा देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने में सतत् विकास की मुख्य लक्ष्यों पर दृष्टिगोचर करने की आवश्यकता है।

जी-20 एवं भारत की वर्तमान परिस्थितियाँ-

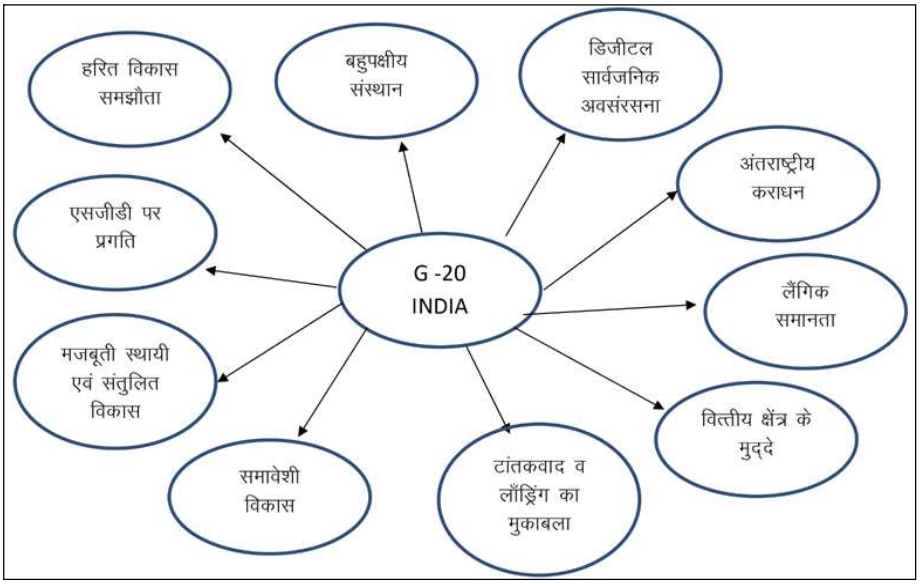

भारत अपनी विशाल क्षमता और उपरोक्त मजबूत कार्यबल के साथ वर्तमान में कई महत्वपूर्ण चर्चाओं पर विचार-विमर्श कर रहा है, जैसे मजबूत स्थायी संतुलित और समावेशी विकास, एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाना, दीर्घकालीन भविष्य के लिए हरित विकास समझौता करना, 21 वीं सदी के लिए बहुपक्षीय सस्थानों का विनिर्माण करना, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अंतराष्ट्रीय कराधनों का समायोजन करना, लैगिंक समानता और समस्त महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दो को सुदृढ़ बनाना आंतकवाद और मौद्रिक लॉड्रिंग को समाप्त करने हेतु उचित उपायों का चयन करना एवं एक अत्याधिक समावेशी विश्व का निर्माण करना इन सभी प्रतिचयनों को सुदृढ़ बनाने हेतु विश्व गुरू भारत द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जो की एक विकासशील राष्ट्र विकसित भारत बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य-

1. जी-20 की समावेशी विकास के लक्ष्यों का अध्ययन करना।
2. लैगिंक समानता और महिला सशक्तिकरण की प्रबलता का अध्ययन करना।

अध्ययन की शोध पद्धतियाँ- प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक समंक सरकारी संगठन, भारतीय अर्थव्यवस्था 2023, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अर्द्धशासकीय, शासकीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनो, समाचार पत्रों, इंटरनेट, योजना तथा कुरूक्षेत्र की सहायता सें संग्रहण किया गया है, द्वितीयक आंकड़ों का निष्कर्ष निकालने हेतु विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया है। शोध की समस्याओं तथा उसमें उपयोगी प्रविधियों को समायोजन हेतु पूर्व निर्धारित निर्णयों की रूपरेखा ही अनुसंधान पद्धति का आधार बनाया गया है। अध्ययन कार्य को पूर्ण करने हेतु जी 20 एवं भारत की वर्तमान परिस्थितियों में समावेशी विकास को मुख्य रूप से केन्द्रित किया गया है जिसके अंतर्गत इनके उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों पर बल दिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में भारत

की वर्तमान परिस्थितियों का चयन विश्लेषण पद्धति के आधार पर किया गया है। इस विधि का प्रयोग ज्ञात विधि एवं अज्ञात विधि दोनों का प्रयोग का निष्कर्ष निकाला गया है।

जी-20 के संविकास संबंधी लक्ष्य- जी–20 से संबंधित सतत विकास का वह स्तर है जो वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बैगर संतुष्ट करता है। सतत विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का विदोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास का दिशा निर्देशन और संस्थागत परिवर्तन सभी सुसंगत रूप में है तथा मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संतुष्ट करने हेतु विद्यमान और भावी दोनों संभावनाओं की वृद्धि होती है। इस प्रकार सतत विकास के लक्ष्य निम्नाकिंत अंकित किया गया है–

- समस्त गरीबी एवं इनके सभी रूपों को समाप्त करना।
- भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर पोषण हासिल करना व सतत कृषि को बढ़ावा देना।
- स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरूस्ती को बढ़ावा देना।
- समावेशी व न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।
- लैगिंक समानता प्राप्त करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- जल व स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- समावेशी व धारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना।
- अधोसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करता।
- राष्ट्र में राज्यों के मध्य असमानता को कम करना।
- शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और संधारणीय बनाना।
- सतत उपभोग और उत्पादन तकनीक सुनिश्चित करना।
- जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्कालीन कार्यवाही करना।
- सतत् विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय

  तरीके से उपयोग करना।
- स्थालीय परिस्थितिकीय तंत्रो का संरक्षण और पुनरूद्धार करना तथा इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रबंधन, मरूस्थलीय रोधी उपाय करना, भूमि अतिक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना तथा जैव–विविधता की हानि को रोकना।
- सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समिति को बढ़ावा देना, सभी को

न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेही और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

- कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना और सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरूद्धार करना।

लैगिंक समानता और महिला सशक्तिकरण की प्रबलता- लैगिंक समानता एवं महिला सशक्तिकरण की घोषणा जी-20 बहुआयामी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसमें मानव केन्द्रित विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है और किसी को भी पीछे नही छोड़ा गया है। यह महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण लिंग समावेशी, जलवायु कार्यवाही और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा का समर्थन करता है जो इसे लैगिंक समानता और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए सबसे महत्वाकांक्षी विज्ञप्ति के रूप में चिन्हित करता है। महिला सशक्तिकरण के लिए जी 20 की प्रतिबद्धता का उदाहरण महिला कार्य समूह की स्थापना है जिसकी पहली बैठक ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान शुरूआत किया गया। वर्तमान की भारत लैगिंक समानता की परिचर्चा किया जाय तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आज पुरूष के सामानान्तर ही महिला कदम से कदम मिलाकर चल रही है। महिला वर्ग आज पुरूष से कम नहीं आँकी जा सकती बड़े से बड़े संस्थानों में अपनी अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन के रूप में कार्य कर रही है। हर कार्य में अपनी सहभागिता का योगदान दे रही है। आज की बात की जाय तो महिला पुरूष के समान कार्य को अंजाम दे रही है क्योकि भारत एक पुरूष प्रधान देश माना जाता है यहाँ की संस्कृति की कुछ ऐसी परम्परा अभी महिला वर्ग पर इस तरह से हावी हो जाती है जो महिला वर्गो पर कार्य की वर्चस्वता पर बाधा उत्पन्न करती है फिर भी अपनी संस्कारों को रखते हुए अपनी योगदान देने में कमी नही आ रही है, अर्थात निष्कर्ष रूप में यह पाया गया कि लैगिंक समानता एवं महिला समूह की सशक्तिकरण देश की अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं।

महिलाओं के अधिकारों की गारंटी देना और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने का अवसर देना केवल लैगिंक समानता हासिल करने के लिए बल्कि अंतराष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है। सशक्त महिलाऐं एवं लड़कियाँ अपने परिवारों, समुदायों और देश के स्वास्थ्य तथा उत्पादकता पर योगदान देती है, जिससे एक ऐसा प्रभाव विकसित होता है जो समुची क्षेंत्र पर लाभदायक सिद्ध होती है। िंक्षा केन्द्रीयकरण का एक प्रमुख क्षेत्र होता है जो पूरे विश्व शिक्षा में लैंगिक आसमानता को दूर करने में सहायक होती है। विकासशील देशों में सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग एक चौथाई लड़कियाँ विद्यालय नही जाती है, इसका मुख्य कारण यह है कि सीमित साधन वाले परिवार जो अपने सभी बच्चों के लिए विद्यालय की फीस, वर्दी और आपूर्ति जैसी लागत वाहन का खर्च नही चुका सकते। यहाँ पर अभी भी अपने बेटे की शिक्षा को प्राथमिकता दिया जाता है। यदि लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दिया जाय तो यह निष्कर्ष अवश्य निकलेगा कि एक शिक्षित लड़की द्वारा शादी टालने, छोटे परिवार का पालन-पोषण करने, स्वास्थ्य बच्चा पैदा करने और अपने बच्चों को शाला भेजने की संभावना अधिक होती उसके आसपास आय आर्जित करने

और सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापों में तथा रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता। देश की अर्थव्यस्था को सुधार करने में शिक्षित महिलाएँ संभवत: सफल होने की अवसर ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होता, इसके लिए लैगिंक समानता एवं महिलाशक्ति को आगे आने की आवश्यकता है।

उपसंहार- विश्व के केन्द्र में भारत, जी 20 शिखर सम्मेलन में भारत का अंतराष्ट्रीय कद बढ़ना तय हो गया है। भारत ने न केवल सतत् एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता दी बल्कि लैंगिक समानता जैसे विषयों को भी महत्व प्रदान किया है। जी 20 आरंभ की ओर प्रकाश डाला जाय तो सन् 2008–09 के आर्थिक संकट के दौरान इसमें आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक आर्थिक मंदी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान के कुछ वर्षें में जी 20 का ध्यान आर्थिक चिंताओं के बजाय वैश्विक राजनीतिक संघर्षो को संबोधित करने की ओर अधिक केन्द्रित हो गया। ऐसे स्थिति में विकसित और विकासशील देशों के मध्य आपसी संवाद और बेहतर तालमेल होना बेहद अहम है और यही वजह है कि जी 20 जैसे एक वैश्विक आर्थिक मंच की परिकल्पना की गई। सितम्बर 1999 में अस्तित्व में आने के बाद अब जी 20 विश्व का सबसे शक्तिशाली आर्थिक मंच बन गया है, यह एक ऐसा मंच है जो विविधता और सम्पूर्णता में विश्वास रखता है। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत प्रतिनिधित्व जी 20 सदस्यों द्वारा किया जाता है इसके साथ ही 75 प्रतिशत से अधिक का वैश्विक व्यापार भी जी 20 के सदस्यों द्वारा संचालन किया जाता है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। दुनिया जलवायु परिवर्तन की भयावह समस्या का सामना करने में आज असमर्थ सा प्रतीत हो रहा है क्योकि दिनो–दिन तापमान में वृद्धि होते जा रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन 2003 की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि अगले तीन वर्षो में $1.5C^0$ डिग्री तापमान की वृद्धि होगी जो की परिस्थिकीय तंत्र की कई प्रजातियाँ इतने ही तापमान मात्र से अपनी अस्तित्व गवाँ देगी और इस संसार से सदैव के लिए विलुप्त हो जायेगी, इस गंभीर समस्या पर विचार करना अति आवश्यक है नही तो वह दिन दूर नहीं जो मानव जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा।

भारत ने जी 20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का जैसा परिचय दिया है, वैसे इसके पहले शायद ही इस समूह की अध्यक्षता करने वाले किसी देश ने किया हो। भारत की अध्यक्षता जी 20 समूह के प्रतिनिधियों की जो समस्त बैठक हुई है उनमें विविधता देखने को मिली है, बैठकों में अपने विषयों पर गहन परिचर्चा हुई परन्तु अपने उद्देश्य की पूर्ति होने में कड़ी मेहनत करेगा एवं लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होगी। भारत द्वारा न केवल सतत् एवं समावेशी विकास को महत्व दिया हो बल्कि लैगिंक समानता जैसे विषय साथ ही साथ डिजिटल क्रांति एवं गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चा किया गया। विकासशील देश को विकसित देश बनाने के लिए जी 20 एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से राष्ट्र की लघु समस्याओं को दूर करने एवं उसमे सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी जिससे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए कोई समस्या उत्पन्न नही होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. कांत अमिताभ "जी 20 पृथ्वी, लोग शांति और समृद्धि के लिए" नीति आयोग, योजना नवम्बर 2023, पृ.संख्या 7-11
2. डॉ. सिन्हा नीरज व नमन अग्रवाल " जी 20 वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र" नीति आयोग अक्टूबर 2023, पृ.संख्या 53-58
3. विकास पथ "जी 20 में समग्र स्वास्थ्य पर विचार विमर्श" योजना, जून 2023, पृ.संख्या 48-49
4. प्रो. पंथ हर्ष बी. "भारत की जी 20 अध्यक्षता" ऑब्जर्वर रिसर्च फाउण्डेसन, अध्ययन और विदेश नीति, योजना, पृ.संख्या 45-47
5. डॉ. वैष्णव चिंतन व सुमैया युसुफ, " भारत की जी 20 अध्यक्षता में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम का नया सर्वेरा" योजना, अप्रैल 2023, पृ.संख्या 16-19
6. परीक्षा वाणी, " भारत समावेशी नवाचार कोष व सामाजिक अवसंरचना की भूमिका" 2021 भारतीय अर्थव्यवस्था, पृ.संख्या 53-66
7. भारतद्वाज पी.सी. एवं कुर्रे यु.एस. " भारत में गरीबी की अवधारणा एवं मापदण्ड" शोध उपक्रम अक्टूबर 2001 आई.एस.एस.एन. 097677894 पृ.संख्या 47-50
8. लाल एस.एन. और एस. के. लाल "भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एवं विश्लेषण 2016 " शिवम पब्लिसर्श इलाहाबाद पृ.संख्या 48-50
9. सिंह वंदना "आर्थिक सुधारों का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेंत्रों पर प्रभाव 1951" सामाजिक सहयोग, अंक 20 पृ.संख्या 20-35

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों के विकास पर माता-पिता की शिक्षा का प्रभाव

• टी.पी. शर्मा

सारांश- एक बालक के व्यक्तित्व के विकास में अनेक कारक प्रभाव डालते हैं जैसे-सामाजिक कारक, राजनैतिक कारक,सांस्कृतिक कारक एवं पारिवारिक कारक आदि। परन्तु इन घटकों में सबसे अधिक प्रभाव परिवार का ही पड़ता है क्योंकि बालक जब आँख खोलता है तो सर्वप्रथम अपने पारिवारिक जनों के सम्पर्क में आता है एवं यहीं से उसके विकास एवं संस्कारों की नींव प्रारम्भ होती है और दृढ़ता को प्राप्त होती है। परिवार में भी वह सबसे अधिक माता-पिता के सम्पर्क में आता है और यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि प्रारम्भिक काल से ही बालक अपनी माता के साथ तादात्म्य स्थापित कर उसके गुणों को स्वयं में समाहित करने का प्रयत्न करता है। ऐसी स्थिति में माता-पिता के व्यक्तित्व का पूर्ण प्रभाव बालक पर पड़ता है माता को इसी कारण बालक की प्रथम शिक्षि का कहा जाता है क्योंकि माता ही बालक के अन्त: निहित गुणों का विकास करती है और उन गुणों को विकसित करने का श्रेय भी माता-पिता को जाता है परन्तु बालक में इन गुणों का समावेश कराने की एक अवस्था होती है।

मुख्य शब्द- नैतिक मूल्य, बालक, व्यक्तित्व, विकास

मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है जब ईश्वर को अपना स्वरूप प्रतिविम्बित करना था तो उसने मनुष्य को इस धरती पर अवतरित किया। ईश्वर ने मनुष्य को एक अलौकिक शक्ति से सम्पन्न कर अद्‌भुत विचारणीय शक्ति से युक्तकर इस भू-धरा पर अवतरित किया तथा अनगिनत चिन्तन शक्ति दी है जिसका परिचय मनुष्य अपने जीवन में उस चिन्तन शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन को स्वर्णमय बनाकर दे सकता है। मनुष्य में इस चिन्तन शक्ति को विकसित करने का कार्य शिक्षा करती है मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्यत्व शिक्षा प्रदान करती है मानव को सही अर्थों में मनुष्य बनाती है। शिक्षा ही वह साधन हैजो मनुष्य में निहित गुणों का विकास कर उसके जीवन को स्वर्णमयी बनाती है। शिक्षा आधुनिक काल से ही नहीं वरन् प्राचीन काल से ही मानस को उन्नति के शिखर पर आरूढ़ करती आ रही है।अत: सही अर्थों में शिक्षा मानव का सम्पूर्ण विकास करती है इसी कारण अनेक विद्वानों ने शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है। हरबर्ट स्पेन्सर, ''पूर्णता से जीवन व्यतीत करने के लिए हमें तैयार करना ही शिक्षा है।'' रेमाण्ट, ''शिक्षा

• प्राचार्य,राधा स्वामी पी.जी. कॉलेज नगर भरतपुर

विकास का वह क्रम है जिसमें व्यक्ति धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है व्यक्ति अपने व्यवसाय, परिस्थिति, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह पितृत्व मनोरंजन यात्रा आदि के द्वारा शिक्षित किया जाता है।" लॉज, "बच्चा अपने माता-पिता को औरछात्र अपने शिक्षकों को शिक्षित करता है। प्रत्येक बात जो हम कहते सोचते या करते हैं हमें किसी भी प्रकार दूसरे व्यक्तियों के द्वारा कहीं सोची या की गई बात से कम शिक्षित नहीं करती है इस व्यापक अर्थ में जीवन-शिक्षा और शिक्षा जीवन है।" स्वामी विवेकानन्द, " हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।"

अत: मानव में मानवोचित मूल्यों का व चरित्र का निर्माण करने का श्रेय शिक्षा को ही जाता है।सदाचार, कर्तव्य, ईमानदारी, प्रेम, मित्रता आदि का समावेश करना शिक्षा का ही कार्य है। यह मानव मूल्य एक व्यक्ति के अन्त: करण द्वारा नियंत्रित होते है तो दूसरी ओर उसको संस्कृति और परम्परा द्वारा क्रमश: निस्सृत एवं परिपोषित होते हैं उन्हें बहुजनिति या सर्वजनित इन जीवन मूल्यों की कसौटी कहा जा सकता है।स्वच्छता, त्याग, प्रेम, सत्य, समय पालन, अहिंसा जैसे जीवन के महान मूल्यों का उपयोग मनुष्य आत्मरक्षण या आत्म पोषण के लिए करता है। अंग्रेजों के भारत आगमन के पूर्व यहाँ अलग से मूल्यों की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। परन्तु आधुनिक काल में मूल्यों की आवश्यकता पर सभी विद्वानों शिक्षाशास्त्रियों तथा सभी आयोग ने समय-समय पर बल दिया।

1937 में वर्धा योजना में प्रथम बार इण्डियन एजुकेशन क्रान्फ्रेंस में शिक्षा में मूल्यों को स्वीकार किया है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात् देश में नये संविधान का निर्माण हुआ। जिसमें भी देश के नये संविधान में मूल्यों की स्थापना की बात कही गई है। 1952-1953 में मुदालियर आयोग ने विभिन्न मूल्यों की स्थापना के सन्दर्भ में कहा है कि शिक्षा के द्वारा स्पष्ट विचार शील, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सहनशील, देशभक्ति, कार्य के प्रति नवीन भावना तथा सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रतिप्रेम आदि मूल्यों की आवश्यकता है। शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा भी दो बातों की विशेष संस्तुति की गई है। शिक्षा द्वारा सामाजिक विकास तथा नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर बल दिया जाये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने भी मूल्यों के सन्दर्भ में बालकों के समस्त जीवन को नैतिक बना ने पर बल दिया है। सैंकड़ों शिक्षकों से चर्चा करने के पश्चात् उनके सुझावों को राष्ट्रीय पंचशील नाम दिया गया है तथा स्वच्छता, सच्चाई, परिश्रम, समानता, सहयोग आदि मूल्यों को महत्व दिया गया है। 1976 में (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में 83 नैतिक तथा अध्यात्मिक मूल्यों का परिगणन किया गया है। सम्पादित पुस्तिका के सम्पादक श्री वी.आर. गोयल का कथन है, "मूल्यों का निर्धारण विविध शैक्षिक आयोगों तथा समितियों के प्रतिवेदन तथा गाँधी साहित्य के प्रतिवेदनों के आधार पर किया गया है।"

अत: मानव जीवन में विभिन्न मूल्यों के महत्व को विभिन्न आयोगों और विद्वानों ने स्वीकार किया है।मूल्यों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। बिना मूल्यों के मानव को दिशाहीन कहा जा सकता है।अनेक मनुष्यों में विभिन्न स्तर के गुण होते है। उन मूल्यों में भी नैतिक मूल्यों का अपना महत्व है एक बालक के जीवन में नैतिक मूल्य उसके जीवन का मार्गदर्शन कराने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अत: बालक के व्यक्तित्व के विकास में नैतिक मूल्यों का का अपना ही महत्व है। इन मूल्यों के विकास में अनेक कारक प्रभाव डालते हैं।उनमें समाजपरिवार समुदाय विद्यालय प्रमुख है उनमें भी परिवार प्रमुख कारक है क्योंकि बालक के भविष्य की आधार शिला उसके परिवार में ही पड़ती है परिवार में भी सबसे अधिक उसके माता-पिता का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है।

समस्या का प्रादुर्भाव- वर्तमान समय में भारत में प्रत्येक क्षेत्र में इस विषय पर क्षोभ प्रकट किया जा रहा है कि व्यक्तियों के तथा विशिष्ट रूप से आने वाली पीढ़ी के जीवन मूल्यों का ह्रास बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। बढ़ती हुई अनुशासन हीनता, भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता जीवन मूल्यों के ह्रास की साक्षी है। सामाजिक व नैतिक मूल्यों के कमजोर पड़ जाने से सामाजिक व नैतिक संघर्ष पैदा हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को मूल्योन्मुख करें। वर्तमान समय की ज्वलन्त समस्याओं में नैतिक मूल्यों के पतन की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है।नैतिक मूल्यों को गिरती हुई स्थिति हमें यह जानने के लिए विवश करती है कि ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो बालक के स्वर्णमय जीवन को अन्धकारमय मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक सामाजिक व सौन्दर्यात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है लगभग सभी विचारक मूल्यों के अभीष्ट महत्व को स्वीकार करते हैं।अरस्तु मूल्य एक विशिष्ट शाब्दिक संकल्पना को कहते हैं, जिनके द्वारा मानव व्यवहार का चयन होता है और कुछ मानवीय मूल्य देशकाल की सीमाओं से परे शाश्वत होते हैं और कुछ मूल्य देश विदेश की संस्कृति विशेष से सम्बद्ध होते हैं। भारतीय संस्कृति भोग में नहीं योग में विश्वास करती है सत्य अहिंसा, प्रेम, आचरण, दया, भक्ति जैसे मूल्य यहां के कण-कण में व्याप्त हैं यही कारण है कि भारतीय संस्कृति चिरपुरातन होते हुए भी नवीन है।

मानव मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुण समूह है जिन्हें अपने संस्कारों एवं पर्यावरण के माध्यम से अपना कर लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने जीवन पद्धति का निर्माण किया जा सकता है।उसमें मनुष्य की धारणाएँ, विश्वास, मनोवृत्ति, आस्था इत्यादि समेकित होती है यह मानव मूल्य एक ओर व्यक्ति के अन्त:करण द्वारा नियंत्रित होते हैं तो दूसरी ओर उसकी संस्कृति और परम्परा द्वारा क्रमश: निस्सृत एवं परिपोषित होते हैं। ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक हैं और कौन से ऐसे कारक हैं जो बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में बाधक नहीं है। क्या माता-पिता की शिक्षा का बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में प्रभाव पड़ता है और अगर पड़ता है तो किस सीमा तक? अत: माता-पिता की शिक्षा विद्यार्थियों के नैतिक विकास को किसी सीमा तक प्रभावित करती है। इस अध्ययन हेतु शोधार्थी ने इस समस्या का चयन किया है।

शोध समस्या का औचित्य- एक बालक के व्यक्तित्व के विकास में अनेक कारक प्रभाव डालते हैं जैसे–सामाजिक कारक, राजनैतिक कारक,सांस्कृतिक कारक एवं पारिवारिक कारक आदि।

परन्तु इन घटकों में सबसे अधिक प्रभाव परिवार का ही पड़ता है क्योंकि बालक जब आँख खोलता है तो सर्वप्रथम अपने पारिवारिक जनों के सम्पर्क में आता है एवं यहीं से उसके विकास एवं संस्कारों की नींव प्रारम्भ होती है और दृढ़ता को प्राप्त होती है। परिवार में भी वह सबसे अधिक माता–पिता के सम्पर्क में आता है और यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि प्रारम्भिक काल से ही बालक अपनी माता के साथ तादात्म्य स्थापित कर उसके गुणों को स्वयं में समाहित करने का प्रयत्न करता है। ऐसी स्थिति में माता–पिता के व्यक्तित्व का पूर्ण प्रभाव बालक पर पड़ता है माता को इसी कारण बालक की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है क्योंकि माता ही बालक के अन्तः निहित गुणों का विकास करती है और उन गुणों को विकसित करने का श्रेय भी माता–पिता को जाता है परन्तु बालक में इन गुणों का समावेश कराने की एक अवस्था होती है। मानव में इन मूल्यों के समावेश का एक स्तर होता है वह प्राथमिक स्तर है इन विशिष्ट मूल्यों के विकास में प्रारम्भिक अवस्था से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बालक के जीवन में प्रारम्भिक अवस्था उसके जीवन की आधारशिला के समान है यह वह अवस्था है जिस पर बालक का समग्र जीवन निर्भर करता है। इसी कारण प्रारम्भिक अवस्था को विद्वानों ने कोरी स्लेट कहा है जिस पर हम जो भी अंकित करना चाहे कर सकते हैं चाहे तो उसे अंधकार के मार्ग पर ले जा सकते हैं और चाहे तो उसके जीवन को स्वर्णमय बना सकते हैं।

अतः वर्तमान समय में जब कि मानव के अन्तः निहित नैतिक मूल्यों का बड़ी द्रुतगति से ह्रास हो रहा है और हमारी भारतीय संस्कृति का विलोपन हो रहा है और भारतीय संस्कृति अधोगति को प्राप्त हो रही है अतः शोधार्थी यह जानने के लिए जिज्ञासु है। कि बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में अन्य कारणों की भांति पारिवारिक कारण कितना प्रभाव डालते हैं और परिवार में माता–पिता की शिक्षा बालकों में नैतिक मूल्यों के विकास को किस सीमा तक प्रभावित करती है ? यही शोधार्थी के अध्ययन का ध्येय है।

समस्या कथन–"कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों के विकास पर माता–पिता की शिक्षा का प्रभाव।"

समस्या में प्रयुक्त पदों की परिभाषा- प्राथमिक स्तर औपचारिक रूप से प्रदान की जाने वाली शिक्षा का वह स्तर है जहां पर पहली कक्षा से पाँचवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाती है, यह वह स्तर है जिस पर बालक का समग्र जीवन निर्भर करता है। चेम्बर शब्दकोश के अनुसार–

नैतिक- " नैतिकता वह है जो क्रियाओं में उचित व अनुचित के मध्य विभाजन करती है तथा वह सिद्धान्त है जो क्रियाओं में उचित व अनुचित बताती है।"

इंग्लिस एण्ड इंग्लिस की डिक्सनिरी) के अनुसार– मूल्य को इस प्रकार परिभाषित किया है– "मूल्य वह अमूर्त प्रत्यय है जो व्यक्ति एवं परिवार या समुदाय इत्यादि के लिए लक्ष्य प्रप्ति के साधनों का निर्धारण करते हैं और इन मूल्यों को व्यक्ति धीरे–धीरे करता है अन्तोगत्वा मूल्यों को अपने चरित्र आचरण की कसौटी बना लेता है।"

नैतिक मूल्य- नैतिक मूल्यों से तात्पर्य बालकों के व्यवहार में अहिंसा, कर्तव्य पालन, पवित्रता श्रमा ईमानदारी, उदारता, समानता, बंधुत्व, न्याय, परोपकार, सत्य व शान्ति आदि पुणों से धनात्मक पक्ष से है।

माता-पिता की शिक्षा- माता-पिता की शिक्षा का अभिप्राय उस शिक्षा से है जो बालक में निहित मूल्यों के विकास में प्रभाव डालती है।

क्रियात्मक परिभाषा-

प्राथमिक स्तर- प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक स्तर से अभिप्राय शिक्षा के उस स्तर से है जिसमें सामान्यत: 8 से 10 या 11 वर्ष के आयु के बालक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करने हेतु नामांकन किये जाते हैं।

नैतिक- प्रस्तुत शोध पत्र में नैतिकता का अभिप्राय मूल्यों के उन रूपों से है जो क्या उचित है? क्या अनुचित है? क्या अचम है? क्या बुरा है? यह बताती है।

मूल्य- प्रस्तुत शोध कार्य में मूल्यों से अभिप्राय मानवोचित मूल्यों से है। जैसे प्रेम, अहिंसा, दया, त्याग आदि।

नैतिक मूल्य प्रस्तुत शोध कार्य में निहित मूल्यों से तात्पर्य बालकों में पवित्रता, सत्यता, बंधुत्व, परोपकार आदि के सकारात्मक पक्ष से है।

माता-पिता की शिक्षा- प्रस्तुत शोध कार्य में माता-पिता की शिक्षा से अभिप्राय यह है कि माता-पिता की शिक्षा बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में किस सीमा तक प्रभाव डालती है इसके लिए माता-पिता की शिक्षा को तीन स्तरों में बांटा गया है।

1. अशिक्षित से जूनियर स्तरतक शिक्षित
2. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षित
3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षित

अध्ययन के उद्देश्य-

1. प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का अध्ययन करना।
2. माता-पिता के शैक्षिक स्तर के अनुसार बालकों के नैतिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना-

1. प्राथमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के नैतिक मूल्यों में समानता होती है।
2. विद्यार्थियों के नैतिक मूल्य माता-पिता के शैक्षिक स्तर से प्रभावित नहीं होते।
3. विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों उनके यौन भेद एवं माता-पिता के शैक्षिक स्तर से अप्रभावी रहते हैं।
4. विभिन्न शैक्षिक स्तर की माताओं के बालकों के नैतिक मूल्यों में अन्तर नहीं होता।

परिसीमांकन-

1. वर्तमान शोध समस्या अध्ययन में केवल भरतपुर के विद्यालयों को सम्मिलित किया गया।
2. यह अध्ययन कक्षा 5 के ग्यारह वर्ष के आयु वर्ग वाले बालक-बालिकाओं तक ही सीमित रखा गया।

3. प्रस्तुत अध्ययन में सहायता प्राप्त विद्यालयों के केवल शिक्षा 5 तक के 210 विद्यार्थियों को चयनित किया गया।

अध्ययन के चर-

स्वतंत्र चर – माता–पिता की शिक्षा

परतंत्र चर – नैतिक मूल्य

नियंत्रित चर –स्तर, आयु, लिंग।

अध्ययन की विधि- वर्तमान अध्ययन के संबंध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श का चयन- वर्तमान शोध अध्ययन में स्तरीकृत यादृच्छिकरण द्वारा न्यादर्श का चुनाव किया गया है।जिसमें जिले के सहायता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों को चयनित किया गया है। जिनकी संख्या 210 है।

आयु	छात्र	छात्रायें	योग
6–8 वर्ष	35	35	70
8–10 वर्ष	35	35	70
10–12 वर्ष	35	35	70
योग	105	105	210

उपकरण- अध्ययन हेतु चयनित समस्याओं के सन्दर्भ में प्रदत्त एकत्र करने हेतु कल्पना सेन गुप्ता एवं अरूण कुमार सिंह द्वारा निर्मित (एम.वी.एस.) नैतिक मूल्य मापनी टेस्ट का प्रयोग किया गया। यह उपकरण चयनित समस्या के सन्दर्भ में सर्वाधिक सार्थक है। इस उपकरण का उपयोग करके समस्या से सम्बंधित प्रदत्तों को आसानी से विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठ रूप से संग्रहित किया गया है। यह स्तरानुकूल भी है।इसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट है, जिससे समस्या से सम्बंधित प्रदत्तों को प्राप्त किया गया है।

सांख्यिकी प्रविधियाँ- वर्तमान शोध के निर्मित प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु उचित वर्णनात्मक एवं निष्कर्षात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया।

मध्यमान- मध्यमान का प्रयोग प्रदत्तों के विवरण में असमानता की जांच विभिन्न समूहों के तुलनात्मक अध्ययन तथा अन्य सांख्यिकीय गणना करने हेतु किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अस्थाना, "मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन" विनोद पुस्तक मन्दिर, अष्टम संस्करण, सन् 148
2. कोठारी, डी.एस., "शिक्षा और राष्ट्रीय विकास (1994–66)" शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, (1998)
3. कौल, लोकेश– " मैथोलोजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च" नई दिल्ली विकास पब्लिसिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, सन् 1984
4. गिल्फर्ड, जे.पी., फण्डामेण्टल स्टेटिज्टिक साइकोलॉजी एण्ड एजुकेशन, न्यूयार्क, सन् 1956
5. गुडवार एण्ड स्केट्स, "मैथडस ऑफ रिसर्च", न्यूयार्क एल्वेतन सेन्चुरी क्राफ्ट्स इडफ, 1954

6. गुप्त, नत्थूलाल, ''मूल्य परक शिक्षण'' कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर 1987
7. गैरेट, एच.ई., स्टेतिस्टिकस इन साइकोलॉजी एण्ड एजुकेशन'', नई दिल्ली, कल्याणी पब्लिशर्स, सन् 1981
8. जनरल ऑफ चाइल्ड, "डबलपमेन्ट अप्रैल 1997 बौल्यूम–68", नं.2, पी 3 51 यूनीवसर्टीज ऑफ शिकागो प्रेसफोर सोसाइटी फॉर रिसर्च इन चाइल्ड डबलपमेंट।

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सूचना संचार और तकनीकि का उपयोग

• मंजरी अवस्थी

सारांश- संचार शिक्षा की जीवनधारा है, जो शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को ज्ञान और विकास की साझा खोज में जोड़ता है। यह सूचना के प्रभावी प्रसारण को सक्षम बनाता है, छात्र जुड़ाव और सक्रिय सीखने को बढ़ावा देता है, मजबूत शिक्षक-छात्र संबंध बनाता है, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देता है, माता-पिता-शिक्षक साझेदारी को मजबूत करता है और प्रभावी कक्षा प्रबंधन का समर्थन करता है। संचार के महत्व को पहचानकर और प्रभावी संचार रणनीतियों को नियोजित करके, हम एक समावेशी और समृद्ध शैक्षिक वातावरण बना सकते हैं जो छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाता है और उन्हें परस्पर जुड़ी दुनिया में सफलता के लिए तैयार करता है।

मुख्य शब्द- शिक्षा नीति, संचार, तकनीक, ज्ञान, विकास

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की मदद से शिक्षा व्यवस्था का आधार मजबूत हुआ है इससे शिक्षा प्रशासन में पारदर्शिता आती है दूरियां कम करके विश्व को एक वैश्विक गाँव बना दिया है मानवीय संबंधों और संपर्कों को और अधिक निकटवर्ती बना दिया है। इसका प्रयोग अनेक शैक्षिक अवसरों तथा क्षेत्रों में किया जा सकता है। सूचना एवं संचार तकनीकी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का आधार है मानव सशक्तिकरण का साधन है। सूचना एवं संचार तकनीकी शिक्षा प्रशासन में पारदर्शिता हेतु उपयोगी है। यह छात्रों का अपने काम को बाहरी दर्शकों को संबोधित करने और स्कूल के बाहर या अंदर के लोगों के साथ असाइनमेंट पर सहायोग करने का अवसर देता है। आईसीटी स्वत्रंत और सक्रिय सीखने और सीखने के लिए स्वयं की जिम्मेदारी को प्रात्साहन प्रदान करता है। सूचना एवं संचार तकनीकी द्वारा शिक्षा जगत में हो रहे परिवर्तन तथा विकास की जानकारी सर्वसुलभ करने में शैक्षिक सभी प्रकार के तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में सहायक एवं शिक्षा के सभी माध्यम औपचारिक एवं अनौपचारिक आदि में सहायक शिक्षार्थियों की योग्यतानुसार पाठ्यक्रम को बोधगम्य बनाकर शिक्षण–अधिक्रम में सहायक है।

• सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय, इटारसी

शिक्षा में संचार का महत्व-

- संचार से मजबूत रिश्ते बनते है।
- संचार से शिक्षक और छात्र के बीच भरोसा सम्मान और संबंध बनते है।
- संचार से छात्रों को अपने विचार चिंताएं और विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है।
- संचार से छात्रों के बीच सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है।
- संचार से छात्रों के बीच अलग-अलग विचारों का आदान-प्रदान होता है।
- संचार से शैक्षिक समुदाय में प्रेरणा जुड़ाव और समग्र कल्याण बढ़ता है।
- संचार से शोध के काम आसान हुए है।
- संचार से एक विषय पर कई लोग एक साथ जुड़ कर काम कर सकते हैं।
- संचार से छात्रों को कॉलेज और उनके भविष्य के करियर के लिए तैयार किया जाता है।
- संचार से शिक्षकों को अपने पाठों अपेक्षाओं और उद्देश्यों को अपने छात्रों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए
- संचार से शिक्षकों के ज्ञान और छात्र की समझ के बीच के अंतर को पाटने में मदद मिलती है।
- संचार से शिक्षकों को अपने छात्रों के विचारों और विचारों को सुनने और समझने मे मदद मिलती है।
- संचार से शिक्षकों को जटिल चीजों को सरल चरणों में तोड़ने में मदद मिलती है ।
- संचार से छात्रों को परीक्षाओं में जो कुछ भी सीखा है उसे आपस में संवाद करने में मदद मिलती है।

शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी ने मानवीय ज्ञान में वृद्धि की है, जिसके प्रमुख पक्ष 1(ज्ञान को संचित करना Preservation of Knowledge) 2 ज्ञान का प्रसार करना (Transmission of Knowledge) तथा (3) ज्ञान का विकास करना (Advancement of knowledge) है। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी आधुनिक युग तकनीकी के विकास एवं क्रान्ति का युग है। प्रतिदिन नई - नई तकनीकियों तथा माध्यमों का विकास किया जा रहा है। माध्यमों के विकास ने विश्व की भौतिक दूरी को कम कर दिया है अथवा विश्व को बहुत छोटा कर दिया है। इसमें वृहद तकनीकी प्रवृत्तियों (Mega Trends of Technology) का विशेष योगदान है। लघु तकनीकी प्रवृत्तियों का उपायों कक्षा शिक्षण में प्रक्षेपित तथा अप्रेक्षित माध्यमों के रूप में किया जाता है। कक्षा शिक्षण में शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, सूचना तकनीकी, संचार तकनीकी, व्यवहार तकनीकी आदि का उपयोग किया जाता है। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी ने मानवीय ज्ञान में वृद्धि की है, जिसके प्रमुख पक्ष (1) ज्ञान को संचित करना (Preservation of knowledge) (2) ज्ञान का प्रसार करना (Transmission of knowledge) तथा (3) ज्ञान का विकास करना (Advancement of Knowledge) है। प्रथम पक्ष ज्ञान को संचित करना है। छापने की मशीनों से पर्व

अधिकांश ज्ञान कंठस्थ ही किया जाता था और यह ज्ञान गुरू शिष्यों को प्रदान करते थे, परन्तु सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग से ज्ञान को पुस्तक के रूप में पुस्तकालयों में संचित किया जाने लगा। मानवीय ज्ञान का द्वितीय पक्ष ज्ञान का पुस्तक के रूप में पुस्तकालयों में संचित किया जाने लगा। मानवीय ज्ञान का द्वितीय पक्ष ज्ञान का प्रसार करना है। शिक्षक अपने शिष्यों को संचित किये गये ज्ञान को प्रदान करता है। एक शिक्षक सीमित छात्रों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करा सकता है, परन्तु माइक, रेडियो, दूरदर्शन के प्रयोग से वह असंख्य छात्रों को अपना ज्ञान प्रदान कर सकता है। शिक्षा तकनीकी के परिणामस्वरूप शिक्षा प्रक्रिया बदल चुकी है। अब तक छात्र विद्यालयों में तथा अध्यापकों के यहाँ जाया करते थे परन्तु अब अध्यापक छात्रों के यहाँ पहूँच रहा है। उदारहरणस्वरूप अध्यापक रेडियो अथवा टेलीविजन पर अभिभाषण करता है तो देश तथा संसार का प्रत्येक छात्रा अपने रेडिया पर उसका भाषण सुन सकता है और उसका पूरा लाभ उठा सकता है। पत्राचार – पाठ्यक्रम, मुक्त वि'वविद्यालय इसी की देन हैं। मानवीय ज्ञान का तृतीय पक्ष ज्ञान वृद्धि करना है। शोध कार्यो के द्वारा ज्ञान का तृतीय पक्ष ज्ञान में वृद्धि की जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक शोध कार्यो को अधिक महत्व दिया जाता है। शोध कार्य में प्रदत्तों का संकलन करना तथा विश्लेषण करना प्रमुख कार्य है। इसके लिए कम्प्यूटर, इलेक्ट्रनिक कैल्कुलेटर तथा बिजली की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। शोध कार्य को कम्प्यूटर के प्रयोग ने अधिक सुगम बना दिया है। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी माध्यमों की सहायता से कक्षा में तथा बाहर भी शिक्षण, अनुदेशन अधिगमन की व्यवस्था की जाती है। यह कहा जाता है के समावेशन (Mclurian of Technology) की प्रक्रिया को जन्म देकर शिक्षा के क्षेत्र को एक प्रमाणिक व सर्वसुलभ आयाम प्रदान किया है। तकनीकी के विकास से शिक्षा के क्षेत्र में हम जिस क्रान्ति के कल्पना करते थे। आज कम्प्यूटर आधारित तकनीकी ने इस कल्पना को साकार करके शैक्षिक क्षेत्र में नये युग का सूत्रापात किया है। आज शिक्षण – अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक सूचना एवं संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है जैसे रेडियो,दूरदर्शन, कम्प्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग आदि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर शिक्षाशास्त्रियों के द्वारा अभिनव प्रयास किये गये हैं। शिक्षा के जन सामान्य में प्रसार के लिए विज्ञान व तकनीकी ने नये आयामों को जन्म दिया है। रेडियो व दूरदर्शन जैसे उपकरणों के शैक्षिक प्रयोगों ने शैक्षिक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं आधुनिक कम्प्यूटर आधारित तकनीकी ने न केवल शैक्षिक प्रसार के स्वरूप को परिमार्जित किया है, बल्कि तकनीकी के समावेशन (Mclurian of Technology) की प्रक्रिया को जन्म देकर शिक्षा के क्षेत्र को एक प्रमाणिक व सर्वसुलभ आयाम प्रदान किया है। तकनीकी के विकास से शिक्षा के क्षेत्र में हम जिस क्रान्ति की कल्पना करते थे। आज कम्प्यूटर आधारित तकनीकी ने इस कल्पना को साकार करके शैक्षिक क्षेत्र में नये युग का सूत्रपात किया है। आधुनिक युग तकनीकी के विकास एवं क्रन्ति का युग है। प्रतिदिन नई–नई तकनीकियों तथा माध्यमों का विकास किया जा रहा है। माध्यमों के विकास ने विश्व की भोतिक दूरी का कम कर दिया है अथवा वि'व को बहुत छोटा कर दिया है। इसमें वृहद

तकनीकी प्रवृत्तियों (Mega trends of Technology) का विशेष योगदान है। लघु तकनीकी प्रवृत्तियों का उपयोग कक्षा शिक्षण में प्रक्षेपित तथा अप्रेक्षित माध्यमों के रूप में किया जाता है। शिक्षा के संसार में संचार का अहम और महत्वपूर्ण योगदान है। संचार के अलग अलग माध्यम आने से शिक्षा ने गति पकड़ी है। आज संचार के वजह से संचार प्रौद्योगिकी कि अलग पढ़ाई होने लगी है। इसमें बहुत बेहतर स्तर तक छात्र पहुंच सकते हैं। संचार के माध्यम से शोध के कार्य आसान हुए हैं। पहले शोध में काफी समय लगता था क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए प्रयुक्त साधन उपलब्ध नहीं था। अब कई तरह के माध्यम हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेट के माध्यम से संचार आसान हुआ है और यह शिक्षा जगत में क्रांति लेकर आया है। अब कई तरह के माध्यम हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेट के माध्यम से संचार आसान हुआ है और यह शिक्षा जगत में क्रांति लेकर आया है। इससे पढ़ाई लिखाई के कई कार्य आसान हुए हैं। संचार की मदद से एक विषय पर कई लोग एक साथ जुड़ कर कार्य कर रहे हैं तथा नई बुलंदी हासिल कर रहे हैं। जिस प्रकार संगमरमर के लिए शिल्प कला, उसी प्रकार मानवीय आत्मा के लिए शिक्षा है – जोसेफ एडीसन

पिछले कुछ दशकों से प्रौद्योगिकी ने हर संभव मार्ग से हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। भारत एक सफल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से सुसज्जित राष्ट्र होने के नाते सदैव सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अत्यधिक बल देता रहा है, न केवल अच्छे शासन के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य कृषि और शिक्षा आदि के लिए भी शिक्षा नि:संदेह एक देश की मानव पूंजी के निर्माण में किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है और एक ऐसा माध्यम है जो न केवल अच्छे साक्षर नागरिकों को गढ़ता है बल्कि ये राष्ट्र को तकनीकी रूप से नवाचारी भी बनाता है और इस प्रकार आर्थिक वृद्धि की दिशा में मार्ग प्रशस्त होता है। भारत मे ऐसे अनेक कार्यक्रम और योजनाएं, जैसे मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान आदि शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किए गए हैं। हाल के वर्षों में इस बात में काफी रूचि रही है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है अधिगम्यता पर आसान पहुंच संसाधन। सूचना औ संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से छात्र अब ई-पुस्तके परीखा के नमूने वाले प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आदि देखने के साथ संसाधनों व्यक्तियों, मेंटोर, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, व्यावसायिकों और साथियों से दुनिया के किसी भी कोने पर आसानी से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समय कहीं भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सर्वाधिक अनोखी विशेषता यह है कि इसे समय और स्थान में समायोजित किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने असमामेलित अधिगम्यता (डिजिटल अभिगम्यता) को संभव बनाया है। अब छात्र किसी भी समय अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन अध्ययन पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़ सकते हैं।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा आपूर्ति (रेडियो और टेलिविजन पर शैक्षिक

कार्यक्रमां का प्रसारण) से सभी सीखने वाले और अनुदेशक को एक भौतिक स्थान पर हाने के आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जब से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को एक शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग किया गया है, इसने एक त्रुटिहीन प्रेरक साधन के रूप में कार्य किया है, इसमें वीडियो, टेलिविजन, मल्टीमीडिया कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल है जिसमें ध्वनि और रंग निहित है। संचार हमारे जीवन के हर पहलू का एक अनिवार्य घटक है और शिक्षा कोइ अपवाद नहीं है। यह शिक्षा में महत्वपूर्ण है क्यांकि यह शिक्षकों और छात्रों के बीच सीखने और समझने की सुविधा प्रदान करता है। यह मजबूत रिश्ते और विश्वास बनाता है, सकारात्मक सीखने के माहौल को बढ़ावा देता है। प्रभावी संचार विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए व्यक्तिगत समर्थन और भेदभाव की अनुमति देता है। यह माता पिता की भागीदारी को बढ़ता है, छात्र की सफलता के लिए एक सहायोगात्मक दृष्टिकोण बनाता है। संचार छात्रों के भविष्य के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण संचार कौशल विकसित करते हुए सामाजिक और भावनात्मक विकास को भी बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष- संचार शिक्षा की जीवनधारा है, जो शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को ज्ञान और विकास की साझा खोज में जोड़ता है। यह सूचना के प्रभावी प्रसारण को सक्षम बनाता है, छात्र जुड़ाव और सक्रिय सीखने को बढ़ावा देता है, मजबूत शिक्षक–छात्र संबंध बनाता है, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देता है, माता–पिता–शिक्षक साझेदारी को मजबूत करता है और प्रभावी कक्षा प्रबंधन का समर्थन करता है। संचार के महत्व को पहचानकर और प्रभावी संचार रणनीतियों को नियोजित करके, हम एक समावेशी और समृद्ध शैक्षिक वातावरण बना सकते हैं जो छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए स'ाक्त बनाता है और उन्हें परस्पर जुड़ी दुनिया में सफलता के लिए तैयार करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

समकालीन हिंदी कविता में छततीसगढ़ के युवा कवियों का योगदान

• गिरिजा साहू
•• शैलेन्द्र कुमार ठाकुर
••• कृष्णा चटजी

सारांश- छत्तीसगढ़ के समकालीन कवियों में युवा कवियों का काव्य जनमानस को चेताने वाला, जगाने वाला, समझाने वाला काव्य है। देखा जाए तो वाल्मिीकी से लेकर कबीर, निराला, धूमिल, केदारनाथ सिंह, विनोद कुमार शुक्त, एकान्त श्रीवास्तव, विनोद शर्मा, शिव शैलेन्द्र, वंदना केंगरानी, अल्पना त्रिपाठी, बसंत त्रिपाठी जैसे युवा कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से आम आदमी के मानसिक पीड़ा, संत्रास, बेचैनी, प्रेम की चाहत, जैसी उन तमाम भाव वृत्तियो को शब्द चित्रों, प्रतीकों एवं बिम्बों के माध्यम से काव्य का सृजन किया है। इन युवा कवियों की कविताओं में हिंदी साहित्य के उन तमाम उत्कृष्ट साहित्यकारों की प्रतिच्छाया भी नजर आती है ।

मुख्य शब्द- समकालीन हिंदी कविता, काव्य, जनमानस, युवा कवि, प्रतिच्छाया

कविता आम आदमी के जीवन पर प्रकाश डालने वाले एक ऐसी विधा है जो लोक चेतना को चेताने के साथ ही लोक मानस को जगाने का भी काम करती है। वास्तव में कविता कभी हंसाती है तो कभी रूलाती है उसके साथ ही साथ हमें एक अच्छा आदमी बनने की सीख भी देती है। आद्य कवि वाल्मीकि से शुरू होती हुई यह परम्परा कालीदास, भावभूति, कबीर, तुलसी, सूर से होते हुए निराला, जयशंकार प्रसाद, पंत, अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल जैसे साहित्य सृजन करने वाले उन तमाम कवियों की वैचारिक भावभूमि से हम पाठकों को आम मानवीकी व्याकरण एवं अनु भवों से अनुभावित करती है। कविता हमें जीवन दर्शन से परिचित कराती है। वहीं हमें जीवन के बहुमूल्य अर्थ को समझाती भी है। कविता मनुष्य को मनुष्य बनने की सीख देते हुए प्रतीकों, बिम्बों चित्रों एवं रेखाचित्रों के माध्यम से आम आदमी की पीड़ा को आम आदमी तक पहुँचाती है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। हमारे सम्मुख रखते हुए सामाजिक सोच एवं विचार को प्रस्तुत करने का आईना दिखाने का काम करती है।

• शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
•• सहायक प्राध्यापक,हिन्दी, डॉ. खू.च.ब.शासकीय स्नातको. महाविद्यालय,
••• सहायक प्राध्यापक,हिन्दी, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्वशासी स्नातकोत्तर शासकीय दुर्ग

वास्तव में कविता की कहानी को देखा जाए तो यह तमाम उतार–चढ़ाव को झेलते हुए आम आदमी के जीवन दर्शन को आम आदमी तक पहुँचाती है।

हिंदी साहित्य के विकास में छत्तीसगढ़ के समकालीन कवियों का विशेष योगदान देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के समकालीन कवियों में मुक्तिबोध की चर्चा आदर पूर्वक होती है। जिन्होंने ''अंधेरे में'' 'भूल गलती', ब्रम्हराक्षस' जैसी कविताओं के माध्यम से मानव मन की अंतर्निहित दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक भावों को आम आदमी तक पहुँचाने का काम किया। वे लिखते हैं कि–

''जिन्दगी के .....
कमरों में अँधेरे
लगाता है चक्कर। कोई एक लगातार
आवाज पैरों की देती है सुनाई
बार–बार . . . . बार–बार,
वह नहीं दीखता . . नहीं ही दीखता,
किन्तु वह रहा घूम
तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक,
भीत–पार आती हुई पास से
गहन रहस्यमय अन्धकार ध्वनि – सा। ''[1]

''अंधेरे में'' इनकी रचना कालजयी मानी जाती है। इनकी रचनाएँ हिंदी साहित्य को समृद्ध करते हुए समकालीन साहित्य को एक नया आयाम देती है। इसके साथ ही विनोद कुमार शुक्ल का नाम बड़े ही आदर एवं सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका जन्म राजनांदगांव जिले में हुआ था । विनोद कुमार शुक्ल समकालीन साहित्य में अपने प्रखर, समर्थता, सार्थकता एवं अद्वितीय कल्पनाशीलता और मौलिक प्रयोगों के लिए चिर्चित हुए हैं। इनकी रचनाएँ छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति एवं छत्तीसगढ़िया मानस को बड़े ही बारीकी के साथ उकेरने का काम की है। इनकी रचनाएँ साहित्य के माध्यम से समाज को नयी दिशा एवं आयाम देते हुए आम आदमी की कहानी को आम आदमी के समक्ष रखने का काम की है। इन्होंने अपनी कविताओं में मुहावरों एवं लोकोक्तियों को स्थान देते हुए समसामयिक घटनाओं उपघटनाओं को चित्रवत दिखाने का काम किया है।[2]

छत्तीसगढ़ के समकालीन कवियों में बालकवि बैरागी, प्रभात त्रिपाठी, रवि श्रीवास्तव, लाला जगदलपुरी, रउफ परवेज, हरीशवाढ़ेर, अशोक वाजपेयी, अशोक शर्मा, ललित सुरजन, संजय अलंग, अशोक सिंघई, पुष्पा तिवारी, विश्वरंजन, रमेश अनुपम, संजीव बख्शी, लीलाधर मंडलोई, जया जादवानी, एकान्त श्रीवास्तव, कमलेश्वर साहू, विनोद शर्मा, शिव शैलेन्द्र, डॉ. अंजन कुमार, वंदना केंगरानी, जयप्रकाश मानस, बुद्धिलाल पाल, नासिर अहमद सिकन्दर, मीता दास, बसंत त्रिपाठी, डॉ. शंकरमुनि राय, 'गड़बड़' चन्द्रकुमार जैन, डॉ. रतन जैन, उमाकांत शर्मा, के साथ ही युवा कवयित्री अल्पना त्रिपाठी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समकालीन काव्य को एक नई उँचाई तक ले जाने का काम किया है। हिंदी साहित्य के विकास में युवा कवियों की अहम भूमिका रही है। इन युवा कवियों में जयप्रकाश मानस को एक प्रौढ़ हस्ताक्षर के

रूप में जाना जाता हे। इन्होंने छत्तीसगढ़ की माटी की पावनता को दिखाते हुए आदिवासी जीवन की झलक दिखलाई है।

इनके काव्य में धार्मिक आडम्बरों पर विशेष प्रहार किया है। वे लिखते हैं कि –

"तुमने हमारे मंदिर ढ़हाए
हमने तुम्हारे मस्जिद
शायद तुम अंधे हो गए थे
और हम भी
चलो गलतियाँ दोनों से हुई
इंसान थे
पर यह तो बुझे
आखिर क्यों
न तुम्हें रोका पैगम्बर ने
न हमें राम ने समझाया ।"[3]

जय प्रकाश मानस ने छत्तीसगढ़ के गाँव एवं आदिवासियों पर लिखते हुए कहा है कि

"चाहता हूँ ताउम्र
आदिवासी गमकता रहे
कोठी में धान की मानिंद
गाँव में तीज-तिहार की मानिंद
पोखर में हनिहारिनों की हँसी की मानिंद
वन में चार चिरोंजी की मानिंद।"

छत्तीसगढ़ के समकालीन हिंदी कवि अशोक सिंघई की कविताओं में "अलविदा बीसवीं सदी" नामक एक चर्चित काव्य संग्रह रहा है। सिंघई की रचनाएँ हमें अपनी स्थिति परिस्थिति पर पुनर्विचार करने की प्रेरणा देती है। इनकी कविताओं में भाव एवं विचार का मणिकंचन संयोग देखने को मिलता है। आज के समय की भयावहता को प्रकट करते हुए वे लिखते हैं कि –

"खून बहाने से
खून जलाने तक
राजनीति का तयशुदा है सफर
अब लोग गोलियों से नहीं
भूख से। कुंठा से माने जाते हैं
आबादी का बढ़ना
मृत्युदर घटना
हमारी चिंता के विषय है।
बढ़ते हुए हिस्से
इसलिए धकिया दिए जा रहे है।
अपनी भूमिका लगभग निभा चुके लोग।"[5]

प्रभात त्रिपाठी छत्तीागढ़ के समकालीन कवियों में एक अग्रणी नाम है। उनका काव्य लेखन अन्य समकालीन कवियों के काव्य लेखन से भिन्न है। उनका मानना है कि आज मनुष्य नैराष्य और अकेलेपन में जीवन यापन कर रहा है। एक कविता ही है जो उनकी बेबसी को समझती है और परिस्थितियों के संकीर्णता एवं अकेलेपन से बाहर निकलने में उसकी मदद करती है। व्यक्ति की बेचैनी को वह कविता के माध्यम से व्यक्त करता है –

"कुछ भी सूझता नहीं करने को
बेनींद रात के तीसरे पहर के अरूण एकान्त में
लगभग भागता ही रहता है दिमाग
झुंझलाते सन्नाटे में देखता अपना अतीत।"[6]

प्रभात त्रिपाठी की कविताओं में कई संदर्भों और सरोकरों के रंग रूप देखने को मिलते हैं। एक ओर इनकी कविताएँ दलित, शोषित एवं हताश जन की ओर हमारा ध्यान खींचती है वहीं दूसरी ओर यथार्थ और यथार्थ के आतंक की ओर ईशारा करती है। समकालीन हिंदी कवता के विकास में युवा कवि डॉ. विनोद शर्मा की भी अहम भूमिका है। उनक काव्य संग्रह "धरती कभी बांझ नहीं होती" में इन्होंने स्त्री विमर्श के साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य एवं मानवीय मूल्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए जिस तरह से अपने काव्य में शब्दों का चयन किया है वह इनके वौद्धिक क्षमता एवं आंतरिक भावों को दर्शाने वाला है। विनोद शर्मा के संदर्भ में डॉ. सियाराम शर्मा ने लिखा है कि –

ये शर्मिले स्वभाव के कवि हैं लेकिन वे गंभीर चिंतन एवं दार्शनिकता के साथ ही साथ मानवीय मूल्यों के प्रति सचेष्ट रहने वाले जागरूक एवं सचेत कवि हैं। उन्होंने 'अरूणाचल' नामक कविता में लिखा है कि –

"माटी के पहाड़ों से गुजरते हुए
मैंने पहली बार जाना कि
जमीन ही जड़ों को नहीं बाँधती
जड़ें भी जमीन को बांधती है ।
बांधना, बंधने के बगैर भला कहाँ होती है।'[7]

विनोद शर्मा की कविताएँ प्रकृति और स्त्री को समर्पित है। इनकी कविताओं में गाँव की गरीब लड़कियों का जीवन वैशिष्टय झलकता है। अपनी कविता में वे लिखते हैं कि–

"धीरे–धीरे आती हैं लड़कियाँ
और सामने से गुजर जाती हैं
रोज घड़ी की माफिक
घूरती है उनको
कई जोड़ी आँखें
और धीरे–धीरे आँखें बुढ़ा जाती हैं
इसी बीच न जाने कब लड़कियाँ
अचानक जवान हो जाती हैं

और भादों की एक रात में गाँव का पोखर।"[8]

छत्तीसगढ़ के समकालीन हिंदी कवियों की पंक्ति में डॉ. शिव शैलेन्द्र की जो कविताए हैं वह भारतीय संस्कृति की लोकगाथाओं को तो गाती ही है वह कही–कहीं राष्ट्रीय जनजागरण का संदेश भी देती है। इसके साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद की तरह देश दुनिया को सचेत करने के लिए व्यंग्यात्मक रचनाओं के द्वारा आम आदमी को जगाने का काम करती है। वास्तव में कवि ने समय के सताए हुए लोगों की दैनीय दशा उनकी आंतरिक पीड़ा, संत्रास और भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ ही अफसरों के खिलाफ एक तरह से जंग की घोषणा करती है। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है कि–

"बेईमान के हाथों में जब शासन तंत्र हो जाता है
दुखित तृषित जनता कराहती वह आँखों में चढ़ जाता हे
धृतराष्ट्र की आँखों पर स्वार्थ की पट्टी देखा
दुर्बुद्धि के कारण मानव दुर्योधन बन जाता है
राजनीति के चौराहे पर क्यों नीति निर्वस्त्र खड़ी है।
हर गली मुहल्ले में अब तो
दु:शासन दिख जाता है।"[9]

कवि शिव शैलेन्द्र की कविताएँ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है जो आम आदमी को आईना दिखाती है। वे लिखते हैं कि–

"मेरा जी चाहता है कि
मैं तुमसे हर पल प्यार करूँ
लेकिन समय के सताए हुए लोंगों की
कराह जब सुनता हूँ
मैं अपने आप को रोक नहीं पाता
मैं खेत खलिहानों में
किसानों को पानी पिलाना
ज्यादा बेहतर समझता हूँ
जिससे वे अपने देश के लिए
भरपूर अन्न उपजा सकें।
लेकिन मैं करूँ
सरकार की आँखों में धूल झोंककर
नेता–अफसर और बिचौलिए
बीच में ही अधिकाधिक
माल गटक जाते है।
मेरे देश की अनपढ़ और गंवार जनता
इस गणित को समझ नही पाती।"[10]

छत्तीसगढ़ के युवा कवयित्रियों में वंदना केंगरानी अपने काव्य शब्दों के द्वारा अपनी एक अलग पहचान बनाती हुई दिखती है। इनकी कविताओं में भारतीय समाज की सबसे बड़ी कमजोरी दुरूहता एवं समाज के बीच नित प्रतिदिन भोगी हुई निजी जिंदगी को

समाजीकरण करके इन्होंने अपनी रचनाओं को अपने निजी अनुभवों के द्वारा अभिव्यक्त करने का काम किया हे। वे लिखती हैं कि –

"एक दिन जब
मैंने पार करनी चाही थी दहलीज
अचानक खड़ी हो गई सामने
माँ की पोटली भर सीख
और कदम
रूक गए अपने आप
तब से ही
मैं खड़ी हूँ
दहलीज के इस पार
और
वो उस पार।"[11]

बसंत त्रिपाठी समकालीन हिंदी कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। 'सहसा कुछ नहीं होता' और 'मौजूदा हालात को देखते हुए तथा उत्सव की देखा जाए तो इनकी कविता एक विशिष्ट स्थान रखते हुए छत्तीसगढ़ के समकालीन कवियों में इन्हें एक सम्मानजनक स्थान दिलाती है। इनकी रचनाओं में सहजता, सरलता एवं शालीनता के भाव दिखाई देते हैं । यही कारण है कि इनकी रचना आम आदमी के बीच एंक पैठ बना लेती है। वे लिखते हैं कि

"मनुष्य होना
पृथ्वी पर होने की सजा नहीं है
यह बात मैंने
किसी और से नहीं अपने आप से ही कही
कई–कई बार कही
और मनुष्य होने की सजा सही
कई–कई बार सही।"[12]

छत्तीसगढ़ की युवा कवयित्रियों में अल्पना त्रिपाठी एक ऐसे कवयित्री के रूप में उभरकार आयी हैं जो अपने शब्द चित्रों के माध्यम से एक नये बिम्ब एंव प्रतीकों को गढ़ती हैं जिसमें एक स्त्री की सोच उसकी मार्यादा, उसके प्रेम की भाषा एवं जिवंतता दिखाई देती है वे लिखती हैं कि –

"राधा के बाल मन में उठा एक भाव प्रेम का
ना स्पर्श की चाह थी, न थी वस्ल की अधीरता
बढ़ जाता धड़कनों का धड़कना
उसे देखने, देख लेने मात्र से
एक टक आकाश में देखता मन,
उसका एक चित्र सा बनता
वही चित्र बैठ जाता मन में

बातें करती रहती मन ही मन उससे
देखना तो तीस दिनों में एक आध ही बार होता
बसा था आँखों मे वह तीसों दिन।"[13]

आगे वह मिट्टी के माध्यम से स्त्री की महिमा का यशगान करते हुए लिखती हैं –

"जिस मिट्टी में जन्म लेती
पलती बढ़ती सनती गढ़ती
उसी से विदा हो जाती
जिस मिट्टी को पहचानती नहीं
उसी में खाक होने की दुआ ले।"[14]

छत्तीसगढ़ के भूर्धन्य कवियों में विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएँ एक तरह से मुक्तिबोध के बाद एक ऐसे मील की संरचना करती है जिस पर पूरे छत्तीगढ़ के युवा कवि एवं कवयित्री उसको आधार बनाकर काव्य सृजन करते हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम युवा कवि एवं कवयित्रियों की कविताओं का अवलोक किया जाए तो उन्होंने जैसा देखा, महसूस किया उसे अपना रचनाओं में वैसा ही मानवीय भाववृतियों के साथ लिखा जिससे लगता है कि ये कविताएँ कुछ संदेश दे रही है कुछ कह रही हैं। विनाद कुमार शुक्ल की एक रचना देखें जिसका शीर्षक है "वे मेरे घर कभी नहीं आयेंगे" में वे लिखते हैं कि –

"जो मेरे घर कभी नही आयेंगे
मैं उनसे मिलने
उनके पास चला जाउँगा
एक उफनती नदी कभी नही आयेगी मेरे घर
नदी जैसे लोगों से मिलने
नदी किनारे जाउँगा
कुछ तैरूंगा और डूब जाउंगा।"[15]

निष्कर्ष- छत्तीसगढ़ के समकालीन कवियों में युवा कवियों का काव्य जनमानस को चेताने वाला ,जगाने वाला, समझाने वाला काव्य है। देखा जाए तो वाल्मीकी से लेकर कबीर, निराला, धूमिल, केदारनाथ सिंह, विनोद कुमार शुक्त, एकान्त श्रीवास्तव, विनोद शर्मा, शिव शैलेन्द्र, वंदना केंगरानी, अल्पना त्रिपाठी, बसंत त्रिपाठी जैसे युवा कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से आम आदमी के मानसिक पीड़ा, संत्रास, बेचैनी, प्रेम की चाहत, जैसी उन तमाम भाव वृत्तियो को शब्द चित्रों, प्रतीकों एवं बिम्बों के माध्यम से काव्य का सृजन किया है। इन युवा कवियों की कविताओं में हिंदी साहित्य के उन तमाम उत्कृष्ट साहित्यकारों की प्रतिच्छाया भी नजर आती है। जैसे कि शिव शैलेन्द्र की कविता में भारतीय उपमहाद्वीप के उन तमाम सनातनियों को जगाने की बात की जाती है, जैसे –

जागो जागो भारतवासी
शैलराज हुंकार रहा है।
सप्त सिंधु की ज्वालाओं से
दग्ध खण्ड चितकार रहा है।[16]

कठोपनिषद में नचिकेता को यम के आत्म जागरण का उपदेश दिया था। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ के युवा कवियों ने भारतीय समाज की सुसुप्ती को तोड़ने के लिए जनजागरण का संदेश दिया है। जो हिंदी साहित्य के विकास में इन कवियों की रचनाएँ अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मुक्तिबोध गजानन माधव, चाँद का मुँह टेढ़ा है, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन नयी दिल्ली, चौबीसवाँ संस्करण 2018 पृ. क्र. 254
2. श्री रंग, छत्तीसगढ़ के कवि, विभा प्रकाशन इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण 2016 पृ. 75
3. वही, पृ. 76
4. वही, पृ. 70
5. वही, पृ. 72
6. शर्मा विनोद, धरती कभी बॉझ नहीं होती अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद, प्रथम संस्करण 2019 पृ. 44
7. वही, पृ.क्र. 17
8. डॉ. शिव शैलेन्द्र, समर शेष है साथी, वैभव प्रकाशन, रायपुर (छ.ग.) प्रथम संस्करण 2022 पृ. 32
9. वही, पृ. 103
10. श्री रंग, छत्तीसगढ़ के कवि, विभा प्रकाशन इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण 2016 पृ. 97
11. वही, पृ. 118
12. वही
13. वही
14. वही
15. सिंघई अशोक, कविता छत्तीसगढ़, प्रमोद वर्मा, स्मृति संस्थान रायपुर (छ.ग.) पृ. 4
16. शिव शैलेन्द्र समर शेष है साथी, पृ. 03

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

कोहली जी के व्यंग्य में भाषा का तेवर

• नीलिमा सिंह

सारांश- किसी भी विधा का मजबूत पक्ष उसकी भाषा होती है। भाषा जब अपने तेवर को साथ लेकर चलती है तभी वह व्यंग्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। इस मायने में भाषा व्यंग्य का सशक्त हस्ताक्षर है, क्योंकि व्यंग्यकार अपनी बात को लोगों के समक्ष भाषा में ही प्रस्तुत करता है। कोहली जी की भाषा विषयानुकूल है। जहाँ वह रामकथा पर आधारित उपन्यासों पर या महाभारत जैसे पौराणिक विषयों पर अपनी लेखनी चलाते हैं, वहाँ उनकी भाषा बेहद गम्भीर, सहज और सरल होती है। यहाँ उनकी भाषा का उदात्त रूप स्पष्ट परिलक्षित होता है, किन्तु जहाँ उन्होंने व्यंग्य जगत में प्रवेश किया है, वहाँ उनकी भाषा में तीखापन, बांकपर स्वत: स्फूर्त होता चलता है भाषा इसी प्रवाह के कारण ही उनका कथ्य आसानी से समझ में आ जाता है। व्यंग्य भाषाशास्त्र की भाषा नहीं है, पर उसका अपना एक शास्त्र अवश्य होता है।

मुख्य शब्द- व्यंग्य, भाषा, सशक्त, रूप, प्रवाह

व्यंग्यकार अपनी बात को लोगों के समक्ष भाषा में ही प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया में वह भाषा के विविध उपादनों को अपनाता है। भाषा ही वह माध्यम है, जिससे कथ्य मूर्त होता है और विषय यथार्थ रूप में व्यक्त होता है। भाषा और शैली का अविभाज्य सम्बन्ध है। डॉ. श्यामसुन्दर दास ने लिखा है, भाषा का मूलाधार शब्द है, जिसे उपयुक्त रीति से प्रयुक्त करने के कौशल को ही शैली का मूल तत्व समझना चाहिए–अर्थात् किसी लेखक या कवि की शब्द–योजना, वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों की बनावट और उसकी ध्वनि आदि का नाम शैली है।"[1] नरेंन्द कोहली जी की व्यंग्य भाषा हैं। इन रूपों की अपनी अलग–अलग विशेषताएँ हैं। विषयानुरूप भाषा का चयन ही किसी रचनाकार के भाषा–कौशल का परिचायक है। 'प्रेमिका' शीर्षक व्यंग्य लेख में उनकी भाषा का उदाहरण इस प्रकार है, "पता नहीं कि कालिदास की सचमुच मल्लिका जैसी कोई प्रेमिका थी या नही किन्तु मोहन राकेश ने 'आषाढ़ का एक दिन' में जिस प्रेमिका को प्रस्तुत किया है, दुर्भाग्य से उसे सच ही नही मान लिया था कि प्रेमिका ऐसी ही होती है।"[2] यह भाषा हिन्दी की अपनी वास्तविक प्रकृति को प्रकट करती है कोहली को आगे यह बताना है कि फिल्म में जो कुछ हम देखते हैं, वह सच नही होता। इसके लिए वे न केवल कालिदास को याद करते हैं बल्कि मोहन राकेश को भी याद करते हैं। ऐसा करते हुए वे

• एसोसिएट प्रोफेसर, वी.एस.एस.डी. कॉलेज कानपुर

जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जहाँ कोई साहित्यिक या सांस्कृतिक प्रसंग आता है या इतिहास के किसी संदर्भ को उन्हें अभिव्यक्त करना होता है। इस भाषा में सांस्कृतिक जीवन के संकेत भी मिलते हैं।

कोहली जी की भाषा की विशेषता यह है कि वे कथ्य के अनुसार भाषा के स्वरूप को भी बदल देते हैं पर व्यंग्य के प्रवाह या विन्यास पर कोई प्रभाव नही पड़ता। कालिदास के प्रेम-प्रसंग को जब वे आज के प्रकाशकों से जोड़ते हैं, तब भाषा अचानक अलग मोड़ लेती हैं, "मन में आया कि कहूँ 'मल्लिका से कुछ सीखो। वह क''मीर उज्जयिनी के व्यापारी से भी कालिदास का पता लगवाती रही और तुम शाहदरा और दरियागंज के प्रकाशकों से मेरा पता नहीं पा सकीं। अरे, और कुछ नहीं तो टेलीफोन डायरेक्ट्री से ही मेरा नम्बर देखकर फोन कर लेतीं। मैं अपनी सारी ही किताब के नाम और दाम बता देता।' पर यह सब कहा नहीं। उसके पति के रौब में मैं ऐसा दबा कि मिमियाकर केवल इतना कह सका, नहीं। दिल्ली में ही पर जरा ब्यस्त था।"[3] प्रेमिका ने पूछा कि आज कल कहाँ थे? समय बदला, संवेदना बदली तो भाषा को भी बदलना ही था। अब प्रेमिका थी नये जमाने की, जब खांटी हिन्दी न लिखी जाती है, न बोली जाती है। यहाँ तक कि प्रेमिका भी हिन्दी लेखक को बुद्धू समझती है। हिन्दी कॉलेजों के प्रति उसमें घृणा है स्वभावता यहाँ भाषा का रंग बदल जाता है, "तुम क्या करती हो, मैंने पूंछने का दुस्साहस किया। 'शापिंग करती हूँ।" वह बोली, 'थोड़ा और समय मिल गया तो कार्ड्स खेलती हूँ। लाइफ इज बिग फन! तुम किस क्लब के मेम्बर हो। आज तक कहीं दिखाई नहीं दिये।' 'फूल्स क्लब का।' मैंने कहा और चल पड़ा। यह कहने का भी साहस नहीं हुआ कि कभी अपने पति को लेकर मेरे घर आना।"[4] यह भाषा का कौशल भी कथ्य को व्यक्त कर जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कोहली भाषा से एक काम नहीं लेते बल्कि उससे कथ्य के सम्प्रेषण का जिस तरह काम लेते हैं, वह विलक्षण है। एक ही व्यंग्य में कई भाषा के कई रूपों का प्रयोग वही कर सकता है, जिसे भाषा के उन सभी रूपों का पूरा अधिकार हो। कोहली की प्रेमिका कालिदास की प्रेमिका नहीं है और न उनके वर्णन में मोहन राकेश की वह सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है, जिसकी रक्षा करने के लिए समय के बाहर भी जाना आवश्यक होता है। इसलिए उनकी भाषा में कई स्वर फूटते हैं। विवाह मल्लिका का भी होता है और कोहली की प्रेमिका का भी, किन्तु मल्लिका कालिदास को उनकी रचनाओं में उनको खोजती है और कोहली की प्रेमिका क्लब संस्कृति मे रमी हुई है और हिन्दी लेखक को मूर्ख समझती है।

नरेन्द्र कोहली रूपवादी लेखक नहीं है इसलिए वे भाषा में प्रयोग के नाम पर प्रयोग नहीं करते। वे अपनी बात को रोचक बनाकर प्रस्तुत अवश्य करते हैं पर यह भी ध्यान रखते हैं कि कथ्य की तल्खी बरकरार रहे। "वस्तुतः भाषा का मूल प्रयोजन सम्प्रेषण है। साहित्यिक विधाओं में सम्प्रेषण का महत्व है। भाषा की यही प्रयोजनवती भूमिका साहित्य की निधि है। साहित्य की आधारशिला भाषा ही है। भाषा भावों और विचारों के सम्प्रेषण की स''ाक्त क्रिया है। साहित्यिक कृति में भाषा सम्प्रेषण का प्रतीक है।"[5] व्यंग्य कला के दर्पण में देखे तो भाषा के तेवर के माध्यम से ही रचनाकार अपने मंतव्य को व्यंजित करता है। अन्य विधाओं में रस, अलंकार और संरचना का भी महत्व

होता है पर व्यंग्य में भाषा के जरिये ही कला के सारे उपकरण प्रयुक्त होते हैं। व्यंग्य में भी विषय, देशकाल और सामाजिक चरित्रों का निरूपण होता है। भाषा के विविध रूपों का प्रयोग कथ्य पर ही निर्भर अवश्य करता है किन्तु भाषा ही उसकी व्यंजना शक्ति का आधार है। कला मेहता ने लिखा है,''विभिन्न साहित्यिक रूपों के अनुरूप भाषा की प्रकृति, बनावट और बुनावट में परिवर्तन लक्षित होता है। गीत, महाकाव्य, नाटक, एकांकी, कहानी-उपन्यास, निबन्ध, रिपोतार्ज सभी की भाषा का स्तर भिन्न होता है। इन साहित्य विधाओं में रचनाकार की प्रकृति और मनःस्थितियों की अभिव्यक्ति भी होती है। उसी के अनुरूप भाषा भी प्रयुक्त होती है।''[6] कोहली ने जिस तरह के विषय का जहाँ चुनाव किया है, वहाँ उसी तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने यथास्थान दार्शनिक, आलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ, सहज सामान्य बोलचाल की या जनभाषा का प्रयोग किया है। साथ ही वह भाषा की कठिनता से बचने को कोशिश भी करते हैं। जहाँ वे दार्शनिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी यह ध्यान में रखते हैं कि साधारण पाठक तक भी बात पहुँच जाय। इसीलिए वे अचानक उसमें सामान्य बातों को जोड़ देते हैं, जिससे भाषा दुरुह होने से बच जाती है और अपनी कलात्मकता की रक्षा भी कर लेती है।

नरेन्द्र कोहली अपने व्यंग्य लेखन में , कभी-कभी लगता है कि भाषा से खेल रहे हैं किन्तु इस प्रक्रिया में वे भाषा से जो काम ले लेते हैं, वह काम दूसरे लेखक नही ले पाते। सामान्तयः वे वही भाषा प्रयोग में लाते हैं, जिससे हमारा रोज का सामना होता है। ऐसा करते हुए भी वे अपनी शिष्टता बनाये रखते हैं, ''तो गिलास में आपकी आधुनिकता है। मैं बोला, ''यह पेपर-नैपकीन क्या है? 'यह हमारी परम्परा है।' आधुनिक होने का आपको क्या सुख होगा।' मैने कहा, 'यदि परम्परा से उसे ढाँपना ही पड़ा।' 'तुम नही समझोगे।' वे बोले, ये सब बिजनेस की बातें हैं।' मैं तो ख्यातिप्राप्त नासमझ हूँ। कई बार इच्छा हुई कि अपना तखल्लुस 'नासमझ' रख लूँ किन्तु कविता ही नही हुई तो तखल्लुस का क्या करता। फिर भी उस दिन एक मित्र की पुत्री ने भी कह दिया, अंकल आप यह सब नहीं समझेंगे।''[7] यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग कोहली ने किया है, उनका एक खास जगह पर एक खास अर्थ है और इसी खासियत को दर्शाना उनका मंतव्य भी है। इस मंतव्य को किसी और शब्द-बन्ध से नहीं व्यक्त किया जा सकता। उन्होंने लिखा है, हमारे यहाँ एक प्रचलन है, 'माइयां पड़ने का ! वह भी अपने विवाह के दो दिन पहले से मैले कपड़े पहने घर में बैठी थी। मेंहदी लगी हुई थी। कलाइयों में कलीरें बँधे हुए थे। .... .. और ठीक विवाह के दिन वह 'वधू-श्रृंगार कराने के लिए एक ब्यूटी-पार्लर तक पहुँचाने के लिए कनॉट प्लेस की सड़कों पर भागती-दौड़ती दिखाई दे रही थी। 'इस स्थिति में तुम्हे घर में रहना चाहिए था।' मैने उसे टोंक दिया ऐसे में बाहर सड़कों पर भागना-दौड़ना अच्छा नहीं लगता।''[8] नही लगता तो नही लगे। वह नये जमाने में अपनी परम्परा को शामिल कर रही थी। यहाँ भाषा भावों की अनुगामिनी है। एकदम सामान्य और परिचित। इससे जो ध्वनि आती है, वही इसका सौन्दर्य है। लेखक ने कहीं कोई प्रयास नहीं किया है कि भाषा को माँजा जाय अथवा उसमें विलक्षणता का समावेश किया जाये। यह एक प्रकार से भाषा को उसके मूल रूप में पकड़ना है। भाषा की यह भी एक कला है कि उसके स्वाभाविक रूप में बिना किसी हेर-फेर के अपने मनोनुकूल

अर्थ निकाल लिया जाय। कोहली इस कला में सिद्धहस्त हैं।

व्यंग्य की भाषा शास्त्र की भाषा नहीं होती किन्तु उसकी भाषा का अपना एक शास्त्र अवश्य होता है। इसी कारण व्यंग्य की भाषा का प्रभाव गहरा और तीखा होता है। डॉ. हरिशंकर दुबे ने लिखा है,"इनकी भाषा आदमी की अपनी जिन्दगी के अत्यधिक निकट होती है। व्यंग्य चूँकि अपने युग का प्रतिबिम्ब होता है, उस युग का आदमी जिस तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर करता है, सांसे लेता और अपने तरीके से अपनी जिंदगी का सलीब ढोता रहता है उसकी अभिव्यक्ति भाषा में होना अनिवार्य है, तभी व्यंग्य प्रमाणिक और प्रभावोत्पादक बन पाता है।... व्यंग्य भाषा के लिये रचनाकार को अपनी कथन-भंगिमा को साथ एक शास्त्र की भाषा, लोक जीवन की भाषा और उसमें व्यवहृत उनके कथ्य और स्वरूप से गुजरना पड़ता है।"[9] इस तरह गुजरने की एक प्रक्रिया होती है, जो कई घुमावों में अपने आप को शामिल करती है। एक व्यंग्यकार अपनी भाषा पर पूरा नियंत्रण रखता है। यदि उसकी भाषा फिसली तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। डॉ. श्यामसुन्दर घोस कहते हैं, "व्यंग्य लेखक के भाषा सम्बन्धी आदर्श सामान्य लेखकों के भाषा सम्बन्धी आदर्शों से निश्चय ही भिन्न होंगे। जैसे नाई हजामत बनाने के पहले अपने उस्तरे को तेज करता है और उँगली पर धार की परख भी कर लेता है, उसी प्रकार व्यंग्य और नोंक दोनों जरूरी हैं। कभी वह नश्तर लगाता है। कभी खँजर चुभोता है। यदि उसकी भाषा एक रस एक ढंग की होगी तो वह ये काम बखूबी नहीं कर सकता।"[10] नरेन्द्र कोहली की भाषा में यहाँ बताये गये सभी गुण हैं। वह अपनी भाषा के रेसे-रेसे का उपयोग सोंच-समझकर करते हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द-पद और वाक्य अपनी अर्थगर्विता के कारण अपनी विशिष्टता को व्यक्त करते हैं। कोहली की भाषा पर शहरी मध्य वर्ग का प्रभाव स्पष्ट है-फिर भी निम्न वर्गीय जीवन की भाषा से उनके व्यंग्य अछूते नहीं हैं उनकी भाषा को किसी एक खाने में डाल देना भी उचित नहीं है। उसमें पर्याप्त विविधता है और इसी कारण उनके पाठकों का दायरा भी बड़ा है।

नरेन्द्र कोहली के व्यंग्य लेखन में भाषा विषय का अनुमान ही नहीं करती बल्कि विषय को अधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत भी करती है। विशेषकर जब वह राजनीतिक व्यंग्य करते हैं, तब उनकी भाषा में पैनापन बढ़ जाता है। उन्होंने 'राष्ट्र के प्रतिनिधि' शीर्षक व्यंग्य में लिखा है। "कहते हैं न, केंचुआ भी दबने पर काटने का प्रयत्न करते हैं-कुछ वैसा ही रामलुभाया ने किया। उसने क्रुद्ध दृष्टि से मुझे देखा और आवाज को कठोर करने का प्रयत्न करता हुआ बोला।" तुम्हें मेरे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? 'जो व्यक्ति दफ्तर जाने के लिये अपनी पत्नी से बस का किराया प्राप्त करने के लिये रोज मुहल्ले वालों की पंचायत करता था, वह आज अपने घरेलू सम्बन्धों को गोपनीय बता रहा था उनकी इस पाखंडपूर्ण वीरता पर मुझे क्रोध आ गया।"[11] केंचुआ दबने पर काटता है, यह एक मुहावरा है। केंचुआ सबसे कमजोर जन्तु माना जाता है। उसका उल्लेख कर कोहली ने एक स्थिति विशेष का चित्रण किया है। इसी तरह पाखंड पूर्ण वीरता कहकर भी उन्होंने भाषा में अर्थबोध का विचार किया है। इसी निबंध में उन्होंने लिखा है, "मैं तो अपने राष्ट्र के विकास को बहुत ध्यान से देख रहा था किन्तु यह तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे राष्ट्र का स्वरूप इतना विकृत हो गया कि समाज की शान्ति पर

अपने निर्लज्ज चित्कार को आरोपित करने वाले व्यक्ति-सुख के विभत्स सिद्धांतों के अफीम खाने वाले ये अविवेकी लोग राष्ट्र की नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हो गये हैं।"[12] यहाँ गौर से देखने पर भाषा का अलग ठाट दिखायी देता है। वह इस लेखक में क्रीम ऑफ सोसायटी का प्रयोग करते हैं, निर्लज्ज चित्कारों का प्रयोग करते हैं। सिद्धान्तों की अफीम का प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग उनके भाषा-प्रयोग को नया धरातल देते हैं। सामान्य और साधारण ढंग से अपनी बात कहकर वह उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं और ऐसा करते हुए वह भाषा का अलग शास्त्र भी रचते हैं। व्यंग्य भाषा की जमीन उन्होंने निर्मित की है। उसके पोर-पोर से वह परिचित हैं। आरोह-अवरोह की दृष्टि से भी उनकी भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे जब चाहते हैं और जहाँ से भी चाहते हैं, भाषा को मोड़ देते हैं। उनकी भाषा की लचक भी एक विशेषता है। उनका तेवर शब्दों में इस तरह संग्रथित है कि उससे अलगाना बेहद कठिन है।

कोहली जी की भाषा में जो तेवर आता है, उनमें उनका शब्द-संयोजन कमाल का काम करता है। नरेन्द्र कोहली की शब्दों पर पकड़ इतनी सटीक है कि वे जो चाहते हैं, उनसे कहलवा लेते हैं। साथ ही शब्दों के माध्यम से वे दृश्यांकन भी करते हैं, "जिस लड़की की बात मैं कर रहा हूँ, वह दिल्ली जैसे फैशनपरस्त शहर की रहने वाली है और बड़े एडवांस घर की है। रंग-पुता चेहरा, नकली भौंहें, नकली पलकें, नकली बरौनियों, कटे बाल, जितने बाल महीने भर हजामत न करने से मेरे हो जाते हैं, नंगे कंधे, उभरा वक्ष।"[13] यह एक दृश्य है जिसे कोहली जी ने अपनी शब्द-योजना के माध्यम से अंकित किया है। किसी व्यंग्यकार के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, जो पाठक की रुचि को उसके कथ्य की ओर अग्रसर करे। इस दृष्टि से कोहली जी को आ"चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई है, ह्विस्की देखकर मेरी जीभ से पानी की बूंदे भी टपकने लगती है और वह मुझे बहुत डेयरिंग बना देती हैं, पीने के बाद भी और पीने से पहले भी। एक दिन ऐसे ही अवसर पर जब दौर चल रहे थे और हमारे बॉस और उस लड़की के बीच बहुत सारी बोतलें रखी हुई थीं, ह्विस्की ने मेरे भीतर के डेयर डेविन को जगा दिया।"[14] यहाँ जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह के पात्र हैं और जिस तरह उनकी मानसिकता है, उसी तरह की शब्दयोजना भी है। इससे न केवल व्यंग्य में पैनापन आता है बल्कि चीजें मूर्त हो जाती हैं और हमारे भीतर कथ्य के अनुरूप भावोद्वेग जगाती हैं। कोहली जी की यह खूबी है कि वह शब्दों को जाँच-परख कर ही रखते हैं पर लगता नहीं कि उन्होंने इसमें किसी प्रकार श्रम किया है। यह स्वाभाविकता उनके शब्द-संयोजन के सौन्दर्य को बढ़ा देती है।

नरेन्द्र कोहली जी के राजनीतिक व्यंग्य में शब्द-योजना का अलग रंग है। वहाँ वे पूरी तरह अनौपचारिक हो जाते हैं, और ऐसे चरित्रों के दोगलेपन को व्यक्त करने का अवसर नहीं छोड़ते, जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उनकी शब्द-योजना जितना कथ्य-आधारित है, उतना ही चरित्र आधारित भी है। "अपनी सरकार की तरह बकवास न कर तुम सांस्कृतिक परम्परा की दुहाई देते हो और तुम्हारे उन मित्र देशों से आए अरब-विद्यार्थी तुम्हारे शत्रु चीन के दूतावास में शराब की पार्टियाँ उड़ा रहे हैं। इजराइल ने हर नाजुक मोड़ तुम्हारा साथ दिया है और तुम उससे राजनीतिक सम्बन्ध भी

नहीं रखना चाहते। चीन ने तुम्हे जूते मारे और हर रोज मार रहा है और उससे तुम सम्बन्ध नही तोड़ते।"[15] ऐसा कहने वाली नीलिमा हैं। जो मूल भारत की हैं पर भारत से नफरत करती हैं। उसे अमरीका से प्यार है। अमरीकापरस्त चीन के प्रति किस तरह की धारणा रखता है, यह इस व्यंग्य से स्पष्ट है गौर करने की बात यह है कि कोहली जी शब्दों के सहारे चरित्रों के भीतर पैठते हैं, "तुम्हारा देश तो हिजड़ा है, हिजड़ों पौरुष तो है ही नहीं। नहीं तो इस देश के नवयुवक यह सब सह जाते! आग लगा देते चीनी दूतावास को। चीनियों को शान्ति-पथ के बिजली के खम्भों से लटका देते। उनके देश में तुम्हारे राजनयिक प्रतिनिधियों पर थूका गया। तुम्हारे देश की राजधानी में तुम्हारे विद्यार्थियों पर उन्होंने गमले फेंके। तुम्हारे पुलिस कांस्टेबल को चीनी ड्राइवर ने थप्पड़ मारा। तुम अपनी नपुंसक सरकार का मुँह देख रहे हो। लानत है तुमपर! पैंतालिस करोड़ भेड़ों! मुझे तुमपर तरस आता है।"[16] अब यहाँ के लोग हिजड़े हैं तभी तो उसने अपने अमरीकी बॉस से गर्भ धारण किया। इस बात को उसने गर्व से स्वीकार किया। यहाँ शब्द लेखक के साथ-साथ चलते हैं और अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ जाते हैं। वाचक अन्त में कहता है, मेरा खून खौलता पर मैने किसी को गोली नहीं मारी, बम नहीं चलाया, कहीं आग नहीं लगाई। अपनी सरकार को कोसता हुआ, नँगे अंगों वाली एक अंग्रेजी पिक्चर देखने चला गया। मेरे रक्त में वृहन्नला का रक्त है।' स्पष्ट है कि कोहली ने वृहन्नला शब्द पर व्यंग्यात्मक प्रयोग किया है।

नरेन्द्र कोहली शब्दों के सहारे भी व्यंग्य उत्पन्न करने की कला में सिद्धहस्त हैं। 'दि लाइफ' शीर्षक व्यंग्य लेख में तो शब्द-योजना और उसका प्रभाव अद्‌भुत है। वे अंग्रेजी और हिन्दी के शब्दों को जहाँ एक साथ कम्पोज करते हैं, वहाँ उसकी कला और भी निखर उठती है, "खन्ना साहब के फ्लैट की बालकनी। वहाँ उनचासों पवन चल रही हैं, यानी बालकनी में क्राफस वेंटिलेशन है। कमरों के सामने घुटन नहीं है यहाँ। खन्ना साहब का नौकर निवारी चारपाई बिछाकर सोया हुआ है। मिसेज खन्ना चाय का प्याला लिये नौकर के सिरहाने खड़ी उसे जगा रही हैं, 'चन्न, उठ बेटे। उठ जा। दूध लेने जाना है न।' नौकर आँखें खोलता है। उसका हाथ आकाश की ओर उठता है और मुख से ऋषि-वाणी प्रस्फुटित होती है।"[13] उनचास पवन, क्रॉस वेंटिलेशन और ऋषि-वाणी जैसे पदों का प्रयोग जितने अर्थवान रूप में यहाँ हुआ है, वह कोहली जी की शब्द-योजना का ही उदाहरण है। यह उद्धहरण यह स्पष्ट करता है कि बड़े लोग नौकरों पर कितने आश्रित हैं। इस योजना की सफलता लेखक के मकसद को दर्शाने में निहित है। मिसेज खन्ना उससे परेशान भी रहती हैं, मोया! मर जाना। रुड़ जाना! कँजर दी औलाद! सुअर दा बच्चा! 'मिसेज खन्ना दाँत पीस-पीस कर गालियाँ दे रही हैं। 'बस! बस कर भगवान!' खन्ना साहब सांत्वना देते हैं, 'बहुत हुआ, अब और 'लोक न पढ़।' देखो भला, कैसे हुकम चलाता है।' वह कहती है। "निकाल दो न साले को! खन्ना साहब सुझाव देते हैं। 'चुप!' मिसेज खन्ना डाँटती हैं, खबरदार जो फिर ऐसी बात कही। उसे निकाल दिया तो तुम्हारी माँ आयेगी "मशान से उठकर।' 'तो?' 'तो क्या?' हुकम बजाते चलो उसके!"[14] इस शब्द-योजना की विशेषता यह है कि इससे पता चलता है कि मिसेज खन्ना और खन्ना के बीच किस तरह के संवाद होते रहे हैं। यह संवाद भारतीय परिस्थितियों अनुसार

अलग-अलग प्रतीत होते हैं। नौकर के लिए पति की मरी हुई माँ को इस तरह अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना और उसके बाद भी पति द्वारा उस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया न व्यक्त करना विरल हो सकता है पर इससे कोहली की शब्द योजना की शक्ति का पता तो चल जाता है। वे कहते हैं, नौकर अपनी आँखों से गुस्से के संकेत छोड़ता है।' यह पद-विन्यास भी अपनी रोचकता के कारण आकर्षित करता है।

नरेन्द्र कोहली का शब्द भण्डार विशाल है। वे शब्द की तलाश नहीं करते, बल्कि शब्द उनके कथ्य का अनुगमन करते हैं। उनकी शब्द सम्पदा जीवनानुभवों से अर्जित। वे जहां चाहते हैं शब्दों को तोड़ देते। अपने आस-पास बोली जाने वाली भाषा पर कोहली की पकड़ गहरी है। दिल्ली के आमजीवन में जो भाषा बोली जाती है, उसकी खनक उनके वयंग्य लेखन में स्पष्ट सुनाई देती है। यह उनके शब्द भण्डार का ही कमाल है कि वे विषयानुकूल भाषा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर लेते हैं। जहाँ वे साहित्यिक व्यंग्य लिखते हैं, वहाँ उनकी भाषा का अलग ठाठ होता है। साहित्यिक गोष्ठी में रामलुभाया का नाम धन्यवाद ज्ञापन के समय संचालक ने नहीं लिया था, जिससे वह अपमानित महसूस कर रहा था, ''धन्यवाद कोई ऐसी चीज भी वह नहीं मानता कि भूल-चूक, लेनी-देनी में उसे बाद में किसी समय दे दिया जाये। यहाँ तो जो गया सो गया चार घंटे वहाँ बैठे सुनता रहा। बोलने वालों का स्वागत किया गया, उन्हें फूल लाद दिये गये। उनकी प्रशंसा की गई। श्रोता के रूप में तो उसे धन्यवाद मिलना ही था। उस धन्यवाद को भी वह छोड़ आया।''[15] वहाँ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वे इसी तरह के व्यंग्य में इस्तेमाल किये जा सकते हैं। एक व्यंग्यकार अपनी भा'ा में पूरा नियंत्रण रखता है। यदि उसकी भाषा फिसली तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। डॉ. श्याम सुंदर घोष कहते हैं, ''व्यंग्य लेखक के भाषा सम्बन्धी आदर्श सामान्य लेखकों के भाषा सम्बन्धी आदर्शों से निश्चय ही भिन्न होंगे। जैसे नाई हजामत बनाने से पहले अपने उस्तरे को तेज करता है, और उंगली पर धार की परख भी कर लेता है; उसी प्रकार व्यंग्य और नोंक दोनों जरूरी हैं। कभी वह नस्तर लगाता है, कभी खंजर चुभोता है। यदि उसकी भाषा एक रस और एक ढंग की होगी, तो वह यह काम बखूबी नहीं कर सकता।''[16]

लोकभाषा की खनक भी उनके व्यंग्य को चमकाती है। लोकभाषा लोक-सम्पर्क से अर्जित होती है। उसके लिए किसी शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। अपने आस-पास बोली जाने वाली भाषा पर कोहली की पकड़ गहरी है। 'जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख' वाली भाषा में जब वह व्यंग्य करते हैं, तब भाषा और भी खनकने लगती है, ''अगले दिन प्रातः जब मैं सैर के बहाने कूड़ा फेंकने निकला तो देखकर हैरान रह गया कि रात भर में चमत्कार हो गया था। उस कूड़ाघर की किसी ने पूरी सफाई कर दी थी। उस पर टीन की छत पड़ गयी थी और वह कूड़ाघर के स्थान पर पूजा-स्थल बन गया था। तीसरे फ्लैट वाले तिवारी जी के घर में ठहरा लड़का पुजारी बनकर वहाँ बैठा हुआ था।''[17] इस उद्धरण में लोकभाषा की खनक साफ-साफ सुनी जा सकती है। फटी बनियान, नुक्कड़ और जस्ते टँग जाना जैसे प्रयोग लोकभाषा पर पकड़ के बिना सम्भव नहीं है। एक उदाहरण और देख सकते हैं, ''जिस बस के बाहर छिपकलियों के समान लड़के लेटे हों और राह चलते लोगों पर फब्तियाँ कसते हों, वह भी

यू-स्पेशल होती हैं, रामलुभाया ने बताया, जो गस बीच राह पे खड़ी हो जाये, और लड़के सवारियों से चन्दा वसूल कर मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद खरीदने लगे, वह भी यू-स्पेशल होती हैं..... जो बस मंदिर के सामने रुककर पूजा के नाम पर लोगों को कॉलेज पहुँचने में देरी कराये, वह भी यू-स्पेशल होती हैं।"[18] अंग्रेजी के एक शब्द के साथ लोकभाषा के शब्दों का यह प्रयोग कथ्य को और धारदार बना देता है। लोकभाषा की एक खासियत यह भी होती है कि वह अपने में दूसरी भाषा के शब्दों को भी पचा लेती है और उसे अपना संस्कार दे देती है। शिष्ट भाषा में यह गुण कम-से-कम होता है। लोकभाषा का प्रयोग करते हुए कोहली यह ध्यान रखते हैं कि उसमें ऐसे शब्द न आ जायें, जिससे उस भाषा के अपरिचतों को उसे समझने में कोई परेशानी उपस्थित हो और व्यंग्य की सम्प्रषणीयता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। लोकभाषा की क्षेत्रियता की रक्षा करते हुए भी कोहली उसे व्यापकता प्रदान करने में सफल होते हैं।

लोकभाषा की एक विशेषता यह भी होती है कि वह अपने भीतर समाज के साधारण आदमी को जीवन्त करके चलती है। कोहली के व्यंग्य में यह विशेषता स्पष्ट देखी जा सकती है। 'मर्द का बच्चा' शीर्षक लेख में यह विशेषता अधिक अर्थवान होकर उभरी है, "रामलुभाया बहुत पीड़ित रहा पर क्या करता। कुढ़ते-कुढ़ते रोग लगा बैठा और चारपाई से लग गया। भाइयों ने देखा कि रामलुभाया बहुत ही दुर्बल हो गया है तो मन-ही-मन प्रसन्न हुए। पड़ोसियों तक से कह दिया कि इस कष्ट-मुसीबत में भी रामलुभाया की कोई सहायता नहीं करेंगे। चाहें रामलुभाया मरे या जिये।"[19] इस उद्धरण में बोलचाल की भाषा को देख सकते हैं। साधारण जीवन में कुढ़ते-कुढ़ते का प्रयोग अक्सर होता है। कोहली के यहाँ लोकभाषा के प्रयोग का मतलब बोलियों के शब्दों का चमत्कार पैदा करने के लिए प्रयोग नहीं है बल्कि लोकभाषा से उनका अभिप्राय उस भाषा से है, जो सामान्य जनता के बीच बिना किसी प्रयास के बोली और समझी जाती है। इसी लेख का एक और अंश इस प्रसंग में द्रष्टव्य है, "मर्द के बच्चे तो तुम हो। जिसको यह भी स्मरण नहीं है कि तुम स्वयं कौन है और किसको गालियाँ दे रहे हो। हम मर्द के बच्चे नहीं, अमृत सन्तान हैं। न्याय की बात करने आये हो अथवा मर्दानगी की? यदि न्याय की बात कर रहे हो तो भोलाराम से पुछो कि मुझे असहाय पाकर उसने मेरे घर में घुसकर मेरी सँदूकची क्यों उठायी।"[20] इस निबन्ध में रामलुभाया के भाइयों के जो नाम हैं, उससे भी लोकभाषा की खनक सुनायी देती है। उसके एक भाई का नाम छगन है और दूसरे भाई का नाम मगन है। जब भोलाराम सँदूकची उठा ले गया तब छगन और मगन उससे लड़ने के लिये तैयार हो गये। इसमें गरजता-बरसता शब्द के प्रयोग से लेखक ने लोकभाषा के एक रंग विशेष को प्रस्तुत किया है। नरेन्द्र कोहली 'ले-दे हो गये और सब एक-दूसरे से मुँह फुलाकर एक-दूसरे की ओर पीठ कर बैठ गये। कोई किसी के सुख-दुःख का साथी न रहा', जैसे वाक्य के प्रयोग से एक साथ दो-दो लोक-मुहावरों को प्रस्तुत करते हैं।

नरेन्द्र कोहली शास्त्रीय भाषा का प्रयोग अपने व्यंग्य-लेखन में नहीं करते और जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी खबर भी लेते हैं। 'भाषा के जादूगर' शीर्षक लेख में आम-फहम भाषा की बात करने वाले और पीड़ितों की जबान बोलने वाले लोगों पर उन्होंने कटाक्ष किया है, "बोलोगे वे शब्द जो अच्छे-खासे हिन्दीभाषियों की समझ में भी

न आयें और कहोगे उन्हें आम-फहम। तुम्हारा आम-फहम भी कोई समझता है? बताओ क्या होता है फहम? घूम जाओ सारी दिल्ली में और पूछो, कितने हिन्दी भाषियों को फहमिदन का अर्थ मालूम है जिससे फहम और आम-फहम जैसे शब्द बना रहे हो।''[21] आमतौर पर यही हो रहा है और जनभाषा के नाम पर एक ऐसी भाषा का निर्माण करने की प्रक्रिया चल पड़ी है, जिसमें शब्दों के पीछे की संस्कृति भी विलुप्त होती जा रही है। नरेन्द्र कोहली लिखते हैं, चौराहे की लाल बत्ती की चिन्ता न करते हुए वे फर्राटे से अपनी गाड़ी निकाल ले गये। मुझे कष्ट हुआ, इसलिए नहीं कि वे सड़क पर मुझसे आगे निकल गये थे; इसलिए भी नही कि बारी तो मेरी थी और वे बिना बारी के ही अपनी गाड़ी निकाल ले गये; इन बातों की आदत ही पड़ गयी है। वैसे आदत तो नियम तोड़ने वालों की करतूतें देखकर चुप रह जाने की भी पड़ जानी चाहिए थी पर मेरा मन इतना ढीठ है कि दिल्ली में पैंतीस वर्ष रह लेने के पश्चात् भी कभी मैं किसी भी प्रकार का नियम तोड़ने वाले को मन से क्षमा नहीं कर पाता।''[22] यहाँ लोकभाषा नहीं, लोक मन है किन्तु दोनों का संग्रथन इतना सघन है कि उससे हमारे मन पर ऐसा असर पड़ता है कि हम ऐसी परिस्थितियों पर सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। गाड़ी निकाल ले जाने वाले सज्जन पढ़े-लिखे हैं। जब वाचक उससे इस बारे में बात करता है तब वे कहते हैं कि क्या 'मुझे अनपढ़-गँवार' समझ रखा है। वस्तुतः नरेन्द्र कोहली लोकभाषा को लोकमन से जोड़कर देखते हैं। लोकभाषा के शब्द उनके यहाँ स्वाभाविक रूप से आये हैं। वे भारतीय भाषाओं की एकता के पक्षधर हैं और अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व का विरोध करते हैं। बोलियों के नाम पर अँचलों के बँटवारों से भी वह सहमत नहीं हैं। उनके व्यंग्य लेखन में लोकभाषा के शब्द और मुहावरे अधिक व्यंजक रूप में व्यक्त हुए हैं। 'भाड़ में जाओ' जैसे पद उनके व्यंग्य में आकर सहसा चमक उठते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. डॉ. श्यामसुन्दर दासः साहित्यालोचन, पृष्ठ-209
2. नरेन्द्र कोहलीः रामलुभाया कहता है, समग्र व्यंग्य-4, पृष्ठ-14
3. वही, पृष्ठ-16
4. नरेन्द्र कोहलीः रामलुभाया कहता है, समग्र व्यंग्य-4, पृष्ठ-16
5. कला मेहता हैः हिन्दी के आँचलिक उपन्यास, पृष्ठ-18
6. वही, पृष्ठ-118
7. नरेन्द्र कोहलीः गणतंत्र का गणित, पृष्ठ-17
8. नरेन्द्र कोहलीः गणतंत्र का गणित, पृष्ठ-18
9. नरेन्द्र कोहलीः मेरी इक्यावन व्यंग्य रचनाएँ, पृष्ठ-23
10. वही, पृष्ठ-23
11. वही, पृष्ठ-26
12. वही, पृष्ठ-26
13. वही, पृष्ठ-34
14. वही, पृष्ठ-34
15. नरेन्द्र कोहलीः रामलुभाया कहता है, समग्र व्यंग्य-47, पृष्ठ-223
16. डॉ. श्यामसुन्दर घोषः व्यंग्य क्या, व्यंग्य क्यों, पृष्ठ119

17. नरेन्द्र कोहली: आत्मा की पवित्रता, पृष्ठ-57
18. वही, पृष्ठ-69
19. वही, पृष्ठ-163
20. वही, पृष्ठ-165
21. वही, पृष्ठ-179
22. वही, पृष्ठ-184

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

क्वॅडुख़ पहेलियों का सांस्कृतिक अनुशीलन

• बाल किशोर राम भगत

•• अर्चना सिंह

सारांश- लोक साहित्य के विभिन्न विधाओं के अनुशीलन से लोकजीवन के अज्ञात एवं अल्पज्ञात पक्षों पर जिस प्रकार प्रकाश पड़ता है,उसी प्रकार पहेलियों के सम्यक अनुशीलन से लोक संस्कृति के मर्म को प्रभावशाली ढंग से समझा जा सकता है पहेलियाँ केवल अनुरंजनात्मक या खाली समय की वस्तुएँ नहीं है, वरन इनके द्वारा लोक मानस के संगठन की प्रकिया पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अपनी विशिष्ट लक्षणिकता एवं प्रच्छन्न कलात्मकता के द्वारा पहेलियाँ जहाँ लोकमन को चमत्कृत कर देती है वहीं लोगों की ज्ञान की पिपासा को शांत भी करती है। इसीलिए पहेलियों को बुद्धि पर शान चढ़ाने का यंत्र और स्मरण-शक्ति या वस्तु ज्ञान बढ़ाने की कलें कहा गया है। एक ओर यह जीवन का शिष्ट मनोरंजन करती है तो दूसरी ओर मानव के सहज ज्ञान में वृद्धि करके उसकी कल्पना, विचार और स्मरण-शक्ति को विकसित करती है पहेली की लोकप्रिय विद्या के रूप में अनेक सामाजिक भूमिकाएँ हैं।

मुख्य शब्द- प्रतिफलन, शिक्षण, बुद्धि-परीक्षण, मनोरंजन

प्रस्तावना-पहेली मानव के विकास और व्यावहारिक ज्ञान का सम्यक् प्रदर्शन है। पुरातनकाल से मानव–जीवन में इसका विशिष्ट स्थान रहा है। एक ओर यह जीवन का शिष्ट मनोरंजन करती है तो दूसरी ओर मानव के सहज ज्ञान में वृद्धि करके उसकी कल्पना, विचार और स्मरण–शक्ति को विकसित करती है। पहेली की लोकप्रिय विधा के रूप में अनेक सामाजिक भूमिकाएँ हैं। इनमें प्रतिफलन, शिक्षण, बुद्धि–परीक्षण और मनोरंजन प्रमुख है। इस संबंध में डॉ. दिनेश्वर प्रसाद का मंतत्य है– 'पहेलियों के आधार पर किसी भी समुदाय के दैनंदिन जीवन और विश्वासों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इस दृष्टि से इनका महत्व लोकसाहित्य की किसी भी विधा से भिन्न नहीं है। इसमें जिन विषयों का विवरण मिलता है, वे समुदाय की जीवित संस्कृति से गृहीत हुए हैं। भारतीय पहेलियों में मुख्य रूप में कृषि–संस्कृति की सामग्री का समावेश हुआ है। यह बहुत स्वाभाविक है कि इसमें नागर या अभिजात्य जीवन को अत्यंत सीमित अभिव्यक्ति मिली

• एसोसिएट प्रोफेसर, वी.एस.एसशोधार्थी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,बिलासपुर (छ.ग.)

•• सहायक प्राध्यापक, शोध निदेशक, हिन्दी, कमला नेहरू महाविद्यालय,कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.).डी. कॉलेज कानपुर

है। आदिमजातीय संस्कृति में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इनमें कृषि-संस्कृति प्रतिफलित हुई है।'[1] राम नरेश त्रिपाठी बुझौवल को पहेली का पर्याय मानकर लिखते हैं- ''बच्चों की बुद्धि पर शान चढ़ाने के लिए गॉवों में बहुत-सी पहेलियाँ जिन्हें बुझौवल कहते हैं, प्रचलित है। बुझौवल गूढार्थ वाले होते है।। उन्होंने पहेलियों को बुद्धि पर शान चढ़ाने की कला कहा है।''[2] कृष्णदेव उपाध्याय पहेली की उत्पत्ति का एक कारण मनोरंजन मानते हैं। उनके अनुसार-'किसान को दिन भर कठोर परिश्रम करते रहने से तनिक भी अवकाश नहीं मिलता। भीषण श्रम से उसका शरीर और मस्तिष्क चूर-चूर हो जाता है। अत: रात्रि में भोजन आदि से निवृत्त होकर वह इन पहेलियों को बुझाकर अपने दिल और दिमाग को ताजा करता है। गाँव में जहाँ सिनेमा नहीं है, जहाँ थियेटर का अत्यंत अभाव है, जहाँ मनोरंजन के कोई भी अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ ये पहेलियाँ इन कृषकों के मनोरंजन के अन्यतम साधन है। कुँडुख़ पहेली में धर्म, नीति, इतिहास, उपदेश, सूचना, आलोचना, व्यंग्य की भावनाएँ निहित है।

कुँडुख़ पहेलियों का वर्गीकरण- कुँडुख़ भाषा में भी 'बुझौवल' शब्द प्रचलित है लेकिन ठेठ वन्यांचल में 'बुझरनखरना' शब्द प्रयुक्त है जिसका शाब्दिक अर्थ 'आपस में विचार-विमर्श करना, वाद-विवाद या विवेचना करना है।''[3] कुँडुख़ पहेलियों का संसार विस्तृत है। इसके विभाजन की स्पष्ट रूपरेखा खींच पाना कठिन है फिर भी इसकी प्रवृत्ति, प्रकृति परिस्थिति के अनुसार इसका वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है-

1. प्रकृति संबंधी- प्रकृति मानव की सहचरी भी रही है और मार्गदर्शक गुरू का दायित्व भी इसने स्वीकार किया है। यही कारण है कि कुँडुख़ पहेलियों में सूर्य, चन्द्रमा, तारे, धरती-आकाश, ऋतु, ओला, आँधी, पानी और दिन-रात आदि से अटे पड़े हैं यथा-

मझि पोखरानू छिप्पा गड़रकी रई।
बीच तालाब में थाली गड़ी हुई है। - चन्दो (चन्द्रमा)
ओन्टे कुक्कोस तम्बस गही एड़पा कादस
एक लड़का अपने पिता के घर जाता है। - ख़ाड़ (नदी)
ओन्टे थारानू हजार ठू बिल्ली
एक थाली में हजारों बत्तियाँ।- चंदो (चन्द्रमा)
पैंठनू मल्ला, सहर नूं मल्ला,
मो-चका ती चोप्पा मल्ला,
मो-खका ती कोगो मल्ला।
बाजार में नहीं, शहर में नहीं, काटो तो छिलका नहीं, खाओ तो गुठली नहीं। - आली (ओला)

2.जीव-जन्तु संबंधी- प्रकृति के साथ पशु-पक्षी तथा जीव-जन्तु भी मानव जीवन के लिए सहयोगी सिद्ध हुए हैं। कुँडुख़ लोकजीवन से संबंध विविध जीव-जन्तुओं से ग्रंथित पहेलियों की संख्या भी पर्याप्त है। इनमें मुख्य रूप से हाथी, मयूर, कछुआ आदि सम्मलित है, यथा-

ओन्टे आलस गहि मेदनूं एड़पा
एक आदमी की पीठ पर घर है। - एक्का (कछआ)

मैंया हूँ ख़ज्ज, की–या हूँ ख़ज्ज अदि गहि मझिनू रघु पचगिस।
ऊपर भी मिट्टी, नीचे भी मिट्टी, उसके बीच में रघु बूढ़ा। – ककडो (केकड़ा)
ओन्टे कुके आलारिन ईरी की बलिन मुच्ची
एक लड़की आदमियों को देखकर दरवाजा बंद कर देती है। – घुंघी (घोंघा)
कुक कोंहा मगर हाथी मल्ली,
छोटे कड़मा मगर लकड़ा मल्ली,
लता तुरिई मगर ओसगा मल्ली,
मन्न अरगी मगर नेर्र मल्लीं।
सिर बड़ा है लेकिन हाथी नहीं, छोटी कमर है पर शेर नहीं। बिल बनाता है पर चूहा नहीं, पेड़ चढ़ता है पर साँप नहीं। –पोक (चींटी)
ओड़ा लेक्खा उड़ियार:ई मुन्दा ओड़ा मल्ली,
खाखा लेक्खा मोखारो मुन्दा खाखा मल्ली,
बिबान लेक्खा गरजारई मुन्दा लकड़ा मल्ली।
पक्षी जैसे उड़ती है लेकिन चिड़ियाँ नहीं, काला है लेकिन कौआ नहीं, शेर जैसे दहाड़ता है लेकिन शेर नहीं। – भौंरो (भौंरा)
अधर मैंया पथर, पथर मैंया पैंसा, बेगर अम्म कोठा एन कमचकन।
छत के उपर छत्त, छत्त के उपर पैसा, बिना पानी के घर बनाया,वह जानवर कैसा?– ईमा (दीमक)
ओन्टे कुक्कोस गहि ख़ोला तरा सौ गोट ख़न्न
एक ऐसा लड़का जिसकी पूँछ में सौ आँखें। – मिंजूर (मयूर)

3.कृषि-संबंधी- कुँडुख़ का लोक जीवन कृषि प्रधान है। कुँडुख भाषा में खेती किसानी से संबंधित उपकरणों, फसल और किसान से संबद्ध अनेक पहेलियाँ प्राप्त होती है। कुँडुख़ में इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाली पहेलियों की संख्या सर्वाधिक है एतदर्थ, यहाँ नमूने के रूप में कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं–

छेतेक–छेता ख़ोप्पा घुंघरू बेसे खंजपा।
झबरीली झाड़ी में घुंघरू जैसा फल। – बूट (चना)
कुट्टका चोट्टो खेखलन तूरई।
भुना हुआ चूहा जमीन को खोदता है। – उसंगी (हल का फाल)
ओन्टे आलस गहि कूलनू पल्ल
एक आदम के पेट में दाँत। – तांतर (हँसिया)
ख़इका कंकनू सुगा नाली।
सुखा लकड़ी में तोता नाचता है। – टोंगए (कुल्हाड़ी)

4.वनस्पति-सबंधी- कुँडुख़ का जीवन कृषि संस्कृति होने के कारण कुँडुख़ पहेलियों में फल–फूल विषयक सामान्य और विशिष्य वनस्पतियाँ प्राप्य हैं। इन पर आधारित पहेलियाँ भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं–

बहरी हरियर भितरी पियार आदही भीतरी उक्की मोख़ारो नाद
बाहर हरा, भीतर पीला, उसके अंदर बैठा काला भूत। – पपीटा (पपीता)

खुरिया ही भीतरे खुरिया
तम्बस ती तंगदस मण्डरे।
कटोरा के अन्दर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा।- नरियार (नारियल)
उनी मू-खी पहें, ए-का पुल्ली।
खाती-पीती है पर चल नहीं सकती। - मन्न (पेड़)
ओन्टे मन्न नू अड़ि दिम अड़ि
एक पेड़ में घड़े ही घड़े ।- डुम्बारी (गूलर)
सन्नी बारि ने हूँ मल मेंजर परिदकन खने ओरमर किचरिन तेलेंग-तेलेंग ए-रनर।
छोटे में किसी ने नहीं पूछा। मगर बड़ी हुई तो सभी ने कपड़ा खोल-खोल कर देखते हैं।- जिन्होर (मक्का)

5.दैनन्दिनी-संबंधी- कुँडुख़ लोकजीवन में गृहस्थी के सफल संचालन हेतु अनेक वस्तुओं का प्रयोग किये जाते हैं,उनका भी प्रयोग प्रहेलिका के रूप में किया जाता है कुछ उदाहरण दृष्टव्य है-

ओन्टो पच्चो ओन बोझा कड़िका मूख़ी।
एक बुढ़िया प्रतिदिन एक गट्ठर दातुन खाती है।- चुल्हा (चुल्हा)
कालो बीरि ढेंको काली, किर्रो बीरि उजगो बरई।
जाते समय टेढ़ा जाती है, आते समय सीधा आती है।- अड़ी (घड़ा)
सन्नी घोड़ो गहि सौ ठू छाँद।
छोटे घोड़े की एक सौ छाँद।द्ध चरखा ;चरखा
सन्नी एकन डभरा, बकली गहि शोभा।
छोटे से पानी के गड्ढे में बगुले सुशोभित है।- बिल्ली (दीया)
ओन्टा पूँप मा-ख़ा बीरी बीड़रीई, पईरी बीरी पुलखीई।
एक फूल रात के समय खिलता है और सुबह होते ही सिकुड़ जाता है। - पिटरी (चटाई)
नन्ना पद्दानू चिच्च लग्गी, नन्ना पद्दानू कुहड़ा चुई।
दूसरे गाँव में आग लगती है और दूसरे गाँव में धुआँ उठता है।- हुका (हुक्का)
सोना गहि सुगा, चाँदी गहि ठोर ख़ोला तुरू अम्म उनी।
सोना का तोता, चाँदी की चोंच फिर भी पूँछ से पानी पीता है। - ढिबरी (दीया)

6.आहार संबंधी- आहार जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। विविध संस्कृतियों वाले हमारे देश में खान-पान के बहुविध रूप प्रयुक्त है। क्षेत्र और प्रदेश की पैदावार को परखकर भी खान-पान के प्रति विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है। यहाँ कुँडुख़ की खान-पान से संबद्ध प्रहेलिकाएँ प्रस्तुत की जा रही है-

पण्डरू एड़पा नू पीला अम्म
अदिन मा एड़सनर पंडित ज्ञानी।
सफेद घर में पीला पानी, जिसे न छूता पंडित ज्ञानी। - बी (अंड़ा)
ओन्टे आली ओन्टे एकला खद्द ननी।
एक औरत केवल एक ही बार बच्चा पैदा करती है। - केड़ा (केला)

ओन्टे टोंकानू पंडरू कुल्ला दिम कुल्ला।
एक मैदान में सफेद छाता ही छाता।– ओसा (कुकुरमुत्ता)

7.वस्त्राभूषण संबंधी-प्रत्येक क्षेत्र एवं जातियों के लिए वस्त्राभूषण अलग–अलग होते हैं। इसका प्रयोग मनुष्य की सभ्यता और सौन्दर्य प्रियता को ध्यान में रखकर किया जाता है। वस्त्राभूषण से संबद्ध कुछ कुँडुख़ पहेलियों के उदाहरण दिये जा रहे हैं–

आद एंदरा हिके नेखय ख़क्खा र:ई,
ख़ेड्डे मल्ला, मेद र:ई कुक्क मल्ला।
वह क्या चीज है जिसके हाथ है पर पैर नहीं और पीठ है पर सिर नहीं। –झुला (कमीज)

ओन्टे परतानू बिन ओट्टा गहि बाँस
एक पर्वत में बिना गाँठ की बाँस।– कुक्क अरा चुटी ; केश और सिर

ओन्टे मन्न नू पंडरू गुंडरी
नुकरई मन्न खन्ने चिं–खी ओड़ा।
एक पेड़ में सफेद 'गुडरी' पक्षी है जो वृक्ष के हिलते ही चीख पड़ती है। – पायड़ा (पायल)

कूलनू अंगली, कुक्कनू पखना।
पेट में उँगली, सिर में पत्थर। – मुद्दी (अंगूठी)

8. शरीरंग संबंधी- भारतीय संस्कृति में मानव शरीर को अत्यन्त महत्व दिया गया है। इसके प्रमुख अवयवों को आधार मानकर कवियों ने विविध उपमानों से इसे सजाया है। कुँडुख़ पहेलियों में भी शरीर के प्रमुख अंगों को लेकर विवेचना की गई है जैसे–

दू भाइर ओंटे गुसन ओक्कनर पहें एरा मुहि मल मन्नर।
दो भाई एक स्थान पर बैठते हैं लेकिन एक–दूसरे को नहीं देखते हैं। – खन्न (आँख)

ने ईरियर आर माल पेत्तर, ने पेत्तर आर माल मोक्खर,
ने मोक्खर आर एम्बन बल्लर, एम्बन अक्खस आस नन्नम रहचस।
जिसने देखा उसने उठाया नहीं, जिसने उठाया उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने स्वाद पाया नहीं, जिसने स्वाद जाना वह कोई दूसरा ही था ? – खन्न, ख़ेक्का, पल्ल, ततखा ;आँख, हाथ, दाँत, जीभ

ओन्टेम चेहरा ही दू भाई, दुयोझन ही ओन्टेम काम,
कोन्दा रहनय अन्नू हूँ मेन्नय।
एक ही शक्ल के दो भाई, दोनों के एक ही काम। वे गूँगे हैं, फिर भी सुनते हैं। –खेबदा (कान)

तुरथेम केरा तुरथेम बरचा।
तुरन्त आया तुरंत गया। – नजाइर (नजर)

इस्सानुम र:के ठुपठुपिया, ए–न राजी एरा कादन।
तुम यहीं पर रहना ठुपठुपिया, मै देश–दर्शन करने को जा रहा हूँ। –चम्बा (पद–चिह्न)

एको बीरी एकेन, इजओ बीरी इज्जऐन।

ओक्को बीरी ओक्केन।
चलते समय चलती हूँ, रूकते समय रूकती हूँ, बैठते समय बैठती हूँ। – ऐख (छाया)

9.जीवन संबंधी- मानव जीवन दुर्लभ माना जाता है। इसी पर आधारित जीवन की विवेचना की गई है। कुँडुख़ पहेलियों में भी जीवन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मिलते हैं, यथा–

ओरतोस पईरी बारी चाईर खेड्ड ती ए–कदस,
कुक चप्पो बारी दू ठू ती ए–कदस,
और पुतबारी तीन ठू ती ए–कदस।
एक आदमी सुबह चार पैर से चलता है, दोपहर के समय दो पैर से और शाम को तीन पैर से चलता है।

यहाँ पर तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया गया है।–
खद्द परिया, जोंख़ परिया, पचगी परिया बचपन, जवानी और बुढ़ापा
बरओ बारि मुठदस की बरदस, कालो बारि बिछिरदस की कादस।
आते समय मुट्ठी बंद करके आता है और जाते समय छोड़ के जाता है। – कुन्दरना अरा खेअना (जन्म और मृत्यु)

10.आधुनिकता-संबंधी- कुँडुख़ लोकजीवन पर भी आधुनिकता का छाया मंडराने लगी है इसका प्रभाव कुँडुख़ पहेलियों में प्रतिबिम्बित है। यहाँ पर कुछ पहेलियाँ उल्लेखित है–

नलदन डेगदन की जियन भुला बअदन
अन्नू हूँ ओर्मर ती लाथ मोख़दन।
उछल–कूद कर मन बहलाउँ, फिर भी सबकी लातें खाउँ। – फुटबोल (फुटबॉल)
ओन्टे मला ढेर बग्गे रई एंग्है गतर,
आलर ढेर बग्गे संगे रअनर,
एन छुक–छुक नन्नुम कादन,
एन मल घुमरारदन कोंड़ा–कोड़ा।
एक नहीं कई अंग है मेरे, ढेर सारे आदमी संग है मेरे, छुक–छुक करते चलती जाती, घुमती नहीं गली–गली मैं। – रेलगड़ी (रेलगाड़ी)
तानिम अस्सी तानिम डण्डी पाड़ी।
खुद बजाती है और खुद गाती । – रिडियो (रेडियो)

उपसंहार-उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पहेलियाँ लोकजीवन का रत्न है। जिसमें अनेक अज्ञात एवं अल्पज्ञात ज्ञान छिपे होते हैं। लोकजीवन के अनेक क्षेत्रों में पहेलियाँ प्रयोग होकर लोगों की ज्ञान की पिपासा को शांत करती है और उसके बारे में जानकारी भी प्रदान करती है। पहेली मनोरंजन की वस्तु ही नहीं वरन् गूढ़ार्थ वाले भी होते हैं। यह प्रकीर्ण साहित्य मानवीय ज्ञान का धनीभूत रत्न है जो अनंत काल से तपकर सदा आलोक विखेरता रहता है। अत: बुद्धि और अनुभव के स्रोत से फूटने वाली ज्योति की प्रखर किरणों को जन समाज में चारों ओर फैलाती रहती है। इसमें कुँडुख़ समाज की संस्कृति, विश्वास,

मान्यता, अभिरूचि, रूढ़ि, प्रतीक, आत्मचिरत, विधि-निषेध और सम्पूर्ण जीवन-दर्शन प्रतिबिम्बित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. डॉ.दिनेश्वर प्रसाद-लोक साहित्य और संस्कृति, द्वितीय संस्करण 2007, पृष्ठ 143
2. रामनरेश त्रिपाठी-ग्राम साहित्य भाग-5 'रूपरेखा' पृष्ठ 122
3. कृष्णदेव उपाध्याय-लोक साहित्य की भूमिका, पृष्ठ 168
4. डॉ. अगापित एवं अन्य, कुँड़ुख़ हिन्दी कोष, पृष्ठ 736
5. डॉ. बिहारी लाल साहू-कुँड़ुख़ पहेलियॉ, वैभव प्रकाशन,रायपुर 2007
6. डॉ.बिहारी लाल साहू-छत्तीसगढ़ी भाषा एवं लोक साहित्य, भावना प्रकाशन दिल्ली
7. मिखाएल कुजूर-उरॉव संस्कृति, कैथोलिक प्रेस, रॉची 2005
8. डॉ. रामनिवास शर्मा : लोकसाहित्य और लोकसंस्कृति

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

सोशल मीडिया के उभरते क्षितिज एवं गहराती चुनौतियाँ

• वीरेन्द्र सिंह यादव

सारांश- सोशल मीडिया ने अपने नए-नए एप्स के माध्यमों के द्वारा अपने चाहने वालों पर विशेष प्रभाव छोड़ा है। उदाहरण के लिए आज-कल ट्विटर सोशल मीडिया का एक ऐसा मंच बन गया है, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।यह बात सच है कि जब तक बुजुर्वा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था है,तब तक सभी सामाजिक-राजनीतिक संस्थानों पर पूँजीवादी कब्जा रहेगा और जब तक राजनीतिक-सामाजिक सत्ता केन्द्रों पर पूँजीपति काविज हैं तब तक पूँजी का यह वर्चस्व कभी भी हाशिए के समाज की आवाज को सामने नहीं लाने देगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कि मीडिया का काम जनता को जागरूक करना नहीं बल्कि पतनशील पूँजीवादी पॉपुलर संस्कृति के बुलबुले में फांसे रखना है। नया मीडिया मानव को एक ऐसी दुनिया का बाशिंदा बना रहा है, जहाँ इसे कुछ लोगों की समृद्धि तो दिखाई देती है।

मुख्य शब्द- सोशल मीडिया, बुजुर्वा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक सामाजिक सत्ता, चुनौतियाँ

यह बात सच है कि जब तक बुजुर्वा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था है,तब तक सभी सामाजिक–राजनीतिक संस्थानों पर पूँजीवादी कब्जा रहेगा और जब तक राजनीतिक–सामाजिक सत्ता केन्द्रों पर पूँजीपति काविज हैं तब तक पूँजी का यह वर्चस्व कभी भी हाशिए के समाज की आवाज को सामने नहीं लाने देगा । यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कि मीडिया का काम जनता को जागरूक करना नहीं बल्कि पतनशील पूँजीवादी पॉपुलर संस्कृति के बुलबुले में फांसे रखना है। नया मीडिया मानव को एक ऐसी दुनिया का बाशिंदा बना रहा है, जहाँ इसे कुछ लोगों की समृद्धि तो दिखाई देती है। पर करोड़ों लोगों की भूख दिखाई नहीं देती है। बड़ी–बड़ी आलीशान इमारतें तो दिखाई देती हैं। पर गंदगी से बज्बजाती झोपड़ियाँ नहीं दिखाई देंती हैं। देश में अरबपति उद्योगपतियों की बढ़ती हुई संख्या तो दिखाई देती है पर खेतों में फाँसी लगाकर मरते किसान नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए परंपरागत मीडिया से आशा करना व्यर्थ है कि वह सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए जनता को प्रेरित करेगा। परंपरागत मीडिया अनेक ऐसे काम करेगा कि जिससे बदलाव की आकांक्षा और संघर्ष के लिए उठते बाजू टूट जाएँ। ऐसे में अधिकतर प्रगतिशील, बदलाव पसंद ताकतों को एक होना होगा। पूँजी के वर्चस्व के

• प्रोफेसर, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग, डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ

विरुद्ध जन कल्याण का पक्ष रखने वाले साहित्य, गीतों, फिल्मों ,पत्रिकाओं आदि के माध्यम से नया वैकल्पिक मीडिया खड़ा करना होगाद्य क्रांतिकारी साहित्य, क्रांतिकारी संगीत और फिल्मों जैसी अनेक क्रांतिकारी सांस्कृतिक सामग्री को यह वैकल्पिक मीडिया अपने जनबल के बूते समाज के कोने–कोने तक पहुँचाएगा। वर्तमान में सोशल मीडिया के जरिए बुजुर्ग्वा विचारधारा के वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष किया जा सकता है। इसके साथ ही "सोशल मीडिया के माध्यम से बुजुर्ग्वा विचारधारा के हमले के समक्ष व्यक्ति अपने विचारधारात्मक वेरीकेड खड़े कर सकता हैं, सोशल मीडिया के जरिए जनता की वर्ग चेतना का क्रांतिकारी रूपांतरण किया जा सकता है, और इसी के जरिए हम अपने उन्नत तत्वों को खोजने, उनके क्रांतिकारी शिक्षण–प्रशिक्षण का काम कर सकते हैं।"[1]

बाजार का अपना एक धर्म और अपना एक तरीका होता है, चीजों को देखने का, समझने का, उपयोग करने का, बाजार कभी भी उन वस्तुओं, विचारों और अवधारणाओं और आंदोलनों की परवाह नहीं करता जो कि उनके खिलाफ जा सकते हैं। वह यथा स्थितिवाद का पोषक होता है। वह परिवर्तन के अनेक प्रयत्नों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए भाषाओं को एक सामाजिक और सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो बाजार भाषाओं को हाशिये पर धकेल देगा। भाषाएँ, जिनके बिना मनुष्य समाज की परिकल्पना भी नहीं की जाती के प्रति हमारा समाज बाजार और राजनीति किस प्रकार उदासीन रहते हैं, यह नहीं देखा जाता ,यदि भाषाएँ नष्ट हो गईं तो किस प्रकार संस्कृति जीवित रहेगी क्योंकि संस्कृति सबसे पहले भाषा के माध्यम से ही इसी समाज की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। भारतीय संदर्भ में यदि देखा जाये तो मीडिया और विशेषकर नए मीडिया ने भाषाओँ के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी है। आज बाजार और बड़े कॉर्पोरेट भारतीय भाषाओं का प्रयोग तो करते हैं परंतु उनके प्रति उनके व्यवहार, विचार और क्रिया में कोई अंतर नहीं आता। वह कहीं ना कहीं तथाकथित वैश्विक भाषा अंग्रेजी को ही स्वीकार करते हैं, उदाहरण के लिए यदि हम मीडिया के सिनेमा और टेलीविजन के कलाकारों, निर्देशों से बात करके देखें तो पाएंगे कि वह हिंदी की बजाय अंग्रेजी में ही बात कर रहे होते हैं। "क्या यह भाषाई साम्राज्यवाद का परिणाम है? अथवा उत्तर औपनिवेशिक समाज का आईना है कि आज भी हम अंग्रेजी को अधिक महत्व देते हैं। नए मीडिया की भाषा पर विचार करते हैं तो यह बात बहुत साफ हो जाती है कि भले ही नए मीडिया ने हिंदी को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया और नए–नए रूपों में हिंदी को प्रचार–प्रसार भी मिल रहा है परंतु एक बड़ी कठिन चुनौती सामने यह आ रही है कि हिंदी भाषा की लिपि बदल रही है।"[2]

सोशल मीडिया ने अपने नए–नए एप्स के माध्यमों के द्वारा अपने चाहने वालों पर विशेष प्रभाव छोड़ा है। उदाहरण के लिए आज–कल ट्विटर सोशल मीडिया का एक ऐसा मंच बन गया है, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ट्विटर कम और संतुलित शब्दों में अपने प्रयोक्ताओं को अपनी बात कहने का स्थान प्रदान करता है,जैसा कि नाम से ही ज्ञात है। 'ट्विटर' का अर्थ हिंदी में चहचहाना होता है। यानी इसके नाम के निर्माण के पीछे ही इसका मकसद रहा होगा, थोड़ा कहकर अपनी बातों को संचरित

करना।यही वजह है कि ट्विटर का प्रतीक-चिन्ह लोगो भी एक चिड़िया है, जिसकी खुली चोंच यह बताती है कि वह कुछ बोल-चहचहा रही है। 140 शब्दों की नियमबद्धता में अपनी बात को कहने के कारण ही ट्विटर को 'इंटरनेट की लघु संदेश सेवा' (एस.एम. एस. ऑफ इंटरनेट) भी कहा गया है, हालांकि बाद के दिनों में कंपनी ने अभिव्यक्ति के दायरे को बढ़ाते हुए अक्षरात्मक लिपि की भाषाओं के लिए 280 शब्दों के एक ट्वीट तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी ओर चित्रात्मक लिपि की भाषाओं को 140 शब्दों तक के ट्वीट तक ही सीमित रखा, जिसमें जापानी, कोरिया और चीनी भाषाएँ शामिल की गई हैं। नव मीडिया के निवासी, जिसे 'नेटीजन' कहा जाता है। वे अपने माध्यम की संरचना के अनुसार ही भाषा-व्यवहार करते हैं, क्योंकि, माध्यम जितना स्थान कहने-लिखने को देगा, भाषा उसी रूप में ढलती जाएगी। चूँकि माध्यम की संरचना भी भाषा का स्वरूप तैयार करती है, इसलिए ट्विटर की भी अन्य सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से अलग कुछ विशेष शब्दावली और भाषा है जो कम में अधिक कहने का गुण रखती है। फेसबुक में जिस तरह हर रिश्ते को 'फेसबुक फ्रेंड' कहा जाता है, ट्विटर पर हर वह व्यक्ति जो इस आभाषी दुनिया में आपके साथ जुड़ा है, 'फॉलोअर' कहा जाता है। संरचनात्मक आधार पर इसे 'माइक्रोब्लॉगिंग साइड' भी कहा जाता है। यहाँ आम प्रयोक्ताओं की तुलना में राजनीतिज्ञ, फिल्मी हस्तियाँ, पत्रकार, शिक्षाविद आदि प्रयोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है। "सोशल मीडिया के हर मंच की कार्य पद्धति भी एक दूसरे से कुछ अलग होती है, जो संक्षिप्त विश्लेषण से ही ज्ञात होती है। जैसे अन्य माध्यमों की तुलना में ट्विटर के कुछ अलग नियम और जार्गन होते हैं।जिसमें हैं 'ट्वीटडेक'। जिसकी मदद से ट्वीट को शिडच्यूल किया जा सकता है और प्रयोक्ता अपनी सूची पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा बिटली से प्रवक्ता के ट्वीट को कितने क्लिक मिल रहे हैं और किस ट्वीट के बारे में लोग अधिक जानकारी चाहते हैं, इसकी जानकारी मिल सकती है। इसी तरह एनालिटिक टैब का प्रयोग करके यह पता किया जा सकता है कि कौन सा टच्यूट सबसे दूर तक यानी अधिक देखा गया है, और सबसे ज्यादा किस लिंक को क्लिक किया गया है।"[3]

ऐसा नहीं है कि सरकारें सोशल मीडिया को लेकर गंभीर नहीं है। सन् 2018 ई० से लेकर वर्तमान तक अनेक साइबर सेनानियों का चयन किया जा चुका है। सरकार के द्वारा इसके साइबर फ्रॉड व अपराध की रोकथाम के लिए ही राज्य सरकार ने कंप्यूटर फॉरेंसिक लैब की स्थापना के साथ ही महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराध व अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया साइट्स पर डालने के खिलाफ एक लिंक विकसित किया है, जिस पर जाकर कोई भी पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। दर्ज कराई गई शिकायत पर साइबर यूनिट त्वरित कार्रवाई करती है।

सोशल मीडिया के प्रारंभ में यदि राजनेताओं को यह आभास होता कि कहने और लिखने की इतनी आजादी इस नए मीडिया को मिलेगी और अगर सोशल मीडिया कोई ऐसा तत्व होता, जिस पर आरोप लगाने से वोट बैंक में दरार आ जाने का खतरा होता, तो शायद एक भी जुबांन सोशल मीडिया के विरुद्ध नहीं खुलती। वरिष्ठ पत्रकार विभांशु दिव्याल का इस विषय पर कहना है कि 'सोशल मीडिया पर अपनी नाकामियों की खीज

उतारना या फिर अपने वास्तविक इरादों की परदादारी करने के लिए सोशल मीडिया की आड़ लेना अपेक्षाकृत सबके लिए शुगम सा रास्ता है। किसी ने भी यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि सोशल मीडिया सिर्फ सामाजिक अभिव्यक्ति है, लोगों की थोड़ी सी अनियंत्रित जुबान है, जो समाज में हो रही अच्छी बुरी क्रियाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं की आलोचना या सराहना में, निंदा या प्रशस्ति में चलती रहती है। यहाँ यह नियम पूरी तरह से लागू होता है कि जैसा इंसानी समाज, वैसे लोग, जैसे लोग, वैसी जुबान।"[4]

निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हमने अपने लोगों में समझदारी पैदा की है तो सोशल मीडिया में वह वैसे ही समझदारी पूर्ण सभ्य, सुसंस्कृति, शिष्ट भाषा में बात करेंगे और अगर हमने उनमें से एक दूसरे के प्रति नफरत, दुश्मनी, अविश्वास और असहयोग की भावना पैदा की तो सोशल मीडिया में वे वैसी ही जुबान बोलेंगे, सामुदायिक तौर पर एक दूसरे को अपमानित करेंगे, नीच और छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। झूठी, भड़काऊ, भद्दी और अश्लील अफवाहों को आँखों देखी सच्चाई बताकर प्रचारित करेंगे और पहले से मौजूद नफरत और अविश्वास की खाई को और चौड़ा करेंगे और समग्र समाज को अधिक असहिष्णु, अधिक असंवेदनशील, अधिक उग्र, जड़ और हिंसक बना देंगे।

हालांकि करीब तीन दशक की जीवन यात्रा के बाद शायद न्यू मीडिया का नाम न्यू मीडिया नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि यह सुप्रचलित और परिपक्व सेक्टर का रूप ले चुका है, लेकिन शायद यह हमेशा न्यू मीडिया ही बना रहे, क्योंकि पुरारानापन इसकी फितरत में ही नहीं है। यह तेजी से विकसित और बदल रहा है तथा साथ ही नए पहलुओं, नए स्वरूपों, नए माध्यमों, नए प्रयोगों और नई अभिव्यक्तियों से संपन्न भी होता जा रहा है। "नवीनता और सृजनात्मकता इस नए मीडिया की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। यह कल्पनाओं की गति से बढ़ने वाला मीडिया है जो निरंतर बदलाव और नए सांचों से गुजरता रहेगा और नया बना रहेगा।"[5]

जहाँ एक ओर परंपरागत प्रिंट मीडिया के मुख्य स्वरूप अखबार या पत्रिकाएँ ही हैं परंतु न्यू मीडिया के तमाम स्वरूप समाचारों, लेखों, सृजनात्मक लेखन या पत्रकारिता तक सीमित नहीं है। वास्तव में सोशल मीडिया की परिभाषा पारंपरिक मीडिया की तर्ज पर नहीं दी जा सकती है। ना सिर्फ समाचार पत्रों की वेबसाइट और पोर्टल ही इस नए मीडिया के दायरे में आते हैं बल्कि नौकरी ढूँढ़ने वाली वेबसाइट, रिश्ते तलाशने वाले पोर्टल, ब्लॉग्स, स्ट्रीमिंग, ऑडियो-वीडियो, ईमेल, चौटिंग, फोन, इंटरनेट पर होने वाली खरीदारी, नीलामी, फिल्मों की सीडी, डीवीडी, डिजिटल कैमरे से लेकर फोटोग्राफ, इंटरनेट, सर्वेक्षण, इंटरनेट आधारित चर्चा के मंच, दोस्त बनाने वाली वेबसाइट और सॉफ्टवेयर भी इसके अंतर्गत आते हैं। न्यू मीडिया को पत्रकारिता का एक स्वरूप भर समझने वाले को अचंभित करने के लिए शायद इतना काफी है। लेकिन न्यू मीडिया इन तक ही सीमित नहीं है। यह तो उसके अनुप्रयोगों की एक छोटी सी सूची भर है और यह अनुप्रयोग निरंतर बढ़ रहे हैं।"[6]

अनेक बार ऐसा हुआ है की जब केंद्रीय सरकारों ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकों में जब सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने और गुमराह करने बात उठायी तो

जहाँ कई राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थिति ही नहीं होते, वहीं जो लोग मौजूद भी होते हैं तो, वह दंगों के लिए जहाँ आरोप-प्रत्यारोप तक सिमटे रहते हैं और उसके बाद सीधे तौर पर दंगा भड़काने के लिए सोशल मीडिया को खलनायक मान लिया जाता है। ऐसी बैठकों पर भले ही एक साझी सहमति बन जाती है और सोशल मीडिया पर लगाम लगाई जानी चाहिए, पर लगाम कैसे लगाई जाए यह किसी की समझ में नहीं आता है।

प्रश्न यहाँ एक बार फिर वही उठता है की हर वर्ग के लोग यही सोचते हैं की सरकारें इस सोशल मीडिया पर नियमन नहीं कर पा रही हैं लेकिन सोचना तो यह है कि आखिर हमने और आपने इस पर क्या किया है? "अपने कारनामों से भारत के बहुलताबादी समाज को किस चौराहे पर ला खड़ा किया है, एक जात को दूसरी जात के विरुद्ध, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध, लड़ाने-भड़काने का ऐसा कौन सा मौका है, जिसे आप हाथ से फिसलने देते हैं। आपके राजनीतिक स्वार्थ सत्ता हथियाने की आपकी आकांक्षा, धनबल-जनबल जुटाने की आपकी लिप्सा जब बृहत्तर सामाजिक हितों से ज्यादा बड़ी है, इनके लिए आप सहकार और सद्भाव के सारे रास्ते बंद कर देंगे। सारी अग्रगामी वैचारिक सांस्कृतिक संस्थाओं पर दोयम दर्जे की घटिया मानसिकताओं को स्थापित कर देंगे, राज्य और समाज की हर व्यवस्था को भ्रष्ट कर देंगे, हर जगह अपनी गुलाम गुंडई की सत्ता कायम कर देंगे तो फिर सोशल मीडिया क्या दिखाएगा, क्या बोलेगा?सोशल मीडिया तो आपको आपका ही चेहरा दिखा रहा है, इसे देखने की कोशिश करनी चाहिए।"[7]

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. हमारा समय, संस्कृति और नया मीडिया, राकेश कुमार, पृष्ठ संख्या 246-247
2. हमारा समय, संस्कृति और नया मीडिया, राकेश कुमार, अनामिका पब्लिकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली-2020 पृष्ठ संख्या 217
3. विश्व हिंदी सम्मेलन, फिजी 2023-स्मारिका, प्रधान संपादक, रजनीश कुमार शुक्ला, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार-2023, पृष्ठ संख्या 112
4. मीडिया का वर्तमान परिदृश्य-राकेश प्रवीण-ज्ञान गंगा प्रकाशन, दिल्ली संस्करण-2020,पृष्ठ संख्या 193
5. भारत में प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और न्यू मीडिया-संदीप कुलश्रेष्ठ- प्रतिभा प्रतिष्ठान-नई दिल्ली- 2020,पृष्ठ संख्या 126
6. भारत में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यू मीडिया- संदीप कुलश्रेष्ठ-प्रतिभा प्रतिष्ठान-नई दिल्ली- 2018,पृष्ठ संख्या 124-125
7. मीडिया का वर्तमान परिदृश्य-राकेश प्रवीण-ज्ञान गंगा प्रकाशन, दिल्ली 2020,पृष्ठ संख्या 194

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए संगीत चिकित्सा

• ममता

सारांश- जब आपका शरीर तनावपूर्ण स्थिति में होता है तो खेलों के लिए आवश्यक समन्वित गति अधिक कठिन हो जाती है। संगीत उन कुछ गतिविधियों में से एक है जिसमें पूरे मस्तिष्क का उपयोग करना शामिल है। यह सभी संस्कृतियों में अंतर्निहित है और इसमें न केवल भाषा सीखने स्मृति (याददाश्त) में सुधार और ध्यान केन्द्रित करने में, बल्कि शारीरिक समन्वयक और विकास में भी आश्चर्यजनक लाभ हो सकते हैं। यह दर्द, रक्तचाप को कम करने, हृदय के लिए दवा स्ट्रोक, अल्जाइमर, ऑटिज्म के बाद तेजी से ठीक होने, पुराने सिरदर्द और माइग्रेन के इलाज के लिए भी प्रभावी उपचार है। संगीत रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सीखने और आईक्यू को बढ़ाता है। संगीत एकाग्रता खेल प्रदर्शन, शारीरिक गतिविधि और समन्वयक उत्पादकता, थकान से राहत, मनोदशा में सुधार करता है और विश्राम में सहायता करता है। संगीत सुनने से हमारे व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलुओं जैसे चिंता, पूर्वाग्रह और क्रोध को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। नि:संदेह संगीत ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। यदि वह बहुत तेज या बहुत अधिक (कठोर) कर्कश हो या यदि यह हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हो कि हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। कई प्रकार के संगीत के सम्पर्क में लाभकारी प्रभाव होते हैं।

मुख्य शब्द- मानसिक स्वास्थ्य, संगीत चिकित्सा, थेरेपी, चिंता, संगीत हीलिंग हारमनी

17वीं शताब्दी के अंग्रेजी नाटककार 'विलियम कांग्रेव' अपने से बहुत आगे थे, जब उन्होंने लिखा था.संगीत में जंगली सीने को शांत करने चट्टानों को नरम करने या उलझी गांठ को मोड़ने का आकर्षण है। या शायद वह दुनिया के पहले संगीत चिकित्सक थे।

प्रस्तावना- प्राचीनकाल से ही संगीत भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है और सदैव रहेगा। वेदों के अनुमोदन में भी संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। 'सामवेद' संगीत से परिपूर्ण है। गायन के संयोजन वाली संगीत चिकित्सा का एक लम्बा इतिहास है जो ग्रीस के विभिन्न स्कूलों में प्राचीन स्वरों से जुड़ा है। पाइथागोरस, प्लेटो और इमारती लकड़ी विशेष और अरस्तू सभी रचना की पूर्ण और रोगनिरोधी और चिकित्सीय शक्तियों से अवगत थे। संगीत भारत अपनी समद्ध सांस्कृतिक विरासत और परम्पराओं के लिए जाना जाता है

• एसोसिएट प्रोफेसर, आई.एन.पी.जी. कॉलेज, मेरठ

और और योग जैसी हमारी भारतीय पारंपरिक उपचार प्रणालियों में कई प्रतिक्रियाएं होती हैं जो अंततः कारण बनती है और आयुर्वेद का विश्वस्तर पर स्वागत किया गया है और उनके चिकित्सीय मूल्यों के लिए वैज्ञानिक समर्थन दिया गया है। संगीत अलग-अलग राग, सामंजस्य, लय और लकड़ी विशेष रूप से स्वर या वाद्य ध्वनियों या स्वरों के संयोजन की कला और विज्ञान है। ताकि संरचनात्मक पूर्ण और भावनात्मक रूप से अभिव्यंजनक रचना तैयार की जा सके। ध्वनि तरंगे आपके हमारे संवेगों को कम्पन करने के कारण बनती है जो हमारे मध्य और आंतरिक कानों में एवं श्रृंखला प्रतिक्रिया का कारण बनती है। यह अंततः तंत्रिका आवेगों तक पहुंचने का कारण बनती है। इस ग्रह पर देशों और लोगों के समूहों पर संगीत का जबरदस्त प्रभाव है। इसका उपयोग प्रत्येक संस्कृति में किया जाता है और यह अक्सर चिंताजनक और दर्द निवारक गुणों से जुड़ा है।

उपचार के लिए संगीत- संगीत शारीरिक और भावनात्मक उपचार से जुड़ा रहा है। प्राचीन यूनानियों ने भगवान अपोलो को संगीत और उपचार दोनों का, शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था।

संगीत का प्रभाव- खेल और व्यायाम, अनुसंधान के सम्बंध में विशेषज्ञों ने मूल रूप से संगीत के मानसिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक-शारीरिक और प्राकृतिक प्रभावों की जांच की है। मानसिक प्रभाव, भावना, मानसिक स्थिति, अंतदृष्टि को प्रभावित करता है। संगीत के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में शारीरिक प्रतिक्रियाओं के प्रति व्यापक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। संगीत से सम्बंधित अनुसंधान में शारीरिक परिश्रम के प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संगीत के मनो-शारीरिक प्रभाव शारीरिक मापदंडों जैसे-रक्त, दर, नाड़ी, श्वसन की दर के दायरे पर संगीत के प्रभाव से पहचाने जाते हैं। संगीत चिकित्सा आध्यात्मिकता को भी एकीकृत करती है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने या बनाये रखने में मदद करता है।

परंपरागत रूप से, संगीत को भी एकीकृत करती है और स्वास्थ्य में सुधार के लिए तन, शरीर और आत्मा के बीच असंकलन को सम्बोधित करती है। संगीत चिकित्सा हमारे स्वास्थ्य में सुधार करती है।

रक्तचाप को कम करती है- हर सुबह संगीत सुनकर उच्च रक्तचाप वाले लोग अपने रक्तचाप को कम करके खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। अमेरिकन शोध समिति के अनुसार रिपोर्ट में पाया गया है कि केवल 30 मिनट का शास्त्रीय संगीत सुनना, उच्च रक्तचाप को कम करता है। स्ट्रोक के लिए प्रभावी उपचार है। रोगी अपनी व्हीलचेयर के साथ कमरे में प्रवेश करता है, चिकित्सक उसे बोलने के लिए कहता है "मुझे प्यास लगी है" एक स्ट्रोक के कारण उसके बोलने में शामिल मस्तिष्क के हिस्से को नुकसान पहुंचा है, रोगी बोलने की कोशिश करता है। फिर चिकित्सक एक गीत के रूप में "मुझे प्यास लगी है" बोलता है और पूछता है रोगी को दोहराना है। "मुझे प्यास लगी है" वह वापस आता है। यह रोगी संगीत चिकित्सा से गुजर रहा है, जिसे मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी के रूप में जाना जाता है। स्ट्रोक के मरीज जो स्पीच थेरेपी के बाद कोई सुधार नहीं दिखाते हैं, के अक्सर संगीत थेरेपी के बाद सकारात्मक बदलाव का अनुभव करते हैं, हावर्ड एक न्यूरोलॉजिस्ट संगीत चिकित्सा के बारे में और अधिक जानने के लिए नैदानिक परीक्षण

कर रहे हैं, ग्रॉट फ्राइट कहते हैं, "अब तक परीक्षणों के परिणाम वास्तव में सकारात्मक रहे हैं।" इन परीक्षणों में भाग लेने वाले स्ट्रोक के रोगियों में मस्तिष्क का बायां हिस्सा प्रभावित हुआ था, क्षतिग्रस्त हो गया है। बायां हिस्सा बोलने के लिए जिम्मेदार है। संगीत थेरेपी के माध्यम से ये मरीज मस्तिष्क के दाहिने हिस्से में समान क्षेत्रों पर टैप करने में सक्षम थे। थेरेपी से पहले और बाद की तुलना करने पर दाहिने मस्तिष्क में कुछ संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन दिखायी दिए। कई बार जब स्ट्रोक से पीड़ितों ने वाक्य गाना सीख लिया, तो वह आसानी से उन वाक्यों को बोलना सीख गये।

दर्द के लिए संगीत प्रभावी उपचार- संगीत का दर्द प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संगीत संवेदना और परेशानी दोनों को कम करने में मदद कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय शोध एंड वास्तु जर्नल के अनुसार संगीत सुनने से पुराने ऑस्टियो आर्थराइटिस डिस्क समस्याओं और रूमेटोइट गठिया सहित कई दर्दनाक स्थितियों से पुराने दर्द को 21 प्रतिशत तक और अवसाद को 25 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। प्रसव के दौरान एनेस्थेसिस के उपयोग को पूरा करने के लिए अस्पतालों में थेरेपी का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

हृदय रोगियों के लिए संगीत थेरेपी - संगीत हमारी सांस लेने की गति, दिल की धड़कन और रक्तचाप पर असर डालता है। इटली के पाकिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में हृदय प्रणाली के लिए संगीत के लाभों की पुष्टि की है। डॉ. बनर्जी और उनके सहयोगियों ने हृदय रोगियों के लिए अस्पतालों में इसके उपयोग को और अधिक विस्तारित करने के लिए संगीत पर अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे। छह अलग-अलग शैलियों के संगीत से बनी प्लेलिस्ट को सुनने के लिए कहा गया था। तेज धड़कन वाले संगीत का उत्तेजक प्रभाव पड़ा, जबकि धीमे संगीत का अधिक आरामदायक प्रभाव पड़ा। विराम के दौरान दिल धड़कता है। संगीत सुनने से पहले के स्तर की तुलना में रक्तचाप और सांस लेने की दर सामान्य स्तर पर लौट आई।

मनोभ्रंश से पीड़ित रोगियों के लिए- संगीत एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जो लोगों में खोई हुई याददाश्त को बहाल करने के लिए जाना जाता है। संगीत मस्तिष्क के सुप्त क्षेत्रों को उत्तेजित करता है। जब तक अपक्षयी कारणों से प्रवेश नहीं किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर म्यूजिक एंड न्यूरोलॉजिक फंक्शन के कार्यकारी निदेशक कॉन्सेटाट्रोमेनो कहते हैं, "बीमारी मस्तिष्क पर संगीत के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 30 से अधिक वर्षों से शोधकर रही है।" उन्होंने अध्ययन में पाया कि मनोभ्रंश रोगियों को 1 घंटे संगीत के अधीन किया गया था। 10 महीनों के लिए सप्ताह में उबार थेरेपी दी गयी। 50 प्रतिशत सुधार पाया गया।

आत्मकेन्द्रित होने के लिए प्रभावी उपचार- यह बच्चों की समस्या होती है। दूसरों के साथ संवाद करना जो उन्हें उनकी निजी दुनिया तक सीमित रखता है। संगीत उन्हें भावनात्मक रूप से छूता है, जिससे वे बच्चे दूसरों के व्यक्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। गीत गाने और लयबद्ध अभ्यास जैसी संगीत चिकित्सा गतिविधियां उनके ध्यान और स्मृति सुधार करती है। संगीत से स्वभाव अच्छा होता है और अवसाद से छुटकारा मिलता है।

संगीत एक बेहतरीन तनाव निवारक है- हैसर और थॉम्पसन द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार, ''संगीत अवसाद से पीड़ित बुजुर्ग, प्रौढ़ लोगों के स्वभाव को सौम्य बनाती है''। जब अवसाद की बात आती है तो दुख भरे गीतों के बजाय प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक संगीत सुनना बेहतर होता है जो आपको बुरा महसूस कराता है।

संगीत का हमारे मन, आत्मा और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी आप खुद को उदास स्वभाव में पाते हैं, आपका स्वभाव उदासीन रहता है। आपको गुस्सा आए तनाव आए तो अपनी पसंद के गानों को सुनें, संगीत की लहरों में बह जाएं और आप एक पल में आराम और खुशी महसूस करेंगे।

हृदय आघात के बाद स्वास्थ्य लाभ- किसी के पसंदीदा पॉप की दैनिक खुराक धुने, शास्त्रीय संगीत या जैज तेज हो सकते हैं। दुर्बल करने वाले स्ट्रोक से उभरना, नवीनतम शोध के अनुसार हृदय आघात में स्ट्रोक के 12–18 मरीजों ने संगीत सुना प्रत्येक दिन कुछ घंटों के लिए मौखिक स्मृति और ध्यान अवधि में उन रोगियों की तुलना में काफी सुधार हुआ, जिन्हें कोई संगीत उत्तेजना नहीं मिली, या जो केवल जोर से पढ़ी गई कहानियां सुनते थे।

माइग्रेन और क्रॉनिक सिरदर्द में संगीत प्रभावदायी- संगीत माइग्रेन और क्रॉनिक सिरदर्द के रोगियों के सिरदर्द, तीव्रता, अवधि और अवधि को कम करने में मदद करता है।

मिर्गी में उपयोगी- शोध से पता चलता है कि मोजार्ट के पियानो सोनाटा के–448 को सुनने से मिर्गी से पीड़ित लोगों में दौरों की संख्या कम हो सकती है और संगीत प्रभावी होता है।

किशोरों में संगीत सुनने से कई लाभ की पहचान- किशोरों में संगीत सुनने से भावनात्मक, सामाजिक और दैनिक जीवन के लाभ के साथ–साथ स्वयं की पहचान निर्माण भी शामिल है। संगीत तनाव को कम करके और चिंता के स्तर को कम करके किसी के स्वभाव में सुधार कर सकता है। जो अवसाद का प्रतिकार करने या उसे रोकने में मदद कर सकता है, दो बच्चे जैसे–जैसे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। उनके बैठने और टीवी देखने परिवार से जुड़ी गतिविधियों की सम्भावना कम हो जाती है और वे अपना अधिक समय व्यतीत करते हैं। खाली समय में संगीत सुनना और दोस्तों के साथ जुड़ी गतिविधियों में दिलचस्पी से आनंद लेते हैं। संगीत एक सार्वभौमिक व्यवहार है यह एक ऐसी चीज है, जिसे हर कोई पहचान सकता है। किशोरों के बीच संगीत एक एकीकृत शक्ति है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता है।

निष्कर्ष- संगीत जीवन धारिता और स्वास्थ्य को सौहार्द्रपूर्ण तरीके से रहने के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। आधुनिक संगीत चिकित्सा एक गैर चिकित्सा संशोधक और विकारों के प्रभावों के रक्षक के रूप में उपचार प्रणाली प्रदान करती है। यह प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों और संगीत परम्पराओं का एकीकरण है जो आधुनिक अभ्यास और वर्तमान नैदानिक अध्ययनों द्वारा प्रापत ज्ञान के आधार पर हाल ही में किए गए संशोधनों के साथ जुड़ा हुआ है। वर्तमान में संगीत चिकित्सा में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र और आगे के शोध में काफी संभावनाएं खुली हैं। स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है। यह हमारी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रभावित करता है और हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपचार और

इसके बारे में जागरूकता होने के बावजूद बहुत से लोग मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से अवगत नहीं है। अवसाद, चिंता, पीटीएसडी आदि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज का एक ट्रेडिंग के रूप में बन गया है। यह हमारे अवचेतन के साथ सम्बंध बनाने में मदद करता है और अंदर गहराई में दबी हुई भावनाओं को सामने लाता है।

यह संचार सामाजिक संपर्क, आत्मधारणा और आत्म सम्मान को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। संगीत में पुरस्कार केन्द्रों को उत्तेजित करने और मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाओं को लाने की शक्ति होती है और यही कारण है कि इसका उपयोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे अवसाद चिंता आदि के लक्षणों में सुधार के लिए चिकित्सा के रूप में किया जाता है। चिकित्सा का यह रूप अन्य लाभ प्रदान करता है। लाभ भी जैसे शांत प्रभाव, निम्न रक्तचाप और डोपामाईन हार्मोन जारी करके खुशी और आनंद भी प्रतिक्रिया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Copeland, B.L. and B.D. Franks. (1991). Effects of types and intensities of background music on treadmill endurance. J Sports Med Phys Fitness. 31.
2. Edworthy, J. and H. Waring. (2006). The effects of music tempo and loudness. level on tread mill exercise. Ergonomics. 49.
3. Fox, J.G. and E.D. Embrey. (1972). Music an aid to productivity. Appl Ergon.
4. Ho, Y.C., M.C. Cheung and A.S. Chan. (2003). Music training improves verbal but not visual memory: cross-sectional and longitudinal explorations in children. Neuropsychology. 17.
5. Hughes, J., Y. Daaboul, J. Fino, and G. Shaw. (1998). The Mozart effect on epileptic form activity. Clin Electro encephalogr. 29.
6. Jing, L. and W. Xudong. (2008). Evaluation on the effects of relaxing music on the recovery from aerobic exercise-induced fatigue. J Sports Med Phys Fitness. 48.
7. Labbe' E, N. Schmidt, J. Babin and M. Pharr. (2007) Coping with stress: the effectiveness of different types of music. Appl Psychophysiology Biofeedback. 32.

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

बघेली लोक संगीत का वर्णन

• दीपिका तिवारी

सारांश- बघेली लोक संगीत अपने रीवा शहर का सबसे प्रचलित एवं बघेलखंड से जुड़ा संगीत है। बघेली भाषा अवधी भाषा से उत्तपन्न हुई है इसी से इस क्षेत्र में राम के गुणगानों से युक्त गीतों की प्रधानता अधिक होती है। बघेली लोक गीतों में समाज के यथार्थ और सौन्दर्य का चित्रण है। समाज के वर्णन की अभिव्यक्ति संगीत के माध्यम से सहज ही होती है। ग्राम्य जनजीवन में बघेली लोक संगीत से पारिवारिक संबंध तथा माता-पिता, भाई-बहन, पति -पत्नी आदि संबंधों का आदर्श स्वरूप देखने को मिलता है।

मुख्य शब्द- बघेली, बघेलखंड, ग्राम्य, संस्कार, संस्कृति, गीत, भाषा, संगीत

भारत के मध्य में स्थित रीवा नगर उन 250 नगरों में से एक है जहां की आबादी 2 लाख के ऊपर है यह नगर भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यहाँ की अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सामाजिक–सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराएं हैं यहाँ की सामान्य भाषा बघेली है इस लिए उसे बघेलखंड भी कहा जाता है।

आज के समय में बघेली लोक संगीत प्राचीन संस्कृत को स्वयं मूलरूप से समाहित किए हुए है बघेली लोक संगीत को लोकसंगीत की धारा तथा उसके सांगीतिक तत्वों की दिशा में प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किया गया है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत संस्कृति उनकी ललित कलाओं आदि को दिग्दर्शित किया जाता है। बघेली लोक संगीत में रीवा नगर के सभी संगीत धाराओं एवं आयामों का प्रचलन श्रेष्ठ रूप से विद्यमान है। बघेली संगीत के विभिन्न आयामों में लोक संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक नृत्य एवं वाद्य प्रचलित हैं।

राम की भक्ति इस क्षेत्र में विशिस्ट स्थान रखती है, इस संभाग में चित्रकूट, माता शारदा का स्थल मैहर, अमरकंटक आदि तीर्थस्थल प्रमुख हैं इन्ही तीर्थ स्थलों के प्रभाव से लोकसंगीत की भक्तिमय धारा जनमानस तक प्रचलित है। आल्हा गीत, देवी गीत, मानस, सुंदरकाण्ड पाठ इत्यादि इस क्षेत्र में अधिक प्रचलित हैं।

शोध प्रविधि - इस शोध की प्रविधि वर्णात्मक है। संकलित पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन तथा परिभ्रमण और ख्याति प्राप्त विद्वानों, लोक कलाकारों से चर्चा कर विषय का सरलीकरण किया गया है।

प्रस्तावना - लोकसंगीत, संगीत की प्रचलित परंपरा का एक अंग है। जीवन का कोई भी

• शोधार्थी, संगीत अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा

अवसर ऐसा नहीं होता जब कोई लोकगीत न गाया जाए वो चाहे जन्म का अवसर हो, व्याह का अवसर हो हर प्रकार के अवसर में गीत गाना आवश्यक हो जाता है। गीतों में लोकस्वर बसता है और यही मूलस्वर है जो लोकसंगीत को जन्म देता है। लोक धुने, लोकगीतों का स्वरूप निर्धारण करती हैं। लोक धुनें किसी भी अंचल की सांगीतिक पहचान बनती है। लोक संगीत की प्रकृति और प्रवित्ती सरल व सहज है जैसे–जैसे प्रकृति का परिवर्तन आता है वैसे–वैसे लोकगीत बदलता रहता है जैसे– मधुमास आते ही कोयल का गाने लगना, अलग–अलग पर्व व त्योहारों के लोकगीत समय–समय पे गाना मनमोहक होता है।

आदिवासी नृत्यों के अध्येयता पद्म श्री शेष गुलाब नें ठीक ही लिखा है कि आदिवासियों नें प्रकृति से गाना और नाचना सीखा है। आकाश में उड़ती हुई पक्षियों की कतारों नें समूह में रहना सिखाया है, सनसनाती हुई हवा नें बाँसुरी बजाना सिखाया है, वन्यजीवों की अलग–अलग आवाज ने स्वरों का ज्ञान कराया ऐसे बहुत से ज्ञान प्रकृति ने ही हमे दे दिए हैं।

लोकसंगीत से ही शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। इस धारणा की ओर कई कलाकारों व गायकों का चित्त गया है जैसे–प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व नें कहा था आज सभी शास्त्रीय संगीतज्ञ सात सुरों के दायरे में अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाते हैं शास्त्रीय गायक अपने व्याकरण से बाहर नहीं आ सकते लेकिन लोक गायक अपने गायन से संगीत का नया व्याकरण हर समय गढ़ता है। जीवन और संगीत के नैसर्गिक संबंध का जितना वास्तविक परिचय हमे लोक संगीत द्वारा मिलता है उतना शास्त्रीय संगीत द्वारा नहीं मिलता। किसी ललित कला के प्रत्येक रूप में सौन्दर्य और आकर्षण रहता है किंतु शास्त्रीय रूप का निर्माण और विकास मुख्यतः हृदय और बुद्धि के समन्वयात्मक प्रयत्नों से होता है इसी लिए उसका सरल व निश्चित सौन्दर्य प्रायः कुछ दब जाता है वही लोक संगीत में भावों को समझने की जो सरलता व सौन्दर्य उभर के सामने आता है वह बहुत ही सुन्दर व अद्वितीय है।

बघेली लोक गीत के भी शास्त्रीय संगीत की भांति दो अंग होते हैं जिसे कविता और धुन कहते हैं कुछ रचाईता पहले धुन बनाकर उस पर शब्द बैठाते हैं तथा कुछ रचाईता पहले कविता बानकर फिर धुन बनाते हैं। वहीं कुछ रचाईता ऐसे होते हैं जिनके हृदय से शब्द और स्वर एक साथ निकल पड़ते हैं।

बघेली लोक संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्य- बघेली लोक संगीत में कई तरह के वाद्य प्रचलित होते हैं जिनमे से तत, अवनद्ध, सुषिर, घन तथा इन सब वाद्यों के मिश्रित वाद्य भी हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है–

1. फूक से बजाए जाने वाद्यों को सुषिर वाद्य कहते हैं बघेली लोक गीत में फूक से बजाने वाले वाद्य–बाँसुरी, अलगोजा, मोहरी, शंख, मसक आदि हैं।
2. चमड़े से मढ़े हुए वाद्यों को अवनद्ध वाद्य कहते हैं बघेली लोकगीत के चर्म वाद्यों में– ढोल, ढोलक, मृदंग, टिमकी, तबला, मादल आदि हैं।
3. तार से बजने वाले वाद्यों को तत वाद्य कहते हैं बघेली लोकगीत में प्रयोग कि, जाने वाले तार वाद्य–एकतारा, सहतार, वीणा आदि हैं।

4. धातुओं को आपस में टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य को घन वाद्य कहते हैं। बघेली लोकगीत में प्रयोग किए जाने वाले घन वाद्य–झांझए मंजीरा, चिमटा, घंटा आदि हैं।
5. मिश्रित वाद्यों में – सारंगी (सारंगी मे चर्म व तार का उपयोग होता है)

बघेली लोक संगीत के प्रकार- हिन्दी लोक साहित्य के प्रथम रचेता रामनरेश त्रिपाठी ने लोक गीतों का निम्न रूप से वर्गोकरण किया है–

- संस्कार संबंधी गीत
- चक्की और चरखे के गीत
- धर्म गीत
- ऋतु संबंधी गीत

बघेली लोक साहित्य के विद्वान डॉ. श्याम परमार ने लोकगीतों के वर्गोकरण पर विचार किया है उन्होंने सामान्य रूप से लोकगीतों को पाँच श्रेणियों मे विभक्त किया है–

1. जातियों की दृष्टि से
2. संस्कारों और प्रथाओं की दृष्टि से
3. धार्मिक विश्वासों की दृष्टि से
4. कार्य संबंधी दृष्टि से
5. रस संबंधी दृष्टि से

बघेली भाषा और साहित्य के लेखक डॉ. भगवती ने बघेली लोकगीतों का वर्गोकरण प्रदर्शित किया है। जो की निम्न प्रकार के हैं–

जन्म संस्कार गीत- जन्म संस्कार गीत में सोहरए दादरा, बधाई गीत गाते हैं।

मुंडन संस्कार व कर्णभेदन गीत- मुंडन, कनछेदन के गीत गाते हैं।

विवाह एवं जनेऊ संस्कार के गीत- विवाह एवं जनेऊ संस्कार के गीत के गीतों में तिलक के गीत, बन्ना, बन्नी, अंजुरी, विआह, सोहाग, चढ़ाव, विदाई, मटिमगरा, कुआं पूजन, बेलनहाई, गैलहाई, बरुआ इत्यादि लोक गीत गाए जाते हैं।

देवी पूजन के गीत- देवी पूजन के गीत में भगत, कुलदेवी गीत, भोलेबाबा के गीत गाए जाते हैं।

गीत पर्व, त्योहारों व व्रतों के गीत- गीत पर्व, त्योहारों व व्रतों के गीत में कजरी, झूला, चौती, होरी, कार्तिक के गीत आदि गीत गाए जाते हैं।

आदिवासियों के गीत- आदिवासियों के गीत में कर्मा गीत, श्रम गीतएदादरा, टप्पा, सुआ, विरह, हिगला इत्यादि गीत गए जाते हैं।

लोकगीतों से अभिव्यक्ति की गहन भावना जुड़ी है। बघेली लोकगीतों में भवना और प्रविति के आधार पर ही गीतों का निर्माण किया गया है जैसे– वीर भावना के गीत–वीर भावना के गीतों के दो भाव हो सकते हैं–

कथात्मक- इसमे बघेलों की वीरता, ईश्वर के बखानों का उल्लेख किया जाता है।

मुक्तक- इसमे युद्ध का वर्णनए उत्साह प्रदर्शन, वीर गाथा किया जाता है।

श्रंगार भावना के गीत-

संयोग पक्ष- संयोगपक्षके गीतों में संस्कार गीत, विवाह गीत, क्रिया गीत गाया जाता है।

वियोग पक्ष- वियोग पक्ष के गीत में करुण भाव के गीत, सीता वियोग, विरह गीत, प्रेमी से बिछड़ने के गीत आदि गाए जाते हैं।

वर्षा ऋतु के गीत- कजरी, हिंदुली, झूला, होरी, कबीर के पद, तुलसी के पद इत्यादि गाए जाते हैं।

भक्ति गीत- भजन, तीर्थ यात्रा गीत, शिव गीत, देवी गीत इत्यादि गाते हैं।

दैनिक क्रिया व सामाजिक गीत- वर्षा गीत, दादरा, चक्की, रोप, धान कटाई, बुवाई, चरवाहा गीत इत्यादि गाए जाते हैं।

जाती गीत - कोलहाई, चमरहाई, अहिर, कोरी, आदिवासी गीत गाए जाते हैं।

बघेलखंड की जनजातियाँ होली, दिवाली, तथा राम नवमी आदि त्योहार बड़े उत्सुकता पूर्वक मानती हैं। गौड़ जनजातियों में मुख्य रूप से नया खाई त्योहार, चौती त्योहार, फागू, सरहुल, कानहारो त्योहार मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। गोड़ों में फसल काटने पर चौती त्योहार मानते हैं नया अन्न खाकर लोग रात भर नाचते गाते हैं। अप्रैल में कर्मा नृत्य किया जाता है इसमें युवक और युवतियाँ दोनों ही समूह में नृत्य करते हैं। उरांव जाती में हिंदुओं जैसा ही त्योहार मानते हैं परंतु इनके मुख्य तीन त्योहार हैं करमा, कान्हारी, सरहुल, सरहुल त्योहार अप्रैल में मानते हैं जब साल के वृक्षों पर नए फूल लगते हैं। करमा त्योहार में जंगल से करमा बृक्ष लाकर ग्राम के अखाड़े में जश्न मानते हैं।

बघेलखंड की जनजातियाँ उत्सव के समय बहुत ही सुरीला तथा मधुर- मधुर स्वरों में गीत का गायन करते हैं। शादी गीत, लगन गीत, विरह गीत से समा बंध जाता है। बघेली में उतत्सव के समय में दादरा, कहरवा गीत गया जाता है तथा महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है।

बघेली लोकगीत के प्रकार- बघेली लोकगीत के कई प्रकार है जो अलग -अलग समय पर गाए जाते हैं जिनमे से - विरहा गीत, भगत गीत, करमा गीत, होरी गीत, चौती गीत, सोहर गीत, व्याह गीत, बन्ना-बन्नी गीत, अंजुरी, विदाई गीत, गैलहाई गीत, कुआं पूजन गीत, बेलनहाई गीत, बरुआ गीत, बधाई गीत, दादर गीत, भड़क गीत, टप्पा गीत, महुआ गीत, नाचा गीत, बांस इत्यादि गाए जाते हैं।

बघेली लोक नृत्य के प्रकार - करमा नृत्य, शैला नृत्य, द्वितरिया, तितरिया, छिटके शैला, दशरहली शैला, भगत नृत्य, दादर नृत्य आदि बघेली नृत्य के प्रकार हैं।

बर्तमान मे प्रचलित कुछ बघेली लोकगीतों का वर्णन - भिन्न-भिन्न अवसर के बहुत से गीत हैं उनमे से कुछ गीत निम्न प्रकार है-

चैती - चौती को चौत मास में गाने से इसका नाम चौती पड़ा प्राय: यह गीत अप्रैल, मई में गाया जाता है इस गीत के भाव में प्रेमियों का संवाद तथा प्रेमी के दूर रहने पर विरह का भाव इस गीत के माध्यम से प्रेमिका प्रकट करती है। जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं-

सेजिया से सैयां रूठ गैले हो रामा
कोयल तोरी बोलिया .....
रोज रोज बोलेली तू साँझ सवेरवा,
आजु काहे बोले आधी रतिया हो रामा
कोयल तोरी बोलिया.....

झूला- यह गीत सावन माह मे गया जाता है। इस गीत में भगवान राम-सीता के झूला झूलने का वर्णन किया जाता है तथा राधा-कृष्ण के झूला झूलने का वर्णन किया गया है। सखियों द्वारा पेड़ों में झूला डाल कर आनंद लेते हुए झूला गीत गाने का वर्णन है जिसके बोल हैं -

दसरथ राज दुलारे पिया संग झूले ए सिया संग झूले हो.....
एक ओर जनक लली, सखी संग झूले हो
एक ओर राघो बिहारी, लली मुख जोहै हो.... दसरथ राज.....

सोहर - यह गीत जन्म के अवसर पर गया जाता है विशेष तौर पे जब बालक का जन्म होता है तब सोहर गीत गाकर आनंद और उत्सव मनाया जाता है। इस गीत के बोल हैं -

धन - धन नगर अयोध्या,
धन राजा दशरथ, धन राजा दशरथ हो
अब धनी रे कौशल्या तोहरी कोख,
रामइया जहां जन्मे हो.....धन-धन नगर अयोध्या.....

बरुआ - बरुआ गीत उपनय संस्कार में गाया जाने वाला गीत है इसमे बरुआ रिसाने का एक संस्कार है जिसमे बालक नाराज होता है तब उसे मामा द्वारा उपहार देकर मनाया जाता है जिसके बोल हैं -

मोरा राम रिसाने जाय, मनाए नहीं मानय
एक मामा दुरे भए, मनाए नहीं मानय
खाए का देवे लाला खीर पूड़ीए पियय का देवे लाला दूध मनाए नहीं....

विदाई- यह गीत शादी के समय गया जाने वाला गीत है जब बेटी की विदाई होती है तब इस गीत को गाया जाता है गीत के बोल हैं-

सखियाँ का साथ छूटए सागरा नैहर होकी
मम्मी जी की गोदी छूती, पापा जी के देश हो

सुहाग- यह विवाह गीत है जब दूल्हा-दुल्हन एक बंधन में बधते हैं तब इस गीत को गाया जाता है इस गीत के बोल हैं-

अरे लाली लाली डोरिया, जड़े हैं हीरा मोतिया
अरे लपकत लागे रे ओ हार, रानी के सोहागवा

ऐसे बहुत से बघेली लोकगीत हैं जो अपने आप में बहुत सुन्दर और बहुत लोकप्रिय हैं। इन गीत के धुन तथा कविताओं को सुनकर मन आनंदित हो उठता है। बघेली भाषा तथा यहाँ के लोकगीत की अपनी एक विशेष सुंदरता है। इन गीतों को अलग-अलग उत्सवों तथा अलग-अलग मासों में गाने से आनंद प्राप्त होता है।

निष्कर्ष- बघेली भाषा तथा यहाँ के लोकगीत की अपनी एक विशेष सुंदरता है। इन गीतों को अलग . अलग उत्सवों तथा अलग मासों में गाने का महत्त्व होता है सुनने वाला मानो सुनता ही रहता है ऐसी स्थिति इन गीतों को सुनने के बाद हो जाती है। बघेली लोक संगीत बहुत ही समृद्ध तथा बहुत विस्तारित है। विंध्य क्षेत्र तथा आस-पास के सभी राज्यों में लगभग बघेली लोक संगीत को जानने व समझने वाले लोग हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. डॉ. अमित शुक्ला, बघेलखंड परिक्षेत्र के सामयिक परिवर्तनों का लोक संगीत पर प्रभाव
2. लोक संस्कृत, बसन्तु निर्गुणे
3. कला लेखनी, कुमार गंधर्व सम्मेलन पत्रिका
4. डॉ. जयदेव सिंह, भातखंडे स्मृति
5. स्वयं के भ्रमण के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी
6. डॉ. विनोद तिवारी, बघेली एवं बुन्देलखंड लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

गीतादर्शनम्

• प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी

सारांश- जगतीतलेऽस्मिन धर्मस्य महत्त्वं प्रतिष्ठितं वर्तते। अतएव तेषुतेषु धर्मेषु अनेके धर्मग्रन्थाः सन्ति। तेषु भगवता श्री कृष्णेन गीता 'गीता' कस्य श्रेयसे न कल्पते। श्रीमद्भगवद्गीता विशालकलेवरस्य सुप्रथितस्य महाभारताख्यस्ये पंचमवेदामृतस्य सारतमोऽशो वर्तते। गीतायां 'सप्तदशतम्' (700) "लोकाः सन्ति। अत्र मन्ये भारतीयानां सर्वेऽपि सारभूताः सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः सन्ति। एते सिद्धान्ताः न केवलं भारतीय- यानामेव कल्याणाय अपितु समग्रस्य जगतः शिवाय। अत्र तज्ज्ञानं वर्तते यत्सदृश मन्यत् किमपि पवित्रं नास्ति।

मुख्य शब्द- गीतादर्शनम्

दुग्धं गीतामृतं महत्–गीतायां सर्वासामपि उपनिषदां सारभूतानि तत्त्वानि संगृहीतानि सन्ति। उपनिषत्सु ये सिद्धान्ताः प्रकीर्णाः सन्ति ते गीतायां ललित–शैल्या समासेन प्रतिपादिताः सन्ति। उपनिषदां शैली न तथा रुचिरा, सरला, सरसा च यथा गीतायाः। गीतायाः प्रसादगुणोपेता, ललिता, मनोरमा ह्यद्यानवद्या शैली प्रतिपाद्यविषयं श्रोत्रसुखदं विधत्ते। उपनिषत्सु सिद्धान्ताः आत्मतत्वप्रतिपादकविषयाः यत्र तत्र विकीर्णाः परन्तु गीतायां तु एकत्रैव समुपस्थिताः सन्ति। अतएव तथ्य मेवोक्तमस्ति –

"सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं।।"[1]

गीतायां ज्ञानम्–गीता ज्ञानस्य पवित्रा गंगेव प्रतिभाति। अस्य उपदेश–सुधारसं पायं पायं जनः परां निर्वृतिं प्राप्नोति। अत्र सत्यज्ञानस्य प्रशंसा कृतास्ति। यतोहि ज्ञानेन एव तत्त्वसाक्षात्कारो भवति, तेन च मोक्षलाभः। परमात्मनः परमां सत्तां विज्ञाय जनः पुनर्जन्म न लभते अतएव ज्ञान सदृशं किमपि वस्तु जगतीतले न लभते अतएव ज्ञानसदृशं किमपि वस्तु जगतीतले न पवित्रमस्ति। कथयति गीता –

"नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते।"[2]

गीताया अयमुद्घोषो यज्जनः सज्ज्ञानं प्राप्य अचिरेणैव परां शान्तिमधिगच्छति। तज्ज्ञानं च श्रद्धावान् एव लभते न तु असूयकः –

श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञान लब्धते परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।।[3]

गीतादर्शनम– गीतायां बहवो दार्शनिकाः सिद्धान्ताः रुचिरया भाषाया प्रतिपादिताः

• एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, डी.बी.एस. कालेज, कानपुर

सन्ति। दर्शनानां सारभवलम्ब्य सुस्थितं गीतादर्शनं जगति परमं महत्त्वं भजत। आत्मनो मीमांसा गीतायां रुचिरारूपेण कृतास्ति। गीता कथयति यदयमात्मा अजो नित्यः शाश्वतः पुराणो वर्तते। अयं कदाचिन्न जायते न वा म्रियते –

"न जायते, म्रियते वा कदाचि–
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे।।"[4]

अयमात्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि गृहणाति –

"वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा –
न्यन्यानि संयाति नवानि देही।।"[5]

अयमात्मा अच्छेद्यः, अदाह्यः, अक्लेद्यः, अशोष्यः, सर्वगतः, स्थाणुः, अचलः, सनातनश्चास्ति। अतएव कथयति गीता –

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।।[6]

आत्मतत्त्वमतिगम्भीरं वर्तते। अस्य ज्ञानं सहसा भवितु नार्हति कोऽयमात्मा? कुत्र वर्तते? किंचानुतिष्ठति? कश्चास्य व्यवहारः? अत्र सुधियोऽपि मूढाः भवन्तिं। गीता कथयति यदमुं कश्चिद् आश्चर्यवत् पश्यति, अन्यस्तथैव आश्चर्यवद् वदति अन्यस्तावदेनमाश्चर्यवत् श्रृणोति, कश्चिदपि एन श्रुत्वापि न वेद –

"अशचर्यवत्पश्यति कश्चिदेन –
मश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः।
टाश्चर्य वच्चैनमन्यः श्रृणोति,
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।।"[7]

एवमित्यादिना गीता आत्मानं खलु प्रतिपादयति। अयं जीवस्तावदेको न तस्य बहुत्वम्– 'यथा प्रकाश – यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः।'

"प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि।"[8]

तथा–

"मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्।"[9]

सांख्याभिमतं सत्कार्यवादमेवं "लोकद्वयन प्रतिपादयति –

"नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।"[10]

"अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत।
अव्यक्तनिधनानयेव तत्र का परिदेवना।।"[11]

गीतायां सांख्ययोगयोरैक्यं प्रतिपादितमस्ति–

"यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति।।"[12]

गीतायां कर्ममीमांसा– गीतायां कर्मणः सम्यग् उपदेशः कृतो वर्तते। कर्त्तव्यमेव

वर्तते। कर्त्तव्यपालनं मानवानां धर्मः। कर्त्तव्यपरिपालनं नैव जीवनस्य साफल्यं सिद्धिश्च। यथोक्तं च –

"स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।"[13]

कर्मणि प्रवृत्तिरनासक्तभवेनैव भविताव्या। कर्म तु तावत् कर्तव्यमेव वर्तते। ये हि कर्म नानुतिष्ठन्ति तेऽत्राधमाः रताः परन्तु कर्मणि तव अधिकार एव वर्तते तस्य फलं तु दैवायत्तम्। अतः तत्रासक्ति वृथैव। कथयति गीता –

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गेऽस्त्वकर्मणि।"[14]

आसक्तिभावनया क्रियमाणं कर्म बन्धाय कल्पते, अनासक्ति भावनया क्रियमाणं तद् न बन्धनकारणं भवति। एवं कृते सिद्धयसिद्धयोः समता जायते। कार्यसज्जाते सुखं न, असिद्धौ खलु दुःखं न। अयं समत्वभाव एव योगः इति कथ्यते –

"योगस्थः कुरु कर्माणि संग व्यक्त्वा धनंजय।
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।"[15]

कर्मयोगी– गीतायां कर्मयोगिनो मीमांसा कृतास्ति। समत्वबुद्धि समन्वितो योगी जगति सुकृदुष्कृते जहाति। यथोक्तम् –

"बुद्धियक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।।"[16]

समत्वबुद्धियुक्तो योगी कर्मजं फलं व्यक्त्वा जन्मबन्धविनिर्मुक्तः सन् परमं पदं प्राप्नोति। यश्च पुनः समत्वबुद्धियोगं विहाय अन्यथा वर्तते, जगति विषयेश्वासक्तिं भजते, स खलु शनैः शनैः प्रणश्यति। तस्य विनाशप्रक्रियां गीता एवं प्रतिपादयति –

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेपूजायते।
सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते।।
क्रोधाद् भवति संमोहः संमोहात् स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।।[17]

जीवने कर्मयोगमाश्रित्य वर्तित्व्यम्। यतोहि कर्मणां परित्यागः तत्र न ज्यायान्। तत्रोक्तम्–'न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।' श्रीकृणोऽर्जुनं प्रति कथयति यत् त्वं शास्त्रमार्गेण नियतं कर्म कुरु। यतो हि अकर्मणः कर्म ज्यायः। अकर्मणः ते शरीरयात्रापि न प्रसिद्धयेत्। अतो मनसा इन्द्रियाणि नियम्य अनासक्तः सन् कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगो योक्तव्यः, अयं कर्मयोगस्तावत् श्रेष्ठः। अतएव कथयति गीता –

"तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः।।[18]

तत्रभवान् भगवान् श्रीकृणः स्पष्टं भवति यत् कर्मसंन्यासात् कर्मयोगः श्रेयान् –

"संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते।।"[19]

तस्मात् कर्मयोगयुक्तो भवितव्यः। यतो हि ज्ञानिनो जनकादयः कर्मणैव परमसिद्धिमधिजम्मुः। लोके यद् यत् श्रेष्ठः पुरुषः आचरति तत् तदेव इतरे जनाः आचरन्ति। श्रेष्ठपुरुषं प्रमाणत्वेन स्वीकृत्य जनास्तमनुवर्तन्ते –

"कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि।।
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।।"[20]

कृष्णो भवति चेदहं कर्म न कुर्यां तहि एते लोका उत्सीदेयुः, जगतः संहर्ता च स्याम्, एवं गीता उपदिशति यज्जनैः कर्मयोग आश्रयणीयः।

संन्यासी- यो न द्वेष्टिन च वांच्छति, राग-द्वेषपरः स एव संन्यासी।

एवं योगयुक्तः संन्यासी परमानन्दं परमं पदं च लभते -

"ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति।
निर्द्वन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते।।"[21]

भक्तियोगः- भक्तिमार्गः सर्वेषु मार्गेषु श्रेष्ठः। अयं भक्तियोगो योगनां राजा वर्तते। भक्तिुस्त गीताया हृदयमस्ति। भवत्या सहसैव भगवत्प्राप्तिः। भक्तानां व्यवस्थां रक्षां च स्वयमेव भगवान् करोति गदति गोविन्दश्चात्र -

"अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम्।।"[22]

भगवान् कथयति यद् मद्भक्तानां पुनर्जन्म न जायत, ते खलु मामेव लभन्ते। मद्भक्तो भक्त्या यदपि पत्रं पुष्पं फलं तोयं में प्रयच्छति, भक्युपहृतं तदहमश्नामि। अहं सर्वभूतेषु समोऽस्मि कश्चिदपि न म द्वेष्यो नापि प्रियः परन्तु य मां भक्तया भजन्ति मयि अहमपि च तेषु स्थितोऽस्मि। यदि कश्चिद् दुराचारी अपि अनन्यभावेन मां भजते, सोऽपि साधुरेव मन्तव्य, यतो हि स खलु सम्यग्व्यसितो वर्तते। सः क्षिप्रं धर्मात्मा भवति परमं पदमवाप्य शश्वच्छान्तिं च गच्छति। भक्तस्य उत्कृष्टतां साधयन्नाह गोविन्दः कौन्तेय त्वमेवं प्रतिजानीहि में भक्तः कदापि न विनश्यति -

"क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति।
कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्तः प्रणश्यति।।"[23]

अतएव-

"मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजो मां नमस्कुरु।
मामवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः।।"[24]

गीतायां दैवी सम्पदासुरी सम्पच्च- अभयं सत्त्व संशुद्धि, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं, दमः, यज्ञः, स्वाध्यायः, तपः, आर्जवम्, अहिंसा, सत्यम्, अक्रोध, त्यागः, शान्तिः, अपैशुनम्, भूतेषु दया अलोलुपत्वं मार्दवं, ह्रीः, अचापलम्, तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम्, अद्रोहः, अतिमानताभावश्च - एषा दैवी सम्पत्। दम्भः दर्पः, अभिमानः क्रोधः परुषता अज्ञानच्चारी सम्पत्। अत्र दैवीसम्पद्विमोक्षाय तथासुरीसम्पद् बन्धाय कल्पते -

"दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता।"[25]

एतदाचारशास्त्रं मानवजीवनस्य कर्त्तव्याकर्त्तव्यं निर्दिशति। एवमेव गीतायां देवासुराख्यौ द्वौ भूतसर्गो वर्णितौ स्तः। कामक्रोधलोभानामत्र गर्हण कृतास्ति। एते कामक्रोधलोभाः नरकद्वारम्, एतैः विमुक्तो जन आत्मनः श्रेय आचरति, ततः परां गतिं याति-

"एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः।
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्।।"[26]

गीता शास्त्रविधानस्य प्रशस्व्यं प्रस्तौति। शास्त्रविधानमाश्रित्यैव लोके कर्म कर्त्तव्यम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य स्वेच्छया वर्तते स सिद्धिं, सुखं, परां गतिं च नाप्नोति। यथोक्तम् –

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।।[27]

पुरुषाणां सात्त्विकी, राजसी, तामसी, चेति, त्रिविधा, निष्ठा भवति। तत्र सात्त्विकी एव गरीयसी। तत्र सात्त्विकानां वृत्तयः "लाध्याः भवन्ति। एवमेव आहार–यज्ञादानतपसां त्रैविध्यं वर्णितमस्ति। गीताप्रतिपादितं त्रिविधं सुखमवलोकयतु –

सात्विंक सुखम् –

"यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्।
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्।।[28]

राजसं सुखम् –

"विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्।
परिणामे वि'ामिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्।।"[29]

तामसं सुखम् –

"यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः।
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्।।[30]

गीतायां धर्मपरिपालनम् – गीता धर्मं सम्यगुपदिशति। कदापि स्वधर्मपरित्यागो न कर्त्तव्यः। ये हि धर्ममाश्रित्य नहि व्यवहरन्ति तेऽत्र निन्दिताः। गीता तु एवं कथयति स्वधर्मे निमधनमपि कल्याणकरम् –

"श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।"[31]

अत्र ब्राह्मणक्षत्रियविशामथ च शूद्राणां कर्माणि प्रतिपादितानि सन्ति। गीता कथयति कर्मणाऽपि भगवदर्चना क्रियते। एतेन कर्मविधानेन मानवः सिद्धिं समधिगच्छति। सदोषमपि सहजं कर्म न परित्यजेत् –

"सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः।।[32]

गीतायाः औदार्यम् – स्त्रीवैश्य शूद्राणां समेषां गीतायां प्रवेशो वर्तते। स्वयमेव वसुदेवनन्दनो व्रजनन्दनः कथयति –

"स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्।।"[33]

तथा च –

"शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।।"[34]

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. गीतामहात्म्य - 6
2. गीता - 4/38
3. गीता - 4/39
4. गीता - 2/20
5. गीता - 2/22
6. गीता - 2/23
7. गीता - 2/29
8. गीता - 13/19
9. गीता - 2/10
10. गीता - 2/16
11. गीता - 2/28
12. गीता - 2/18
13. गीता - 18/45
14. गीता - 2/47
15. गीता - 2/48
16. गीता - 2/50
17. गीता - 2/62, 63
18. गीता - 3/19
19. गीता - 5/2
20. गीता - 3/20, 21
21. गीता - 5/3
22. गीता - 9/22
23. गीता - 9/31
24. गीता - 9/34
25. गीता - 16/15
26. गीता - 16/22
27. गीता - 16/23
28. गीता - 18/37
29. गीता - 18/38
30. गीता - 18/39
31. गीता - 3/25
32. गीता - 18/48
33. गीता - 9/32
34. गीता - 5/18

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

शास्त्रीय नृत्य कथक नर्तकों की भूमिका: सिनेमा के संदर्भ में

• सौम्या पांडेय
•• नेहा जोशी

सारांश- अनेकों महान कथकों ने समय-समय पर हिंदी सिनेमा को सजाया-संवारा। यह इन्हीं के परिश्रम एवं लगन के कारण था कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य सिनेमा के माध्यम से आम जनमानस तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब रहा ।आरंभ में जिन नर्तकों का योगदान हिंदी सिनेमा को प्राप्त हुआ उनमें लखनऊ घराने के लच्छू महाराज,जयपुर घराने के सुंदर प्रसाद,पंडित जयलाल,हजारी प्रसाद एवं आशिक हुसैन उर्फ भूरे खां,इसी घराने के दक्षिणात्य शैली के नर्तक सोहनलाल व हीरालाल,अजूरी के शिष्य कृष्ण कुमार(टोनी) एवं रॉबर्ट,बनारस घराने की तारा,सितारा,अलकनंदा और गोपी कृष्ण और इसके बाद में कमल,राज,माधव व सुरेश के नाम केवल काबिले तारीफ हैं।

मुख्य शब्द- कालखंड, जागरूकता, कामयाब, परंपरागत, अपूर्व

परिचय-हमारा देश भारत अपनी संस्कृति एवं कला के लिए विश्व पटल पर अपनी पहचान नृत्य, संगीत,नाटक एवं परंपराओं के रूप में विशेष रूप से रखता है। हमारे देश में नृत्य एवं संगीत को मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन माना जाता है। सभी सजीव प्राणी यहां तक कि समस्त ब्रह्मंड के तारे,नक्षत्र,पृथ्वी आदि सभी ग्रह, जल,वायु,अग्नि और यम भी नृत्य करते हैं। नृत्य का उदय आदि देव भगवान शिव एवं आदि शक्ति मां पार्वती द्वारा हुआ ऐसा माना जाता है।भगवान शिव ने तांडव और मां पार्वती ने लास्य नृत्य को जन्म दिया ऐसा हमारे भारतीय संगीत शास्त्रियों का मानना है। हमारे चारों वेदों में से एक ऋग्वेद में 'नृत्त मानों प्रमंतरू' अर्थात समस्त कला में नृत्य को सर्वाधिक महत्व स्थान प्राप्त है ऐसा कहा गया है।

शास्त्रीय नृत्य कत्थक– 'कथनम् करोति कथकः' या कथा कहे सो कत्थक कहावे इन कहावतों से हम सब भलीभांति परिचित हैं। कथक का शाब्दिक अर्थ कहानी या कथा कहने वाले से समझा जाता है, अर्थात यह वह नृत्य है जिसमें कथा को सुंदर भावाभिनय द्वारा दिखाने की कला महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कुछ ने कहा कि कत्थक शब्द 'गाथा' से आया है जिसका मतलब है कहानी, बाद में यह कथा बन गया और इस तरह से फिर

• शोधार्थी, वनस्थली विद्यापीठ टोंक (राजस्थान)
•• शोध निर्देशक, असिस्टेंट प्रोफेसर, मंच कला संकाय, वनस्थली विद्यापीठ टोंक (राजस्थान)

कत्थक बना।[1] कथक नृत्य संपूर्ण विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें भगवान श्री राम की कथाएं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में तथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पश्चिमी क्षेत्र में मंदिरों में समय के साथ अविरल धारा में बहती हुई अपने स्वरूप को निखारती रही हैं। रासलीला से घनिष्ठ संबंध होने के कारण पूर्व में इस नृत्य का नाम कथक नटवरी नृत्य विद्वानों द्वारा कहा जाता रहा है।

कत्थक –घुंघरू और ताल के साथ तालमेल के कारण कत्थक नृत्य का रुझान और माधुर्य अलग ही दृष्टिगोचर होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस नृत्य की शुरुआत मंदिरों से हुई जहां पर 'कथक', कथा वाचन प्राय: पौराणिक कथाओं को गाकर एवं उसमें भाव प्रदर्शित करके व्यक्त करते थे। गुजरते समय के साथ यह नृत्य कला मंदिरों से निकलकर महलों तथा नवाबों के दरबार तक आ पहुंची। जिस कारण इसका स्वरूप भक्ति की जगह विलासिता ने ले लिया। मुगल काल में कथक में नए प्रयोग हुए लेकिन ब्रिटिशर्स के आगमन के बाद यह नृत्य कला तवायफों के कोठों तक सिमट गई। परंतु कुछ हिंदू राजाओं ने इस कला की शोभा को बनाए रखा और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आजाद भारत में यह कला विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को संस्थागत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रदान की जाने लगी।

कत्थक के घराने- कथक नृत्य के चार घराने हैं जो कि अपनी–अपनी शैली और विशेषताएं लिए हुए स्वयं को एक दूसरे से पृथक पहचान दिलाते हैं–

1. जयपुर घराना- जयपुर घराने के कथक नर्तकों को यहां के हिंदू राज दरबारों का आश्रय मिला। ऐसा कहा जाता है कि भानु जी जो की शिव संप्रदाय से थे उन्होंने तांडव नृत्य की शिक्षा किसी संत से ली थी और बाद में अपने पुत्र मालू जी को और फिर मालू जी ने अपने दो पुत्र लालू जी और कानू जी को दी। इस घराने के नर्तक पखावज की मुश्किल तालों के अतिरिक्त नृत्य में जोश व तेजी की तैयारी दिखाते हुए नृत्य के बोलों के अलावा कवित्त,प्रमिलु,कई प्रकार की परनें, पैरों की तैयारी और चक्करों को विशिष्ट स्थान देते हैं।

2. लखनऊ घराना- वर्तमान प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील के निवासी पंडित ईश्वरी प्रसाद जी मिश्रा, लखनऊ घराने की परंपरा के मूल पुरुष माने जाते हैं। आपके प्रपौत्र ठाकुर प्रसाद जी, नवाब वाजिद अली शाह के गुरु थे और उन्होंने ही कथक नृत्य को नटवरी नृत्य नाम दिया था। आपके परिवार में पंडित दुर्गा प्रसाद और उनके पुत्रों में पंडित बिंदादीन, कालिका प्रसाद और भैरव प्रसाद हुए जिनमें कालिका–बिंदादीन की जोड़ी सर्वविदित है। "लखनऊ घराने के कत्थक नृत्य में लास्य और भावों का अद्भुत समन्वय मिलता है।"[2] इस घराने के कलाकार आमद,सलामी,गत निकास में विभिन्नता, श्रृंगारिकता , कर्णप्रिय तत्कार एवं विभिन्न तरीकों से भाव प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं।

3. बनारस घराना-बनारस घराने में कथक नृत्य की बात पंडित सुखदेव महाराज, सितारा देवी और पंडित गोपी कृष्ण से शुरू होती है। बनारस में पहले ध्रुपद, ध्रुवागान के साथ नटराज की प्रतिमा के आगे नृत्य करने की प्राचीन परंपरा थी।ष तिग्दा दिग दिग में जहां अन्य लोग चार पैर मारते हैं वहां यह छह पैर लगाते हैं।[3] कथक नृत्य की शुरुआत उपज से करना इस घराने की विशेषता एवं इसकी प्राचीनता भी है । इसके बाद के क्रम में इसमें वंदना,बोल एवं लग्गी लड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है।

4. रायगढ़ घराना- रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह के विशेष प्रयासों से इस नई शैली ने जन्म लिया। इन्होंने अपने स्थानीय कलाकारों पं कार्तिक राम,पं कल्याण दास,पंडित फिरतू दास, पंडित बर्मनलाल, पंडित अनुज राम, पंडित रामलाल आदि को जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद, शिवनारायण, पं नारायण प्रसाद, पं जयलाल महाराज, मोहनलाल एवं लखनऊ घराने के पंडित सीताराम, पं अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, पंडित शंभू महाराज आदि कलाकारों से प्रशिक्षण दिलवाया। इस घराने के बोल एवं परन इत्यादि रचनाएं काव्यात्मक एवं ध्वन्यात्मक हैं, जिनकी रचना महाराजा चक्रधर सिंह जी के द्वारा की गई है। "संगीत संबंधी राजा साहब के चार ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध है–1. नर्तन सर्वसम, 2. ताल तोय निधि, 3. राग रत्न मंजूषा और मुरज परन पुष्पाकर।"[4] लंबे बोल और चक्करदार परन इस घराने की विशेषता है।

सिनेमा में कत्थक नर्तकों की भूमिका- सन 1931 में बनी भारत की पहली सवाक फिल्म 'आलमआरा' ने संगीत के साथ नृत्य के लिए भी हिंदी सिनेमा में नए मार्ग खोल दिए थे। सिनेमा के आरंभिक दिनों के उस कालखंड में जिन फिल्मों का निर्माण होता था, वह या तो धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होती थीं या सामाजिक जागरूकता से ओतप्रोत। धीरे–धीरे सिनेमा में संगीत एवं गीतों का प्रवेश हुआ और फिर संचार हुआ नृत्य का जिसमें "शांताराम का हर चित्रपट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होता था, जिसमें से एक था 'झनक–झनक पायल बाजे' इसी चित्रपट से नृत्य निर्देशक नामक तत्व का भी जन्म हुआ। जिसमें नृत्य निर्देशक स्वयं नृत्य आचार्य गोपी कृष्ण जी थे।"[5] देखते ही देखते इसी तरह अन्य कई घरानों के नृत्याचार्य सिनेमा में अपनी नृत्य सेवाएं देने लगे, उनके कौशल एवं समर्पण से प्रभावित होकर नामी गिरामी फिल्म निर्देशक उनसे अपनी फिल्मों में नृत्य निर्देशन एवं नृत्य प्रस्तुति दोनों ही करने के लिए उत्सुक रहने लगे।

सिर्फ यही नहीं अपितु इनके अतिरिक्त अन्य कई और भी ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिनके नृत्य को कितने वर्षोंपरांत भी याद किया जाता है। इनमें से एक है 'उमराव जान' फिल्म (1981) जिसके अत्यंत मशहूर गीत 'दिल चीज क्या है' का नृत्य निर्देशन किया था पंडित गोपी कृष्ण एवं कुमुदिनी लखिया जी ने।[6] इसके बारे में इन्होंने बताया है, Muzaffar Ali was my old friend. One day he came to me to do choreography for the songs of his film 'Umrao Jaan'. I said that I have never work in films and I did not know how. I just knew that it takes a lot of time and it was difficult however I could try. Muzaffar said that you have to do it and you would choreograph all the Kathak movements.[7]

सन 1940 में निर्मित नर्तकी नामक फिल्म की गाथा पूर्ण तरह से कथक नृत्यांगना की रूप गाथा थी। इस फिल्म में कथक नर्तकी का पात्र साधना बोस द्वारा अभिनीत किया गया था। एक समय था जब फिल्मों में कत्थक को मुजरा या फिर तवायफों द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता था। 1950 और 1960 के दशकों में बनी कई फिल्में जो की नृत्य प्रधान थी उनमें वैजयंती माला, रागिनी, गीतांजलि, संध्या, रोशन कुमारी, अलकनंदा,पद्मिनी, तारा देवी, सितारा देवी नामक नर्तकियों एवं अभिनेत्रियों ने कत्थक को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी सिनेमा में कत्थक जगत का सितारा भी खूब चमका। "सुखदेव महाराज की राधा–कृष्ण मंडली के माध्यम से

अलकनंदा जी, तारा देवी व सितारा जी सिनेमा के बीच हुए मध्यांतर में कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगी, उसी समय पिक्चर के बीच दो इंटरवल हुआ करते थे वहां यह कथानकों की प्रस्तुति करते थे।"[8] एक बार एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री निरंजन शर्मा जी ने अपने एक असिस्टेंट चंद्रकांत को मुंबई से काशी भेजा, वे बनारस की दाल मंडी के कोठों पर पहुंच कर ऐसी लड़की को खोज रहे थे जो कि नृत्य में पारंगत हो और उसकी आयु भी अधिक ना हो पर उन्हें निराश होना पड़ा। फिर किसी ने उन्हें सुझाया कि वह पंडित सुखदेव महाराज के घर कबीर चौरा जाएं, यहां उनकी यह तलाश पूरी हुई और सितारा जी को रहने के लिए घर तथा मासिक वेतन के साथ उन्होंने मुंबई आने का न्योता दे डाला जहां फिल्मों में कत्थक की सात्विकता को बरकरार रखते हुए एवं अपनी रचित परनों को प्राथमिकता देते हुए सुखदेव महाराज जी ही नृत्य संयोजन करते थे। 'ऊषाहरण' नाम की एक फिल्म में सितारा देवी जी के नृत्य एवं सौंदर्य को अपूर्व ख्याति मिली उन्होंने के. आसिफ एवं महबूब खान जैसे चोटी के निर्देशकों के साथ भी काम किया। लगभग 180 से अधिक फिल्मों में उनके द्वारा किए गए नृत्य को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है । हम कह सकते हैं कि बनारस घराना कोठों से आए कत्थक के स्थान पर उसके परंपरागत रूप को फिल्मी पर्दे पर स्थान दिलाने में सफल रहा।

सितारा देवी जी कहती हैं, "आज जो भी नृत्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं वह हमारे लिए काफी शर्म की बात हो सकते हैं ऐसे नृत्यों को लेकर गोपी कृष्ण भी काफी नाराज थे।[9] यूं तो हिंदी सिनेमा में कई नृत्य निर्देशक हुए जिन्होंने अपने कालखंड में अपने विशेष नृत्य शैली से हटकर कथक नृत्य में भी नृत्य निर्देशन किया जो कि काफी सराहा भी गया जैसे मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध सरोज खान उर्फ निर्मला नागपाल एवं वर्तमान समय में पाश्चात्य शैली के अति विख्यात नृत्य निर्देशक रेमो डिसूजा आदि कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं हिंदी सिनेमा में कथक की प्रसिद्धि में दी हैं, लेकिन फिल्मों के निर्माण एवं उनके विकास काल के दौरान ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अभी भी उजागर नहीं हुई हैं। जैसे " सन 1990 में एडिशन की प्रोजेक्टिंग मशीन काइनेटोस्कोप पर दिखाने के लिए जो लघु चित्रों की श्रृंखला से बाहर आई थी उसमें 25 लघु चित्र थे उनमें से एक आइटम का शीर्षक था फातिमा- एक भारतीय नृत्य। विदेश में बने उसे लघु चलचित्र में कौन सा भारतीय नृत्य सेल्यूलाइट पर उतारा गया था? फातिमा किसी नर्तकी का नाम था या क्या था? उसे किस निर्माता ने तैयार किया था इसका कोई विवरण आज तक उपलब्ध नहीं है।"[10]

इसके अतिरिक्त अब आगे हम बात करते हैं लखनऊ घराने के सुप्रसिद्ध कला साधक जो अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए सर्वविदित हैं, जिन्होंने एक नहीं अपितु कई कालजई फिल्मों में अपना नृत्य निर्देशन दिया और उन गीतों तथा फिल्मों एवं उन् नृत्यों पर नृत्य तथा अभिनय करने वाली अभिनेत्रियों को भी अमर कर दिया ।पंडित लच्छू महाराज जिन्होंने "पाक़ीज़ा (1972), एक नजर (1972), पिकनिक (1966), आसरा (1966), तीसरी कसम (1966), मुझे जीने दो (1963), मुग़ल-ए-आजम (1960, एक ही रास्ता (1956), मिर्ज़ा ग़ालिब (1954) तथा नास्तिक (1954) आदि फिल्मों में अपने नृत्य निर्देशन से चार चांद लगा दिए।"[11] इन्हीं के घराने के हम सभी के लिए मार्गदर्शक, प्रेरणा

स्रोत तथा वह कला साधक जिन्होंने लखनऊ के कालिका-बिंदादीन घराने को विश्व पटल पर स्थापित किया,पंडित बिरजू महाराज ने भी हिंदी सिनेमा को कई ऐसे गीत दिए जिनका नाम तथा नृत्य निर्देशन आज भी लोगों के मानस पटल पर अंकित है। इनमें से कुछ है, शतरंज के खिलाड़ी 1977, देवदास 2002-काहे छेड़-छेड़ मोहे, डेढ़ इश्किया 2014-जगावे सारी रैना, विश्वरूपम 2018- मैं राधा तेरी मेरा श्याम तू, बाजीराव मस्तानी 2015-मोहे रंग दो लाल, ग़दर:एक प्रेम कथा 2001-आन मिलो सजना,जानिसार 2015, प्रणाली 2008, दिल तो पागल है 1997, कलंक 2019-घर मोरे परदेसिया आदि।"[12]

पंडित बिरजू महाराज जी के साक्षात्कार के कुछ अंश जिसमें उन्होंने हिंदी सिनेमा से जुड़े अपने अनुभव साझा किये " हमारे चचा लच्छू महाराज 40 साल न्यू थियेटर्स कोलकाता से उन्होंने फिल्म में रहना शुरू किया और हमको बीच-बीच में बुलाते थे, हमारे पास सत्यजीत रे जी की एक फिल्म का ऑफर आया एक डांस का मैंने उनके डांस का डायरेक्शन किया, शाश्वती सेन उसमें डांस की थी और मैंने ठुमरी गाई थी। यश चोपड़ा जी की एक फिल्म छोटी सी थी दिल तो पागल है उसमें माधुरी का एक पीस मिला माधुरी डांसर तो अपने आप में कमाल है वह कत्थक शुरू से सीखी हैं। फिर हम देवदास में चले आए देवदास में मेरे बाबा की ठुमरी थी काहे छेड़-छेड़ मोहे गरवा लगाए, फिर डेढ़ इश्किया में एक मौका मिला मुझे जो स्लो गाना था लेकिन हां भाव अच्छे थे माधुरी के,फिर हमारे सामने बाजीराव मस्तानी का ऑफर आ गया तो मैंने कहा चलो संजय भाई से मेरी बहुत बड़ी अच्छी दिली मोहब्बत है। ईश्वर कृपा से वह फिल्म भी अच्छी चल गई और मुझे भी फिल्म में अवार्ड मिल गया। कमल हसन जी की फिल्म विश्वरूप का एक हमको प्रेसिडेंट अवॉर्ड मिला तो मुझे इतनी खुशी है कि अगर क्लासिकल डांस के नजरों से अगर फिल्म के अंदर कोई खुशी और आनंद आता है तो मैं बेहद खुश होऊंगा और कभी-कभी जुड़ा रहूंगा ।"[13] इस प्रकार इन सभी महान कलाकारों ने हिंदी सिनेमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और साथ ही कत्थक नृत्य को विश्व पटल पर अंकित किया।

उपसंहार-इस प्रकार दृष्टव्य है कि भारतीय संस्कृति एवं संगीत का महत्वपूर्ण पहलू सिनेमा के माध्यम से शास्त्रीय पक्ष को संजोए हुए है। कत्थक गुरुओं एवं नर्तकों ने अपनी कला से हर काल में अत्यंत प्रभावित किया है तथा आम जनता को भी जो शास्त्रीय नृत्य से भिज्ञ नहीं है ऐसे में उनको भी शास्त्रीय नृत्य से संबद्ध किया एवं आनंदित किया । और यही आनंद हमारी भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. नारायण, शोभना एवं कलहा, गीतिका, कथक लोक -मंदिर ,परंपरा और इतिहास, शुभी पब्लिकेशंस गुरुग्राम, प्रथम संस्करण -2022, पृष्ठ संख्या- 75, ISBN-978-81-8290 498-9
2. नापित, विनीता, कत्थक नृत्य के लखनऊ घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार गुरु लच्छू महाराज, पृष्ठ संख्या-415, संगीत ज्ञान सुधा, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस,संपादक वर्मा , देवेंद्र , प्रथम संस्करण- 2022 ISBN -978-93-90932-28-3(PB)
3. दाधीच,पुरु, कत्थक नृत्य शिक्षा, भाग-1 ,नवम संस्करण-2016, पृष्ठ संख्या-28, बिंदु प्रकाशन इंदौर ,ISBN- 978-81-931439-4-0

4. दाधीच, पुरु, कत्थक नृत्य शिक्षा भाग–2 ,पंचम संस्करण– 2013, वी एस ग्राफिक्स इंदौर, पृष्ठ संख्या– 103
5. विमल, हिंदी चित्रपट एवं संगीत का इतिहास, प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ संख्या– 23 ,प्रथम संस्करण– 2005,ISBN–817453 1874
6. https:@en-m-wikipedia-org
7. http:@www-rekha the diva-com
8. शर्मा,चित्रा,कला वसुधा जुलाई–दिसंबर 2021,सितारा देवी, जिनकी चमक अपूर्व अनंत है, पृष्ठ संख्या 106, ISSN: 23483660
9. काज़मी,वाहिद,स्वामी,फिल्म संगीत इतिहास अंक जनवरी–फरवरी 1998,फिल्मों के मूक शैशव से बोलती युवावस्था तक नृत्य के बढ़ते चरण,पृष्ठ संख्या–49, प्रकाशन संगीत कार्यालय हाथरस
10. काज़मी, वाहिद, स्वामी, फिल्म संगीत इतिहास अंक जनवरी–फरवरी 1998,फिल्मों के मूक शैशव से बोलती युवावस्था तक नृत्य के बढ़ते चरण,पृष्ठ संख्या–40,प्रकाशन संगीत कार्यालय हाथरस
11. https:@in-bookmyshow-com
12. https:@www-cinestaan-com
13. https:@youtu-be@Q A 2 U R 7 dr K V

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 26, Hindi Edition, Year-13, October 2023- March 2024

भारतीय कृषि अवसर एवं चुनौतियाँ

• कुमुद श्रीवास्तव

सारांश- यदि भारतीय कृषि का विकास करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कार्यों को सुधारते हुये भूमि सुधार, बीज उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था सुधार, खाद व्यवस्था रखरखाव करके ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित किया जावेगा। शासन के द्वारा जो योजनायें बनायी गई है उनका क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन कर किसानों को लाभान्वित किया जा सकता है। कृषि और किसानों के विकास के लिये केवल नीतियां लाने के साथ साथ नीतियों के क्रियान्वयन पर ईमानदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। जल संसाधनों के प्रबंधन की जल आवश्यकता को ध्यान में रखकर तथा सिंचाई में समन्वयक करने की आवश्यकता है। सरकार को कृषि विपणन, परिवहन, निर्यात और प्रसंस्करण के लिये विद्यमान बाधाओं को उदार बनाकर सुधार किया जाना चाहिये। कृषि उप क्षेत्रों में विस्तार हेतु पशुधन क्षेत्रों में डेयरी के कारण कृषि क्षेत्र से आय के अन्तर्गत लगातार वृद्धि हो रही है। इस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि करके राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर विकास किया जाना चाहिये।

मुख्य शब्द- कृषि, कर्ज, कृषि विकास, कृषि सुधार, जल संसाधन

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का मूल्यांकन मुख्य रूप से कुछ प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर किया जा सकता है–

- राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान
- कृषि में पूंजी निर्माण
- रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व
- औद्योगिक विकास के लिये कृषि का महत्व
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्व
- कृषि विकास एवं कृषकों को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा शुरू की प्रमुख योजनायें

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार कृषि वर्ष 2022–23 के लिये मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान 14 फरवरी 2023 को जारी कर दिये गये हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मोटे अनाज अर्थात् पोषण

• प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म. प्र.)

अनाज को श्री अन्न का नाम दिया है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार खाद्यान्न 323.55 मिलियन टन, चावल 130,83 मिलियन टन, गेहूं 112.18 मिलियन टन, मोटे अनाज 52. 73 मिलियन टन, मक्का 34.61 मिलियन टन, जौ 2.20 मिलियन टन, कुल दलहन 27. 81 मिलियन टन, चना 13.63 मिलियन टन, मूंग 3.54 मिलियन टन, तिलहन 40 मिलियन टन, मूंगफली 10.05 मिलियन टन, सोयाबीन 13.97 मिलियन टन, रेपसी 5 एवं सरसों 12.82 मिलियन टन, कपास 33.72 मिलियन गांठे, गन्ना 468.79 मिलियन टन उत्पादन की संभावना है। खाद्यान्न, चावल, गेहूं एवं मक्का के उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि देखी जा रही है। कृषि उत्पादन के अग्रिम अनुसार सभी क्षेत्रों में वृद्धि का अनुमान देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद द्वितीय स्थान पर, जोड़ दाले के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश जोड़ खाद्यान्न में 39.05 उत्पादन के साथ द्वितीय स्थान पर है। कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश 7.92 उत्पादन के साथ द्वितीय स्थान पर है। कृषकों की आय में वृद्धि, कृषि के सतत विकास एवं कृषकों की संपन्नता सुनिश्चित करने के लिये अनेक विकास कार्यक्रम, योजनाएं एवं नीतिगत सुधार सरकार के द्वारा लागू किये गये हैं।

उद्देश्य-

1. भारत में कृषि विकास की वर्तमान स्थिति का अध्ययन।
2. भारत में राज्यों में किसानों पर कर्ज की स्थिति का अध्ययन करना।
3. भारत में अपर्याप्त कृषि विकास के कारणों को ज्ञात करना।
4. कृषि सुधार हेतु किये गये उपायों की व्याख्या करना।

भारत के किसान कृषि कार्यों के उद्देश्य से व्यवसायिक, सहकारी एवं क्षेत्रीय बैंकों से कर्ज लेते हैं। वर्तमान में किसानों पर इन बैंकों का करीब रू 21 लाख करोड़ का कर्ज बकाया है, लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में पेश किये गये राष्ट्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के आंकड़े बताते हैं कि देश भर के करीब 15.5 करोड़ खाताधारकों के औसत रू0 1.35 लाख प्रति खाताधारक बकाया है कि भारत के बहुत से किसान संस्थागत बैंकों से कर्ज नहीं ले पाते उन्हें साहूकारों अथवा सूदखारों से मोटी ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है, इस कर्ज का कोई अधिकारिक रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

राज्यवार किसान कर्ज की स्थिति-

- वर्तमान में किसान कर्जदार खाताधारकों की संख्या तमिलनाडु में सर्वाधिक 2. 79 करोड़ है, इन खाताधारकों पर करीब रू 3 लाख 47 हजार करोड़ बकाया है।
- इसके अतिरिक्त कर्नाटक के 1 करोड़ 35 लाख खाताधारकों पर करीब रू0 1 लाख 81 हजार करोड की देनदारी शेष है।
- राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश के किसानों पर रू0 1 लाख करोड़ से अधिक कर्ज बकाया है।
- अगर प्रति खाताधारक औसत कर्ज देखे तो पंजाब पहले स्थान पर है, इस राज्य के प्रति कर्जदार खाताधारक पर औसतन रू 2 लाख 95 हजार बकाया है दूसरे स्थान पर गुजरात है जहां हर कर्जदार खाताधारक पर करीब रू 2 लाख 29 हजार

बकाया है, हरियाणा और गोवा के प्रति खाताधारक किसान पर भी रू 2 लाख से अधिक का कर्ज है।

- अगर केन्द्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो दादरा एवं नगर हवेली के प्रति खाताधारक पर सर्वाधिक रू 4 लाख से अधिक बकाया है।
- इसके बाद दिल्ली के खाताधारकों पर रू 3 लाख 40 हजार का औसत कर्ज है।
- चंडीगढ़ में यह देनदारी रू 2 लाख 97 हजार प्रति खाताधारक है।

अपर्याप्त कृषि विकास के मूल कारण- वर्तमान में किसानों के पास कृषि में निवेश के लिये पूंजी का अभाव है, किसानों में विशेषत: जो छोटे किसान है उन्हें प्राय: संस्थागत ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थिति में किसानों को निजी व्यक्तियों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है जिससे उन्हें उच्च ब्याज दरों और ऋण जाल में फंसने से किसानों को आत्महत्या जैसे कदमों को भी उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिये, भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) का अनुमान है कि 2011 में लगभग 10,881 किसानों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 209 के अनुसार आत्महत्या का प्रयास करना एक अपराध है जिसके लिये जुर्माना और 1 वर्ष तक को कैद हो सकती है, कर्ज के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के लिये यह सजा अत्यधिक प्रतिकूल है, इसलिये 2017 का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम धारा 309 का खंडन करता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, उसे गम्भीर रूप से तनाव में माना जाएगा और उस पर संहिता के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही उसे दण्डित किया जायेगा।

कृषि इनपुट लागत में समग्र वृद्धि- बीज, उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे रसायनों की लागत में वृद्धि से किसानों को अधिक खर्च की आवश्यकता होती है जब उनकी आय इन लागतों के लिये पर्याप्त नहीं होती तो वे संस्थागत व गैर संस्थागत कर्ज का विकल्प चुनते हैं।

कृषि उपकरणों की लागत - ट्रैक्टर, पम्प आदि जैसे कृषि उपकरण इनपुट की लागत को बढ़ाते हैं।

कृषि कार्यों के लिये मजदूरों को काम पर रखना भी लगातार मंहगा होता जा रहा है, जिससे बोझ बढ़ रहा है, मनरेगा जैसी योजनाएं और न्यूनतम बुनियादी आय में वृद्धि के कारण भी कृषि कार्यों में लगे मजदूरों की कमी और भुगतान में वृद्धि का एक कारण रहा है।

जागरूकता की कमी - किसानों में सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता की कमी भी उनके पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों में से एक है।

किसानों में साक्षरता की कमी और डिजिटल विभाजन - किसानों में साक्षरता की कमी और डिजिटल विभाजन के कारण, बहुत सारे किसानों, विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों के सुधार में बाधा साबित हो रही है, वे योजनाओं से अनभिज्ञ है, या नहीं जानते कि सरकार द्वारा उन्हें दिये जाने वाले लाभों का फायदा कैसे उठाया जाए, और इस

प्रकार उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन- जलवायु परिवर्तन का असर किसानों और कृषि पर भी पड़ रहा है, अनिश्चित मानसून प्रणाली, आकस्मिक बाढ़ आदि के कारण फसल को नुकसान हुआ है, विलम्बित मानसून भी नियमित रूप से उत्पादन में कमी का कारण बनता है।

कृषि के अतिरिक्त वैकल्पिक आय साधनों का अभाव - भारत में यह कारण किसानों के लिये बेरोजगारी का कारण बनता है, उल्लेखनीय है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार और बेरोजगारी की प्रकृति मौसमी (किसी विशेष मौसम में) संरचनात्मक (पर्याप्त कार्य का सृजन नहीं), प्रच्छन्न (रोजगार की आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य में लगा रहना) आदि हो सकती है, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी के कारणों में मुख्यत: औद्योगिकीकरण का अनुचित और धीमा चरण, नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन न हो पाना और अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि को माना जाता है, इसके लिये सुझाए गए (नमाधानों में श्रमिक बहुत उद्योगों में वृद्धि, कृषि विस्तार, विकास, जनसंख्या नियंत्रण और जनशक्ति नियोजन है)।

कृषि सुधार हेतु प्रयास

भूमि सुधार - इन सुधारों का उद्देश्य भारत में भूमि के स्वामित्व और उपयोग के तरीके को बदलना है उनमें बड़े भू-स्वामियों से लेकर छोटे किसानों तक भूमि का पुनर्वितरण शामिल है।

बाजार सुधार - इन सुधारों का उद्देश्य भारत में कृषि बाजारों को और अधिक कुशल बनाना है, इसमें मूल्य नियंत्रण को हटाया जाना और कृषि बाजारों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिये खोला जाना शामिल है।

तकनीकी सुधार - इन सुधारों का उद्देश्य भारत में कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी को पेश करना है इनमें नए बीज, उर्वरक या कीटनाशकों का विकास शामिल है, इसमें नई कृषि पद्धतियों को अपनाना भी शामिल है।

संस्थागत सुधार - इन सुधारों का उद्देश्य भारत में कृषि नीतियों को बनाने और लागू करने के तरीके में सुधार करना है, इनमें कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं की भूमिका।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) 2024 तक 100 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को सुरक्षित और समय पर सिंचाई प्रदान करने की दृष्टि से 2015 में शुरू की गई एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)- परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) पारस्परिक कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि से 2007 में शुरू की गई एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, यह योजना किसानों को पारम्परिक कृषि के लिये प्रशिक्षण, इनपुट और सुनिश्चित खरीद गारण्टी प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई) 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है, यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, जैसे - सूखा, बाढ़, ओला वृष्टि

और कीट संक्रमण के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ बीमा कवरेज प्रदान करती है, इसके तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लिये प्रीमियम का 50: और अन्य किसानों के लिये प्रीमियम का 25 प्रतिशत वहन करती है।

पी.एम. किसान मानधाना योजना- पी.एम. किसान मानधाना योजना (पी.एम. किसान – एम.के.वाई.) भारत में किसानों के लिये एक पेंशन योजना है, इसे 15 अगस्त 2019 को लान्च किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2050 तक वर्तमान आवश्यकता से लगभग 70 प्रतिशत तक भोजन की मांग बढ़ जायेगी, ऐसे में आवश्यकता है कि उपलब्ध संसाधनों पर ही नवीन प्रौद्योगिकी और कृषि प्रणालियों के आधार पर कृषि में सुधारों को बढ़ावा दिया जाये।

परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture) – परिशुद्ध कृषि एक कृषि संसाधन प्रबंधन रणनीति है, जो डेटा एकत्र करती है, संसाधित करती है और उसका मूल्यांकन करती है और किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादकता को अनुकूलित करने और बढ़ाने में मदद करने के लिये अन्तर्दृष्टि प्रदान करती है, कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि परिशुद्ध कृषि पर बाजार वर्ष 2028 तक 13.1 सी.ए.जी.आर. की दर से बढ़कर 16.35 बिलियन डॉलर तक पहुंचा जाएगा।

इनडोर वटिकल फार्मिंग- इनडोर वर्टिकल फार्मिंग एक बन्द और नियंत्रित वातावरण में कृषि उपज को एक दूसरे के ऊपर वर्टिकल रूप से उगाई जाती है यह तकनीक सीमित स्थानों में फसल पैदावार बढ़ाने के लिये उपयुक्त है, इस फसल तकनीक में लम्बवत आलमारियों का उपयोग किया जाता है, इन आलमारियों में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हाइड्रोणोनिक्स या एरोपोनिक्स विधि से पौधे उगाए जाते हैं, हाइड्रोपोनिक्स में पानी और पोषक तत्वों के घोल में फसल उगाई जाती है, जबकि एरोपोनिक्स में फसलों की जड़ों को हवा में आरोपित कर दिया जाता है, इसमें पानी और पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है, इनडोर वर्टिकल फार्मिंग में परम्परागत कृषि से लगभग 70 प्रतिशत तक कम पानी आवश्यकता होती है, वर्तमान में कटाई और रोपण के लिये रोबोट तकनीक के प्रयोग से श्रम लागत में भी कमी आई है।

लेजर बिजूका तकनीक- फसल पकने के बाद पक्षी या कीट पतंगे द्वारा फसल की बर्बादी से रोकने के लिये रोड आईलैण्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि पक्षी हरा ;ळतममदद्ध रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, अत: शोधकर्ताओं ने एक लेजर विजूका का आविष्कार किया, यह हरे लेचर प्रकाश को प्रक्षेपित करता है, उल्लेखनीय है कि सूर्य की रोशनी में यह हरा प्रकाश मनुष्यों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह पक्षियों को एक खेत में 60 फीट की दूरी तक आने पर प्रभावित करता है, लेजर बिजूका के प्रारंभिक परीक्षणों में पाया गया है कि यह तकनीक खेतों के आसपास पक्षियों की आने की दर को 70: से 80: तक कम कर देता है, जो फसल क्षति को रोकने में कारगर होता हैं।

मिनीक्रोमोसोम तकनीक - वर्तमान जलवायु परिवर्तन से फसल चक्र, पौधों की

जोखिम क्षमता आदि में वृद्धि के लिये कृषि अनुवंशिकीविद् पौधे के जीन में बदलाव किये बिना पौधों के गुणों को बढ़ाने के लिये मिनीक्रोमोसोम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, मिनीक्रोमोसोम में कम मात्रा में अनुवांशिक परिवर्तन करता है, इससे पौधे के प्राकतिक गुणों में बिना कोई विशेष हस्तक्षेप किये बिना पौधों को अधिक सुख सहिष्णु या कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिये इस तकनीक का उपयोग कारगर सिद्ध हो रहा है।

एन ड्रिप सिंचाई – यह सूक्ष्म ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, इसमें पौधों की जड़ों तक पानी को धीरे–धीरे टपकने दिया जाता है, यह तकनीक पानी के उपयोग को 50 प्रतिशत तक कम कर देती है, इससे फसल गुणवत्ता में भी सुधार होता है।

निष्कर्ष- निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि यदि भारतीय कृषि का विकास करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कार्यों को सुधारते हुये भूमि सुधार, बीज उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था सुधार, खाद व्यवस्था रखरखाव करके ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित किया जावेगा। शासन के द्वारा जो योजनायें बनायी गई है उनका क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन कर किसानों को लाभान्वित किया जा सकता है। सुझाव के रूप में कहा जा सकता है कि–

- कृषि और किसानों के विकास के लिये केवल नीतियां लाने के साथ साथ नीतियों के क्रियान्वयन पर ईमानदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
- जल संसाधनों के प्रबंधन की जल आवश्यकता को ध्यान में रखकर तथा सिंचाई में समन्वयक करने की आवश्यकता है।
- सरकार को कृषि विपणन, परिवहन, निर्यात और प्रसंस्करण के लिये विद्यमान बाधाओं को उदार बनाकर सुधार किया जाना चाहिये।
- कृषि उप क्षेत्रों में विस्तार हेतु पशुधन क्षेत्रों में डेयरी के कारण कृषि क्षेत्र से आय के अन्तर्गत लगातार वृद्धि हो रही है। इस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि करके राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर विकास किया जाना चाहिये।
- पशुओं से संबंधित कार्यों में महिलाओं को शामिल करके महिलाओं के विकास में भी योगदान दिया जा सकता है।
- कृषि उत्पादकता बढ़ाकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा ऋणग्रस्तता के भार को कम किये जाने हेतु प्रयास की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2022, 2023
2. माहेश्वरी पी.डी. गुप्ता शीलचन्द, भारतीय आर्थिक नीति, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल
3. प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली, फरवरी–मार्च 2024
4. सिन्हा वी.सी. भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स आगरा

ISSN 0975-4083

9 770975 408002

Registered under M.P. Society Registration Act, 1973
Reg. No. 1802, Year 1997

Published by
Dr. Gayatri Shukla on behalf of
Gayatri Publications
Rewa- 486001(M.P.) and Printed at
Glory Offset, Nagpur